दशम माला, खंड 44, अंक 14

गुरुवार, 24 अगस्त, 1995
2 भाद्र 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौदहवां-सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 44 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

24.8.95 के वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

का शुद्धि - पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	3	भाद्र	भाद्र
विषय सूची (i)	12	सौं	सौ
विषय सूची (ii)	7	मयूरगंज:	मयूरभंज :
विषय सूची (ii)	20	जोड़	जोड़ें
26	12	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्र	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री
27	29	एण्लाई	सप्लाई
43	10	श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी
58	नीचे से 7	कार्वान्वयन	कार्यान्वयन
99	5	(ग) से (घ)	(ग) से (छ)
105	अंतिम	पेट्रिलियम	पेट्रोलियम
117	7	श्री राजनाथ सोनकार शास्त्री	श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
119	11	राज्य मंत्रीय	राज्य मंत्री
134	नीचे से 4	श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या
181	25	(घ) से (ङ)	(घ) से (च)
243	32	(क)	(क) और (ख)

विषय–सूची

दशम माला, खंड 44, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 14, गुरूवार, 24 अगस्त, 1995/2 भाद्, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	301-305	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		21-293
* तारांकित प्रश्न संख्या :	306-320	21-36
अतारांकित प्रश्न संख्या	3066-3295	38-293
सभा पटल पर रखे गये पत्र		293-294
राज्य सभा से संदेश		294
लोक लेखा समिति		294-295
एक सौं आठवां प्रतिचेदन – प्रस्तुत		294-295
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
चवालीसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		295
याचिका समिति		
बाइसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		295
लाभ कें पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति		
नौवां प्रतिवदेन – प्रस्तुत		295
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति		
बीसवां प्रतिवदेन – प्रस्तुत		295
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति		
अठारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश – प्रस्तुत		296
रेल अभिसमय समिति		
दसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश – प्रस्तुत		296
रक्षा संबंधी स्थायी समिति		
पांचवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		296
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति		
उनतीसवां प्रतिवेदन – सभा पटल पर रखा गया		296

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय		कालम
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति		
	दिये गये साक्ष्य — सभा पटल पर रखा गया	296-297
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
	देश में सफाई कर्मचारियों द्वारा सिर पर मैला ढ़ोने की चल रही प्रथा के बारे में	
	श्री के०वी० तंगकाबालू	297-305
नियम 377 के अधीन मामले		305-309
(एक)	उड़ीसा के मयूरगंज जिले में मानगोविन्दपुर में जडिदाह सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	डा० कार्तिकेश्वर पात्र	305
(दो)	रेशम के कोयों का मूल्य 150 रुपये प्रति किलोग्राम निश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	305
(तीन)	करेल में कन्नानौर में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	306
(चार)	उड़ीसा में "सारा" और "खटिया" जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री शिवाजी पटनायक	306
(पांच)	त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुझीथेराई में थम्पारावर्णी नदी पर पुराने पुल का पुनःनिर्माण किऐ जाने की आवश्यकता	
	श्री एन० डेनिस	307
(छः)	राजस्थान में अजमेर को हवाई मार्ग से जोड़ जाने की आवश्यकता	
	प्रो० रासा सिंह रावत	307
(सात)	महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती भावना चिखलिया	308
(आठ)	उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सम्भल के संपूर्ण विकास के लिए धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
	डा० एस०पी० यादव	308
(नौ)	पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में केलेघाई नदी की बाढ़ नियंत्रण परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता	
	श्रीमती गीता मुखर्जी	308-309

विषय	कालम

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन, अध्यादेश, का निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प;

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक;

कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, का निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प

और

कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक ... 309-374

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री राम नाईक	310
श्री जी० वेंकट स्वामी	315
श्री हरिन पाठक	317
श्री शरद दिघे	321
श्री तरित वरण तोपदार	325
श्री राम कृपाल यादव	327
श्री सैयद शहाबुद्दीन	331
श्री मोहन रावले	334
श्री भोगेन्द्र झा	337
श्री दत्ता मेघे	341
श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन	343
श्रीमती सरोज दुबे	344
डा० सत्यानारायण जटिया	347
श्री रामचन्द्र मोरोतराव घंगारे	349
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	

लोक सभा

गुरुवार, 24 अगस्त, 1995/2 भाद्र, 1917 (शक)

लोक सभा 11 म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल की कमी

+

*301. श्री प्रकाश बी. पाटील :
श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों विशेषरूप से गुजरात और महाराष्ट्र में डीजल और पेट्रोल की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) गुजरात और महाराष्ट्र सहित देश के किसी भाग से डीजल और पेट्रोल की किसी कमी की रिपोर्ट नहीं मिली है। देश में पेट्रोल और डीजल की मांग संपूर्णतया पूरी की जा रही है।

श्री प्रकाश बी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, मई के महीने में डीजल और पेट्रोल की कमी थी। वर्ष 1994-95 में देश में 32 एम. एम. टी. कच्चे तेल का उत्पादन हुआ। हम 30 एम. एम. टी. कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं, जिसका मूल्य 11,000 करोड़ रुपए है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या सरकार ब्राजील के समान 10 प्रतिशत अलकोहल को पेट्रोल आदि डीजल के रूप में ब्लेंड करने की अनुमति देगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अलकोहल है, बल्कि यह हमारी आवश्यकता से भी अधिक है तथा इसका निर्यात करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार फालतू अलकोहल को डीजल और पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने की अनुमति देगी।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, प्रश्न के उत्तर में मुख्यतः डीजल और पेट्रोल की मौजूदा कमी का उल्लेख है। इस वर्ष अप्रैल-मई में मथुरा रिफाइनरी के अचानक बंद हो जाने के कारण उत्तरी क्षेत्र में डीजल आदि की कमी हो गई थी।

जहां तक अलकोहल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने का संबंध है, यह नीति का विषय है। हम निश्चय ही माननीय सदस्य के अनुरोध पर विचार करेंगे और उन्हें बताएंगे। इसकी हमें जांच करनी पड़ेगी।

श्री प्रकाश बी. पाटील : तेल कंपनियों को तेल के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कमी होने पर इन कंपनियों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है ? निजी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा अनेक रिफाइनरियां स्थापित की जा रही हैं। सरकार रिफाइनरियों की अतिरिक्त क्षमता का भविष्य में किस प्रकार उपयोग करेगी ?

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने पेट्रोलियम का उत्पादन अपने हाथ में लिया था, इन उत्पादों के संबंध में रिफाइनरियों की उत्पादन क्षमता आवश्यकता से कम थी। हम अब भी प्रतिवर्ष 500 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करते हैं। परंतु इस सरकार की पहल पर, निजी और विदेशी निवेश तथा संयुक्त निवेशों वाले अनेक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा दी जा रही है और हमें विश्वास है कि इस शताब्दी के अंत तक, देश में आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त रिफाइनरी क्षमता हो जाएगी। वास्तव में हमारी उत्पादन क्षमता 1150 लाख टन की आवश्यकता से 150 लाख टन अधिक हो जाएगी।

जहां तक तेल कंपनियों पर जिम्मेदारी डालने का संबंध है, उत्पादन और वितरण तथा बिक्री की जिम्मेदारी हमेशा हमारी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की रही है। लगातार इस सबकी समीक्षा की जाती है तथा समीक्षा के अनुसार उत्पादन में वृद्धि की जाती है। परंतु अब तेल की खोज, उत्पादन, रिफाइनिंग तथा बिक्री समेत सभी क्षेत्रों को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। इससे हमारे देश के लिए अच्छे परिणाम निकलेंगे।

[हिंदी]

डॉ. परशुराम गंगवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय द्वारा डीजल की कमी के बारे में बताया है कि मथुरा रिफाइनरी खराब होने की वजह से तेल की आपूर्ति नहीं हो पाई। मैं खासतौर से बरेली डिवीजन, जिसमें पीलीभीत भी आता है, के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पर माह मई, जून और जुलाई में डीजल की बहुत कमी रही, जिसके बारे में हम सदन में भी सवाल उठाते रहे, परंतु बरेली डिवीजन में डीजल की कमी दूर नहीं हो सकी। भविष्य में बरेली डिवीजन में डीजल की कमी न हो, इसके लिए क्या मंत्री महोदय ने कोई योजना बनाई है ?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : सरकार द्वारा आपात् उपाय किए जाने के परिणामस्वरूप कमी को पूरा कर दिया गया और अब हमारे पास 35 दिन तक का हाई स्पीड डीजल और 36 दिन का पेट्रोल भंडार में है। उत्तरी क्षेत्र में 25 दिन का पेट्रोल तथा 27 दिन के डीजल का स्टाक है। यह स्टाक पर्याप्त है। कमी को अब पूरा कर दिया गया है। सरकार ने कमी को समाप्त करने के लिए उत्तरी राज्यों तथा देश के अन्य भागों में डीजल पहुंचाने के लिए अतिरिक्त वेगन लगाए तथा अन्य अनेक आपात् उपाय किए।

डॉ. आर. मल्लू : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि किसी प्रकार की कमी नहीं है। आंध्र प्रदेश में मई, जून और जुलाई में कमी रही, जिसकी जानकारी राज्य और केंद्र में सभी संबंधित लोगों को करा दी गई थी। तब सरकार ने बताया कि कमी डीजल या पेट्रोल की नहीं है वरन् समस्या है इनकी ढुलाई के लिए वेगनों की कमी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ढुलाई के लिए वेगनों की कमी है, जिसके कारण राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश में जून-जुलाई में डीजल और पेट्रोल की कमी हो गई थी।

श्री एस. कृष्ण कुमार : प्रश्न का संबंध वर्तमान कमी से है।सरकार ने स्वीकार किया है कि तीन-चार या सप्ताह के थोड़े समय के लिए उत्तरी क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में कमी रही। मेरे माननीय साथी श्री सतीश शर्मा जो पेट्रोलियम के प्रभारी मंत्री हैं, ने किए जा रहे उपायों के बारे में सभा में एक वक्तव्य दिया था। आंध्र प्रदेश के सनत नगर और टाडेपल्ली जिलों में अस्थाई कमी हुई थी, जिसे आपात् उपाय करके दूर कर दिया गया था। वेगनों की सामान्य रूप से कमी है, परंतु हम इस समस्या का कंपनियों द्वारा अपने वेगन रखने की योजना तथा खंडाला-भटिंडा पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने जैसी विभिन्न प्रणालियों को प्रारंभ कर हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सभी विकसित देशों में पेट्रोल पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं तथा पेट्रोलियम पदार्थों के कुशल वितरण की नीति बना रहे हैं।

[हिंदी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर सही नहीं है, जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है। उत्तर में अप्रैल, मई और जून में तेल की कमी के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर तेल की शार्टेज बनी रहती है, खासतौर से यात्रियों के सीजन में। इस तरह की समस्या अन्य क्षेत्रों में नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पेट्रोल, डीजल रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा पहुंचाया जाता है।

और उसके जो सोर्स आप यहां से भेजते हैं वह इस प्रकार से आपने छांटे हैं कि जिसमें अक्सर 3-4 महीने में कमी होती है और मुझे मिनिस्टरी में सैक्रेटरी से या अन्य लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपको गढ़वाल में जो कमी है उसके बारे में जानकारी है। पिछले साल ही दो-तीन बार यह समस्या आ गई थी। यह इमरजेंसी जैसे मथुरा रिफाइनरी की वजह से आ गई थी वैसी नहीं है, यह तो रूटीन प्रोसीजर क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो क्या आप इस सिस्टम को दुबारा दिखवाकर गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी और चमौली में इसकी कुछ अच्छी व्यवस्था करेंगे जिससे पेट्रोल और डीजल समय से वहां पहुंच सकें।

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में डीजल का 27 दिन का और पेट्रोल का 22 दिन का स्टॉक है जबकि औसतन 30 दिन का स्टॉक रहना चाहिए। मैं माननीय सदस्य की इस राय से सहमत हूं कि पेट्रोलियम पदार्थों के उतारने-चढ़ाने, परिवहन, पाइपलाइन तथा अन्य आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाना चाहिए और इसे चुस्त-दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए धन की आवश्यकता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : मैं पहाड़ी क्षेत्रों में इसके परिवहन की बात कह रहा हूं।

श्री गोविंद चंद्र मुंडा : महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से मुझे ज्ञात हुआ है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार डीजल और पेट्रोल की प्रतिपूर्ति के लिए मिट्टी के तेल के उपयोग की अनुमति दे रही है। क्या सरकार ने पेट्रोल व्यापारियों को मिट्टी के तेल के लाइसेंस दिए हैं ? यदि हां, तो ये लाइसेंस कितने व्यापारियों को दिए गए हैं ?

श्री एस. कृष्ण कुमार : क्या आप मिट्टी के तेल के बारे में पूछ रहे हैं ?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : उनका कहना है कि आपने एक ही व्यक्ति को डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल के लाइसेंस दिए हैं और वे इनकी मिलावट करते हैं।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, पेट्रोल में मिट्टी के तेल तथा अन्य तेलों की मिलावट एक आम समस्या है। हमारे यहां निगरानी और निरीक्षण विभाग है जो जांच करता है, मुकदमा चलाता है तथा मिलावट करने वालों के खिलाफ अन्य कार्रवाई करता है। हम मिलावट का समर्थन नहीं कर सकते और ऐसा होता भी नहीं है।

[हिंदी]

श्री गोविंद चंद्र मुंडा : उन्हें लाइसेंस क्यों दिए गए हैं ? वह केरोसिन देते हैं पेट्रोल के परमिट पर, तो यह क्या बात है ? दोनों का नहीं देना चाहिए। आप इसकी इंक्वायरी कीजिए।

श्री एस. कृष्ण कुमार : पेट्रोल लाइसेंसधारी को मिट्टी के तेल का लाइसेंस न दिए जाने का कोई कारण है। और फिर यह मिलावट का कारण नहीं है। वे दूसरी जगह से मिट्टी का तेल लाकर मिलावट कर सकते हैं। इससे समस्या हल नहीं होगी।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा भय फैला है अक्तूबर में देश में डीजल की कमी होगी जिससे संकट पैदा होगा। समाचार-पत्रों में भी ऐसे समाचार छपे हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है ? यदि हां, तो अक्तूबर में इस कमी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री एस. कृष्ण कुमार : तेल समन्वय समिति सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के सहयोग से प्रतिदिन के आधार पर स्टॉक की स्थिति की समीक्षा कर रही है। हमने प्रत्येक तिमाही के लिए योजना बनाई है और ऐसा करते समय आकस्मिक आवश्यकता को भी ध्यान में रखा है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है तथा हम सितंबर से शुरू होने वाली तिमाही की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

[हिंदी]

संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

*302. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के तेल क्षेत्रों के कुछ ब्लाकों को संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ विदेशी पूंजी निवेश आमंत्रित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन विदेशी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिनसे पूंजी आमंत्रित की गई है ?

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रखा है।

विवरण

(क) से (ङ) भारत सरकार, भारत में खोजे गए तेल क्षेत्रों के विकास और विभिन्न ब्लाकों में तेल और अन्वेषण के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों से बोलियां आमंत्रित करती रही हैं।

खोजे गए तेल क्षेत्रों के संबंध में अगस्त, 1992 में किए गए प्रस्तावों की तुलना में 5 मध्यम आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए ठेके दिए गए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कंपनी/परिसंघ का नाम	क्षेत्र	राज्य
एनरोन, यू एस ए-रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत	मध्य और दक्षिण तापी, मुक्ता और पन्ना	बंबई अपतट
कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया-वीडियोकान, भारत-मारुबेनी, जापान	रावा	कृष्णा-गोदावरी अपतट
कंपनी जियोफाइनेन्सियर, फ्रांस-एनप्रो सर्विसेज, भारत	खरसांग	अरुणाचल प्रदेश

भारत सरकार ने अक्तूबर, 1993 में 8 मध्यम आकार के तेल और गैस क्षेत्रों को निजी पार्टियों द्वारा विकास के लिए फिर प्रस्तावित किया। 7 क्षेत्रों के लिए बोलियां प्राप्त हुई। बोलीदाताओं के साथ वार्ताएं प्रगति पर हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार ने बोली के चौथे दौर के अंतर्गत निम्नलिखित ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों (पी एस सी) पर हस्ताक्षर किए हैं—

ब्लाक का नाम	कंपनी का नाम	राज्य/बेसिन
प्रणहिता-गोदावरी (गोंडवाना) तटीय बेसिन में जी एन-ओ एन-90/3	हिंदुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी और मफतलाल इंडस्ट्रीज (दोनों भारत की कंपनियों) का परिसंघ	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र
कृष्णा-गोदावरी अपतटीय बेसिन में के जी-ओ एस 90/1	मैसर्स एलबियन इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंक, यू एस ए, आस्ट्रेलिया की कोप्लेक्स रिसोर्सेज लिमिटेड, कनाडा की मैसर्स निको रिसोर्सेज और भारत की हिंदुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी का परिसंघ	कृष्णा-गोदावरी अपतट
राजस्थान बेसिन में आर जे-ओ एन-90/1	शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी वी, नीदरलैंड्स	राजस्थान
कावेरी अपतटीय बेसिन में सी वाई-ओ एस-90/1	भारत की एच ओ ई सी, यू एस ए की वाल्को एनर्जी इंक और भारत की टाटा पेट्रोडाइन का परिसंघ	कावेरी अपतट

भारत सरकार ने गुजरात में जी के-ओ एन-90/2 ब्लाक के लिए ठेका देने पर भी अनुमोदन कर दिया है। इसके लिए ठेके पर शीघ्र हस्ताक्षर होने की संभावना है।

भारत सरकार ने पांचवें दौर के अंतर्गत नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार तेल और गैस के अन्वेषण के लिए ठेके का अनुमोदन कर दिया है—

कंपनी/परिसंघ का नाम	ब्लाक	राज्य/बेसिन
एस्सार आयल लिमिटेड, भारत	आर जे-ओ एन-90/4	राजस्थान
	आर जे-ओ एन-90/5	राजस्थान
	बी बी-ओ एस-5	बंबई अपतट
एच आई सी, बड़ौदा-टाटा पेट्रोडाइन, दिल्ली वाल्को एनर्जी, यू एस ए	सी वाई-ओ एस/2	कावेरी अपतट
कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया—वीडियोकान, भारत	के जी-ओ एस/6	कृष्णा-गोदावरी अपतट
रेक्सवुड-ओकलैंड का., यू एस ए	जी के-ओ एस/5	गुजरात-कच्छ अपतट

इन ब्लाकों के लिए संविदाओं पर जल्दी ही हस्ताक्षर होने वाले हैं।

तेल और गैस के अन्वेषण के छठे, सातवें और आठवें दौरों के अंतर्गत क्रमशः 20, 12 और 33 बोलियां प्राप्त हुई हैं। यह सरकार के विचाराधीन हैं।

भारत सरकार ने संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के अंतर्गत 28 ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए मार्च, 1995 में बोलियां आमंत्रित की हैं। बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 1995 है।

उन विदेशी कंपनियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिन्हें अपने बलबूते अथवा परिसंघ के माध्यम से विकास और अन्वेषण के लिए ठेके दिए गए हैं और जो इस उद्देश्य के लिए पूंजी निवेश उपलब्ध करवाएंगी—

कंपनियों का नाम	देश
एनरोन	अमेरिका
कमांड पेट्रोलियम	आस्ट्रेलिया
मारुवेनी	जापान
कंपनी जियोफाइनेन्सियर	फ्रांस
एल्थियन इंटरनेशनल रिसोर्सेज	अमेरिका
कोप्लेक्स रिसोर्सेज	आस्ट्रेलिया
शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंड बी वी	नीदरलैंड्स
पॉन एनर्जी रिसोर्सेज	अमेरिका
स्टरलिंग रिसोर्सेज	आस्ट्रेलिया
ओकलैंड आयल कंपनी	अमेरिका
पॉन पेसीफिक पेट्रोलियम एन. एल.	आस्ट्रेलिया
वाल्को एनर्जी	अमेरिका
रैक्सवुड कारपोरेशन	अमेरिका
नीको रिसोर्सेज	कनाडा

[हिंदी]

श्री एन. जे. राठवा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार ने अक्तूबर 1992 में पांच और 1993 में आठ मध्यम आकार के तेल और गैस के क्षेत्र की निजी पार्टियों को विकास के लिए प्रस्तावित किया था और ऐजेंसी फिक्स कर दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य संयुक्त उपक्रमों के बारे में पूछ रहे हैं। विदेशी और देश की निजी कंपनियों का तेल खोज निकालने और उसके उत्पादन के क्षेत्र में योगदान भारत सरकार और इस मंत्रालय द्वारा 1990 से प्रारंभ किया गया था। इस कार्य के लिए अब तक आठ बार कंपनियों से प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं। बाद में किए गए प्रयत्नों से संयुक्त रूप से तेल खोज निकालने के क्षेत्रों का भी पता चला। भारत सरकार ने संयुक्त उपक्रमों के लिए निविदाएं मांगी हैं। प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिंदी]

श्री एन. जे. राठवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है कि तेल और गैस के जिन क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए ठेके दिए जा चुके हैं, उनके अलावा गुजरात के विशेषतः जनजातीय और पिछड़े इलाकों में कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां तेल और गैस उपलब्ध होने के स्पष्ट प्रमाण हैं, किंतु उनके ठेके नहीं दिए गए हैं और उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : श्रीमन्, तेल की खोज तथा संयुक्त उपक्रमों और अन्य कार्यों से संबंधित जो ठेके हुए उनमें से 50-60 प्रतिशत गुजरात में हैं। तेल खोज के ब्लाकों का पता तेल की उपलब्धता के आधार पर लगाया जाता है। हमें निश्चित परिणाम प्राप्त हुए हैं। तकनीकी मूल्यांकन इन ब्लाकों में मिलने वाले तेल के आधार पर किया जाता है और इसी आधार पर बार-बार प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसलिए इस बात की अच्छी आशाएं हैं कि भारतीय और विदेशी कंपनियों को सौंपे गए कुओं से अच्छा उत्पादन होगा क्योंकि इस बारे में पर्याप्त वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध हैं। प्रस्तायक स्वयं भी खोजबीन करते हैं और जब उन्हें यह लाभकारी लगता है तभी वे ठेका करते हैं। पहली चार नीलामी सफल नहीं रही थी क्योंकि पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं थे तथा विकासकर्ताओं को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया गया। गुजरात में जिन कुंओं का ठेका दिया गया है वे हैं : अंकलेश्वर, दक्षिण कडी, वसना और नवगाम।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि (क) क्या उसने परादीप में कुवैत सरकार के सहयोग से संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का निर्णय ले लिया है, यदि हां, तो यह उपक्रम कब आरंभ होगा, (क) क्या भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और (घ) क्या क्षेत्र का पता लगाने के बारे में कोई आपत्ति उठाई गई है।

श्री एस. कृष्ण कुमार : मुख्य प्रश्न तेल की खोज के संयुक्त उपक्रमों के बारे में है। पर यह प्रश्न तेलशोधक कारखाने के बारे में है। अपनी स्मृति के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि परादीप तेलशोधक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है। जहां तक रिफाइनरी मौजूदा स्थिति का प्रश्न है उसके लिए मुझे कुछ अधिक समय चाहिए अथवा माननीय सदस्य स्लिप के आने की प्रतीक्षा करें।

इंडियन आयल कंपनी और के. पी. सी. की संयुक्त उपक्रम कंपनी ईस्ट कोस्ट रिफाइनरी के लिए है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिंदी]

श्री एन. जे. राठवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है कि तेल और गैस के जिन क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए ठेके दिए जा चुके हैं, उनके अलावा गुजरात के विशेषतः जनजातीय और पिछड़े इलाकों में कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां तेल और गैस उपलब्ध होने के स्पष्ट प्रमाण हैं, किंतु उनके ठेके नहीं दिए गए हैं और उसके क्या कारण हैं ? क्योंकि पाकिस्तान के उस तरफ भी इस तरह की सुविधा और बहुलता बहुतायत से पाई जाती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों का अन्वेषण होने के बाद जोइंट वेंचर के लिए विदेशी कंपनियों को बुलावा दिया जा रहा है, इसका क्या कारण रहा है ? क्या ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन लिमिटेड और

ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास खोजने के लिए साधन नहीं है, या पता करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है जिसके कारण से विदेशी कंपनियों को पता लगने के बाद और अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी उनको सौंपा जा रहा है ?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, राजस्थान में उस क्षेत्र का दो-तिहाई भाग है जहां अभी उल्लेखनीय सीमा तक खोज का काम होना बाकी है। खोज कार्यों में तो तेल मिला है वह गाढ़ा है तथा कच्चे तेल की इस खोज में मिलने वाले पेट्रोलियम उत्पाद अन्य क्षेत्रों की तुलना में ऐसे पाए गए हैं जिन्हें निचली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य के अपने संसाधन होते हैं। राजस्थान में सौर-ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिसके विकास के संबंध में सरकार पहल कर सकती है।

[अनुवाद]

विदेशी केबल नेटवर्कों द्वारा फिल्मों का निर्माण

*303. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. एन. एन., जी. टी. वी., ए. टी. एन. जैसे विदेशी केबल नेटवर्कों को भारत में फिल्मों और कार्यक्रमों का निर्माण करने की अनुमति दी जा रही है तथा ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारण हेतु विदेश भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था से क्या लाभ मिल रहे हैं; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं कि ऐसे कार्यक्रम विभिन्न भारतीय कानूनों के उपबंधों तथा भारतीय संस्कृति की परंपराओं और नैतिक मूल्यों के अनुरूप है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) चूंकि इन चैनलों पर प्रसारित स्थानीय रूप से निर्मित कार्यक्रमों को भारतीय व्यक्तियों/कंपनियों से प्राप्त किया जाता है इसलिए इस उद्देश्य हेतु सरकार से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) भारतीय साफ्टवेयर हेतु मांग के बढ़ने के कारण, अन्य बातों के साथ-साथ इस व्यवसाय में नियुक्त भारतीय कलाकारों/तकनीशीग्रनों हेतु रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई है।

(ग) विदेशी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों की विषयवस्तु भारत सरकार के विनियमों की परिधि में नहीं आती।

श्री इंद्रजीत गुप्त : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अनेक भारतीय समाचार-पत्र अथवा समाचार-पत्र श्रृंखलाएं विदेशी केबल नेटवर्क के साथ स्वतंत्र सहयोग किए हुए हैं अथवा उनसे समझौता किए हुए हैं। यदि हां, तो ऐसा करने वाले समाचार-पत्रों अथवा समाचार-पत्र श्रृंखलाओं के नाम क्या हैं तथा क्या इस कारण बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है ?

श्री के. पी. सिंह देव : यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। संभव हुआ तो हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमारे पास निजी कंपनियों की ऐसी व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि यह जानकारी मिल गई तो हम इसे सभा-पटल पर रखेंगे। क्योंकि उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा नहीं जाना है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : महोदय, परंतु निश्चय ही इसकी जानकारी मंत्रालय को है और ऐसी जानकारी मंत्रालय को होनी चाहिए। आप उन सबको नहीं रोक सकते हैं।

श्री के. पी. सिंह देव : इसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नहीं है। मुझे इसकी जानकारी अन्य मंत्रालयों से प्राप्त करनी होगी।

श्री इंद्रजीत गुप्त : आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि इस प्रकार के समझौते हैं या नहीं ?

श्री के. पी. सिंह देव : नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। मैं सुनी-सुनाई बात नहीं कह सकता। यदि मुझे निदेश दिए गए तो मैं इस बारे में अन्य मंत्रालयों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस सबके लिए निदेशों की आवश्यकता नहीं है। यह एक सामान्य बात है।

श्री के. पी. सिंह देव : निदेश के बिना भी मैं पूछताछ करने का इच्छुक हूं और प्राप्त होने पर उसे बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको हर समय निदेश नहीं दूंगा। यह देखना मंत्री और मंत्रालय तथा सरकार का काम है कि कौन-सी बात प्रकट की जाए और कौन-सी नहीं। मैं निदेश देने अथवा न देने की जिम्मेदारी नहीं लेता।

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, यह कोई बात प्रकट करने का प्रश्न नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जानकारी नहीं है, हमें इसे अन्य मंत्रालयों से प्राप्त करना होगा।

श्री इंद्रजीत गुप्त : ऐसी स्थिति में, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन-से मंत्रालय हैं जिनसे जानकारी एकत्र करनी है ? यदि इस मंत्रालय को यह जानकारी नहीं है कि क्या यह समझौते अभी लागू हैं या नहीं। कौन-कौन से मंत्रालय इस प्रकार की जानकारी देंगे ?

श्री के. पी. सिंह देव : क्योंकि इसका संबंध विदेशी मुद्रा से है, यह जानकारी वित्त मंत्रालय या फिर संचार विभाग से प्राप्त हो सकती है क्योंकि सरकार के ऐसे समझौते विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा प्राप्त होते हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि आप इस उत्तर से संतुष्ट हुए हैं या नहीं, कम-से-कम मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। यदि वे विवरण देने की स्थिति में न भी हों, वे सामान्यता हमें यह बता सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था है या नहीं। पर, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं है।

श्री के. पी. सिंह देव : क्या आप सामान्य वक्तव्य से संतुष्ट हो जाएंगे ? यह सच है कि ऐसे भारतीय हैं, जो विदेशी उपग्रहों से भारत में प्रसारण कर रहे हैं। परंतु इस समय मैं सही-सही नाम बताने में असमर्थ हूं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : इससे मैं यह समझ गया हूं कि सरकार या मंत्रालय अथवा दोनों इस प्रकार के समझौतों को अनुमति अथवा लाइसेंस नहीं देते।

दूसरा, प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उन्होंने बताया, "हमारे देश में विदेशों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की विषयवस्तु भारत सरकार के विनियमों की परिधि में नहीं आती।" इसका अर्थ हुआ कि ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे इस बात की निगरानी की जा सके अथवा देखा जा सके कि वास्तव में कार्यक्रमों की विषयवस्तु क्या है । मैं किसी प्रकार के सेंसर का सुझाव नहीं दे रहा हूं। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। परंतु निगरानी के लिए कोई तंत्र होना चाहिए।

कुछ दिन पहले अनेक सदस्यों ने इस सदन में इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। उस दिन अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में चिंता व्यक्त की थी। निश्चित तौर पर यह प्रश्न विशेषरूप से सी. एस. एन. से संबंधित थे क्यों केवल इसी केवल नेटवर्क से सरकार ने औपचारिक समझौता किया है। इस समय मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसका संबंध निजी भारतीय कंपनियों और विदेशी केबल नेटवर्क के बीच हुए निजी समझौतों से है। परंतु हमारे देश में जिन कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है उन्हें देश में अपने घरों में लाखों लोग देखते हैं। क्या मैं यह समझूं कि भाग (ग) के उत्तर में वे यह कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई तरीका अथवा तंत्र अथवा एजेंसी नहीं है जिससे इस बात की निगरानी करना संभव हो कि इन कार्यक्रमों का विषय भारतीय परंपराओं, स्तर और तौर-तरीकों के अनुरूप है या नहीं अथवा क्या उन्हें इन सभी विनियमों का उल्लंघन माना जाए ?

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, विदेशी उपग्रह चेनलों द्वारा दिखाए जाने वाले स्थानीय कार्यक्रम किसी भारतीय और कंपनी द्वारा तैयार किए जाते हैं। जहां तक इन कार्यक्रमों के निर्माण का संबंध है, उसके लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं।

जहां तक विदेशी नागरिकों का संबंध है, इस समय यह प्रक्रिया है कि उन्हें भारत में फिल्म की शूटिंग के लिए सरकार की अनुमति लेनी होती है। परंतु यदि वे भारतीय नागरिक हैं या भारतीय कंपनी है, भले ही वे यह शूटिंग किसी विदेशी चेनल के लिए कर रहे हों, उन्हें भारत में शूटिंग के लिए इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होती। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शूटिंग के लिए केवल विदेशी नागरिकों की फीचर फिल्म की शूटिंग की प्रार्थना पर विचार किया जाता है।

लघु फिल्मों की शूटिंग के बारे में विदेश मंत्रालय विचार करता है। जहां तक उनके हमारी परंपराओं के अनुकूल होने या किसी तंत्र के होने का संबंध है, माननीय सदस्य को याद होगा कि यह व्यवस्था केवल विनियमन अधिनियम को पास करने अर्थात् अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान करते समय हमने क्या किया था। यदि किसी उपग्रह चेनल का कार्यक्रम किसी विशेष गेजेट के बिना आता है, तो ना तो यह संभव है और ना ही व्यवहारिक है कि उसकी निगरानी की जाए अथवा यह देखने के लिए कोई कदम उठाया जाए कि कार्यक्रम हमारे कानून, अथवा नियमों अथवा संवेदनशीलता अथवा नैतिक मूल्यों अथवा सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप है या नहीं। केबल टी. वी. नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 तभी लागू होता है जब विशेष गेजेट या डी-कोडर का उपयोग किया जाए।

श्री इंद्रजीत गुप्त : वे विशेष गेजेट क्या हैं ?

श्री के. पी. सिंह देव : डी-कोडर का एनक्रिपटर के होने पर ही केवल कानून लागू होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो डाकखाने में निश्चित शुल्क अदा कर आप डिश लगाकर किसी भी विदेशी उपग्रह चेनल के कार्यक्रम उसी प्रकार देख सकते हैं जैसे 1989 से सी. एन. एन. अथवा जी. टी. वी., स्टार टी. वी., एम. टी. वी. या जैन टी. वी. के कार्यक्रम देख रहे हैं।

[हिंदी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, आदरणीय इंद्रजीत गुप्त जी ने बहुत अहम् सवाल यहां पूछा है, जिस पर पूरा सदन कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में जी. टी. वी., ए. टी. एन. और सी. एन. एन. द्वारा अनेकों फिल्में और प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिन्हें दुनिया भर में दिखाया जाता है। यहां यह भी कहा गया कि इस तरह की जितनी फिल्में और प्रोग्राम बनते हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने बार-बार चिंता व्यक्त की है कि ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जिससे हमारी संस्कृति को खतरा है, हमारी सभ्यता को खतरा है। अगर सरकार यह कहकर निकल जाती है कि इससे किसी को रोजी-रोटी मिलने वाली है, या कोई प्राइवेट कंपनी या कलाकार मिलकर बनाते हैं और उसके बीच में हम नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सदन जिस मतलब से पिछले दो-तीन सालों से चिंता व्यक्त कर रहा है, उससे सरकार बिलकुल बच नहीं सकती है।

मेरा आपके माध्यम से सीधा प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश में जो फिल्में विदेशी चैनलों के लिए बनाई जाएंगी, जो प्रोग्राम बनाए जाएंगे, उनको स्क्रूटिनी कर के ही विदेशी चैनलों पर दिखाए जाने का कोई प्रावधान सरकार करना चाहती है ताकि ऐसे कार्यक्रम न बनें, ऐसी फिल्में न बनें, जो हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ, हमारी सभ्यता के खिलाफ हों क्योंकि अभी उनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना सही प्रश्न पूछिए।

श्री हरिन पाठक : इसलिए मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसी फिल्मों और कार्यक्रमों पर अंकुश लगाने के लिए विनियम बनाएगी जो केवल विदेशी चेनलों के लिए बनाए जाते हैं।

[हिंदी]

आज आपके पास कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्या आप ऐसा प्रावधान बनाना चाहेंगे, ताकि उन पर कोई नियंत्रण हो, उनके ऊपर सेंसरशिप हो या कुछ ऐसी व्यवस्था हो ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी : फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है। इसलिए, इसके लिए भी ऐसा क्यों न हो ?

[हिंदी]

श्री हरिन पाठक : यहां जो फिल्में बनती हैं। देश में जो फिल्में बनाई जाती हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या इसके लिए आप श्री जोशी की मदद चाहते हैं ?

श्री हरिन पाठक : जी नहीं, धन्यवाद।

श्री के. पी. सिंह देव : भारत के बाहर से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उन पर रोक लगाने और जाम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : इसके लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है।

श्री के. पी. सिंह देव : जैसा मैंने कहा, कि सिंगापुर अन्य कुछ देशों के समान प्रतिबंध लगाना या कार्यक्रम जाम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आप निगरानी रख रहे हैं जिससे यह पता चल सके कि वे समुचित हैं अथवा नहीं।

श्री के. पी. सिंह देव : निगरानी का एक तंत्र है। परंतु निगरानी के बावजूद, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे बाहर से फिल्म प्रसारित करने वाले निर्माताओं को प्रभावित किया जा सके।

[हिंदी]

श्री हरिन पाठक : हमारे देश में जो प्रोग्राम्स बनते हैं, हमारे देश का कोई आदमी फिल्म बनाता है, हमारे देश का कोई आदमी प्रोग्राम बनाता है, वह अगर हमारे कल्चर के खिलाफ बनाता है, तो क्या आप उसको बनाने देंगे और टी. वी. पर दिखाएंगे ?

श्री के. पी. सिंह देव : कोई पाबंदी नहीं है। सरकार के खिलाफ बना सकते हैं।

श्री हरिन पाठक : सरकार के खिलाफ नहीं। हमारे देश की सभ्यता के खिलाफ, हमारे कुछ नियमों के खिलाफ बनाता है, तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान बनाएंगे ? जो हमारे देश में फिल्में बनती हैं उनके लिए सैंसर फिल्म बोर्ड है, परंतु हमारे देश के लोग हमारे ही देश में हमारे ही कल्चर के खिलाफ जो बनाते हैं, उसको रोकने के लिए आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न समझ लिया और वे उत्तर दे रहे हैं।

श्री के. पी. सिंह देव : प्रदर्शित किए जाने वाले हर कार्यक्रम या फिल्म आदि को केंद्रीय फिल्म प्रमाण-पत्र बोर्ड के सामने रखना होता है। किसी भी फिल्म आदि का निर्माण करने के लिए, यदि निर्माता भारतीय हो तो, किसी से अनुमति नहीं लेनी होती। यदि वह विदेशी है तो उसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए जब तक प्रदर्शन न करे तब तक फिल्म बनाने के लिए सरकार से अनुमति लेने की किसी को आवश्यकता नहीं होती।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : इंडियन फिल्मों की स्क्रूटिनी होती है। उनको देखा जाता है। उसके लिए मेकेनिज्म है।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : श्रीमन्, प्रश्न के भाग (क) और (घ) के उत्तरों से एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। जहां तक प्रश्न के भाग (क) का संबंध हम इससे संतुष्ट हैं कि वे व्यक्ति या कंपनियां जो भारतीय हैं उस समय तक स्वतंत्र हैं जब तक वे भारत में फिल्म या कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। परंतु जब उसे प्रसारित किया जाता है आप भाग (ग) के उत्तर में कहते हैं:

> "विदेशी चेनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की विषयवस्तु भारत सरकार के विनियमों के अंतर्गत नहीं आती।"

तब एक समस्या उठ खड़ी होती है, विशेषकर जबकि सरकार ने सी. एन. एन. से समझौता किया है। कम-से-कम जिन मामलों से सरकार का संबंध हो, आपको यह देखना होगा कि सभी विनियमों का पालन किया जाना चाहिए, भले ही सी. एन. एन. द्वारा फिल्में भारत में या बाहर प्रसारित की जाएं। मैं यह प्रश्न इस कारण पूछ रहा हूं क्योंकि आपका सी. एन. एन. से करार है। उसी के साथ क्या आप अन्य कंपनियों के संबंध में भी कुछ विनियमों को बनाने के बारे में सोचते हैं ताकि हमारी परंपरा, संस्कृति और कानूनों की रक्षा की जा सके ?

श्री के. पी. सिंह देव : जहां तक सी. एन. एन. और दूरदर्शन के करार का संबंध है, सी. एन. एन. से प्रसारण उसी प्रकार देश में हो रहा है जिस प्रकार अन्य किसी भी चैनल जैसे बी. बी. सी. या स्टार या 'जी' या ए. टी. एन. या जैन टी. वी. का एशिया नेट या सन टी. वी. या जे जे टी. वी. का होता है। उस पर, दूरदर्शन सी. एन. एन. संयुक्त चेनल होने के कारण भारतीय कानून लागू होता है तथा उस पर 1978 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विज्ञापन संबंधी आचारसंहिता भी लागू होती है। यह संहिता संसद में रखी जा चुकी है तथा 1978 के बाद से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए यदि वह कानून का उल्लंघन करता है तो भारतीय कानून के अनुसार और समझौते के अनुसार, उसे या तो समाप्त किया जा सकता है अथवा उसके प्रसारण को बंद कर दिया जा सकता है, जैसा कि उस समय हुआ जब 10 सेकेंड एक कार्यक्रम में एक गाय को दिखाया गया था। उसमें भारत की जनता में सनसनी फैली और उसका प्रसारण तुरंत बंद कर दिया गया तथा उन्होंने माफी भी मांगी। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि सी. एन. एन. और दूरदर्शन के बीच समझौता था। यदि ऐसा न होता तो उनसे माफी मंगवाने का कोई रास्ता ही नहीं था।

श्री राम कापसे : यदि अन्य कंपनियों के खिलाफ नहीं तो क्या व्यक्तियों के खिलाफ कुछ करने पर आप विचार करेंगे ? (व्यवधान)

श्री के. पी. सिंह देव : अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे इसका उत्तर देना होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

श्री के. पी. सिंह देव : जैसा कि मैंने पहले कहा कि यदि विशेष गेजेट का इस्तेमाल किया गया है तो यह निगरानी के दायरे में आता है, क्योंकि तब यह भारतीय कानून और केबल विनियमों का उल्लंघन होगा। यदि विशेष गेजेट का प्रयोग नहीं किया गया तो, हमने सिंगापुर या पाकिस्तान की तरह न तो प्रतिबंध लगाया है और ना ही प्रसारण को 'जाम' किया है। पाकिस्तान ने दूरदर्शन समेत सभी भारतीय टेलीविजन को प्रतिबंधित कर रखा है। इसलिए यदि कोई भारतीय किसी विदेशी उपग्रह से भारतीय कार्यक्रम दिखाता है तो पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है। हमने प्रतिबंध नहीं लगाया है और ना ही हम 'जाम' करने में विश्वास रखते हैं। हमने अनेक देशों के साथ आई. टी. यू. समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए प्रतिबंध लगाने या 'जाम' करने के हमें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए, हम आपके सुझाव की जांच अवश्य कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून बनाने का आश्वासन देने से पहले मुझे संसद, स्थायी समिति और मंत्रिमंडल की अनुमति लेनी होगी। लेकिन सुझाव दिए जा सकते हैं तथा मैं माननीय सदस्यों के विचारों का आभारी रहूंगा।

[अनुवाद]

बजावत 'एवार्ड' का क्रियान्वयन

\+

*304. **श्री के. जी. शिवप्पा :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच नदी जल के बंटवारे से संबंधित समस्याओं को सुलझाने हेतु बछावत 'एवार्ड' लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 27 मई, 1976 को दी थी (जो बछावत पंचाट के नाम से जानी जाती है)। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार, भारत सरकार ने कृष्णा जल विवाद अधिकरण के निर्णयों को 31 मई, 1976 को प्रकाशित किया। इस प्रकार यह पंचाट राज्यों पर अंतिम और बाध्य हो गया। राज्य सरकारों ने इस निर्णय को प्रभावी बनाना है।

(ख) बछावत पंचाट के अनुसार अधिकरण द्वारा कृष्णा नदी से विजयवाड़ा तक जल के 75 प्रतिशत विश्वसनीय प्रवाह को 2060 टी एम सी आंका गया है। इसमें से महाराष्ट्र के लिए 560 टी एम सी, कर्नाटक के लिए 700 टी एम सी और आंध्र प्रदेश के लिए 800 टी एम सी आवंटित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री के. जी. शिवप्पा : अध्यक्ष महोदय, बछावत पंचाट के अनुसार परियोजना पांच वर्ष में पूरी हो जाएगी। ऊपरी कृष्णा परियोजना के पहले, दूसरे और तीसरे चरण को पूरा करने पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्तीय सहायता के लिए कर्नाटक सरकार विश्व बैंक से सहायता मांग रही है। विश्व बैंक ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता देने के बारे में अपनी नीति बदल दी है परंतु वह जल संग्रहण परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संकट की स्थिति में क्या केंद्र सरकार कर्नाटक के किसानों के हित में इस परियोजना को पूरा करने के लिए सहायता देगी ?

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने किसी विशेष परियोजना के लिए अनुदान देना बंद कर दिया है और एकमुश्त अनुदान योजना आयोग द्वारा दिया जाता है। इस धनराशि का परियोजनाओं के लिए बंटवारा करना संबंधित राज्य सरकारों का काम है। अतः, भारत सरकार इस विशेष परियोजना के लिए सहायता देने की स्थिति में नहीं है।

श्री के. जी. शिवप्पा : महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार एक थाले के राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदी जल के बंटवारे के बारे में नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी करेगी, यदि हां, तो इससे आपसी बातचीत में क्या मदद मिलेगी ? मैं भविष्य में अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : महोदय, इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश तैयार करने का प्रस्ताव है, जिन्हें राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् के सम्मुख रखा जाएगा। सभी राज्यों के मुख्य मंत्री इस परिषद् के सदस्य हैं। अभी ये प्रस्ताव की स्थिति में ही है, उनके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। परंतु हम अंतर्राज्यीय नदी जल के बंटवारे के लिए कुछ नीति संबंधी मार्गनिदेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री ए. वेंकटेश नायक : ऊपरी कृष्णा परियोजना के चरण दो मे कर्नाटक को 54 टी. एम. सी. अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। यह परियोजना लंबे समय से केंद्र के पास विचाराधीन पड़ी है। कर्नाटक विशेषकर रायचूर और गुल-बर्गा जिलों के लोग इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति के बारे में बड़े उत्सुक हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऊपरी कृष्णा परियोजना के दूसरे चरण को केंद्र कम-से-कम वर्ष 1995 समाप्त होने से पहले स्वीकृति प्रदान कर देगा ?

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : महोदय, ऊपरी कृष्णा परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी जा चुकी है और उसका कार्य प्रगति पर है। दूसरे चरण के लिए कर्नाटक सरकार ने बांध की ऊंचाई 2.30 मीटर बढ़ाने का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस पर आपत्ति की है और कहा है कि इससे कर्नाटक सरकार को इस्तेमाल के लिए अधिक पानी मिलेगा। इस प्रकार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों के बीच यह एक विवाद का विषय है, जिसे हल करना है। हाल ही में हमने दिल्ली में तीन परियोजनाओं अर्थात् आंध्र प्रदेश में तेलुगु गंगा, महाराष्ट्र में भिवपुरी और कर्नाटक में ऊपरी कृष्णा परियोजनाओं से संबंधित राज्यों के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उनके बीच कुछ समझौता कराने का प्रयत्न किया था। ऐसा हमने इन परियोजना के एक-दूसरे से जुड़े होने के कारण किया था। हाल की एक बैठक में अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि वे अपनी-अपनी सरकारों के दृष्टिकोणों का पता लगाकर फिर एक बैठक करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हम मुख्य मंत्री स्तर की एक बैठक बुलाएंगे इसके लिए के एकमुश्त समझौता करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री बी. धनंजय कुमार : कृष्णा नदी के मामले में कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच फंस गया है। कृष्णा नदी का निकास महाराष्ट्र में है, उसके बाद वह कर्नाटक से बहती हुई अंत में आंध्र प्रदेश में जाती है। बछावत पंचाट की शर्तों के अनुसार कर्नाटक को आवंटित किए गए पानी का उपयोग इस शताब्दी के अंत तक शुरू होना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है कर्नाटक सरकार के पास एक ओर धन की कमी तथा दूसरी ओर आंध्र प्रदेश सरकार कर्नाटक में परियोजना शुरू किए जाने पर अनेक प्रकार की आपत्तियां उठा रही है। धीरे-धीरे कृष्णा नदी के संबंध में भी कावेरी जल विवाद की स्थिति पैदा होती जा रही है। यह पंचाट काफी समय पहले 1976 में पारित किया गया था और तीनों राज्यों में पानी का बंटवारा किया गया था। इन पिछले वर्षों में कम वर्षा होने तथा भूमिगत पानी का स्रोत भी कम हो जाने के कारण पानी की कमी हो गई है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि कर्नाटक आंध्र के मुकाबले नदी के बहाव के ऊपर होने के कारण महाराष्ट्र से बहकर आने वाले पानी को अपने यहां रोके। पर आंध्र प्रदेश सरकार हर स्तर पर आपत्ति उठा रही है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार बछावत पंचाट को उचित रूप में लागू करने के लिए कदम उठाएगी तथा कर्नाटक को उसके हिस्से के पानी का उपयोग करने के लिए सहायता देगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस भाग का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री बी. धनंजय कुमार : जो विवाद पैदा हो गया है मैं उसके बारे में उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसे समझ लिया है। वे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देंगे।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि आंध्र प्रदेश सरकार कृष्णा नदी संबंधी प्रत्येक परियोजना पर आपत्ति उठा

रही है। कर्नाटक को 700 टी. एम. सी. पानी दिया गया तथा उतना पानी वह किसी भी परियोजना में इस्तेमाल कर सकता है। आंध्र प्रदेश की आपत्ति केवल ऊपरी कृष्णा परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में है। यदि कर्नाटक सरकार यह विश्वास दिला दे कि पानी का उपयोग बछावत पंचाट के अनुसार ही किया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि आंध्र प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति होगी। कर्नाटक सरकार ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

श्री बी. धनंजय कुमार : कारण है पानी के बहाव की कमी। मैं जानना चाहता हूं क्या उस पर विचार किया जाएगा ?

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : बछावत पंचाट ने 1976 में अपना निर्णय दिया था। उसके अनुसार कर्नाटक 700 टी. एम. सी. पानी का उपयोग कर सकता था, जिसके लिए उसने जलाशय पहले ही बना लिए हैं। आंध्र प्रदेश का हिस्सा 800 टी. एम. सी. पानी का है। बछावत पंचाट में एक खंड है, जिसके अनुसार कम वर्षा वाले समय में भी कर्नाटक को 700 टी. एम. सी. पानी का उपयोग करने का अधिकार है, पर आंध्र प्रदेश को ऐसा होने पर केवल 400 टी. एम. सी. या 500 टी. एम. सी. पानी ही मिलेगा। परंतु अधिक वर्षा होने पर आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त पानी का उपयोग करने का अधिकार है। कम वर्षा होने पर वह कम पानी का प्रयोग करेगा इसलिए अधिक वर्षा हो जाने की स्थिति में वह अधिक पानी का उपयोग कर सकता है। इसलिए आंध्र प्रदेश के लिए ऊंचाई बढ़ाने से सहमत होना आवश्यक नहीं। उन्होंने पहले ही 2000 ईसवी तक पानी के पूर्ण उपयोग के लिए जलाशय बना लिए हैं। उसके बाद नया आयोग अपना पंचाट देगा। 2000 ईसवी तक आंध्र प्रदेश सरकार को अपने जलाशयों की क्षमता बढ़ाने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सत्य है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह सत्य है।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : माननीय सदस्य श्री रेड्डय्या ने बछावत पंचाट का अपना अर्थ लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : अर्थ बदल सकते हैं पर तथ्य नहीं।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : जी, हां। मैं पहले ही कह चुका हूं कि 2000 ईसवी तक कर्नाटक 700 टी. एम. सी. पानी का उपयोग कर सकता है। यह बछावत पंचाट द्वारा निर्धारित सीमा है। वह इस सीमा तक पानी का प्रयोग कर सकते हैं। इस पर आपत्ति करने का आंध्र प्रदेश सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

फालतू पानी के संबंध में जैसा उन्होंने कहा है कि कभी पानी फालतू हो सकता है और कभी पानी की कमी हो सकती है। इस वर्ष जल ग्रहण क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होने के कारण पानी की कमी है। इसलिए पानी अधिक होने पर आंध्र प्रदेश अधिक पानी का उपयोग कर सकता है और कमी होने पर उसे घाटा उठाना पड़ सकता है। निःसंदेह यह एक तथ्य है।

डॉ. बसंत पवार : बछावट पंचाट में महाराष्ट्र को 560 टी. एम. सी. पानी दिया है और हमें उसका उपयोग 2000 ईसवी तक करना है। महाबलेश्वर में, जहां से कृष्णा नदी निकलती है, वर्षा कम होती जा रही है। वहां वर्षा 400 से घटकर 100 रह गई है। महाराष्ट्र को यह 560 टी. एम. सी. पानी स्टोर करने के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए मैं विशेषतौर पर यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार समय अवधि 2010 तक बढ़ाने के लिए मामले को फिर न्यायाधिकरण को सौंपेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 5000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराएगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से उन्होंने उत्तर दे दिया है। कोई धनराशि नहीं मिलेगी।

डॉ. बसंत पवार : इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे इस मामले को समयावधि बढ़ाने के लिए फिर न्यायाधिकरण को सौपेंगें ?

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ···(**व्यवधान**)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं दक्षिण में बैठे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : इसे न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है, यदि कोई संबंधित राज्य सरकार ऐसी इच्छा व्यक्त करे। इसलिए 2000 ईसवी के बाद यदि कोई पक्ष ऐसा चाहेगा तो हम अवश्य ही दूसरा न्यायाधिकरण नियुक्त करने पर विचार करेंगे।

डॉ. बसंत पवार : मंत्री महोदय ने सभा में यह आश्वासन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक आश्वासन है।

डॉ. बसंत पवार : यह एक आश्वासन है।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : मैंने कहा था कि "हम इस पर विचार करेंगे।"

डॉ. बसंत पवार : यह एक आश्वासन है। आपने कहा था कि यदि कोई पक्ष आपसे कहता है···

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : मैंने 'कोई पक्ष' नहीं, 'संबंधित राज्य' कहा था। यदि कोई राज्य अनुरोध करता है, तो भारत सरकार को उस पर विचार करना होगा।

डॉ. बसंत पवार : यह एक आश्वासन है।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : यह आश्वासन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : 'विचार करने' का कानूनी अर्थ आश्वासन है। मंत्री महोदय क्या आप आश्वासन दे रहे हैं ?

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : महोदय, हम इसकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह भी एक आश्वासन है।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : जी नहीं, यह आश्वासन नहीं है। हम इसकी जांच करेंगे।

श्री बोला बुल्ली रामय्या : महोदय, मंत्री महोदय ने बछावत पंचाट के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच पानी का आवंटन किया। परंतु 1976 में बछावत पंचाट के समय तेलुगु गंगा परियोजना पर बिचार नहीं किया गया था। पर बाद में इसे स्वीकृति दे दी गई।

मैं यह जानना चाहता हूं कि तेलुगु गंगा परियोजना को पानी किस प्रकार दिया जाएगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यदि पोलावरम परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जाती है तो क्या आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी का पानी देने पर इसका कोई असर पड़ेगा।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : बछावत पंचाट के समय तेलुगु गंगा परियोजना तैयार नहीं की गई थी। पर बाद में संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच हुए समझौतों में वे मद्रास शहर को पीने का पानी सप्लाई करने के लिए बछावत पंचाट के अंतर्गत आवंटित पानी में से प्रत्येक 5 टी. एम. सी. पानी देने को राजी हो गए थे। प्रत्येक राज्य ने 5 टी. एम. सी. पानी देने के लिए सहमति दी थी। इस प्रकार मद्रास शहर को केवल 15 टी. एम. सी. पानी देना सुनिश्चित किया गया।

जहां तक पोलावरम परियोजना का संबंध है, इसका कृष्णा नदी के पानी के उपयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

भार्गरी तथा तुंगभद्रा परियोजनाएं

***305. श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भार्गरी तथा तुंगभद्रा सिंचाई परियोजनाएं केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ संसद सदस्यों ने केंद्र सरकार से भार्गरी तथा तुंगभद्रा परियोजनाओं के संबंध में बाढ़ नियंत्रण उपाय करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, प्रश्न गलत छापा गया है। यह तुंगभद्रा नहीं है; यह कुशाभद्रा है। इस प्रकार पहले भाग में दिया गया शब्द सही नहीं है। यह बाढ़ नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न की सूचना गलत गई। कुशाभद्रा और भार्गरी परियोजनाओं के बारे में मई, 1995 के सत्र में संसद में सरकार ने बताया था कि उड़ीसा सरकार ने 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रस्ताव भेजा है, जिसे कुछ स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है या नहीं ? यदि सरकार को स्पष्टीकरण मिल गया है तो माननीय मंत्री जी को पत्र लिखने वाले सदस्य को इसका उत्तर मिलना चाहिए। प्रधान मंत्री को पत्र लिखने वालों में से मैं भी एक हूं। इस क्षेत्र में पानी की भारी समस्या है। मैंने जल संसाधन मंत्री को भी पत्र लिखा था।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास इस बारे में कोई जानकारी है, यदि हां, तो वह जानकारी वे दे सकते हैं।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : माननीय सदस्य छपाई की गलती के कारण प्रश्न से हट गए हैं। क्या मैं उसका उत्तर दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : महोदय, जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग के पास इन दोनों नदियों पर बनाने के लिए किसी परियोजना का प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री लोकनाथ चौधरी : प्रश्न बाढ़ नियंत्रण के बारे में है, सिंचाई के बारे में नहीं।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : महोदय, इस बारे में दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक प्रस्ताव गोबकुंड कट परियोजना तथा दूसरा गोवर्धनपुर गांव के निकट भार्गवी नदी पर बांध बनाने के बारे में है। पहली परियोजना के लिए जिसकी लागत 16.9 करोड़ रुपए, लगभग 17 करोड़ रुपए होगी, की परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को 1-11-1994 को प्राप्त हुआ था। बाढ़ के बारे में केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को अंतिम रूप देकर उड़ीसा सरकार को निष्पादन के लिए 3-1-1995 और 30-1-1995 को भेज दिया गया था। राज्य सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के वित्त प्रभाग को टिप्पणियों का उत्तर 12-7-1995 को भेजा था। जल संसाधन मंत्रालय के वित्त प्रभाग की और टिप्पणियां तथा इंजीनियरिंग लागत (हाइड्रो) निदेशालय की टिप्पणियां शीघ्र ही भेजी जाएंगी। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर का यह ब्यौरा है।

भार्गवी नदी परियोजना की 5.45 करोड़ रुपए की परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को 7-12-1994 को प्राप्त हुई थी। प्रतिवेदन की तकनीकी जांच करके उसे टिप्पणियों के साथ उड़ीसा सरकार को 3-1-1995 और 6-2-1995 को भेजा गया। उड़ीसा सरकार का उत्तर केंद्रीय जल आयोग को अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही यह समस्या बनी हुई है। हम इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि इस समस्या को हल किया जाए। मैंने प्रधान मंत्री को लिखा है कि उड़ीसा सरकार इस सीमा तक संसाधन नहीं जुटा सकती, इसलिए केंद्र सरकार इसे केंद्रीय परियोजना के रूप में लेकर कम-से-कम समय में पूरा करे ताकि सदियों से चली आ रही लोगों की कठिनाइयां समाप्त हो जाएं। इस विषय पर मैंने जल संसाधन मंत्री को भी एक पत्र लिखा है। मैं जानना चाहता हूं कि जल संसाधन मंत्री और प्रधान मंत्री से किए गए मेरे अनुरोध पर क्या कोई कार्रवाई की गई है।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, जैसा मैंने कहा कि धन उपलब्ध कराना राज्य सरकार का काम है। भारत सरकार सीधे इसे नहीं कर सकती।

श्री मृत्युंजय नायक : श्रीमन, उड़ीसा में सदैव महानदी के कारण बाढ़ आती है। हीराकुंड और ब्राह्मणी बांध राष्ट्रीय संपदा हैं। हीराकुंड बांध के जलग्रहण क्षेत्र के बारे में बताया जाता है कि वहां बड़ी मात्रा में बालू के ढेर और बालू के निक्षेप होता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसे इस क्षेत्र से बालू के ढेर हटाने और बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए तटबंध बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : श्रीमन्, हीराकुंड की जल-वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लगभग 3,260 करोड़ रुपए की परियोजना दिसंबर, 1984 में प्राप्त हुई थी। इसे अप्रैल, 1989 में राज्य सरकार को वापिस भेज दिया गया तथा राज्य सरकार के उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : श्रीमन्, राष्ट्र भर के कुल जल संसाधनों का 10 प्रतिशत उड़ीसा में हैं। इतने अधिक जल संसाधन होने के बावजूद जल प्रबंधन योजना का अच्छी तरह लागू न किए जाने के कारण उड़ीसा गरीबी का सामना कर रहा है। वह अभी भी ठीक से नहीं बनी है। अतः इसी संदर्भ में मैं प्रश्न करना चाहता हूं। यह सही है कि संसाधन जुटाना राज्य सरकार का काम है, परंतु योजना आवंटन अथवा योजना प्रावधान की चर्चा के समय जल संसाधन मंत्रालय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए और पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि राज्य सरकार को बाढ़ नियंत्रण और सूखे आदि से निपटने के लिए इन योजनाओं को लागू करने में कठिनाई ना हो। यह एक व्यापक योजना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य के लिए योजना प्रावधान करते समय पर्याप्त धन आवंटित किया जाएगा।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : श्रीमन्, अपनी आवश्यकता बताना राज्य सरकार का काम है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जहां तक हीराकुंड बांध का समय है, राज्य सरकार ने अपनी आवश्यकता बताई है। यह देश की अग्रणी योजनाओं में से है। पं. जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में इसकी आधारशिला रखी थी और यह अभी भी हर प्रकार से पूरी नहीं है।

श्री पी. वी. रंगय्या नायडू : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि योजना आयोग में ब्यौरे पर विचार करते समय राज्य सरकार परियोजना को प्राथमिकता दे सकती है। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोयला खानों में आग

***306. श्री बलराज पासी :**
श्री रवि राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत सात दशकों से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खानों में आग लगी हुई है जैसाकि 24 जुलाई, 1995 के 'इकोनामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आग नियंत्रण के संबंध में विश्व बैंक द्वारा किया गया सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) आग लगने की घटना का वर्ष 1916 में प्रथम बार झरिया कोयला क्षेत्र में पता चला था। वर्ष 1972 में कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करते समय 17.32 वर्ग कि. मी. के क्षेत्र में फैली 70 आगों को विनिर्दिष्ट किया गया था।

(ग) से (ङ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त तकनीकी सहायता परियोजना के अंतर्गत झरिया कोयला क्षेत्रों की आगों का एक नैदानिक अध्ययन किए जाने संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस अध्ययन में आगों से निपटने के लिए विस्तृत कार्यक्रम विकसित करना तथा झरिया कोयला क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को तैयार किया जाना शामिल है। इस अध्ययन के वर्ष 1996 के मध्य तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

[हिंदी]

तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश

***307. श्री मंजय लाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए स्वदेशी और विदेशी निवेशकों के कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) ये आवेदन पत्र कब से लंबित हैं;

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केंद्रीय सरकार ने इन निवेशकों को सभी प्रकार की सुविधाएं और सहायता देने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (च) 31 जुलाई, 1995 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक अनुमोदन संबंधी सचिवालय के यहां 7 आवेदन पत्र लंबित हैं। यह विभिन्न तिथियों से लंबित हैं और सबसे पुराना आवेदन पत्र दिनांक 20-2-1995 का है। उस समय के विषय में बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, जब तक इन पर कार्रवाई किए जाने की संभावना है।

सरकार द्वारा 1991 में घोषित की गई नई औद्योगिक नीति ने अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बना दिया है। एफ डी आई और प्रौद्योगिकीय करारों के लिए विशिष्ट प्राचलों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से स्वतः अनुमोदन उपलब्ध है। इन प्राचलों से बाहर वाले एफ डी आई और प्रौद्योगिकीय अनुमोदन के लिए सरकार ने विदेशी निवेश, संवर्धन बोर्ड के माध्यम से एक तीव्र (फास्ट ट्रेक) प्रक्रिया प्रदान की है। इन आशोधनों से संभाव्य विदेशी निवेशकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अत्यंत सरल बन गई है।

तेल भंडारण सुविधा

***308. श्री महेश कनोडिया :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में तेल भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में जर्मनी के साथ हाल ही में कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कितनी राशि निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस करार के कब तक लागू हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए दो सरकारी तेल कंपनियों—आई ओ सी और आई बी पी ने देश के बंदरगाहों तथा अन्य भागों में टैंकेज और सहायक मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु एक जर्मन कंपनी मैसर्स आयल टैंकिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के लिए विदेशी सहयोग का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है। तथापि, अभी तक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना नहीं हुई है। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी की प्राधिकृत और चुकता पूंजी क्रमशः 300 करोड़ रुपए और 80 करोड़ रुपए होगी।

[अनुवाद]

अर्ध-सैनिक बल

***309. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केंद्रीय अर्ध-सैनिक बलों का पुनर्गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पुनर्गठन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस पुनर्गठन से अर्ध-सैनिक बलों के कार्य में किस सीमा तक तेजी और सक्रियता आएंगी ?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं श्रीमान्। तथापि, अर्ध-सैनिक बलों के कार्यकरण और आवश्यकताओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है और यथोचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिंदी]

विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ

***310. श्री देवी बक्स सिंह :**
प्रो. एम. कामसन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों विशेषतः बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या देश के संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ विदेशी आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विदेशी आतंकवादियों, विशेष रूप से विदेशी सिख और हरकत-उल-अंसार के सदस्यों, ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में घुसपैठ की है।

(ख) से (घ) 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं, अतः इस संबंध में विभिन्न तरीके खोजना और ठोस उपाय करना संबंधित राज्य सरकारों का काम है। केंद्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के आतंकवाद विरोधी अभियानों के समन्वय को सुकर बनाने और राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए लाभप्रद सूचना सम्प्रेषण में सुधार लाने के लिए कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा पुलिस के आधुनिकीकरण, विकसित हथियारों की आपूर्ति, अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को मदद दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां देश में आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है।

(ङ) और (घ) निम्नलिखित विदेशी राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए—

(i) अब्दुल रहीम, निवासी-वजीरस्तान रोड, कुलाची, जिला-डेरा इस्माईल खान, एन. डब्ल्यू. एफ. पी. (पाकिस्तानी राष्ट्रिक);

(ii) मो. नजीर खान, निवासी कौसर नियाजी कालोनी, नजामाबाद, कराची (पाकिस्तानी राष्ट्रिक); और

(iii) अहमद उमर सय्यीद शेख उर्फ अमीर उर्फ रोहित शर्मा उर्फ रोहित कुमार, निवासी-16 डेयनकोर्ट गार्डन्स, वानस्टीड, लंदन (पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश राष्ट्रिक)।

वे, सितंबर-अक्तूबर, 1994 में दिल्ली से चार विदेशी राष्ट्रिकों के व्यवहरण में संलिप्त थे। उन्हें क्रमशः दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ देश के उपयुक्त कानूनों के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं।

नशे की लत छुड़ाने संबंधी अभियान पर व्यय

***311. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान नशे की लत छुड़ाने संबंधी अभियान हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस अभियान पर किए गए खर्च के संबंध में सरकार द्वारा कोई आकलन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान नशे की लत छुड़ाने संबंधी अभियान चलाए जाने हेतु कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) 'मद्यनिषेध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग निवारण' की योजना के अंतर्गत, नशीली दवा चेतना, परामर्श और सहायता केंद्रों के साथ-साथ नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को व्यय की 90% तक की धनराशि प्रदान की जाती है। गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत, प्रायः शिक्षा और चेतना के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित धनराशियां प्रदान की गई—

वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
1993-94	986	16	1002
1994-95	1350	16	1366

2. इस योजना के तहत जिन विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की गई, उनसे प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, पिछले दो वर्षों के दौरान पंजीकृत और नशामुक्त किए गए व्यसनियों की संख्या निम्नलिखित है—

वर्ष	पंजीकृत व्यसनियों की संख्या	नशामुक्त किए गए व्यसनियों की संख्या
1993-94	2,90,628	1,01,007
1994-95	3,12,118	1,10,858

3. 1995-96 के दौरान, योजना के तहत 1,500 लाख रुपए और गैर-योजना के तहत 16 लाख रुपए का बजट आवंटन किया गया है।

यमुना जल बंटवारा

***312. श्री सज्जन कुमार :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हरियाणा से दिल्ली के लिए यमुना नदी के कितने जल की मांग की गई और उसे वास्तव में कितना जल उपलब्ध कराया गया;

(ख) क्या हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच यमुना नदी जल बंटवारे के संबंध में पुनः विवाद पैदा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्रीय सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिए कोई पहल की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) समझौते के अनुसार दिल्ली और उत्तर प्रदेश को कितनी-कितनी मात्रा में अतिरिक्त पानी दिया गया ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। यमुना नदी जल के बंटवारे संबंधी समझौता ज्ञापन की व्याख्या के बारे में एक विवाद उत्पन्न हो गया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अनुसार समझौता ज्ञापन में दिया गया आवंटन दिल्ली का पूर्ण हिस्सा है, जबकि दिल्ली का कहना है कि यह हिस्सा केवल विनाशकारी उपयोगों के लिए ही है।

(घ) और (ङ) अपर यमुना नदी बोर्ड का गठन समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए किया गया है। बोर्ड के निर्णयों पर असहमति, यदि कोई हो, को हल करने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में अपर यमुना पुनरीक्षा समिति का भी गठन किया गया है जिसमें थाला राज्यों के मुख्य मंत्री इसके सदस्य हैं।

(च) अपर यमुना नदी बोर्ड के अंतरिम निर्णय के अनुसार दिल्ली को 5-5-1995 से हैदरपुर जल उपचार संयंत्र के लिए 100 क्यूसेक अतिरिक्त जल निर्मुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त जल निर्मुक्त नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की मध्यस्थता पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रत्येक ने दिल्ली को 8-6-95 से 14-7-95 तक और 100 क्यूसेक जल निर्मुक्त किया था।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा से दिल्ली को उपलब्ध कराए गए यमुना नदी जल की मांग तथा वास्तविक आपूर्ति

(यूनिट : मिलियन घन मीटर)

वर्ष	मांग	वास्तविक आपूर्ति
1992-93	0.0650	0.0684
1993-94	0.1272	0.0851
1994-95	0.1983	0.1330

[अनुवाद]

कोयला श्रमिकों के लिए कल्याण कार्य

***313. श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला श्रमिकों के लिए कोई कल्याण कार्य आरंभ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला खान क्षेत्रों में सामान्य पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी दशाओं में सुधार लाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्र (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने कोयला कामगारों के जीवन स्तर में सुधार लाए जाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी क्रियाकलाप शुरू किए हैं। ये मुख्य रूप में निम्न हैं—आवास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य देख-रेख और शैक्षणिक सुविधाएं। पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे कल्याणकारी क्रियाकलापों पर किए गए व्यय नीचे दर्शाया गया है—

वर्ष		(करोड़ रुपए में)
1990-91	—	489
1991-92	—	569
1992-93	—	550
1993-94	—	789
1994-95	—	850 (अनंतिम)

(ग) यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक परियोजना के लिए एक पर्यावरणीय प्रबंधन परियोजना होनी चाहिए। किसी भी परियोजना का क्रियान्वयन शुरू किए जाने से पूर्व पर्यावरण योजनाओं के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

[हिंदी]

तिहाड़ जेल में कैदियों की मृत्यु

*314. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 में अब तक तिहाड़ जेल में कितने विचाराधीन कैदियों की मृत्यु हुई;

(ख) इस मृत्यु के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) 1995 के दौरान (16-8-95 तक) केंद्रीय जेल तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में अट्ठाइस विचाराधीन कैदियों की मृत्यु हुई। उनमें से 25 विचाराधीन कैदी, विभिन्न बीमारियों से मरे और तीन ने आत्महत्या कर ली।

(ग) से (ङ) इनमें से प्रत्येक मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अधीन, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु समीक्षा कार्यवाही की गई है।

28 मामलों में से 14 मामलों में मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट मिल गई है। अब तक प्राप्त किसी भी रिपोर्ट में किसी जेल कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कोई गड़बड़ी किए जाने की बात नहीं कही गई है। जब कभी कोई व्यक्ति लापरवाही अथवा गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो विधि और संगत नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

एल पी जी एप्लाई योजना

*315. **श्री वी. धनंजय कुमार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल पी जी एजेंसियों के आवंटन हेतु मार्गनिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों को भी एल पी जी की सप्लाई करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सप्लाई की स्थिति पर समय-समय पर निगरानी रखी जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित सप्लाई बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) विद्यमान नीति के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति विपणन योजना में शामिल स्थानों के बारे में विज्ञापन देकर तथा राष्ट्रीयता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, आवास, आय एवं अन्य अनेक डीलरशिप मानकों से संबंधित पात्रता मानक को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का तेल चयन बोर्डों द्वारा साक्षात्कारों के आधार पर किए गए चयन के माध्यम से की जाती हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आरक्षण दिया जाता है—

अ. जा./अ. ज. जा.	25 प्रतिशत
शारीरिक विकलांग	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी	3 प्रतिशत
प्रतिरक्षा	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
असाधारण खिलाड़ी	2 प्रतिशत
खुली	55 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त, कुछ डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप सरकार की स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत अनुकंपा आधार पर आवंटित की जाती हैं।

(ख) और (ग) फिलहाल, आर्थिक साध्यता तथा उत्पाद उपलब्ध होने पर 20,000 तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली जाती हैं। उत्पाद की उपलब्धता में प्रत्याशित वृद्धि तथा छोटे शहरों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि परिचालन क्षेत्र में आस-पास के गांवों को शामिल करके एल पी जी के विपणन को अन्य शहरों तक बढ़ाया जाए। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं कि भविष्य में एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप की योजना बनाते समय आस-पास के गांवों की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, एल पी जी के पंजीकृत ग्राहकों की एल पी जी की पूरी मांग को क्रमोत्तेश पूरा किया जा रहा है।

सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन-सेवाएं

*316. **श्री सनत् कुमार मंडल :**
श्री एस. एम. लालजान बाशा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने प्राइवेट सैल्यूलर ऑपरेटरों के लिए किराया और पंजीकरण-शुल्क लगभग अस्सी प्रतिशत कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(ग) इसका विभाग के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सैल्यूलर मोबाइल/टेलीफोन-सेवाओं के लिए वित्तीय बोली लगाई जा चुकी है;

(ङ) यदि हां, तो सफल बोलीदाताओं के नाम क्या हैं और उन्हें कौन-कौन-से क्षेत्र आवंटित किए गए हैं; और

(च) ये फर्म किन शर्तों पर सेवाओं का संचालन करेंगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं। निजी सैल्यूलर प्रचालकों से लिया जाने वाला किराया कम नहीं किया गया है। पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है। केवल पंजीकरण जमा राशि को, जो ब्याज सहित वापस कर दी जाती है, ओ वाई टी श्रेणी से सामान्य श्रेणी में बदला गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग 'क' के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। वित्तीय निविदाएं 5 अगस्त, 1995 को खोली गई हैं।

(ङ) वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। सफल निविदाकर्ताओं के नाम और उन्हें आवंटित किए जाने वाले क्षेत्रों का पता वित्तीय निविदाओं के मूल्यांकन और लाइसेंस देने का निर्णय लिए जाने के बाद चलेगा।

(च) विस्तृत निबंधन और शर्तें निम्नलिखित हैं—

(i) लाइसेंस-धारक, लाइसेंस जारी होने के 12 महीनों के भीतर सेवा प्रदान करेगा।

(ii) सेवा, ग्रुप स्पेशियल मोबाइल (जी एस एम) मानक के अनुरूप होगी।

(iii) सेवाएं, विभाग द्वारा तय किए गए टैरिफ-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी।

(iv) लाइसेंस-धारक, सरकार को, दूरसंचार विभाग के अभिगम्यता और जंक्शन-प्रभारों के अलावा, लाइसेंस-शुल्क भी अदा करेगा।

(v) लाइसेंसधारक, बेतार लाइसेंस-शुल्क, डब्ल्यू पी सी-रॉयल्टी, जी एस एम एम ओर यू-प्रभार आदि भी अदा करेगा।

(vi) लाइसेंस-धारक, पहले वर्ष कम-से-कम 10 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को और 3 वर्षों के भीतर 50 प्रतिशत मुख्यालयों को सेवा प्रदान करेगा।

सिंचाई योजनाएं

***317. श्री शिव शरण वर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी उत्तर प्रदेश की बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका केंद्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए राज्य सरकार को विभिन्न केंद्रीय मूल्यांकन एजेंसियों के अभिमत का पालन करना पड़ता है; और

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा उन परियोजनाओं के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है जिनके संबंध में राज्य सरकार ने केंद्रीय मूल्यांकन एजेंसियों के अभिमत का पालन किया है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लाभ (हजार हेक्टेयर)	केंद्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5	6
(क)	**सलाहकार समिति को प्रस्तुत की गई एवं निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन स्वीकार्य पाई गई परियोजनाएं**				
1.	वेयर फीडर लाभान्वित जिला एटा	27.91	9.80 (अतिरिक्त)	9-9-88	सलाहकार समिति द्वारा विचार किया और 27.91 करोड़ रुपए की लागत पर 28 अप्रैल, 1992 को इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राज्य सरकार को मई, 1993 में कुछ उपायों को क्रियान्वित करने की सलाह दी है।

1	2	3	4	5	6
2.	जमानिया पंप नहर की क्षमता बढ़ाना लाभान्वित जिला गाजीपुर	39.81	31.82 (अतिरिक्त)	22-4-83	सलाहकार समिति द्वारा विचार किया और 39.81 करोड़ रुपए की लागत पर इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।
3.	मेजा बांध को ऊंचा करना लाभान्वित जिले इलाहाबाद एवं मिर्जापुर	52.10	17.88 (अतिरिक्त)	31-3-92	सलाहाकार समिति द्वारा संक्षिप्त टिप्पण पर 28-3-93 को विचार किया गया और समिति ने राज्य सरकार को सलाह दी कि वह 52.18 करोड़ रुपए की अंतिम लागत से इस परियोजना को पूरा करे जिसमें प्रतिपूरक वन रोपण की लागत भी शामिल है जिसके लिए प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
4.	बाणसागर नहरें लाभान्वित जिले इलाहाबाद व मिर्जापुर	190.27 (बांध की शेयर लागत और सामान्य कार्यों को छोड़कर)	150.13	16-6-89	अनुपूरक टिप्पणी पर सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया और 190.27 करोड़ रुपए की लागत पर 27 जनवरी, 1994 को इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि पर्यावरण और वनै मंत्रालय से स्वीकृति तथा राज्य के वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर ली जाए।
5.	राजघाट नहरें लाभान्वित जिले झांसी व ललितपुर	126.43	138.66 (अतिरिक्त)	27-9-80	सलाहकार समिति द्वारा 126.43 करोड़ रुपए की लागत पर नवंबर, 1993 पर विचार किया गया और इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि वन स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा राज्य के वित्त विभाग की सहमति ले ली जाए।
6.	बुंदेलखंड और भागल खंड क्षेत्र में चैनलों को पक्का करना लाभान्वित जिले : इलाहाबाद, बांदा, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर व बनारस	57.37	23.70 (अतिरिक्त)	6-5-92	सलाहकार समिति द्वारा 57.37 करोड़ रुपए की लागत पर 24 जून, 1994 को विचार किया गया और इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति, राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाए और परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित कर ली जाएं।
7.	मोधा बांध लाभान्वित जिला हमीरपुर	66.82	27.70	21-3-90	सलाहकार समिति द्वारा 26.75 करोड़ रुपए की लागत पर नवंबर, 79 में विचार किया गया और कुछ

1	2	3	4	5	6
					टिप्पणियों की अनुपालना करने की शर्त पर स्वीकार्य पाया गया। 1991-92 के मूल्य स्तर पर 95.93 करोड़ रुपए की लागत को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना की सिंचाई आयोजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से भी स्वीकृति अपेक्षित है।
	मझौली				
1.	हिंडन कृष्णी दोआब में खरीफ चैनलों की व्यवस्था करना लाभान्वित जिले व मुजफ्फरनगर	15.35	3.00	30-3-93	सलाहकार समिति द्वारा 15.53 करोड़ रुपए की लागत पर 27 जनवरी, 1994 को विचार किया और इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि वन भूमि के शामिल न करने के संबंध में राज्य के वन विभाग से प्रमाण-पत्र ले लिया जाए तथा राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाए।
(ख)	**परियोजनाएं जिन पर पत्राचार चल रहा है**				
	बड़ी				
1.	चित्तौड़गढ़ जलाशय लाभान्वित जिला गोंडा	30.33	11.03	20-10-93	राज्य प्राधिकारियों द्वारा सिंचाई व लागत पहलुओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
2.	जरौली पंप नहर लाभान्वित जिले : फतेहपुर व इलाहाबाद	27.54	46.45	8-11-93	इस योजना को केंद्रीय जल आयोग और अन्य केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों में जांच की जा रही है।

टिप्पणी : परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती है।

राज्यों को विशेष सहायता

*318. **श्री छीतूभाई गामीत :**
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से शहरों की मूलभूत समस्याओं को हल करने और विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त/विशेष सहायता दिए जाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार तथा योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी हां, महोदय।

(ख) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नगरों की बुनियादी समस्याओं के लिए उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त/विशेष केंद्रीय सहायता

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	विवरण	1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान ए. सी. ए./ एस. सी. ए. के लिए प्राप्त अनुरोध	योजना आयोग द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर नगरपालिका की विकास स्कीमें	25.47	संसाधन दबावों के कारण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह प्रस्ताव मूल रूप से राज्य सेक्टर से संबंधित है, कोई अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
2.	हिमाचल प्रदेश	शिमला शहर में नागरिक सुविधाओं का उन्नयन	17.44	1994-95 के दौरान एकमुश्त उपाय के तौर पर ए. सी. ए. के रूप में 1.55 करोड़ रुपए इस शर्त पर उपलब्ध कराए गए कि राज्य सरकार शेष कार्य को पूरा करने के लिए अपनी वार्षिक योजना 1995-96 में समुचि प्रावधान करेगी।
3.	मणिपुर	इम्फाल के लिए जल आपूर्ति में सुधार और कम लागत की सीवरेज स्कीम	8.70	ए. सी. ए. के लिए राज्य सरकार के स्वीकृत किए गए अन्य अनुरोधों को देखते हुए इसके लिए कोई ए. सी. ए. उपलब्ध नहीं कराया गया।
4.	राजस्थान	अजमेर जल आपूर्ति स्कीम	20.00	कोई ए. सी. ए. उपलब्ध नहीं कराया गया, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि उपलब्ध राज्य योजना निधियां इस स्कीम को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।
5.	त्रिपुरा	अगरतला शहर में म्युनिसिपल सेवाओं में सुधार	55.97	1993-94 के दौरान 18 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए।
6.	उत्तर प्रदेश	कानपुर शहर को जल आपूर्ति के लिए गंगा बराज का निर्माण (200 करोड़ रुपए की लागत)	100.00	योजना आयोग ने पूर्ववर्ती शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से 3-4 वर्षों की अवधि में 50 : 50 समानुपाती आधार पर ऋण के रूप में केंद्रीय सहायता मंजूर की।
7.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी विकास स्कीम (लागत 540.49 करोड़ रुपए)	—	समग्र संसाधन दबाव के कारण ए. सी. ए. पर विचार नहीं किया जा सका।
8.	मिजोरम	आइजॉल के लिए जल आपूर्ति संवर्धन, सिविरेज तथा मल व्ययन प्रबंधन स्कीम	130.50	जुलाई, 1995 में प्राप्त हुआ।
9.	मेगा शहर	बंबई, कलकत्ता, मद्रास तथा हैदराबाद में आधारसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए	—	वर्ष 1993-94 के दौरान बंबई तथा कलकत्ता को 20-20 करोड़ रुपए तथा मद्रास और हैदराबाद के लिए 15-15 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में मंजूर किए गए हैं। तत्पश्चात् 'मेगा शहरों में आधार संरचना विकास' नामक एक केंद्र प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है।

[हिंदी]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा लिया गया ऋण

*319. **श्री नीतीश कुमार :**
डॉ. चिंता मोहन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने कई विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 से अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा ली गई है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान ऋण की राशि वापस भी की गई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान अब तक वर्ष-वार कितनी ऋण राशि वापस की गई है और इन अलग-अलग ऋणों पर कितना-कितना ब्याज दिया गया है;

(ङ) क्या देश में उक्त अवधि के दौरान देश में कई विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए के अवमूल्यन के कारण निगम को हानि भी उठानी पड़ी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (च) सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (च) 1992-93 में लिया गया ऋण निम्नानुसार है—

(विदेशी मुद्रा मिलियन में, करोड़ रुपये में)

मुद्रा	राशि	समतुल्य रुपए में
अमेरिकी डालर	1595.27	5029.58
जापानी येन	99802.64	3520.06
डच मार्क	346.54	775.20
स्विस फ्रैंक	164.40	443.22
विभिन्न मुद्राओं में लिया गया ऋण जिसे अमेरिकी डालर में दर्शाया गया है	608.79	1918.28
अन्य (एन ओ के, बी एफ आर इत्यादि)		121.34
योग		11807.68

गत तीन वर्षों के दौरान वापस किए गए विदेशी ऋण तथा ब्याज की राशि निम्नानुसार हैं—

करोड़ रुपए

वर्ष	मूल	ब्याज
1	2	3
1992-93	881.66	563.15
1993-94	1308.37	615.10
1994-95	743.21	769.90

विभिन्न विदेशी मुद्रा ऋण पर गत तीन वर्ष के दौरान खातों में दी गई विनिमय क्षति निम्नानुसार है :

वर्ष		करोड़ रुपए
1992-93	—	400.16
1993-94	—	395.56
1994-95	—	948.76

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

*320. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1996 के अंत तक देश में सभी श्रेणियों के टेलीफोन कनेक्शन मांग पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक महानगर में टेलीफोन कनेक्शन देने की सामान्य अवधि क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान सभी श्रेणियों के टेलीफोन कनेक्शन देने की सामान्य अवधि कम करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में 1996 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के अनुसार वर्ष 1997 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जहां अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करने में विलंब के कारण कनेक्शन जारी करने में अधिक समय लग सकता है, महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन जारी करने की सामान्य अवधि दो वर्ष की है।

(घ) से (च) जी, हां। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में समूचे देश में वर्ष 1997 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग के वर्ष 1995-96 में 29.26 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

आंध्र प्रदेश में दूरदर्शन का दूसरा चैनल

3066. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में दूरदर्शन के दूसरे चैनल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किस स्थान का चयन किया गया है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) यद्यपि उपयुक्त डिश एंटिना पद्धति की सहायता से उपग्रह पद्धति के जरिए आंध्र प्रदेश के समग्र राज्य सहित देश में मैट्रो चैनल (डी. डी.-2) सेवा उपलब्ध है तथापि, राज्य में फिलहाल हैदराबाद स्थित अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर के द्वारा स्थानीय सेवा रिले की जा रही है। हैदराबाद स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर (1 कि. वा.) में उन्नयन करने के लिए एक स्कीम वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है। राज्य में इसे सेवा का और अधिक विस्तार इस प्रयोजनार्थ और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिंदी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3067. श्री छेदी पासवान : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कार्यक्रमों की कब तक पुनरीक्षा की जाएगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) जी, हां।

(ख) गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे तीन प्रमुख केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम ये हैं : (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.), (2) जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.), तथा (3) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई. ए. एस.)। इन कार्यक्रमों की समीक्षा नियमित रूप से केंद्र स्तरीय समन्वय समिति राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी. आर. डी. ए.) के शासी निकाय द्वारा की जाती है। इसके अलावा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वास्तविक प्रगति को मानीटर किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय ने 1993 में क्षेत्र अधिकारियों द्वारा एक स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत अधिकारियों का एक दल राज्यों का दौरा करता है तथा ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के संदर्भ में क्षेत्र स्तर पर मौजूदा समस्याओं तथा प्रगति का सीधा विवरण प्रस्तुत करता है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय अपने प्रमुख कार्यक्रमों का आवधिक समवर्ती मूल्यांकन करता है।

हाल ही में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कारगर बनाने तथा उनके स्कोप को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों तथा फील्ड से मिलने वाले लगातार फीडबैक के आधार पर आई. आर. डी. पी. में कतिपय आशोधन किए गए हैं। गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आई. आर. डी. पी. को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाल में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम ये हैं : (1) प्रति परिवार निवेश के स्तर को बढ़ाना, (2) 213 जिलों, जहां पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जिला विकास प्रबंधक तैनात हैं, में परिवार ऋण योजना (एफ. सी. पी.) का विस्तार, (3) कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए गरीबी की रेखा अर्थात् 11,000 रुपए से कम आय वाले किसी परिवार को पात्र बनाकर आई. आर. डी. पी. सहायता के लिए 8,500 रुपए की न्यूनतम सीमा (कट-ऑफ लाइन) को समाप्त कर दिया गया है। वर्शते की लाभग्राही में सतत आय सर्जक परियोजनाएं आरंभ करने के लिए आवश्यक प्रेरणा, कौशल तथा रुचि विद्यमान हो, और (4) आधारभूत संरचना में अपेक्षाकृत अधिक निवेश को सरल बनाने के लिए निर्णय निर्धारकों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। इन उपायों को बिहार सहित सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किया जाना है।

जे. आर. वाई. के तहत निधियां देश में प्रत्येक जिले/गांव तक पहुंचती हैं। तथापि यह पाया गया कि संसाधन देश भर में कम लगे हुए थे। इसलिए जे. आर. वाई. को चुनिंदा पिछड़े जिलों में सतत् बनाने का निर्णय लिया गया, जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगारी थी। तदुनसार 1993-94 में 120 चुने हुए पिछड़े जिलों में सघन जे. आर. वाई. आरंभ की गई। जिनमें इन जिलों को दी जाने वाली निधियों में काफी वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त, सभी समर्थ व्यक्तियों को, जो काम की तलाश में थे और कम कृषि के मौसम में कार्य करना चाहते थे, उन्हें 100 दिन का कैजुअल मैनुअल कार्य का सुनिश्चित दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1752 आर. ई. डी. एस. ब्लॉकों में 2-10-93 से ई. ए. एस. आरंभ की गई। यह इस मूल्यांकन के अनुरूप था कि जे. आर. वाई. के तहत औसतन केवल 15-25 दिन का रोजगार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सृजित किया जा रहा था, जो गरीबी के स्तर को प्रभावित करने के लिए बहुत कम था। ई. ए. एस. इस समय गोवा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2446 पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित की जा रही है।

जे. आर. वाई. के तहत बिहार के 23 जिले शामिल हैं, ई. ए. एस. बिहार में 266 ब्लॉकों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूरसंचार-सेवाओं का निजीकरण

3068. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधारभूत दूरसंचार-सेवाओं के निजीकरण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निजीकरण को रोकने की मांग पर दूरसंचार-कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने पर आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम क्यों लगाया गया ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) सरकार ने मूलभूत दूरसंचार-सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग के

साथ-साथ निजी प्रचालकों को भी अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(i) प्रत्येक दूरसंचार-सर्किल में दूरसंचार विभाग के अलावा, एक निजी प्रचालक भी होगा।

(ii) निजी प्रचालक, दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित टैरिफ से अधिक टैरिफ वसूल नहीं करेगा।

(iii) लंबी दूरी का नेटवर्क दूरसंचार विभाग के पास ही रहेगा।

(iv) निजी प्रचालकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने और देश में निर्मित उपस्कर का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान

3069. डॉ. सुधीर राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (दिल्ली खंडपीठ) ने मार्च, 1994 में आकाशवाणी के सिविल निर्माण स्कंध के ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमान 1 जनवरी, 1973 से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ड्राफ्ट्समैनों के बराबर लाने हेतु संशोधन करने और बकाया राशि के भुगतान का भी निर्णय दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने न्यायाधिकरण के आदेशों का कार्यान्वयन किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस विषय में कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्यपीठ, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 8-3-94 के निर्णय में मामले पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार को मात्र निदेश दिया था।

(ग) से (ङ) चूंकि, ऐसे प्रस्तावों को जांच-पड़ताल हेतु विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों से परामर्श करना होगा इसलिए स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती।

दिल्ली में टेलीफोन तारों की चोरी

3070. डॉ. वसंत कुमार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में टेलीफोन तारों की चोरी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 के दौरान सरकार का कुल कितना नुकसान हुआ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) 1994-95 के दौरान कुल 1,07,450 रुपए (एक लाख, सात हजार चार सौ पचास रुपए) की हानि हुई थी।

(ग) केबिल/पीसीएम उपस्कर की चोरी की घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

1. महत्वपूर्ण केबिल मार्गों पर गश्त तेज करना।
2. पुलिस प्राधिकारियों के साथ बराबर समन्वय।
3. डक्ट मार्गों पर मेनहोल के कवरों को डबल लॉक लगाना तथा बाहरी जंजीर की व्यवस्था और पीसीएम कैबिनेटों के लिए लॉक लगाने का प्रबंध।
4. खुले कन्वर्टों (पुलिया) में केबिलों को कंकरीट से दबाना।
5. अतिसंवेदनशील मार्गों पर केबलों के लिए अलार्म सर्किटों की संस्थापना।

हिंदू देवताओं के अशोभनीय चित्र

3071. श्री राम नाईक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय बुक डिपो द्वारा वितरित 'अमेरिकन फोटो' नामक एक मासिक पत्रिका में हिंदू देवताओं और देवियों के अशोभनीय चित्र प्रकाशित किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार एक अमरीकी दि-मासिक 'अमेरिकन फोटो मैगजीन' नामक पत्रिका ने अपने जुलाई-अगस्त, 1995 के अंक में भगवान गणेश और देवी सरस्वती के नग्न चित्र प्रकाशित किए हैं जिनमें भगवान गणेश को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है। पत्रिका का वितरण इंडिया बुक डिपो, बंबई लिमिटेड, 1007, आर्केडिया बिल्डिंग, 195 नारीमन पाइंट, बंबई-21 द्वारा किया गया था। कानून के अनुसार कार्रवाई की गई, अर्थात् सी. आई. डी. बंबई की अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा कक्ष ने भा. दं. सं. की धारा 292(2), 153(क) और (ख) और महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 4 और 6 के अधीन सी. आर. सं ख्या 201/95 दिनांक 20 जुलाई, 1995, एक आपराधिक मामला दर्ज किया है तथा बंबई पुलिस ने वितरक के पास उपलब्ध आठ प्रतियां जब्त कर ली। फर्म के मालिक हर किसान धुलालो मल छतलानी को भी 21 जुलाई, 1995 को गिरफ्तार कर लिया गया जिसे कि एक स्थानीय अदालत द्वारा उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया गया था। मामला जांचाधीन है।

[हिंदी]

अंधों तथा बहरों के लिए समय

3072. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधों तथा बहरों के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर कुछ समय निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर दोपहर के प्रसारण में बधिरों के लिए रविवार को 1 बजे से 1 बजकर 15 मिनट तक 15 मिनट का एक साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। दूरदर्शन पर नेत्रहीनों के लिए आकाशवाणी में बधिरों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है।

[अनुवाद]

तेलशोधक कारखाना

3073. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत आयल कंपनी ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 6 मिलियन टन ग्रास रूट तेलशोधक कारखाना परियोजना की स्थापना के लिए अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(ग) क्या कुवैत आयल कंपनी का विचार तेलशोधक कारखाने के हल्के कच्चे तेल की सप्लाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो नेल्लोर तेलशोधक परियोजना की स्थापना कब तक हो जाएगी और परियोजना पर कितनी लागत आएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) जी, नहीं। परंतु सरकार ने कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में, पूर्वी भारत में 6 एच एम टी पी ए की ग्रासरूट रिफाइनरी खोलने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन के एक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

[हिंदी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र

3074. **डॉ. सत्यनारायण जटिया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए किन-किन स्थानों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन केंद्रों में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं कब से उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(ग) उपरोक्त प्रत्येक केंद्र के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का स्थान	(ख) किस समय तक केंद्र में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की संभावना है	(ग) प्रत्येक केंद्र के लिए स्वीकृत की गई निधियों की सीमा (लाख रुपए में)
1	2	3
1. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (आदिवासी युवाओं के लिए)	केंद्र स्थापित करने के बारे में प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	14.78
1. सागर, छिंदवाड़ा	-तदैव-	14.78
2. अलीराजपुर, झाबुआ	-तदैव-	14.78
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के साथ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाएगा प्रशिक्षण केंद्र (अनुसूचित जाति युवाओं के लिए)		

1	2	3
1. **टंकण तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र**		
(क) जय प्रकाश कालोनी, अधीरताल, जबलपुर	प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही कार्य कर रहा है।	2.50
(ख) रांझी बस्ती, जबलपुर	-वही-	2.34
(ग) गुरुद्वारा मैदान, रांझी बस्ती जबलपुर	-वही-	1.95
(घ) चंपा नगर, जबलपुर	-वही-	2.10
(ङ) गुना	-वही-	2.17
(च) रांझी बस्ती, जबलपुर (गुरुद्वारा स्कूल मैदान)	-वही-	1.90
(छ) अम्बाह, मुरैना	-वही-	1.60
(ज) पोरसा, मुरैना	-वही-	0.87
(झ) रामपुर, छपरा, जबलपुर	-वही-	1.08
2. **टेलरिंग प्रशिक्षण केंद्र**		
(क) रांझी बस्ती, गुरुद्वारा	प्रशिक्षण केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है।	0.93
(ख) ओल्ड बरागी मिल्स, जबलपुर	-वही-	0.33
(ग) रामपुर छपरा, जबलपुर	-वही-	0.79
3. **मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र**		
महाराजपुर, जबलपुर	-वही-	2.39
4. **कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र**		
(क) रंजी बस्ती, जबलपुर	-वही-	2.67
(ख) चंपा नगर, जबलपुर	-वही-	2.67
(ग) गुना	-वही-	1.33
(घ) चंपा नगर, वेस्टलैंड खमरिया, जबलपुर	-वही-	2.67

[अनुवाद]

डाकघर

3075. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत डाकघरों तथा शाखा डाकघरों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितने नये डाकघर और शाखा डाकघर खोले गए ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) देश में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों और शाखा डाकघरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खोले गए नये विभागीय उप-डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

देश में, 31-3-1995 की स्थिति के अनुसार, कार्य कर रहे डाकघरों और शाखा डाकघरों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	सर्किल/राज्य का नाम	डाकघरों की संख्या, जिसमें अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर शामिल नहीं हैं	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2519	13670
	असम	630	3177
3.	बिहार	1591	10179
4.	दिल्ली	440	113
5.	गुजरात	1442	7456
	दादर और नगर हवेली	2	32
	दमन और दीव	6	11
6.	हरियाणा	477	2108
7.	हिमाचल प्रदेश	473	2253
8.	जम्मू और कश्मीर	278	1328
9.	कर्नाटक	2127	7658
10.	केरल	2008	3018
	लक्षद्वीप	9	1
11.	महाराष्ट्र	2268	10002
	गोवा	107	142
12.	मध्य प्रदेश	1596	9710
13.	उत्तर पूर्व*		
	अरुणाचल प्रदेश	45	238
	मणिपुर	50	621
	मेघालय	64	414
	मिजोरम	43	340
	नागालैंड	39	260
	त्रिपुरा	96	605
14.	उड़ीसा	1389	6683
15.	पंजाब	784	3054
	चंडीगढ़	45	7
16.	राजस्थान	1538	8746
17.	तमिलनाडु	3058	9019
	पांडिचेरी	38	66
18.	उत्तर प्रदेश	3368	16669
19.	पश्चिम बंगाल	2011	6467
	सिक्किम	25	171
	अंडमान और निकोबार	33	64
	कुल	28509	124282

*31-3-1994 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान वास्तविक रूप से खोले गए नये विभागीय उप डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	सर्किल/राज्य का नाम	1992-93		1993-94		1994-95	
		उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7	6	7	12	4	—
2.	असम	3	46	3	26	1	—
3.	बिहार	3	70	5	90	1	—
4.	दिल्ली	9	—	1	—	5	—
5.	गुजरात	7	68	—	15	2	—
	दादर और नगर हवेली	—	2	—	—	—	—
	दमन और दीव	—			—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हरियाणा	3	10	2	16	4	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	24	3	90	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	5	1	23	—	—
9.	कर्नाटक	10	39	9	11	3	2
10.	केरल	—	15	1	29	—	1
	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
11.	महाराष्ट्र	15	122	9	105	1	2
	गोवा	2	4	—	4	—	—
12.	मध्य प्रदेश	7	106	9	31	—	—
13.	उत्तर पूर्व						
	अरुणाचल प्रदेश	—	11	2	6	—	—
	मणिपुर	—	30	—	11	—	—
	मेघालय	—	—	2	6	—	—
	नागालैंड	1	3	—	5	—	—
	मिजोरम	—	11	—	6	—	—
	त्रिपुरा	1	11	—	6	—	—
	उड़ीसा	8	76	4	42	—	—
15.	पंजाब	3	28	2	6	2	1
	चंडीगढ़	—	—	—	—	2	—
16.	राजस्थान	9	244	6	30	—	2
17.	तमिलनाडु	4	27	2	9	3	—
	पांडिचेरी	—	2	—	—	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	10	226	13	95	2	—
19.	पश्चिम बंगाल	1	67	5	33	—	—
	सिक्किम	—	18	—	4	—	—
	अंडमान और निकोबार	—	—	—	—	—	—
	कुल :	103	1272	86	711	30	8

दूरसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए 'अम्पायरों' का चयन

3076. डॉ. लाल बहादुर राबल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के निर्देशों के अनुसार कभी संघ दूरसंचार विभाग से यह अनुरोध करेंगे कि राष्ट्रीय 'चैम्पियनशिप' में अपनी इच्छानुसार अम्पायर/रिफरी के रूप में अपने कर्मचारियों को नामित करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में अम्पायर के रूप में नामित कर्मचारियों का चयन राष्ट्रीय संघ की परंपरानुसार कर्मचारी के निष्पादन के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की सहमति से किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों जिनका राष्ट्रीय संघ द्वारा उनके निष्पादन के आधार पर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में 'अम्पायर' के रूप में चयन किया है, को दूरसंचार विभाग द्वारा नामित कर्मचारियों की अपेक्षा वरिष्ठ अम्पायर/तकनीकी सदस्य होने के नाते उन्हें सेवा पर तैनात मानने से क्यों वंचित किया जा रहा है जबकि वे दूरसंचार विभाग द्वारा नामित अधिकारियों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट अम्पायर/तकनीकी प्रतिनिधि (डेलीगेट) है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) दूरसंचार खेल-कूद व सांस्कृतिक बोर्ड निम्नलिखित खेल-कूद संघों से जुड़ा है—

(i) भारतीय टेबल टैनिस संघ।

(ii) भारतीय साइक्लिंग संघ।

(iii) भारतीय बॉडी-बिल्डिंग संघ।

ये संघ विभाग के कर्मचारियों को अम्पायर्स/रैफ्री के रूप में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए उन्हें नामित करने को यदा-कदा दूरसंचार विभाग से कहते हैं तथा प्रायः ऐसे अनुरोधों को, कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के अध्यधीन स्वीकृत कर दिया जाता है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय स्पर्धाओं में रैफ्रियों/अम्पायरों के चयन वास्ते, दूरसंचार विभाग में, तकनीकी विशेषज्ञों की कोई समिति नहीं है, क्योंकि संबंधित संघों द्वारा ही राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अम्पायर/रैफ्री का चयन किया जाता है।

दूरसंचार विभाग के किसी भी कर्मचारियों को, ड्यूटी पर आने-जाने के लाभ से वंचित करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार, कार्यमुक्त किया ही जाता है।

[हिंदी]

मंत्रियों द्वारा खर्च

3077. **श्री सुशील चंद्र वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक केंद्रीय मंत्री ने देश के अंदर विशेष वायुयानों से कितनी यात्राएं की हैं; और

(ख) इन यात्राओं पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल की विकास परियोजनाएं

3078. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल में ही पश्चिम बंगाल के लिए कुछ विकास परियोजनाएं स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर प्रारंभ कि जाएंगी; और

(ग) उक्त परियोजनाओं हेतु कितनी राशि दी गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) राज्यों के विकास के लिए परियोजनाओं को पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं के प्रस्तावों में शामिल किया जाता है। योजना आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देता है। इसके अलावा, योजना आयोग निवेश की दृष्टि से सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करता है। वार्षिक योजना 1995-96 के दौरान इन दो सेक्टरों में किसी परियोजना को निवेश स्वीकृति नहीं दी गई है।

गरीबी उन्मूलन योजना

3079. **श्री अन्ना जोशी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु महाराष्ट्र के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या सरकार का इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र को अधिक धन आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितने अतिरिक्त धन का आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवंटित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यवार आवंटन विभिन्न गरीबी उन्मूलन स्कीमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कुल बजटीय सहायता तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाने वाले समानुपाती हिस्से पर निर्भर करेंगे। आगामी वित्तीय वर्ष शुरू होने पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

महाराष्ट्र में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए निधियों का आवंटन (केंद्र + राज्य) : (1992-93 से 1995-96)

(लाख रुपए)

कार्यक्रम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
आई. आर. डी. पी.	5228.00	9174.00	9096.00	9087.73

1	2	3	4	5
जे. आर. वाई. प्रथम धारा	25815.64	26839.28	29542.68	34247.70
जे. आर. वाई. द्वितीय धारा	—	10217.50	10217.50	5077.50
ई. ए. एस.	—	3306.25*	9027.50*	6150.00*
				(24-7-95 के अनुसार)

* दी गई राशि चूंकि ई. ए. एस. के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते।

कोयला खानों में हड़तालें

3080. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जहां से उनके मंत्रालय को पिछले एक वर्ष के दौरान मजदूरों की हड़तालों की रिपोर्ट मिली थी;

(ख) इस अवधि के दौरान विभिन्न कोयला खानों में (खान-वार) कितने दिन हड़ताल हुई; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इन हड़तालों के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) ऐसी कोयला खानों का ब्यौरा, जिनमें पिछले एक वर्ष के दौरान हड़तालें होने की सूचना मिली है, संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

वर्ष 1994-95 में कोल इंडिया लिमिटेड में हुई हड़तालें

हड़तालों की संख्या	हड़ताल की अवधि से	तक	हड़ताल का स्थान	हड़ताल के कारण
1	2		3	4
(ई. को. लि.) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड				
13	1. 24-4-94 8 (पूर्वा.)	25-4-94 4 (अप.)	सीलादासजी प्रोजेक्ट	मृतक दुर्घटनाओं के कारण ग्रामीणों द्वारा पैदा किए गए व्यवधान के कारण।
	2. 18-5-94 9 (पूर्वा.)	19-5-94 10 (अप.)	परबेलिया कोलियरी	रविवार को नियोजित किए जाने के कारण।
	3. 18-5-94 8.30 (पूर्वा.)	20-5-94 8 (पूर्वा.)	सतग्राम	भू-वंचितों के लिए रोजगार दिए जाने की मांग के कारण।
	4. 9-5-94 8 (पूर्वा.)	14-5-94 4 (अप.)	मुग्मा कोलियरी	भू-गत कार्यों के लिए वी. टी. रेनिंग।
	5. 4-6-94 8 (पूर्वा.)	5-6-94 8 (पूर्वा.)	सतग्राम इंक्लाइन	सी. आई. एस. एफ. द्वारा ग्रामवासियों की निर्मम पिटाई किए जाने के कारण।
	6. 15-6-94 12 (अप.)	16-6-94 8 (पूर्वा.)	पटमोहना कोलियरी	एक कामगार की हत्या होने के कारण।
	7. 16-7-94 8 (पूर्वा.)	18-7-94 8 (पूर्वा.)	पांडवेश्वर कोलियरी	'इंटक' नेता की मृत्यु होने के कारण।
	8. 18-7-94 8 (पूर्वा.)	19-7-94 8 (पूर्वा.)	घुसिक कोलियरी	कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण होने के कारण।
	9. 24-12-94 4 (अप.)	25-12-94 12.30 (अप.)	चित्रा कोलियरी	ग्रामवासियों एवं सी. आई. एस. एफ. के बीच हुई भिडंत के कारण।

1		2		3	4
	10.	20-1-95 8 (पूर्वा.)	21-1-95 8 (पूर्वा.)	पूरे सियरसोल	रौबिन सेन, भूतपूर्व सांसद की अचानक मृत्यु होने के कारण।
	11.	20-1-95 8 (पूर्वा.)	21-1-95 8 (पूर्वा.)	सीलादाहजी प्रोजेक्ट	-वही-
	12.	6-2-95 12 (अप.)	7-2-95 11 (पूर्वा.)	खास काजोरा कोलियरी	कुछ सामान्य प्रकृति के अवैध मांगें किए जाने के कारण।
	13.	2-3-95 9.30 (पूर्वा.)	3-3-95 11.30 (पूर्वा.)	शंकरपुर कोलियरी	जल की आपूर्ति न होने के कारण।
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड					
03	1.	17-5-94 8 (पूर्वा.)	19-5-94 8 (पूर्वा.)	मुरलीडीह ओ. का. प.	मजदूरी समझौते की मांग के कारण।
	2.	1-12-94 4 (अप.)	2-12-94 8 (पूर्वा.)	लोयाबाद कोलियरी	व्यर्थ की मांग किए जाने के कारण।
	3.	10-1-95 12 (अप.)	11-1-95 12 (अप.)	नार्थ तिसरा कोलियरी	-वही-
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड					
02	1.	11-4-94	15-4-94	भुरकुंडा कोलियरी	एक डॉक्टर का स्थानांतरण होने के कारण।
	2.	26-4-94	29-4-94	के. डी. कोलियरी	प्रोत्साहन का भुगतान न किए जाने के कारण।
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड					
05	1.	5-7-94	5-7-94	पाथरखेड़ा	एक कामगार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के कारण रोष व्यक्त किया गया।
	2.	6/7-9-94	8-9-94	नंदन 2 और 1 पिट्स	प्रबंधन द्वारा कोककर कोयले के प्रयोग का आरोप और अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति किया जाना।
	3.	11-9-94 8 (पूर्वा.)	17-9-94 12 (अप.)	वल्लारपुर 3 और 4 पिट्स	कोयले के अच्छे ग्रेड की घरेलू उद्देश्य के लिए आपूर्ति।
	4.	17-11-94 8 (पूर्वा.)	17-11-94 4 (अप.)	सोनेर	एक कामगार के स्थानांतरण को रोकने की मांग।
	5.	10-2-95 8 (पूर्वा.)	12-2-95 4 (अप.)	उमरेर प्रोजेक्ट	जी. एम. (ओ. का.) द्वारा एक कामगार अपमानित किए जाने के कारण।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड					
03	1.	26-3-94 8 (पूर्वा.)	26-3-94 4 (अप.)	सोहागपुर	बोनस की शेष राशि के भुगतान के संबंध में हड़ताल हुई।
	2.	4-4-94 8 (पूर्वा.)	11-4-94 4 (अप.)	कोटमा कोलियरी	लोडरों ने कार्य की नियुक्ति की मांग किए जाने के संबंध में हड़ताल की।
	3.	18-12-94	18-12-94	मनिकपुर	कामगारों द्वारा 4 रविवारों की मांग, जिनकी कि नियुक्ति 1989-अथवा उसके बाद की गई।

1	2	3	4	5
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड				
01	1. 3-9-94 (आंशिक)		गोरवी	कामगारों के बीच लड़ाई होने के कारण।
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स				
01	1. 3-11-94	3-11-94	वारागेलिया	नेपाली कामगारों द्वारा कुछ उत्सवों को मनाए जाने के लिए अग्रिम की मांग।

महानदी कोलफील्ड्स लि०/केंद्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०/को. इं. लि. (मुख्यालय)/दानकुनी कोयला काम्पलेक्स में कोई हड़ताल नहीं हुई है। 14-7-1994 को केवल एक दिन की आम हड़ताल को छोड़कर। दिनांक 14-7-1994 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कोयला उद्योग में अखिल भारतीय आम हड़ताल के रूप में हुई थी, जोकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर संघों के निर्णय के अनुसार विभिन्न मांग-पत्रों जैसे—सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण न किए जाने, रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के पैकेज का पुनरुद्धार किए जाने से संबंधित थी।

कार्यक्रमों की लोकप्रियता

3081. श्री मनोरंजन भक्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों के दूरदर्शन केंद्रों में अपने सीरियलों सहित विभिन्न कार्यक्रमों की लोकप्रियता का आकलन करने हेतु कोई दर्शक अनुसंधान एकांश है अथवा किसी बाजार अनुसंधान संगठनों की सेवा प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त एकांश अथवा संगठन किसी प्रकार अपने आकलनों अथवा निष्कर्षों का आकलन करते हैं और किसे भेजते हैं; और

(घ) कार्यक्रमों को तैयार करते समय उनके निष्कर्षों पर विचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित मंत्रालय के दूरदर्शन केंद्रों में दर्शक अनुसंधान एकक कार्यरत हैं—

1. दिल्ली
2. लखनऊ
3. गोरखपुर
4. जालंधर
5. जयपुर
6. श्रीनगर
7. बंबई
8. नागपुर
9. अहमदाबाद
10. राजकोट
11. भोपाल
12. मद्रास
13. हैदराबाद
14. बंगलौर
15. तिरुवंतपुरम
16. कलकत्ता
17. भुवनेश्वर
18. रांची
19. गुवाहाटी।

विशिष्ट परियोजनाओं के लिए समय-समय पर प्रतिष्ठित बाजार अनुसंधान संस्थाओं की सेवा भी ली जाती है।

(ग) दर्शक अनुसंधान एकक नमूना सर्वेक्षण पद्धति सहित विभिन्न अनुसंधान पद्धति का उपयोग करता है। दर्शक अनुसंधान एकक नियमित आधार पर विभिन्न शहरों से लिए गए 4000 नमूनों के आधार पर दूरदर्शन का दर्शक अनुसंधान टी. वी. दर (डी. ए. आर. टी.) निर्धारित करता है। निष्कर्षों को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) इन रिपोर्टों पर केंद्र स्तर पर विचार किया जाता है तथा योजना बनाने और कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

3082. डॉ. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का प्रमुख कारण उनका निर्धारित समय में पूरा न होना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) कई विलंबित परियोजनाओं में लागत वृद्धि होने का एक मुख्य कारण नियत समय के भीतर परियोजनाओं का पूरा न होना है।

(ख) परियोजनाओं में विलंब विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण होता है, जोकि उनके कार्यान्वयन के समय उत्पन्न होती हैं। सरकार तथा परियोजना प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपाय प्रत्येक परियोजना के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं जो ऐसी समस्याओं की प्रकृति पर निर्भर करते हैं

जिनका सामना परियोजना प्राधिकरणों को करना पड़ता है। तथापि समय तथा लागत वृद्धि को रोकने के लिए सरकार तथा परियोजना प्राधिकरणों द्वारा आमतौर से उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजनाओं के पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

— परियोजना प्राधिकरणों तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मासिक/तिमाही प्रबोधन प्रणाली के माध्यम से 20 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं का गहन प्रबोधन।

— प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन आवधिक समीक्षा तथा कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए परियोजना प्राधिकरणों पर लगातार दबाव।

— ठेका पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्य दल/अधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

— विलंब को न्यूनतम करने के लिए संबद्ध मंत्रालयों तथा परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकारों, उपकरण संभरणकर्त्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदातरूपों तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ निकट से अनुवर्ती कार्रवाई।

— अंतर मंत्रालयीय समन्वय तथा पारस्परिक संबद्धता।

— यथार्थ परियोजना कार्यान्वयन योजना तथा अनुमान तैयार करने पर जोर देना।

— विशिष्ट परियोजनाओं संबंधी सचिवों की समिति द्वारा आवधिक समीक्षा।

— संशोधित लागत अनुमानों का समय से अनुमोदन तथा बढ़ी हुई बजट सहायता, आंतरिक संसाधनों तथा अतिरिक्त बजट संसाधनों द्वारा अंतर को वित्त पोषित करना।

किसी वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित करना

3083. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के किसी वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित करने हेतु प्रक्रिया क्या है;

(ख) राज्य द्वारा पिछड़ा वर्ग घोषित किए जाने के पश्चात् किसी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित करने में केंद्रीय सरकार को कितना समय लगता है;

(ग) क्या केंद्र सरकार के पास ऐसे कुछ मामले लंबित पड़े हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) प्रथम चरण में अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची, राज्य सरकार की सूचियों तथा मंडल आयोग की सूची में शामिल जातियों/समुदायों की समानता पर आधारित हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 27) के उपबंधों के अंतर्गत सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए अनुरोधों की जांच करने तथा ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को अधिक शामिल करने या कम शामिल करने की शिकायतों को सुनने और केंद्रीय सरकार को सलाह देने जैसाकि वह उचित समझे, के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तद्नुसार, अन्य पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करके केंद्रीय सूची में कोई संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर ही किया जाता है।

(ख) से (घ) संविधान के उपबंधों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के पास अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी-अपनी सूचियां हो सकती हैं। संबंधित राज्य सरकारें या संबंधित जातियों/समुदायों के सदस्य जो अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी जाति/समुदाय विशेष को शामिल किए जाने के इच्छुक हैं, वे ऐसे अनुरोधों की जांच करने और केंद्रीय सरकार को इस पर विचार करने के लिए उचित सलाह देने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ संपर्क कर सकते हैं। अन्य पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में शामिल कोई जाति या समुदाय अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में इसे शामिल करने के लिए एकमात्र घटक नहीं है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा तथा केरल जैसे कुछ राज्यों ने अपने-अपने अनुरोध भेजे हैं। इस संबंध में आयोग की सलाह प्राप्त होने के बाद ही इन पर आगे कार्रवाई की जा सकती है।

[हिंदी]

राजस्थान में आदिवासी लोगों हेतु योजनाएं

3084. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे पश्चिमी जिलों के आदिवासी लोगों के उत्थान और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) इन योजनाओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद इन जिलों के आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय में जनजातियों के उत्थान के लिए जिलावार योजनाएं नहीं हैं। तथापि, राजस्थान राज्य के लिए कार्यान्वयनाधीन योजनाओं और इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य को निर्मुक्त निधियों की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

इन योजनाओं के अंतर्गत उक्त राज्य को शेष अवधि के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है क्योंकि आगे धनराशि की निर्मुक्ति पहले निर्मुक्त की गई धनराशि के उपयोग, तत्संबंधी ब्यौरे के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य इत्यादि से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से जिलावार ब्यौरे की मांग की गई है। ब्यौरे प्राप्त होने पर उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

इस मंत्रालय द्वारा राजस्थान में 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 के दौरान शुरू की गई आदिवासी कल्याण योजनाएं और इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई धनराशि इस प्रकार है –

विशेष केंद्रीय सहायता : संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अनुदान, आदिवासी लड़कियों एवं लड़कों के लिए होस्टल निर्माण के लिए अनुदान, कम साक्षरता वाले पॉकेटों में आदिवासी लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर के निर्माण हेतु अनुदान, आश्रम विद्यालय के निर्माण के लिए अनुदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए अनुदान, लघु वन उत्पाद संबंधी कार्यों को शुरू करने के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को अनुदान स्वैच्छिक संगठनों और आदिवासी अनुसंधान संस्थान को अनुदान।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अब तक) के दौरान निर्मुक्त धनराशि इस प्रकार है—

(लाख रुपए)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
विशेष केंद्रीय सहायता	1679.46	2664.68	2202.79	1215.98
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अनुदान	307.64	576.75	600.08	300.00
लड़कियों के लिए होस्टल	24.50 (2 होस्टल)	12.25 (1 होस्टल)		
लड़कों के लिए होस्टल	10.11 (3 होस्टल)	36.75 (3 होस्टल)		
आश्रम विद्यालय	—	—	24.50 (2 विद्यालय*)	
कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर	—	16.16 (4 कैम्पलैक्स)	48.19 (11 कैम्पलैक्स)	5.90 (1 कैम्पलैक्स)
आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक-प्रशिक्षण	—	44.34 (3 केंद्र)	—	—
राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगमों को सहायतानुदान	30.00	61.4	30.00	—
स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	10.91 (2 संगठन)	10.49 (1 संगठन)	11.37 (1 संगठन)	—
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	4.58	5.57	6.14	1.14

* डुंगरपुर, और उदयपुर जिले में एक-एक।

** उदयपुर में चार और बांसवाड़ा जिले में एक और जयपुर जिले में एक।

[अनुवाद]

नोटों की हेराफेरी करने वाला गिरोह

3085. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1995 के 'नवभारत टाइम्स' में 'छह नोटों के सात नोट बनाने का धंधा' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) समाचार-पत्र के लेख में वर्णित गतिविधियों के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 1994 अथवा जुलाई, 15, 1995 तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। तथापि पुलिस फील्ड स्टाफ को सतर्क रहने के लिए ब्रीफ किया गया है।

समाचार-पत्र की रिपोर्ट में दिए गए ब्यौरों तथा जाली करेंसी नोटों के सूचित मामलों तथा जिन मामलों की जांच की जा रही है उनके बीच किसी प्रकार का संबंध होने की जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशें

3086. **डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन होना अभी भी बाकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिफारिशों के कार्यान्वयन न होने के कारण क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिनांक 5 अप्रैल, 1993 तथा 18 सितंबर, 1993 को राष्ट्रीय विकास की दो बैठकें मुख्य रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद समितियों की मितव्ययिता, रोजगार, जनसंख्या, साक्षरता तथा माइक्रो स्तरीय आयोजना एवं निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी संबंधी रिपोर्टों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामान्य रूप से उपर्युक्त समितियों की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित राष्ट्रीय विकास परिषद समितियों की सिफारिशें विभिन्न सेक्टरों से संबंधित हैं। इनमें बड़ी संख्या में उपाय शामिल हैं और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से ये कार्रवाई/क्रियान्वयन की विभिन्न स्थितियों में है।

प्राकृतिक गैस का आवंटन

3087. **श्री जसवंत सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार ने राज्य में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए हजारीबाग, बीजापुर एवं जगदीशपुर पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने बिजली उत्पादन, उर्वरक और मेथानाल परियोजनाओं, एल पी जी निकासी, पेट्रोरसायन परियोजनाओं और सेरामिक उद्योगों के लिए 20 एम एम एस सी एम डी के आवंटन के लिए अनुरोध किया है।

(ग) एच बी जे पाइपलाइन के आस-पास उपलब्ध होने के लिए परिकल्पित गैस का पूर्णतया आवंटन किया जा चुका है और फिलहाल गैस का अतिरिक्त आवंटन करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की मेगा उपक्रम परियोजनाएं

3088. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की 60% मेगा परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी कीमत 35% से अधिक बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) जी, हां।

(ख) 1000 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक लागत वाली 33 बड़ी परियोजनाओं में से 22 परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं।

(ग) 22 विलंबित परियोजनाओं की लागत उनकी अद्यतन अनुमानित लागत 34035.35 करोड़ रुपए से बढ़कर 52502.02 करोड़ रुपए हो गई है अर्थात् इसमें 54.25% की वृद्धि हुई है।

(घ) इन विलंबित परियोजनाओं की लागत वृद्धि के मुख्य कारणों में शामिल हैं : उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, बिक्री कर में वृद्धि, विदेशी विनिमय दरों में भिन्नता, पर्यावरणीय सुरक्षा तथा पुनः स्थापना अभ्युपायों की उच्च लागत, परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन तथा कार्यान्वयन अवधि के दौरान सामान्य मूल्य वृद्धि। विलंबित परियोजनाओं के मामले में कार्यान्वयन के दौरान लागत वृद्धि का प्रभाव अधिक महसूस किया जाता है।

(ङ) यद्यपि परियोजनाओं में विलंब उच्च लागत वृद्धि के मुख्य कारणों में से एक है, तथापि परियोजनाओं में समय वृद्धि को रोकने पर अधिक जोर दिया जाता है। परियोजनाओं में समय वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए आमतौर से सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम

— परियोजना प्राधिकरणों तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मासिक/तिमाही प्रबोधन प्रणाली के माध्यम से 20 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं का गहन प्रबोधन।

— प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति गहन आवधिक समीक्षा तथा कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए परियोजना प्राधिकरणों पर लगातार दबाव।

— ठेका पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्य दल/अधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

— विलंब को न्यूनतम करने के लिए संबद्ध मंत्रालयों तथा परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकारों, उपकरण संभरणकर्त्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ निकट से अनुवर्ती कार्रवाई।

— अंतर मंत्रालयीय समन्वय तथा पारस्परिक संबद्धता।

— यथार्थ परियोजना कार्यान्वयन योजना तथा अनुमान तैयार करने पर जोर देना।

— विशिष्ट परियोजनाओं संबंधी सचिवों को समिति द्वारा आवधिक समीक्षा।

— संशोधित लागत अनुमानों का समय से अनुमोदन तथा बढ़ी हुई बजट सहायता, आंतरिक संसाधनों तथा अतिरिक्त बजट संसाधनों द्वारा अंतर को वित्त पोषित करना।

पूर्वी राज्यों के लिए विशेष कोष

3089. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :**
श्री गोविंदराव निकम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी राज्यों के विकास हेतु एक विशेष कोष का सृजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कोष से सहायता प्रदान करने हेतु क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

जर्मन कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम

3090. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने जर्मन की आयल टैंकिंग कंपनी के साथ देश भर में तेल भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक संयुक्त उद्यम लगाने के संबंध में समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इससे पेट्रोलियम उत्पादों की भंडारण क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए दो सरकारी तेल कंपनियों नामतः आई.ओ सी और आई बी पी ने देश के विभिन्न भागों में टैंकेज और सहायक मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए मैसर्स आयल टैंकिंग नामक एक जर्मन कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी भारतीय सह-प्रवर्तकों, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और निजी क्षेत्र के तेल कंपनियों की मांग पूरी करने के लिए बंदरगाहों और अन्य स्थानों पर भारत में स्वतंत्र टैंक टर्मिनलिंग सेवाएं विकसित करेगी।

मुख्य निबंधन और शर्तें निम्नलिखित हैं—

1. उक्त कंपनी निम्नलिखित अनुपात में समझौता भागीदारी पर आधारित होगी—

आयल टैंकिंग और इसके नामिती	50 प्रतिशत
आई ओ सी और इसके नामिती	25 प्रतिशत
आई बी पी और इसके नामिती	25 प्रतिशत

2. प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी की अधिकृत पूंजी 300 करोड़ रुपए और निर्गत और प्रदत्त पूंजी 80 करोड़ रुपए होगी।

[हिंदी]

राष्ट्रीय नेताओं पर वृत्तचित्र

3091. **श्री काशीराम राणा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर उनके जीवन तथा कृतित्व पर दिखाए जाने वाले वृत्तचित्रों को पिछले दो वर्षों से प्रदर्शित करना बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन ने राष्ट्रीय नेताओं पर वृत्तचित्र तथा अन्य फीचर फिल्मों को दिखाने के संबंध में कुछ विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं;

(घ) वर्ष 1994 के दौरान राष्ट्रीय नेताओं पर दिखाए गए वृत्तचित्रों तथा फीचर फिल्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितना समय आवंटित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) प्रचलित प्रथा के अनुसार, दूरदर्शन प्रतिवर्ष केवल निम्नलिखित व्यक्तियों के जन्मदिवस पर कार्यक्रम प्रसारित करता है—

1. महात्मा गांधी।
2. दिवंगत प्रधानमंत्री।
3. डॉ. एस. राधाकृष्णन (शिक्षक दिवस) तथापि, कुछ अवसरों पर अन्य राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। ऐसा एक कार्यक्रम दिनांक 11-2-1994 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रसारित किया गया था।

(घ) और (ङ) उन राष्ट्रीय नेताओं के नाम नीचे दिए गए हैं जिन पर दूरदर्शन द्वारा 1994 के दौरान भिन्न-भिन्न अर्थाध हेतु फिल्म वृत्तचित्र आदि प्रसारित किए गए।

1. महात्मा गांधी।
2. पंडित जवाहरलाल नेहरू।
3. श्रीमती इंदिरा गांधी।
4. श्री राजीव गांधी।
5. डॉ. एस. राधाकृष्णन।
6. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर।
7. पंडित दीनदयाल उपाध्याय।

8. शहीद चंद्रशेखर आजाद।

[अनुवाद]

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

3092. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्मी हस्तियों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इसे कब आरंभ किया गया तथा कालक्रमानुसार इस पुरस्कार को पाने वालों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या ऐसा पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग के हिंदी पार्श्व गायकों को भी दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का ऐसे विख्यात पार्श्व गायकों को गत पचास वर्षों के दौरान भारतीय फिल्म उद्योग को उनके द्वारा दिए गए असाधारण योगदान के लिए ऐसे पुरस्कार से सुशोभित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) दादा साहब फालके पुरस्कार हेतु चयन करते समय अपनाए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार हैं—

1. यह पुरस्कार फिल्म उद्योग के ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है जिसका भारतीय सिनेमा के संवर्धन एवं विकास में उत्कृष्ट योगदान रहा हो।

2. यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है।

(ख) यह पुरस्कार 1969 में आरंभ किया गया था और जिन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से सुश्री लतामंगेशकर को यह पुरस्कार पार्श्व गायन के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। श्री पंकज मल्लिक, श्रीमती कानन देवी और डॉ. भूपेन हजारिका जैसे अन्य पुरस्कार-प्राप्तकर्ताओं ने भी पार्श्व गायन में काफी योगदान दिया है।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा इस पुरस्कार हेतु निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार दिसंबर, 1995 में नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे। पार्श्व गायकों के प्राप्त नामांकनों पर भी उपयुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

विवरण

दादा साहब फालके पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची

क्रम सं.	नाम	वर्ष
1	2	3
1.	श्रीमती देविका रानी	1969
2.	श्री बी. एन. सरकार	1970
3.	श्री पृथ्वीराज कपूर	1971
4.	श्री पंकज मल्लिक	1972
5.	श्रीमती सुलोचना (रूबी मेयर्स)	1973
6.	श्री बी. एन. रेड्डी	1974
7.	श्री धीरेन गांगुली	1975
8.	श्रीमती कानन देवी	1976
9.	श्री नितिन बोस	1977
10.	श्री आर. सी. बोराल	1978
11.	श्री सोहराब मोदी	1979
12.	श्री पी. जयराज	1980
13.	श्री नौशाद अली	1981
14.	श्री एल. वी. प्रसाद	1982
15.	श्रीमती दुर्गा खोटे	1983
16.	श्री सत्यजीत रे	1984
17.	श्री वी. शांताराम	1985
18.	श्री बी. नागी रेड्डी	1986
19.	श्री राज कपूर	1987
20.	श्री अशोक कुमार	1988
21.	सुश्री लता मंगेशकर	1989
22.	श्री ए. नागेश्वर राव	1990
23.	श्री भालजी पेंढ़ेरकर	1991
24.	डॉ. भूपेन हजारिका	1992
25.	श्री मजरूह सुल्तानपुरी	1993
26.	श्री दिलीप कुमार	1994

[हिंदी]

नारीनिकेतन

3093. **श्री विलासराव नागनाथराव मुंडेवार** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने नारीनिकेतन हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और इस समय इनमें कितनी महिलाएं रह रही हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितनी महिलाओं को अपने-अपने घरों में वापस भेजा गया; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है कि ऐसी महिलाएं जिन्हें नारीनिकेतनों से मुक्त किए जाने का समय हो गया है, उन्हें किसी भी आधार पर वहां नहीं रखा जाए ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बंबई बम विस्फोट कांड

3094. **श्री सुधीर सावंत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई बम विस्फोटों के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। बंबई पुलिस द्वारा 4-11-1993 को आरोप पत्र दायर करने के बाद, आगे की जांच-पड़ताल का कार्य 19-11-1993 को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया। इस मामले में अब तक 11 अनुपूरक आरोप-पत्र दायर किए जा चुके हैं।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

3095. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रॉयल नौसैनिक विद्रोह में भाग लेने वालों में से सैकड़ों लोगों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नहीं दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग 12 लोग जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था और जो बाद में नौसेना में भर्ती हुए थे, को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दे दी गई है; और

(ग) सरकार का उन लोगों, जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था और जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नहीं दी गई है, कि शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) भारतीय रॉयल नौसैनिक विद्रोह में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के हकदार नहीं हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों जिन्होंने उपर्युक्त विद्रोह में हिस्सा लिया था और जिन्हें 'बर्खास्त', 'सेवाएं अब उपेक्षित नहीं' और 'अनुपयुक्त' के रूप में नौकरी से हटा दिया गया था, के मामले में पेंशन की स्वीकृति के लिए विचार किया जाता है, जब वे इसके लिए आवेदन करते हैं।

उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों के ब्यौरों का रक्षा मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूची से सत्यापन कर लेने के बाद ही, उन्हें पेंशन स्वीकृत की जा रही है। किसी संदेह की स्थिति में उस मंत्रालय से परामर्श अवश्य ही किया जाता है।

अनधिकृत आवर्जन

3096. **श्री एस. एस. आर. राजेन्द्र कुमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवर्जन कानून के कार्यान्वयन में ढील के कारण श्रीलंका, बंगलादेश, फिलस्तीन इत्यादि से आने वाले विदेशी बिना वैध पासपोर्ट के त्रिवेनद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से होकर देश में आते हैं; और

(ख) यदि हां, इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विदेशी नागरिक, विशेषतः श्रीलंकाई बिना वैध पारपत्रों तथा वीजाओं के या जाली यात्रा दस्तावेजों पर त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से होकर भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते रहे हैं।

(ख) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर आव्रजन जांच कड़ी कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप बहुत से ऐसे श्रीलंकाई राष्ट्रिकों का पता लगाया गया जो बिना वैध यात्रा दस्तावेजों/जाली दस्तावेजों के आधार पर आ गए थे और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

पारादीप पत्तन पर तेलशोधक कारखाना

3097. **डॉ. कृपासिंधु भोई** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में पारादीप पत्तन पर तेलशोधक कारखाने की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन को पूर्वीतट में एक 6 एम एम टी पी ए की क्षमता की संयुक्त उद्यम रिफाइनरी खोलने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्राप्त है। सरकार ने इस रिफाइनरी के लिए आई ओ सी के साथ संयुक्त भागीदार के रूप में कुवैत पैट्रोलियम कार्पोरेशन (के पी सी) के चयन के लिए आई ओ सी के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है। मैसर्स अशोक लीलैंड-गोटको को उड़ीसा में 6.00 एम एम टी पी ए की रिफाइनरी खोलने के लिए आशय पत्र भी जारी किया जा चुका है।

[हिंदी]

जाली प्रमाण-पत्र

3098. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जाली प्रमाण-पत्र बनाने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(घ) इस संबंध में भविष्य में नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) संविधान के अधीन यह जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है कि वे अपराध के मामले को दर्ज करें और उनकी जांच-पड़ताल करें। राज्य सरकारों द्वारा

अपराध के अलग-अलग मामलों अर्थात् जाली प्रमाण-पत्र तैयार करने में लगे गिरोहों के बारे में की गई कार्रवाई की जानकारी, सरकार द्वारा नहीं रखी जाती। इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए अलग-अलग राज्य प्रायः विभिन्न प्रकार के तरीके निकालते हैं।

[अनुवाद]

रिक्तीकरण योजना

3099. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जुलाई, 1995 की 'एशियन एज' की रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वेक्षण के दौरान भारत में 25 बांध असुरक्षित पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय, बांध टूटने से बाढ़ के कारण प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों को दर्शाने वाले कोई आप्लावन मानचित्र और रिक्तीकरण योजना विद्यमान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भावी बांधों के लिए रिक्तीकरण योजना तैयार करने पर विचार करेगी;

(घ) सभी निर्माणाधीन बांध परियोजनाओं के विस्थापितों को सुरक्षा हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों द्वारा किए गए सुरक्षा पहलुओं के मूल्यांकन के पता चला है कि 33 बांधों में संरचनात्मक और जल वैज्ञानिक कमियां हैं।

(ख) से (ङ) भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में बांधों और संबद्ध संरचनाओं के निरीक्षण/अनुरक्षण की विद्यमान पद्धतियों की पुनरीक्षा करने और उनके संबंध में मानक दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए वर्ष 1982 के दौरान एक स्थायी समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट (बांध सुरक्षा प्रक्रियाएं) वर्ष 1987 में प्रस्तुत की। समिति द्वारा संस्तुत विभिन्न 'कार्य बिंदुओं' में अन्य बातों के साथ-साथ रिपोर्ट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा उपयुक्त विपदा तैयारी योजनाएं तैयार करना शामिल हैं। रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्यों को कार्यान्वयन हेतु परिचालित की गई हैं और 'राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति' द्वारा इसकी प्रगति की मानीटरी की जा रही है। इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं और वे सभी राज्य/संगठन जिनमें बहुत बड़ी संख्या में बड़े बांध हैं, इसके सदस्य हैं। समिति की बैठक वर्ष में दो बार नियमित रूप से होती है और अब तक समिति ने 14 बैठकें की हैं।

[हिंदी]

सिंचाई के लिए राजसहायता

3100. श्री जगमीत सिंह बराड़ :
डॉ. चिंता मोहन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले वर्षों के दौरान सिंचाई के लिए दी जा रही राज-सहायता की राशि में लगातार वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रतिवर्ष कितनी राजसहायता दी गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) केंद्रीय सरकार कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मिलियन वैल्स योजना, कृषि योजना में प्लास्टिक का उपयोग, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में क्रमशः 648 करोड़ रुपए, 1018 करोड़ रुपए और 1124 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

मिट्टी के तेल का आवंटन

3101. श्री भवानीलाल वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को मिट्टी का तेल आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या सभी राज्यों को इन निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही मिट्टी का तेल आवंटित किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) राज्यों/संघ क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आवंटन पूर्व आधार अर्थात् पिछली खपत के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त आवंटन के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। तथापि, उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और अत्यधिक राजसहायता की बाधाओं के कारण राज्यों की पूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। बहरहाल, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में पूरे देश में मिट्टी के तेल के आवंटन में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई जिसके अंतर्गत कम प्रति व्यक्ति खपत वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को और अधिक अतिरिक्त मात्रा का तथा विलोमतः आवंटन किया गया।

[अनुवाद]

स्वाधीनता सेनानी पेंशन

3102. कुमारी प्रिया तोपनों : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में अमको-सिमको में अंग्रेज सैनिकों ने 25 अप्रैल, 1939 को हजारों जनजातीय लोगों की हत्या कर दी थी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कुछ बचे हुए लोग अति कठिन जीवन जी रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन लोगों को स्वाधीनता सेनानी पेंशन देने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (च) 1939 में जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा में हुई अमको-सिमको घटना उन मान्यताप्राप्त आंदोलनों/विद्रोह/संग्रामों में से नहीं है जिनमें भाग लेने से कोई व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। अतः इस प्रकार की पेंशन प्रदान करने के लिए उन व्यक्तियों के मामलों पर विचार करना संभव नहीं है जिन्होंने इस घटना में भाग लिया था।

गुजरात में एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

3103. **श्री अरविंद त्रिवेदी :**
श्री हरिभाई पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान गुजरात में जिले-वार कितने एस. टी. डी./सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्वीकृत किए गए और कितने खोले गए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने मामले लंवित पड़े रहे;

(ग) क्या सरकार द्वारा गुजरात में वर्ष 1995-96 के दौरान एस. टी. डी./सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्वीकृत करने और खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संवंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात में स्वीकृत किए गए और खोले गए एस. टी. डी./पी. सी. ओ. बूथों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 31-3-95 तक की स्थिति के अनुसार 4563 मामले लंवित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान, गुजरात में 5250 एस. टी. डी./आई. एस.डी.पी.सी.ओ. प्रदान किए जाने का लक्ष्य है।

विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत किए गए और खोले गए एस. टी. डी. पी. सी. ओ. की संख्या	
		1993-94	1994-95
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	177	108
2.	बड़ौदा	69	940
3.	राजकोट	83	189
4.	सूरत	49	211
5.	नडियावाद	93	157
6.	मेहसाना	90	200
7.	भावनगर	36	160
8.	भुज	131	109
9.	जामनगर	30	21
10.	जूनागढ़	147	105
11.	वलसाड	76	151
12.	हिम्मत नगर	81	56
13.	पालनपुर	44	95
14.	सुरेन्द्र नगर	49	68
15.	भरुच	61	101
16.	गोधरा	35	35
17.	अमरेली	36	35
	जोड़ :	1287	2719

1981-91 की जनगणना रिपोर्ट

3104. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच 1981-91 की जनगणना रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो जनसांख्यिकीय परिवर्तन की प्रवृत्ति क्या रही है;

(ग) विभिन्न धार्मिक समूहों की जनसंख्या की वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) पड़ौसी देशों से अवैध घुसपैठ के कारण जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) इस प्रकार की अवैध घुसपैठ को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार भारत, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की जनसंख्या के धर्मवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है जिसमें कुल जनसंख्या का प्रतिशत और 1981-91 के दौरान हुई प्रतिशत वृद्धि भी दी गई है।

(घ) पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बंगलादेशी राष्ट्रिकों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ भी इन सीमावर्ती राज्यों की जनअध्ययनात्मक संरचना में परिवर्तन का एक कारण है।

(ङ) इस अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियन बनाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, भूमि और नदी की तटवर्ती सीमा दोनों पर गश्त बढ़ाना, सीमा सड़कों के निर्माण और कांटेदार तार लगाने संबंधी कार्यक्रम को त्वरित करना, ओ. पी. टावरों की संख्या में वृद्धि करना, निगरानी उपस्करों और रात्रि में देखने में सहायक यंत्रों आदि का प्रावधान शामिल है। यह मामला बंगलादेश सरकार के साथ कई बार उठाया गया है।

विवरण

क्रम सं.	भारत/राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र	जनगणना वर्ष जनसंख्या	कुल जनसंख्या कुल जन-	प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत 1981-91	हिंदू			मुस्लिम			ईसाई			सिख		
					जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	भारत @	1991	816,169,666	23.79	672,599,428	82.41	22.78	95,222,853	11.67	32.76	18,895,917	2.32	16.89	16,243,252	1.99	25.48
		1981	659,300,460		547,794,269	83.09		71,728,063	10.88		16,166,017	2.45		12,844,471	1.96	
	राज्य															
1.	आंध्र प्रदेश	1991	66,508,008	24.20	59,281,950	89.14	24.74	5,923,954	8.91	30.66	1,216,348	1.83	(-) 15.34	21.910	0.03	35.06
		1981	53,549,673		47,525,681	88.75		4,533,700	8.47		1,433,327	2.68		16,222	0.03	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1991	864,558	36.83	320,212	37.04	73.34	11,922	1.38	135.01	89.013	10.29	225.98	1,231	0.19	
		1981	631,839		184,732	29.24		5,073	0.80		27,306	4.32		1,231	0.19	
3.	असम +	1991	22,414,322		15,,047,293	67.13		6,373,204	28.43		744,367	3.32		16,492	0.07	
		1981	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	1991	86,374,465	23.54	71,193,417	82.42	22.72	12,787,985	14.81	29.50	843,717	0.98	13.99	78.212	0.09	0.65
		1981	69,914,734		58,011,070	82.97		9,874,993	14.13		740,186	1.07		77i.704	0.11	
5.	गोवा	1991	1,169,793		756,621	64.68	16.95	61,455	5.25	48.74	349,225	29.86	10.55	1,087	0.09	(–)18.33
		1981	1,007,749		646,986	64.20		41,317	4.10		315.902	31.35		1,331	0.13	
6.	गुजरात	1991	41,309,582	21.19	36,964,228	89.48	21.12	3,606,920	8.73	24.05	181,754	0.44	36.96	33,044	0.08	47.27
		1981	34,085,799		30,518,500	89.53		2,907,744	8.53		132.703	0.39		22,438	0.07	
7.	हरियाणा	1991	16,463,648	27.40	14,686,512	89.21	27.18	763,775	4.64	45.89	15,699	0.10	28.52	956,836	5.81	19,27
		1981	12,922,618		11,547,676	89.36		523,536	4.05		12,215	0.09		802,230	6.21	
8.	हिमाचल प्रदेश	1991	5,170,877	20.79	4,958,560	95.90	20.95	89,134	1.72	28.04	4,435	0.09	12.16	52.050	1.01	(–)0.30
		1981	4,280,818		4,099,706	95.77		69.613	1.63		3.954	0.09		52,209	1.22	
9.	जम्मू और कश्मीर+	1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1981	5,987,389		1,930,448	32.24		3,843,451	64.19		8,481	0.14		133,675	2.23	

क्र. सं.	भारत/राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष	बौद्ध			जैन			अन्य धर्म व सम्प्रदाय			धर्म नहीं बताया गया		
			जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	भारत @	1991	6,323,492	0.77	35.98	3,332,061	0.41	4.42	3,131,125	0.38	13.19	405,486	0.05	573.46
		1981	4,650,194	0.71		3,190,996	0.48		2,766,241	0.42		60,209	0.01	
	राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	1991	22,153	0.03	71.33	26,564	0.04	42.50	2,564	N	201.29	12,565	0.02	51.02
		1981	12,930	0.02		18,642	0.03		851	N		8,320	0.02	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	1991	111,372	12.88	28.78	64	0.01	52.38	313,118	36.22	(–)3.95	17,652	2.04	1,716.05
		1981	86,483	13.69		42	0.01		326,000	51.60		972	0.15	
3.	असम+	1991	64,008	0.29	—	20645	0.09	—	138.230	0.62	—	10.083	0.05	—
		1981	—	—		—	—		—	—		—	—	
4.	बिहार	1991	3,518	N	17.15	23,049	0.03	(–)16.53	1,443,258	1.67	22.32	1,309	N	356.10
		1981	2,002	N		27,613	0.04		1,179,878	1.69		287	N	
5.	गोवा	1991	240	0.02	(–)20.53	487	0.04	5.41	403	0.04	(–)9.23	275	0.02	(–)72.64
		1981	302	0.03		462	0.05		444	0.04		1.005	0.10	
6.	गुजरात	1991	11,615	0.03	53.84	491,331	1.19	5.04	14.213	0.03	(–)9.37	6,478	0.02	(–)51.70
		1981	7,550	0.02		467,768	1.37		15,683	0.05		13,413	0.04	
7.	हरियाणा	1991	2,058	0.01	170.43	35,296	0.21	(–)0.52	156	N	(–)77.06	3,316	0.02	8,626.32
		1981	761	0.01		35,482	0.27		680	0.01		38	N	
8.	हिमाचल प्रदेश	1991	64,081	1.24	21.76	1,206	0.02	15.30	211	N	(–)64.48	1,200	0.02	12.46
		1981	52,629	1.23		1,046	0.02		594	0.01		1,067	0.03	
	जम्मू और कश्मीर+	1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1981	69,706	1.17		1,576	0.03		44	N		8	N	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	कर्नाटक	1991	44,977,201	21.12	38,432,027	85.45	20.66	5,734.023	11.64	25.71	859,478	1.91	11.32	10,101	0.02	57.80
		1981	37,135.714		31,852,029	85.77		4,163,691	11.21		773,500	2.08		6.401	0.02	
11	केरल	1991	29.098,518	14.32	16.668.587	57,28	12.62	6,788,364	23.33	25.49	5,621,510	19.32	7.41	2,224	0.01	71.74
		1981	25,453,680		14,801,347	58,15		5,409,687	21.25		5,233,865	20.56		1,295	0.01	
12.	मध्य प्रदेश	1991	66,181,170	26.84	61,412,898	92.80	26.61	3,282,800	4.96	31.21	426,598	0.65	21.20	161.111	0.34	12.65
		1981	52,178,844		48,504,575	92.96		2,501,919	4.80		351,972	0.65		143,020	0.27	
13.	महाराष्ट्र @	1991	78,937,187	25.73	64,033,213	81.12	25.29	7,628,755	9.67	31.40	885.030	1.12	11.26	161,184	0.21	50.28
		1981	62,784,171		51,109,457	81.40		5,805,785	9.25		795.464	1.27		107.255	0.17	
14.	मणिपुर	1991	1,837,149	29.29	1,059,470	57.67	24.18	133,535	7.27	34.44	626,669	34.11	48.60	1,301	0.07	31.15
		1981	1,420,953		853,180	60.04		99,327	6.99		421,702	29.68		992	0.07	
15.	मेघालय	1991	1,774,778	32.86	260,306	14.67	8.09	61,462	3.46	48.34	1,146,092	64.58	63.06	2,612	0.15	56.03
		1981	1,335,819		240,831	18.03		41,434	3.10		702,854	52.62		1.674	0.13	
16.	मिजोरम	1991	689.756	39.70	34,788	5.05	(–)1.30	4,538	0.66	105.80	591.342	85.73	42.89	299	0.04	(–)28.98
		1981	493,757		35,245	7.14		2,205	0.45		413,840	83.81		421	0.09	
17.	नागालैंड	1991	1,209,546	56.08	122,473	10.12	10.07	20,642	1.71	74.84	1,057.940	87.47	70.20	723	0.06	(–)1.48
		1981	774,930		111,266	14.36		11,806	1.52		621.590	80.21		743	0.10	
18.	उड़ीसा	1991	31,659.736	20.06	29,971,257	94.67	19.11	577,775	1.83	36.83	666.220	2.10	38.67	17,296	0.05	21.21
		1981	26,370,271		25,161,775	95.42		422,266	1.60		480,426	1.82		14,270	0.05	
19.	पंजाब	1991	20,281,969	20.81	6,989,226	34.46	12.73	239.401	1.18	42.42	225,163	1.11	21.75	12,767,697	62.95	25.18
		1981	16,788,915		6,200,195	36.93		168,094	1.00		184.934	1.10		10,199,141	60.75	
20.	राजस्थान	1991	44,005,990	28.44	39,201,099	89.08	28.09	3,525,339	8.01	41.46	47,989	0.11	21.28	649.174	1.48	34.73
		1981	34,261,862		30,603,970	39.32		2,492,145	7.28		39.568	0.12		492.818	1.44	
21.	सिक्किम	1991	406,457	28.47	277.881	68.37	30.60	3,849	0.95	18.76	13,413	3.30	91.20	375	0.09	16.46
		1981	316,385		212,780	67.25		3,241	1.03		7,015	2.22		322	0.10	
22.	तमिलनाडु	1991	55,858,946	15.39	49,532,052	88.67	15.15	3,052,717	5.47	21.14	3,179,410	5.69	13.63	5,449	0.01	23.98
		1981	48,408,077		43,016,546	88.86		2,519,947	5.21		2,798,048	5.78		4,395	0.01	

1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10.	कर्नाटक	1991	73,012	0.16	72.81	326.114	0.73	14.62	6,235	0.01	(-) 50.97	36.121	0.08	8,342.03
		1981	42.251	0.11		284.508	0.77		12,901	0.04		433	N	
11.	केरल	1991	223	N	0.00	3.641	0.01	1.00	3.275	0.01	556.31	10.694	0.04	238.52
		1981	223	N		3.605	0.02		499	N		3,159	0.01	
12.	मध्य प्रदेश	1991	216,667	0.33	187.69	190,324	0.74	10.20	62.457	0.09	(–)59.88	128,315	0.19	9,104.81
		1981	75,312	0.14		444,960	0.85		155,692	0.30		1,394	N	
13	महाराष्ट्र @	1991	5,040,785	6.39	27.74	965.840	1.22	2.82	99,768	0.13	34.12	106,560	0.14	1,596.01
		1981	3,946,149	6.28		939,392	1.50		74,386	0.12		6,283	0.01	
14.	मणिपुर	1991	711	0.04	50.32	1,337	0.07	37.13	14,066	0.77	(–)60.37	60	N	(–) 99.32
		1981	473	0.03		975	0.07		35,490	2.50		8,814	0.62	
15.	मेघालय	1991	2,934	0.16	7.12	445	0.02	(–)17.90	298,466	16.82	(–)13.29	2,461	0.14	60.85
		1981	2,739	0.20		542	0.04		344,215	25.77		1,530	0.11	
16	मिजोरम	1991	54,024	7.83	33.63	4	N	(–)63.64	1,859	0.27	15.75	2,902	0.42	∝
		1981	40,429	8.19		11	N		1,606	0.32				
17.	नागालैंड	1991	581	0.05	12.38	1,202	0.10	4.25	5,870	0.48	(–)78.92	106	0.01	3,433.33
		1981	517	0.07		1,153	0.15		27,852	3.59		3	N	
18	उड़ीसा	1991	9,153	0.03	14.01	6,302	0.02	(–)5.12	397,798	1.26	45.40	13,935	0.04	319.98
		1981	8,028	0.03		6,642	0.03		273.596	1.04		3,318	0.01	
19.	पंजाब	1991	24,930	0.12	3,020.15	20,763	0.10	(–)23.24	883	0.01	(–)88.47	13,906	0.07	1,230.72
		1981	799	N		27.049	0.16		7,658	0.05		1,045	0.01	
20.	राजस्थान	1991	4,467	0.01	0.90	562,806	1,28	(–)9.85	1,191	N	(–)66.38	13,925	0.03	1,196.55
		1981	4,427	0.01		624,317	1.82		3,543	0.01		1,074	N	
21.	सिक्किम	1991	110,371	27.15	21.49	40	0.01	(–)62.96	374	0.09	(–)81.18	154	0.04	83.33
		1981	90.848	28.71		108	0.03		1,987	0.63		84	0.03	
22.	तमिलनाडु	1991	2,128	N	189.52	66.900	0.12	34.98	2,620	0.01	(–)84.56	17.670	0.03	844.92
		1981	735	N		49,564	0.10		16,972	0.04		1,870	N	

1	2	3	4			7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
23	त्रिपुरा	1991	2,757,205	[illegible]	2,384,934	86.50	30.02	196,495	7.13	41.84	46,472	1.68	86.84	740	0.03	159.65
		1981	2,053,058		1,834,218	89.34		138,529	6.75		24,872	1.21		285	0.01	
24	उत्तर प्रदेश	1991	139,112,287	25.48	113,712,829	81.74	23.11	24,109,684	17.33	36.54	199,575	0.14	23.04	675,775	0.48	47.34
		1981	110,862,013		92,365,968	83.31		17,657,735	15.93		162,199	0.15		458,647	0.41	
25	पश्चिम बंगाल	1991	68,077,965	24.73	50,866,624	74.72	21.09	16,075,836	23.61	36.89	383,477	0.56	19.96	55,392	0.08	12.92
		1981	54,550,647		42,007,159	76.96		11,743,259	21.51		319,670	0.59		49,054	0.09	
	संघ राज्यक्षेत्र															
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1991	280,661	48.70	189,521	67.53	55.61	21,354	7.61	31.91	67,211	23.95	39.23	1,350	0.48	36.23
		1981	188,741		121,793	64.53		16,188	8.58		48,274	25.58		991	0.52	
2	चंडीगढ़	1991	642,015	42.16	486,895	75.84	43.24	17,477	2.72	91.74	5,030	0.78	12.53	130,288	20.29	36.61
		1981	451,610		339,920	75.27		9,115	2.02		4,470	0.99		95,370	21.11	
3.	दादरा और नागर हवेली	1991	138,477	33.57	132,213	95.48	33.45	3,341	2.41	72.93	2,092	1.51	3.31	20	0.01	81.82.
		1981	103,676		99,072	95.56		1,932	1.86		2,025	1.95		11	0.01	
4.	दमन और दीव	1991	101,586	28.62	89,153	87.76	28.87	9,048	5.91	26.65	2,904	2.86	23.73	101	0.10	106.12
		1981	78,981		69,183	87.59		7,144	9.05		2,347	2.97		49	0.06	
5.	दिल्ली	1991	9,420,644	51.45	7,882,164	83.67	51.57	889,641	9.44	84.64	83,152	0.88	34.97	455,657	4.84	15.67
		1981	6,220,406		5,200,432	83.60		481,802	7.75		61,609	0.99		393,921	633	
6.	लक्षद्वीप	1991	51,707	28.47	2,337	4.52	29.91	48,765	94.31	27.75	598	1.16	124.81	1	N	∝
		1981	40,249		1,799	4.47		38,173	94.84		266	0.66		—	—	
7	पांडिचेरी	1991	807,785	33.64	695,981	86.16	34.56	52,867	6.54	44.20	58,362	7.23	16.93	29	N	(–)6.45
		1981	604,471		517,228	85.57		36,663	6.06		49,914	8.26		31	0.01	

टिप्पणी : × असम और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर।

@ महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले की अकराणी और अक्कलकुवा तहसीलों के 33 गांवों में 1991 की जनगणना नहीं हो सकी थी। इन गांवों की जनसंख्या (अर्थात् 16,052 व्यक्ति) गोण स्रोतों से ली गई है और महाराष्ट्र और भारत की जनसंख्या में सम्मिलित की गई है। तथापि उनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

\+ असम और जम्मू एवं कश्मीर से क्रमशः 1981 और 1991 में जनगणना नहीं की गई थी।

N से तात्पर्य 'नगण्य' है।

∝ से तात्पर्य 'अनंत' है।

1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
23.	त्रिपुरा	1991	128,260	4.65	134.03	301	0.01	1.35	2	N	(–)92.59	1	N	(–)95.82
		1981	54,806	2.67		297	0.02		27	N		24	N	
24.	उत्तर प्रदेश	1991	221,433	0.16	305.99	176.259	0.13	24.52	8,392	0.01	(–) 58.74	8,340	0.01	706.58
		1981	54,542	0.05		141.549	10.13		20,339	0.02		1,034	N	
25.	पश्चिम बंगाल	1991	203.578	0.30	30.25	34.355	0.05	(–)11.14	452,403	0.67	71.75	6,300	0.01	101.15
		1981	156.296	0.29		38,663	0.07		263,414	0.48		3,132	0.01	
	संघ राज्यक्षेत्र													
1.	अंडमान और	1991	322	0.11	153.54	17	0.01	54.55	256	0.09	10.82	630	0.22	(–)44.05
	निकोबार द्वीप समूह	1981	427	0.07		11	N		231	0.12		1.126	0.60	
2.	चंडीगढ़	1991	699	0.11	53.96	1,531	0.24	(–)18.95	40	0.01	(–)84.85	55	0.01	(–)57.03
		1981	454	0.10		1,889	0.42		264	0.06		128	0.03	
3.	दादरा और	1991	200	0.15	5.82	529	0.38	42.20	82	0.06	20.59	—	—	(–)100.00
	नागर हवेली	1981	189	0.18		372	0.36		68	0.07		7	0.01	
4.	दमन और दीव	1991	31	0.03	∝	212	0.21	51.43	123	0.12	4.24	14	0.01	∝
		1981	—	—		140	0.18		118	0.15		—	—	
5.	दिल्ली	1991	13,906	0.15	95.39	94,672	1.00	28.08	936	0.01	(–)13.41	516	0.01	(-) 2.09
		1981	7.117	0.11		73.917	1.19		1,081	0.02		527	0.01	
6.	लक्षद्वीप	1991	1	N	∝	—	—	—	2	N	∝	3	0.01	(–)72.73
		1981	—	—	—		—	—	—	—		11	0.03	
7.	पांडिचेरी	1991	39	0.01	(–)48.00	470	0.06	69.68	14	N	(–)91.86	23	N	(–)779.28
		1981	75	0.01		277	0.04		172	0.03		111	0.02	

वाणिज्यिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध

3105. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर यौन भंगिमाओं को प्रदर्शित करने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) दूरदर्शन द्वारा व्यावसायिक विज्ञापनों को दूरदर्शन पर व्यावसायिक विज्ञापन संबंधी संहिता में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रसारित किया जाता है। इस संहिता के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे विज्ञापनों को अनुमति नहीं दी जाती जो किसी भी प्रकार से अश्लीलता को महिमामंडित करते हों अथवा महिलाओं की अपमानजनक छवि प्रस्तुत करते हों। इसके अलावा, दूरदर्शन पर विज्ञापन देने वाले प्रत्येक विज्ञापनदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि महिला रूप का प्रस्तुतीकरण सुरुचिपूर्ण एवं सौंदर्यपरक हो और सुरुचि तथा शालीनता के सुस्थापित मानदंडों के अनुरूप हो।

नदियों को आपस में जोड़ा जाना

3106. डॉ. वी. राजेश्वरन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल की पम्बई नदी और तमिलनाडु की पेरियार नदी को आपस में जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी रंगय्या नायडू) : (क) केंद्रीय जल विकास अभिकरण ने पम्बई और पेरियार नदी को जोड़ने के लिए कोई अध्ययन प्रारंभ नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रसोई गैस कनेक्शन

3107. श्री सोमजीभाई डामोर :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केंद्रीय सरकार से निवेदन किया है कि राज्य के लिए प्रतिवर्ष कम-से-कम 3,00,000 नए रसोई गैस कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से एल पी जी कनेक्शनों के आवंटन में वृद्धि के लिए आवेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। नए गैस कनेक्शनों का आवंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता। नए एल पी जी कनेक्शन, देश के स्तर पर कुल नए ग्राहकों के पंजीकरण, संबंधित राज्य में वितरकों के पास उपलब्ध स्लैक, प्रतीक्षा सूची और उत्पाद उपलब्धता के आधार पर जारी किए जाते हैं। यथासंभव संख्या में आवेदकों को यथाशीघ्र कनेक्शन जारी करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अपेक्षतया कम संख्या में पंजीकरण और कनेक्शन जारी किए जाने का मुख्य कारण उत्पाद उपलब्धता की कमी है। मौजूदा उत्पादन स्रोतों की क्षमता बढ़ाकर, नए संयंत्र लगाकर और आयातों के माध्यम से आपूर्ति में वृद्धि करके एल पी जी की अधिकाधिक उपलब्धता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

[हिंदी]

बांधों का निर्माण

3108. श्री सज्जन कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में दिल्ली राज्य की अतिरिक्त जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति टिहरी, रेनुका और कृष्णा बांधों के निर्माण पर निर्भर करती है;

(ख) यदि हां, तो इन बांधों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन बांधों का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। निर्माणाधीन टिहरी बांध में दिल्ली को 300 क्यूसेक जल की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा 12 मई, 1994 को हस्ताक्षरित यमुना जल समझौते के अनुसार, रेणुका और किशऊ बांधों का निर्माण यमुना थाले की ऊपरी पहुंचों में किया जाना है। इस बांधों से उपलब्ध होने वाला अतिरिक्त भंडारण राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सहित सह-थाला राज्यों के बीच बांटा जाएगा।

(ख) मुख्य टिहरी बांध की नींव पूरी 1.1 कि. मी. की समस्त लंबाई में रखी गई है। और मुख्य बांध की ऊंचाई नदी तल स्तर से 15 मीटर तक बढ़ाई गई है। सभी चारों व्यपवर्तन सुरंगें पूरी कर ली गई हैं और नदी की दिशा दाहिनी तट चैनल की ओर मोड़ी गई है। हिमाचल प्रदेश द्वारा तैयार की गई रेणुका बांध की परियोजना रिपोर्ट की जांच केंद्रीय जल आयोग में की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से किशऊ बांध की परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ग) टिहरी बांध के मार्च, 1999 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। रेणुका व किशाऊ बांधों के पूरा होने का निर्धारित समय पूर्ण परियोजनाओं को प्रस्तुत करने और उनकी स्वीकृति पर निर्भर करता है।

कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम

3109. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री सुखदेव पासवान :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले से होने वाली आय का कोयला धारक क्षेत्रों

और राज्यों तथा विकास कार्यक्रमों के लिए ठीक प्रकार से विवरण सुनिश्चित करने के लिए कोयला धारक क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रसोई गैस कनेक्शन

3110. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने गत वर्ष के दौरान और आज तक भोपाल, मध्य प्रदेश के एम आई सी गैस पीड़ितों को नए रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान कितने गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) पंजीकरण की अवधि पूरी होने पर तथा संबद्ध वितरक को जारी किए गए गैस कनेक्शनों की संख्या के आधार पर उसके स्लैक, प्रतीक्षा सूची तथा देश के लिए नामांकन लक्ष्य से तेल कंपनी को उपलब्ध कुल नामांकन के आधार पर नये गैस कनेक्शन जारी किए जाते हैं।

वर्ष 1994-95 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा भोपाल के गैस पीड़ित क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची पर दर्ज व्यक्तियों को 1890 एल पी जी कनेक्शन दिए थे। यद्यपि एच पी सी एवं बी पी सी ने भी गैस कनेक्शन दिए हैं लेकिन उन्होंने गैस पीड़ितों का अलग से कोई विवरण नहीं रखा है।

[अनुवाद]

पश्चिम उड़ीसा विकास परिषद

3111. श्री ई. अहमद :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम उड़ीसा विकास परिषद के गठन की काफी दिनों से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसी परिषदों के गठन की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

3112. डॉ. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नवल किशोर राय :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चालू की गई योजनाओं के लिए निर्धारित व्यय की प्रतिशतता में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि नहीं, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कुल योजनागत व्यय का कितने प्रतिशत व्यय किया गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन पर कुल योजनागत व्यय का कितने प्रतिशत आवंटित किया गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवंटित कुल राशि मार्च, 1995 तक खर्च की जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई और वास्तव में खर्च की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3550 करोड़ रुपए के व्यय के मुकाबले आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 3913 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	सेक्टर	1992-93		1993-94		1994-95	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1.	अनुसूचित जाति विकास	406.98	428.82	493.55	510.27	560.48	585.70
2.	आदिवासी विकास	315.57	314.87	400.00	399.25	382.10	382.40

[अनुवाद]

पाइपलाइन परियोजनाएं

3113. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए इस समय जिन पाइपलाइन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए पाइपलाइनों के निर्माण हेतु सरकार के पास लंबित नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) क्रियान्वयनाधीन अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

1. इंडियन आयल कार्पोरेशन की कांडला-भटिंडा पाइपलाइन

संशोधित लागत अनुमान के संबंध में सरकार के अनुमोदन की तारीख से 21 माह के संशोधित यांत्रिक पूर्णता कार्यक्रम के साथ 2391.84 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमान के लिए 10 अगस्त, 1993 को परियोजना अनुमोदित की गई थी। परियोजना के अब 1995-96 की अंतिम तिमाही तक भटिंडा तक प्रचालनरत होने की आशा की जाती है। परियोजना के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति से संबंधित कारणों में विस्तृत परिरूप तथा अभियांत्रिकी के अंतर्गत धीमी प्रगति, स्वदेशी सामग्री के प्रापण में विलंब, तथा प्रमुख लाइन एवं स्टेशनों के निर्माण-कार्य का आगे बढ़ाने के संबंध में धीमी प्रगति इत्यादि हैं।

2. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की विजाग-विजयवाड़ा पाइपलाइन

सरकार अनुमोदन की तारीख से 36 माह के पूर्णता कार्यक्रम के साथ 521.61 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिनांक 20 जून, 1965 को परियोजना अनुमोदित की गई थी।

3. भारत पेट्रोलियम लिमिटेड की बंबई-मनमाड पाइपलाइन

सरकारी अनुमोदन की तारीख से 36 माह के पूर्णता कार्यक्रम के साथ 398.62 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिनांक 19 अप्रैल, 1995 को परियोजना अनुमोदित की गई थी।

(ङ) से (च) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की कोचीन-करूर पाइपलाइन।

2. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की बीना झांसी-कानपुर। पाइपलाइन।

3. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की देवगढ़-मीरज पाइपलाइन।

4. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की मंगलौर-बंगलौर पाइपलाइन।

उपर्युक्त पाइपलाइनों से संबंधित प्रस्ताव निवेश अनुमोदनों के विभिन्न स्तरों पर हैं।

[हिंदी]

कोयला खानों में चोरी

3114. **श्री सुकेदव पासवान** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईस्टर्न कोल लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आदि के बहुत से कोयला खान प्रतिष्ठानों के मैग्रीज भंडारों से विस्फोटक पदार्थों के लूटे जाने, उनकी चोरी तथा तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) 1994-95 के दौरान बारूदखानों से विस्फोटक सामग्री की चोरी के पांच मामले हुए हैं; जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है—

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	—	2
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	—	1
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	—	1
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	—	1

(ख) और (ग) विस्फोटों की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

(i) किसी गुप्त क्रियाकलाओं के संबंध में अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए आसूचना कक्ष का गठन किया गया है;

(ii) कोयला कंपनियों के क्षेत्रों तथा मुख्यालयों में टास्क फोर्स का गठन करके विस्फोटन भंडार की अचानक जांच;

(iii) कंपनी के सुरक्षा बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल तथा स्थानीय पुलिस द्वारा चौकसी;

(iv) विस्फोटक सामग्री से संबंधित कर्मचारियों के पूर्व जीवन-कृत की प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुलिस द्वारा जांच करना;

(v) पिट हैड में किए जा रहे कार्य के पश्चात् खान से जाने वाले सभी व्यक्तियों की शारीरिक जांच;

(vi) विस्फोटक के अनिधिकृत रखने की क्रिया को रोकने के लिए अधिकृत रूप में विस्फोटक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर लेना।

(vii) कार्य करने वाले व्यक्तियों को पहचान-पत्र दिए गए हैं ताकि अधिकृत व्यक्ति को ही विस्फोटक सामग्री दी जा सके;

(viii) ट्रांजिट स्लिप प्रणाली अपनाई जा रही है;

(ix) रोकथाम उपाय के रूप में विस्फोटक भंडार के चारों ओर परिधीय दीवार तथा कंटीली तारों की बाड़ लगाना;

(x) बारूद खाने में चौकसी टावर, सायरन तथा उचित प्रकाश की व्यवस्था करना;

(xi) सुरक्षा स्टाफ द्वारा तथा रात में बंदूकधारियों द्वारा 24 घंटे विस्फोटक भंडार की निगरानी करना;

(xii) विस्फोटक ले जाते समय सुरक्षा प्रावधानों के बंदूकधारी तथा प्रशिक्षित बंदूकधारी, बंदूक रखने की अनुमति सहित उपलब्धता के अनुसार लागू की जा रही है;

(xiii) उपद्रवी तत्वों द्वारा तोड़-फोड़/खोले जाने के संबंध में रोकथाम करने के लिए विस्फोटक भंडार के दरवाजे पर दुहरे गड़ 'गोदरेज' ताले लगाना; और

(xiv) अपराध/चोरी तथा चोरी रोकने के लिए बाद की कार्यवाही की पुनरीक्षा करने के लिए जिला प्राधिकारियों/पुलिस के साथ बैठकों की व्यवस्था किया जाना।

[अनुवाद]

विदेशी संदाय (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति

3115. श्री शरत पटनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी संदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इसे और अधिक सरल बनाना एक सतत् चलते रहने वाली प्रक्रिया है तथा इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

रेलगाड़ियों में डकैती/लूट की घटनाएं

3116. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री शिव शरण वर्मा :
श्री एस. एस. आर. राजेन्द्र कुमार :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में रेलगाड़ियों में डकैती/लूट की घटनाएं आम हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान जोन-वार ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) चलती हुई रेलगाड़ियों में 1993 और 1994 के दौरान लूटपाट के मामलों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। सरकार जोन-वार सूचना नहीं रखती है।

विवरण

चलती हुई गाड़ियों में वर्ष 1993 और 1994 के दौरान लूटपाट के मामलों का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लूटपाट	
		1993	1994
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2	
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	
3.	असम	9	18
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
5.	बिहार	28	20
6.	चंडीगढ़	—	—
7.	दमन और दीव	—	—
8.	दादरा और नगर हवेली	—	—
9.	दिल्ली	—	—
10.	गोवा	—	—
11.	गुजरात	5	14
12.	हरियाणा	—	—
13.	हिमाचल प्रदेश	—	—
14.	जम्मू और कश्मीर	—	—
15.	कर्नाटक	—	3
16.	केरल	—	1
17.	लक्षद्वीप	—	—
18.	मध्य प्रदेश	15	13
19.	महाराष्ट्र	60	62
20.	मणिपुर	—	—
21.	मेघालय	—	—
22.	मिजोरम	—	—

1	2	3	4
23.	नागालैंड	—	—
24.	उड़ीसा	—	2
25.	पंजाब	—	—
26.	पांडिचेरी	—	—
27.	राजस्थान	—	—
28.	सिक्किम	—	—
29.	तमिलनाडु	6	4
30.	त्रिपुरा	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	48	67
32.	पश्चिम बंगाल	—	—
	योग	173	204

नोट : 1. सूचना, राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त मासिक विवरणियों पर आधारित है।

2. (-) का अर्थ है 'शून्य' रिपोर्ट।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना

3117. श्री अनंतराव देशमुख : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतरिम/अंतिम रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह योजना कब तक प्रारंभ कर दी जाएगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (जिसे अब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है (को 1995-96 के केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के परामर्श से योजना के ब्यौरे तैयार किए हैं। इस समिति की रिपोर्ट अब प्रस्तुत हो चुकी है और यह योजना 15 अगस्त, 1995 से शुरू हो गई है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं—

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में तीन घटक हैं, अर्थात्

(1) वृद्धावस्था पेंशन

(2) पारिवारिक लाभ

(3) मातृत्व लाभ

वृद्धावस्था पेंशन घटक के अंतर्गत 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के निराश्रित व्यक्ति 75 रुपए प्रतिमास पेंशन प्राप्त करेंगे। पारिवारिक लाभ घटक के अंतर्गत, गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार में 20-64 वर्ष के आयु समूह में प्राकृतिक कारणों से मुख्य आजीविका कमाने वाले की मृत्यु के मामले में शोक संतप्त परिवार को 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दुर्घटनावश मृत्यु के मामले में सहायता की राशि 10,000 रुपए होगी। मातृत्व लाभ घटक के तहत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवार से संबंधित 19 वर्ष या उससे अधिक की गर्भवती महिला को पोषक भोजन के लिए पहले दो बच्चों तक एकमुश्त 300 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

संचार रेंज का कम उपयोग

3118. श्री विजय कृष्ण हांडिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन कंपनियों और प्रसारकों द्वारा संचार रेंज के कम उपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कम उपयोग का कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) अभी तक टेलीफोन सेवाएं दूरसंचार विभाग तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इन एजेंसियों ने संचार के लिए रेडियो आवृत्ति स्पैक्ट्रम का प्रयोग करके बड़ी संख्या में विविध रेडियो प्रणालियों, स्थलीय एवं उपग्रह-आधारित प्रणालियों में अपना विस्तार किया है।

इस समय देश में प्रसारण सेवा, केवल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा प्रदान की जा रही है। इन एजेंसियों ने प्रसारण के लिए रेडियो स्पेक्ट्रम का भरपूर उपयोग किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तेल निकालना

3119. डॉ. साबीजी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश में तेल निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कच्चे तेल पर राज्य सरकार को कोई रायल्टी दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। परंतु भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और वेधन के माध्यम से अब तक अर्जित आंकड़ों को बेसिन की प्रत्याशितता के विस्तारपूर्वक

विश्लेषण के लिए संश्लेषित और संसाधित किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल का कभी कोई उत्पादन नहीं हुआ और इसीलिए किसी स्वत्व-शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

[हिंदी]

दिल्ली में बम का पता लगाना

3120. **डॉ. रमेश चंद तोमर :**
श्री रामपाल सिंह :
श्री मोहन रावले :
श्री पंकज चौधरी :
प्रो. एम. कामसन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले आई. आर. सी. ए., रेलवे कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र, नई दिल्ली में एक शक्तिशाली बम खोज लिया गया था;

(ख) क्या ऐसा प्रशंसनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को इनाम दिया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या सरकार का भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की घटनाएं न होने देने के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) थाना-पहाड़ गंज, नई दिल्ली में 28 जुलाई, 1995 को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के अधीन दर्ज मामले की जांच अभी चल रही है।

(ङ) से (च) जनता में जागरूकता और सतर्कता ही सर्वाधिक प्रभावी निवारात्मक उपाय हैं और जनता को सतर्कता एवं सावधानी के कारण ही, मौजूदा मामले में डिवाइस का समय से पता लग गया। जनता में जागरूकता पैदा करने में मदद के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(i) पुलिस के गश्ती दलों को नियमित रूप से ब्रीफ किया जाता है और उनसे सावधान एवं चौकस रहने को कहा जाता है।

(ii) दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों के कुलियों को कहीं पर भी पड़ी किसी संदेहास्पद वस्तु की सूचना देने के बारे मे समझाया गया है; जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर जन-संबोधन प्रणाली से थोड़े-थोड़े समय बाद उद्घोषणाएं भी की जाती हैं।

(iii) वन निरोधी दस्तों और डॉग स्कवाड की सहायता से रेलवे प्लेट फार्मों पर तोड़-फोड़ निवारक जांच भी की जाती है।

(iv) धातु खोजी यंत्रों की मदद से पहुंच-नियंत्रण व्यवस्था सुदृढ़ की गई है।

(v) पार्किंग स्थलों की जांच की जाती है और उनके ठेकेदारों को खासतौर पर, किसी विस्फोटक सामग्री का पता लगाने हेतु स्कूटरों/कारों की जांच करने के लिए कहा गया है।

(vi) ट्रैक पर गश्त लगाने और रेलगाड़ियों में जांच करने के लिए समय-समय पर होमगार्डों और पुलिस मार्ग-रक्षियों को लगाया जाता है।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल के खुदरा विक्रय केंद्रों के आवंटन हेतु मानदंड

3121. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल के खुदरा विक्रय केंद्रों का आवंटन करने तथा रसोई गैस के वितरण के अधिकार (डिस्ट्रीब्यूटरशिप) प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) पिछली बाजर से ये मानदंड कब निर्धारित किए गए थे और इसका क्या आधार है;

(ग) क्या सरकार का विचार खुदरा विक्रय केंद्रों के आवंटन तथा वितरण अधिकार (डिस्ट्रीब्यूटरशिप) प्रदान करने हेतु आवेदकों की वर्तमान आयु सीमा में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसमें कब तक परिवर्तन किया जाएगा;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इस डीलरशिप के लिए आरक्षण सुविधाएं अन्य पिछड़ी जातियों को भी प्रदान करने का है; और

(छ) यदि हां, तो यह सुविधाएं कब तक प्रदान की जाएंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए उद्योग आधार पर एक समान नीति प्रथम बार सितंबर, 1977 में अपनाई गई थी। तेल विपणन कंपनियों के वाणिज्यिक हितों और सरकार के सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त नीति/दिशानिर्देशों में समय-समय पर संशोधन किया गया है। मौजूदा नीति के अनुसार डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति, विपणन योजना में सम्मिलित स्थानों के विज्ञापन और राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता, निवास-स्थान, आय और बहु-डीलरशिप मानकों संबंधी पात्रता मापदंड पूरे करने वाले उम्मीदवारों की तेल चयन बोर्डों द्वारा साक्षात्कारों के आधार पर चयन की प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। आरक्षण निम्नलिखित श्रेणियों को दिया जाता है—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25 प्रतिशत
शारीरिक विकलांग	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
रक्षा	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी	3 प्रतिशत

उत्कृष्ट खिलाड़ी	2 प्रतिशत
मुक्त	55 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त कुछेक डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुकंपा आधार पर सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत भी आवंटित की जाती हैं।

(ग) से (घ) फिलहाल आरक्षण और आय मानकों सहित मौजूदा डीलरशिप नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डाक सेवा

3122. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :**
श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :
श्री गोविंदराव निकम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूरियर सेवाओं द्वारा देश के प्रत्येक भाग में डाक सेवाओं का संचालन किया जा रहा है और वे ग्राहकों से मनमाने ढंग से सेवा प्रभार ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में निर्देश जारी करेगी या सेवा प्रभारों के लिए कोई सीमा निश्चित करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जन संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। प्राइवेट कूरियर एजेंसियों द्वारा इस समय वसूल किया जाने वाला प्रभार द्वारा विनियमित नहीं है।

(ख) से (घ) जब तक प्राइवेट कूरियर सेवाओं को सरकार के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाने के लिए भारतीय डाकघर अधिनियम, 1889 में यथोचित संशोधन नहीं किया जाता, तब तक इसके अधीन कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए जा सकते।

डॉ. अम्बेडकर पुरस्कार

3123. **श्री एम. जी. रेड्डी :**
डॉ. आर. मल्लू :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दलित वर्गों के लिए काम कर चुके सुपात्र व्यक्तियों और संस्थानों हेतु एक वार्षिक 'डॉ. अम्बेडकर पुरस्कार' प्रारंभ किया है;

(ख) क्या सेवारत नौकरशाह भी पुरस्कार पाने हेतु अर्ह हैं;

(ग) क्या सेवाकाल में ऐसे पुरस्कारों को स्वीकार करना सिविल सेवकों की आचार संहिता के विरुद्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि अनैतिक अधिकारी ऐसे पुरस्कारों को अपने लिए चालबाजी से न हथिया सकें ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा अनुमोदित की गई प्रक्रिया संहिता के अनुसार रंग, जाति वर्ण, लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह इस पुरस्कार के पात्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीसारहित पेट्रोल के खुदरा बिक्री केंद्र.

3124. **श्री शीवल्लभ पाण्डिग्रही :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1995 के अनुसार सीसारहित पेट्रोल के स्टाक वाले खुदरा बिक्री केंद्रों की नगरवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को सीसारहित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए समुचित नेटवर्क के अभाव के कारण केटेलिक कनवर्टर वाले वाहनों के मालिकों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ग) क्या सरकार के पास इस नेटवर्क का पूरे देश में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) चार महानगरों में और इन महानगरों से निकलने वाले रेडियल मार्गों पर सीसारहित पेट्रोल की आपूर्ति करने वाले खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या दिनांक 1-8-95 की स्थिति के अनुसार निम्नवत् है—

	नगर	राजमार्ग/रेडियल मार्ग	योग
दिल्ली	83	15	98
बंबई	35	5	40
कलकत्ता	31	5	36
मद्रास	10	4	14
योग	159	29	188

(ख) से (घ) तेल उद्योग द्वारा लगाए गए, सीसारहित पेट्रोल की मांग के मूल्य के आधार पर खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या निर्धारित की जाती है जिसमें मांग में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ोतरी होती रहेगी ताकि ग्राहकों को उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।

[हिंदी]

तेल और गैस की खोज

3125. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन-किन स्थानों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए खोज का कार्य किया जा रहा है; और

(ख) इस संबंध में अब तक विशेष रूप से हजारीबाग, कुजू और नवादा जिलों में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बिहार के बहादुरजंग—अररिया क्षेत्र में भूकंपी आंकड़ों के अर्जन के रूप में अन्वेषण जारी है।

(ख) इन जिलों में कोई अन्वेषण कार्य नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस का आवंटन

3126. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
डॉ. लाल बहादुर रावल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी से सितंबर, 1990 तक गैस पर आधारित कुछ विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति हेतु सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी को भेजी थी तथा सी. ई. ए. ने पेट्रोलियम मंत्रालय/गैस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा इन परियोजनाओं के लिए गैस का आवंटन न किए जाने के कारण अपनी तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान नहीं की है;

(ख) क्या केंद्र सरकार को इन परियोजनाओं के लिए गैस के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए गैस का आवंटन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आर. डी. एक्स. का ट्रांसशिपमेंट

3127. **श्रीमती विभू कुमारी देवी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन. एस. सी. एन.) के स्वयंभू 'वित्त सचिव' ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें ढाका स्थित पाकिस्तानी राजनयिक अधिकारियों से अमरीकी डालर में बड़ी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एन. एस. सी. एन. जैसे भूमिगत ग्रुपों को पाकिस्तान निर्मित आर. डी. एक्स. की बड़ी मात्रा में आपूर्ति संबंधी कोई साक्ष्य मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) पूछताछ से पता चला है कि एन. एस. सी. एन. ने ढाका में पाकिस्तानी दूतावास से 10 लाख बंगलादेशी टके की राशि प्राप्त की थी। पाकिस्तान मूल के आर. डी. एक्स. को उत्तर-पूर्व में एन. एस. सी. एन. जैसे भूमिगत ग्रुपों की आपूर्ति के बारे में सरकार के पास कोई निश्चित रिपोर्ट नहीं है।

[हिंदी]

प्राकृतिक गैस की आवश्यकता

3128. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :**
डॉ. रमेश चंद तोमर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विभिन्न औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक गैस की कुल आवश्यकता का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्राकृतिक गैस की कुल आवश्यकता की तुलना में गैस का उत्पादन कितना है; और

(घ) गैस का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने 1999-2000 ईस्वी तक 146.56 एम एम एस सी एम डी गैस की मांग का अनुमान लगाया है।

(ग) इस शताब्दी के अंत तक गैस की उत्पादन क्षमता के लगभग 90 एम एम एस सी एम डी होने का अनुमान है।

(घ) फिलहाल प्राकृतिक गैस का उत्पादन गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा से किया जा रहा है।

कोयले की आवश्यकता

3129. **श्री दत्ता मेघे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पिछले एक वर्ष के दौरान कोयले की घरेलू और औद्योगिक अलग-अलग आवश्यकता कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य को वास्तव में कितने कोयले की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या केंद्र सरकार का महाराष्ट्र को निकट भविष्य में अतिरिक्त कोयला आवंटन करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोयले की आवश्यकता का मूल्यांकन समग्र देश के लिए उद्योग/क्षेत्रवार किया जाता है और न कि इसका राज्य-वार। किंतु कोल इंडिया लिमिटेड (को. इं. लि.) उपभोक्ताओं द्वारा संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई प्रायोजकता के अनुसार प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के आधार पर कोयले की आपूर्ति करती है। घरेलू खपत के लिए साफ्ट कोक की आपूर्ति को भी सरकार द्वारा किए गए निपटान के अनुसार कोयला कंपनियों द्वारा व्यवस्था की जाती है। विद्युत तथा सीमेंट उद्योगों को कोयले की आपूर्ति स्याई संयोजन समिति (अल्पकालिक) द्वारा स्थापित इन क्षेत्रों के लिए अल्पकालिक संयोजन के आधार पर की जाती है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को कोयले की वास्तविक आपूर्ति 27.76 मि. ट. की गई।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सहित सभी उपभोक्ताओं को कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोयला कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कोयला/कोक के अतिरिक्त नियतन के लिए अनुरोध पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार/जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, कई कोलियरियों से उदारीकृत विक्री योजना के अंतर्गत कोयले की पेशकश की जा रही है। जिस योजना के अंतर्गत किसी संयोजन/प्रायोजकता के बिना कोयले की आपूर्ति की जाती है। इस योजना के अंतर्गत थोक विक्री व्यापारियों/छोटे व्यापारियों को भी कोयले की आपूर्ति की जा रही है, जोकि छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

संसद सदस्यों के लिए विकास योजनाएं

3130. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 में संसद सदस्यों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितनी सफलता हासिल हुई है;

(घ) क्या 1995-96 के दौरान इस योजना के लिए आवंटन में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) से (ग) इस योजना के अंतर्गत किए गए व्यय के संबंध में पूर्ण सूचना अभी-अभी कलेक्टरों से प्राप्त की जानी है। उक्त सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी। चूंकि यह योजना हाल ही में शुरू की गई है, अतः सरकार द्वारा उसकी व्यापक तथा गहन समीक्षा अभी तक नहीं की गई है। कुछ कलेक्टरों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि अभी तक 42 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खानों में होने वाली दुर्घटनाएं

3131. **श्री खेलन राम जांगड़े :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 1989 से 1994 के दौरान कोयला खानों में हुई गंभीर दुर्घटनाओं की जांच का कार्य अभी पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उन दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी जांच पूरी कर ली गई है और जिनकी जांच अभी भी पूरी करनी है; और

(ग) दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 1989 से 1994 की अवधि दौरान कोयला खानों की सभी दुर्घटनाएं, जिनमें कि एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और जिन मामलों में कुछ गंभीर दुर्घटानाएं हुई हैं, उनकी खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जांच की गई है।

(ख) और (ग) 1989 से 1994 की अवधि के दौरान ऐसी दो दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कि सरकार ने अदालती जांच का गठन किया है, जिससे कि दुर्घटना होने के कारणों तथा परिस्थितियों का पता चल सके। ऐसी प्रथम दुर्घटना दिनांक 13-11-1989 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की महावीर कोलियरी में हुई थी, जिसमें 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इस दुर्घटना की जांच का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के नाम नीचे दिए गए हैं।

1. मोहम्मद कलीम, एजेंट-सह-प्रबंधक

2. श्री पी. एल. बनर्जी, सुरक्षा अधिकारी

3. श्री एन. के. दत्ता, सहायक प्रबंधक

इन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 27-5-92 को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट आसनसोल की अदालत में खान अधिनियम, 1952 की धारा 72ग(1)(क) के अंतर्गत अभियोग चलाया गया है।

दूसरी ऐसी दुर्घटना जोकि दिनांक 25-1-94 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की न्यू केंडा कोलियरी में हुई थी, उक्त दुर्घटना में 55 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इस दुर्घटना की अदालती जांच की कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है।

अश्लील फिल्में

3132. **डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया** . क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में तमाम अश्लील फिल्में दिखाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाए गए; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबंधित फिल्मों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) सरकार को फिल्मों में बढ़ रहे अश्लील दृश्यों के संबंध में समय-समय पर शिकायतें/खबरें प्राप्त होती हैं। इन रिपोर्टों को सिद्ध करने के लिए, किसी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सभी फिल्में केवल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही प्रदर्शित की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अश्लीलता के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किसी फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई थी।

[अनुवाद]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में उत्पादन

3133. **डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दामोदर घाटी निगम विद्युत प्रणाली में गड़बड़ी होने के कारण भारत-कोकिंग कोल लिमिटेड की सभी खानों में उत्पादन पूर्णतः रुक गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप कुल कितनी धनराशि और उत्पादन का नुकसान हुआ ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड (को. इं. लि.) ने सूचित किया है कि दिनांक 27-7-1995 को 1740 बजे और पुनः दिनांक 29-7-95 को 2040 बजे दामोदर घाटी निगम ग्रिड सिस्टम में बिजली की व्यवस्था पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गई थी। इन दोनों अवसरों पर क्रमशः लगभग 46 घंटे तथा 47 घंटे के बाद ही विद्युत की आपूर्ति सामान्य रूप में बहाल की जा सकी। इसकी बीच की अवधि में नाममात्र की विद्युत की आपूर्ति बहाल की जा सकी थी, जो कि सुरक्षा उपायों को बनाए रखने के लिए ही पर्याप्त थी, जैसे पम्पिंग और हवा की आवाजाही, आदि। उपर्युक्त अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन में वाशरियों के क्रियाकलापों के मामले में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा. को. को. लि.) बुरी तरह प्रभावित हुई।

(ग) भा. को. को. लि. द्वारा कोयले के उत्पादन में कुल हानि बिजली की उपरोक्त खराबी के कारण लगभग 52,000 टन (अनंतिम) की हुई। इसके अलावा धुले कोयले के उत्पादन में भी 17,500 टन (अनंतिम) सीमा तक हानि होने की सूचना मिली है।

निजी क्षेत्र/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम

3134. **श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम वर्ष 1995-96 के दौरान निजी कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ इस संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान संयुक्त उद्यमों हेतु अब तक कितने समझौते किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) भारत सरकार ने संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अधीन 28 ब्लाकों में तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए निजी कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की हैं। आगे ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ एन जी सी-वी एल) जो ओ एन जी सी की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है, मैसर्स एन सर्च इंडिया इंक टेक्सास यू एस ए के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसरण में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की योजना बना रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राजस्थान में ब्लाक आर जे-ओ एन-90/1 के अंतर्गत तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए भारत सरकार/आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन तथा शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट वी. वी. नीदरलैंड के बीच एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिंदी]

बिहार में एस. टी. डी./पी. सी. ओ. केंद्र

3135. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले बिहार के विभिन्न शहरों विशेष रूप से दरभंगा जिले में एस. टी. डी./आई. एस. डी. केंद्रों के आवंटन के लिए विज्ञापन दिया था;

(ख) क्या एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी इनका आवंटन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे केंद्रों के आवंटन के लिए कौन-से मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ङ) इन केंद्रों का आवंटन कब तक कर दिया जाएगा ?

जन संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है, जिसे सदन-पटल रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पश्चिमी कोसी नहर

3136. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या जन संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कमला नदी पर नाले के निर्माण सहित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के निर्माण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार का विचार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए बिहार सरकार को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नहर को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

जन संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना प्रतिपादन,

वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनके योजना संसाधनों से किया जाता है। केंद्रीय सहायता एकमुश्त ऋण और अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह विकास के किसी विशेष क्षेत्र से संबद्ध नहीं होती। कमला नदी पर साइफन, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का एक हिस्सा है। बिहार राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजना 1995-96 के प्रारूप में इस परियोजना के लिए 30.50 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इस परियोजना को 1997-98 में पूरा करने का कार्यक्रम है।

[हिंदी]

बाड़ लगाना तथा फ्लड लाइटिंग लगाना

3137 **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री मोहन रावले :
श्री पंकज चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने और फ्लड लाइट लगाने के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया है ताकि आई एस आई की गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार इस संबंध में क्या उपाय कर रही है;

(घ) बाड़ लगाने और फ्लड लाइट लगाने पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) राजस्थान सीमा पर बाड़ लगाना/तेज रोशनी की व्यवस्था करना—

(क) गंगा नगर तथा बीकानेर सेक्टर

क्रमशः लगभग 334 कि. मी./352 कि. मी. में सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का काम कुल 111.89 करोड़ रुपए की लागत पर पहले ही वर्ष 1992 में पूरा कर लिया गया था।

(ख) जैसलमेर सेक्टर (प्रथम चरण : 121 कि. मी.)

कुल मिलाकर 121 कि. मी. क्षेत्र में बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का काम भी 48.63 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मार्च, 1995 तक पूरा कर लिया गया है।

(ग) बाड़मेर सेक्टर (द्वितीय चरण : 146 कि. मी.)

इस सेक्टर में 146 कि. मी. लंबी बाड़ लगाने के काम को 31 दिसंबर, 1995 तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित किया है। 146 कि. मी. के इस क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था का काम अधिकांशतः पूरा कर लिया गया है। इन कार्यों की अनुमानित लागत 60.04 करोड़ रुपए है।

(घ) बाड़मेर सेक्टर (तृतीय चरण : 120 कि. मी.)

इस क्षेत्र में और आगे 120 कि. मी. में बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था के काम को 51.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 30 जून, 1996 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

जम्मू व कश्मीर सीमा पर बाड़ लगाना/तेज रोशनी की व्यवस्था करना

जम्मू सेक्टर में 71.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 180 कि. मी./195.8 कि. मी. क्षेत्र में क्रमशः बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने के काम को संस्वीकृत किया गया है। इन कार्यों को 31 मार्च, 1996 तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित किया है।

अन्य उपाय

सरकार द्वारा आई. एस. आई. की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपाय भी किए गए हैं जिनमें, संबंधित एजेंसियों को सुग्राही बनाना, आसूचना तंत्र को सुधारू बनाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी का कम करना, गश्त/नाकाओं की संख्या में वृद्धि करना, निगरानी बुर्जों का निर्माण करना, सीमा पर गश्त को गहन करना, दिन और रात के दौरान प्रभावी ढंग से निगरानी रखने के लिए विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति करना तथा सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना आदि शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन-एक्सचेंज

3138. श्री फूलचंद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक कितने प्रतिशत टेलीफोन-एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) वे कौन-से स्थान हैं, जहां वर्ष 1995-96 के दौरान नए टेलीफोन-एक्सचेंज खोलने का विचार है; और

(ग) राज्य-वार उन ग्राम-पंचायतों का ब्यौरा क्या है, जहां वर्ष 1994-95 के दौरान टेलीफोन-सुविधा उपलब्ध की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : 30-4-1995 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में संस्थापित टेलीफोन-एक्सचेंजों का प्रतिशत देश में कुल संस्थापित एक्सचेंजों का 13.03 है।

(ख) (i) विभाग की नीति के अनुसार, किसी स्थान पर नया टेलीफोन-एक्सचेंज 10 अथवा इससे अधिक भुगतान-शुदा मांग होने पर खोला जाता है।

(ii) मध्य प्रदेश में 1995-96 के दौरान लगभग 200 स्थानों पर नए टेलीफोन-एक्सचेंज खोले जाने की योजना है। इसमें से 10 स्थानों पर टेलीफोन-एक्सचेंज पहले ही खोले जा चुके हैं। इन स्थानों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) संलग्न विवरण-II में दिए अनुसार।

विवरण-I

उन स्थानों के नाम, जहां 1995-96 के दौरान (31-7-1995 की स्थिति के अनुसार) नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा चुके हैं

क्र.	स्थान का नाम
1	2
1.	डूंगरगढ़ (जिला दुर्ग)

1	2
2.	सानाखंड (जिला खरगोन)
3.	परसोली (उज्जैन जिला)
4.	भानोडी (छिंदवाड़ा जिला)
5.	सिंघड़ा-पिपरी गांव (जिला-गुना)
6.	नानडेल (देवास जिला)
7.	लेडगांव (धार जिला)
8.	मनवेली (जगदलपुर जिला)
9.	आकाशनगर (जगदलपुर जिला)
10.	भैयाथान (जिला अंबिकापुर)

विवरण-II

मध्य प्रदेश दूरसंचार-सर्किल में 1994-95 के दौरान जिला ग्राम-पंचायतों में टेलीफोन-सुविधा प्रदान की गई, उनके जिलेवार ब्यौरे—

क्र. सं.	जिला	ग्राम-पंचायत
1	2	3
1.	बालाघाट	29
2.	बस्तर	6
3.	बेतूल	45
4.	भिंड	136
5.	भोपाल	35
6.	बिलासपुर	110
7.	छतरपुर	33
8.	छिंदवाड़ा	150
9.	दमोह	22
10.	दतिया	31
11.	देवास	100
12.	धार	140
13.	दुर्ग	49
14.	गुना	102
15.	ग्वालियर	47
16.	होशंगाबाद	40
17.	इंदौर	98
18.	जबलपुर	198
19.	झाबुआ	23
20.	खंडवा	50
21.	खरगौन	184
22.	मांडला	18
23.	मंदसौर	150
24.	मुरैना	197
25.	नरसिंहपुर	34
26.	पन्ना	31
27.	राघगढ़	75
28.	रायपुर	254
29.	रायसेन	160
30.	राजगढ़	202
31.	राजनंदगांव	26
32.	रतलाम	106
33.	रीवा	61
34.	सागर	65
35.	सरगुजा	33
36.	सतना	94
37.	सिहोर	56
38.	सिवनी	23
39.	शहडोल	116
40.	शाजापुर	208
41.	शिवपुरी	108
42.	सीधी	60
43.	टीकमगढ़	5
44.	उज्जैन	30
45.	विदिशा	250
	योग	3999

टेलीफोनों का प्रावधान

3139. डॉ. गुणवंत रामभाऊ सरोदे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक जिले में प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या में कमी लाने के लिए टेलीफोन उपलब्ध करने की कोई विशिष्ट योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावनाएं हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में समूचे देश में 1997 तक मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार, दूरसंचार विभाग द्वारा देश के नेटवर्क में 7.5 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन जोड़े जाने की योजना है जिसके लिए 40555 करोड़ रुपए की निधियों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया था और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति ,1994 में, निजी क्षेत्र द्वारा 2.5 मिलियन अतिरिक्त लाइनें प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 द्वारा निर्धारित परिशोधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा 1997 तक लगभग 15500 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश करने की परिकल्पना इस नीति में है।

[अनुवाद]

मथुरा तेलशोधक कारखाने से प्रदूषण

3140. **श्री गया सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मथुरा तेलशोधक कारखाने से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रदूषण से ऐतिहासिक स्मारक ताज महल प्रभावित हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रचनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मथुरा तेलशोधक कारखाने से होने वाले प्रदूषण पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) मथुरा रिफाइनरी के गैस वाले निस्सरण निर्धारित पर्यावरणीय सीमाओं/मानकों के भली-भांति भीतर है।

उक्त रिफाइनरी से निस्सरण के स्तर को और कम करने के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की योजना भी बनाई गई है—

(i) भट्टियों/वायलरों में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल, और

(ii) नई सल्फर निकासी इकाइयों सहित हाइड्रोक्रेकर संयंत्र की स्थापना के माध्यम से स्वच्छतर प्रौद्योगिकी का अपनाना।

'कैश एंड कैरी सिस्टम' पर प्रतिबंध

3141. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस संबंधी 'कैश एंड कैरी सिस्टम' पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब से लगाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रतिबंध के बावजूद यह प्रणाली अभी भी प्रचलित है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 22 फरवरी, 1993 की अधिसूचना के द्वारा ग्राहकों के परिसर में एल पी जी सिलिंडरों की सुरक्षित सुपुर्दगी हेतु भुगतान करो और ले जाओ प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) जी, हां। विस्तार केंद्रों पहाड़ी बाजारों प्रतिरक्षा स्थापनाओं, परियोजना डिस्ट्रीब्यूटरशिपों, अंतरण वाउचरों/मंत्रालय तथा सांसदों के प्राथमिकता कनेक्शन जोकि डिस्ट्रीब्यूटरों के प्रचालन क्षेत्र के बाहर रह रहे हैं जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में भुगतान करो और ले जाओ प्रणाली अब तक जारी है।

(घ) तेल कंपनियों के क्षेत्राधिकारी उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित मामलों में तथा ऐसे मामलों में जहां स्थानीय प्रशासन स्थानीय स्थिति पर निर्भर करते हुए आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भुगतान करो और ले जाओ सुपुर्दगी की मांग करता है के सिवाय शत-प्रतिशत घर पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के नियमित निरीक्षण करते हैं।

तेल चयन बोर्ड के सदस्य

3142. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में तेल चयन बोर्डों का गठन किया गया है तथा प्रत्येक बोर्ड का अध्यक्ष एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी चयन बोर्ड में कोई न्यायाधीश सदस्य/अध्यक्ष के पद पर नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन बोर्डों में अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को कब तक नामित करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) 1-1-1993 को सृजित 18 राज्यवार/क्षेत्रवार तेल चयन बोर्डों की तुलना में फिलहाल 14 तेल चयन बोर्ड कार्यरत हैं। राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए तेल चयन बोर्डों का गठन किया जाना है। प्रत्येक तेल चयन बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है, जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है तथा सदस्यों के रूप में दो सुविख्यात व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक सदस्य अ. जा./अ. ज. जा./समाज के अन्य कमजोर वर्गों का होता है।

[हिंदी]

मेवाड़ भील कोर

3143. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को मेवाड़ भील कोर (एम. बी. सी.) को एक राष्ट्रीय स्तर का बल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक राष्ट्रीय स्तर के बल में शामिल कर लिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भूमिगत जल स्तर

3144. श्री बी. एल. शर्मा 'प्रेम' : क्या जल संसाधन मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दशक के दौरान दिल्ली में भूमिगत जल स्तर कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) केंद्रीय भूजल बोर्ड के अवलोकन से यह पता चला है कि महरोली प्रखंड में 6-8 मीटर, अलीपुर, नजफगढ़, नांगलोई और शहर प्रखंडों में 2-5 मीटर एवं शाहदरा प्रखंड में 1-2 मीटर तक भूजल स्तरों में गिरावट आई है।

(ख) दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में भू-जल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण अधिक मात्रा में पानी का निकाला जाना और भू-जल के पुनर्भरण में कमी होना है।

(ग) केंद्रीय भू-जल बोर्ड ने केंद्र प्रायोजित योजना 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में अध्ययन' पर कार्रवाई प्रारंभ की है जिसमें दिल्ली के लिए प्रायोगिक प्रचालनात्मक परियोजना भी शामिल है। बोर्ड ने भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण के बारे में दिशानिर्देशों के रूप में सहायता करने के लिए एक नियम पुस्तिका तैयार की है और उसे दिल्ली सहित सभी राज्यों को परिचालित किया है।

स्थानीय रेडियो/टी. वी. स्टेशन

3145. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस देश में स्थानीय रेडियो और दूरदर्शन केंद्रों के उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) राजस्थान में 30 जून, 1995 तक इस संबंध में क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ग) चालू योजना की शेष अवधि के लिए इस संबंध में क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) विद्यमान ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने और विद्यमान स्टूडियो सुविधाएं बढ़ाने के लिए अनेकों स्कीमें फिलहाल देश के विभिन्न स्थानों पर कार्यान्वयनाधीन हैं।

आकाशवाणी के पास राजस्थान में स्थानीय रेडियो केंद्रों के उन्नयन की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, लालसोट में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के उन्नयन एवं उदयपुर में कार्यक्रम निर्माण केंद्र की स्थापना की स्कीमें वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं। आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए अजमेर, अनूपगढ़, बीकानेर और नाथद्वारा में स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नयन किए जाने का विचार है।

फ्रांस से भूकंप संबंधी उपकरणों का आयात

3146. श्री के. प्रधानी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड ने फ्रांस से एक भूकंपीय उपकरण आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उपकरण की खरीद के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी गई है;

(ग) क्या इस फ्रांसिसी उपकरण की लागत तथा अन्य पहलुओं का आकलन करने हेतु कोई तकनीकी विशेषज्ञ का चयन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है तथा इसकी तकनीकी विशेषज्ञता संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने फिलहाल 3-डी भूकंपीय उपस्कर के आयात के लिए कोई विश्वव्यापी निविदा आमंत्रित नहीं की है तथापि वे पहले एक फ्रांसीसी कंपनी से 3-डी भूकंपीय सर्वेक्षण प्रचालनों हेतु एक सर्विस कंट्रेक्ट अनुमोदित कर चुके थे तथा इस सर्विस कंट्रेक्ट के प्रति सर्वेक्षण उपस्कर प्रचालन में है। भूकंपीय सर्वेक्षण संविदा के पूरा होने के पश्चात् ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस उपस्कर को खरीदा गया था।

(ग) और (घ) ऑयल इंडिया लिमिटेड के उपस्कर का निरीक्षण करने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए दिल्ली के मेसर्स एम. चौधरी एंड एसोसिएट्स को मूल्यांकक नियुक्त करने का निर्णय लिया। यह फर्म भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पैनल पर है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों एवं निजी फर्मों के लिए काम करती है तथा इसके स्टाफ में योग्यता प्राप्त कार्मिक हैं।

जल का उपयोग

3147. श्री हरि किशोर सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के साथ बागमती, कोसी, महानंदा एवं अन्य नदियों के जल के उपयोग के संबंध में अधिकारी स्तर पर कोई विचार-विमर्श हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) काठमांडू में 12 से 15 मार्च, 1995 तक भारत और नेपाल के बीच सचिव स्तर की बैठक आयोजित की गई जिसमें दोनों देशों के बीच साझी नदियो पर जल संसाधन में सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया।

(ख) तकनीकी, सरकारी तथा राजनीतिक स्तरों पर विचार-विमर्श को पुनः सक्रिय बनाने पर सहमति हुई।

[हिंदी]

जनगणना कर्मचारी

3148. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने जनगणना कार्य में लगे छंटनी किए गए कर्मचारियों के संबंध में फरवरी 1995 में कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जनगणना कर्मचारियों को पुनः काम पर लेने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छंटनी किए गए कितने जनगणना कर्मचारियों को पुनः काम पर लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय में छंटनीशुदा जनगणना कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने संबंधी किसी स्कीम की व्यवस्था नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1994 की सिविल अपील संख्या 731-69-भारत संघ और अन्य बनाम दिनेश कुमार सक्सेना और अन्य के बारे में दिनांक 24-2-1995 को दिए गए निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जनगणना विभाग में समेकित वेतन पर काम करने वाले पूर्व जनगणना कर्मचारियों को नियमित करने की कोई योजना बनाने के निर्देश देना संभव नहीं है क्योंकि इन अतिरिक्त कर्मचारियों को व्यस्त रखने के लिए स्थायी प्रकृति का कोई पर्याप्त काम नहीं है। माननीय न्यायालय का यह भी मत था कि ऐसे व्यक्तियों को सरकार के किसी अन्य विभाग में विलयित करने के निर्देश भी नहीं दिए जा सकते। शीर्षस्थ न्यायालय ने निर्देश दिए कि न्याय तभी मिलेगा जब जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को ये निर्देश दिए जाएं कि उन प्रतिवादियों को जिन्होंने 1981 और/या 1991 के जनगणना कार्यों के संबंध में अस्थायी आधार पर काम किया था और जिनकी बाद में छंटनी कर दी गई थी, जनगणना कार्य निदेशालय में होने वाली और सीधे भर्ती द्वारा भरी जा सकने वाली नियमित रिक्तियों पर नियुक्त करने पर विचार किया जाए बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी इन पदों के लिए अन्य प्रकार से योग्य और पात्र हों। इस प्रयोजन के लिए, ऐसी नियुक्ति के लिए आयु सीमा में छूट, यदि कोई हो, देने के उद्देश्य से जनगणना कार्य निदेशालय में ऐसे कर्मचारियों द्वारा की गई अस्थायी सेवा की अवधि पर विचार किया जाए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अपीलकर्ता और/या कर्मचारी चयन आयोग नियमित पद पर उनके चयन के लिए ऐसे कर्मचारियों द्वारा जनगणना विभाग में की गई पूर्ववर्ती सेवा और उनके पिछले सेवा रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए उन्हें अतिरिक्त लाभ देने पर विचार करें। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया कि वे इन छटनीशुदा कर्मचारियों को जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश में नियमित पदों पर, ऊपर बताए गए तरीके से सीधी भर्ती किए जाने पर विचार करें। तथापि, छंटनीशुदा कर्मचारियों को स्वयं के बारे में विचार करवाने का अधिकार तभी होगा जब वे संबंधित पद के संबंध में भर्ती नियमों और/या अन्य विभागीय विनियमों/परिपत्रों में निर्धारित किए गए अन्य सभी मानदंडों को पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया जाना

3149. **श्री एम. डेनिस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों को सुरक्षा बल प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष कितनी राशि शुल्क के तौर पर ली गई है;

(ग) उक्त शुल्क किस दर पर निर्धारित किया जाता है;

(घ) क्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंतर्गत और भी एककों को रखा जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) तमिलनाडु में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक इकाइयों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) तमिलनाडु में स्थित औद्योगिक इकाइयों से उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में क्रमशः 804.31 लाख, 755.03 लाख तथा 975.65 लाख रुपए एकत्र किए गए थे।

(ग) शुल्क, वास्तविक खर्च के आधार पर लिया जाता है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, श्रीमान्। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कवर उनसे प्राप्त मांग पर प्रदान की जाती है।

विवरण

1. मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड, मनाली।
2. न्यू टूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, टूटीकोरिन।
3. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास।
4. मद्रास डॉक लेबर बोर्ड, मद्रास।
5. मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना, कलपक्कम।
6. मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड, मद्रास।
7. सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम।
8. लिक्विड प्रोप्लसन टेस्ट फेसलिटी, महेन्द्र गिरी।

9. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, मद्रास।

10. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली।

खराब टेलीफोन लाइनें

3150. **श्री मोहन रावले :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री राजनाथ सोनकार शास्त्री :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1995 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'द मैन विहाइंड द फाल्टी लाइंस' शीर्षक से प्रकाशित की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या विवरणात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) अद्यतन प्रौद्योगिकी में अब तक कितने लाइनमैन प्रशिक्षित किए गए हैं; और

(ङ) टेलीफोन प्रयोक्ताओं को चुस्त और कारगर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से लाइनमैनों को अद्यतन प्रौद्योगिकी और उपस्करों के बारे में प्रशिक्षण देने का भावी कार्यक्रम क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। 23 जुलाई, 1995 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'द मैन विहाइंड फाल्टी लाइंस' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है।

(ख) और (ग) उठाए गए मुद्दे और विभाग का उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) नौकरियों से संबंधित नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करके अब तक 14510 लाइन स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ङ) नौकरियों (जॉब) से संबंधित नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करके शेष स्टाफ के लिए भी 8वीं योजना अवधि के अंत तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किए जाने की योजना है।

विवरण

23-7-95 ग्राहकों द्वारा लाइनमैन को हर बार रिश्वत देनी पड़ती है।	विविध विज्ञापनों के माध्यम से जनता को यह सुझाव दिया जाता है कि वे लाइनमैनों को छोटा-मोटा इनाम न दिया करें। अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए जनता के पास और भी कई रास्ते हैं। इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए महाप्रबंधक की अध्यक्षता में हमारा एक पूर्ण विकसित सतर्कता कक्ष है। ग्राहकों को चाहिए कि वे किसी को कोई रिश्वत न दें और इसकी बजाए विभिन्न सुधारात्मक मंचों का प्रयोग करें।
लाइनमैनों को आधुनिक उपकरण संचालित करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।	हमारे लाइनमैनों का कार्य केवल आउटडोर संयंत्र की खराबियों का पता लगाना तथा उन्हें ठीक करना होता है। इसमें उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त है। बाह्य संयंत्र तो वही रहता है चाहे जिस एक्सचेंज से वह संबद्ध है, वह आधुनिक हो अथवा परंपरागत टाइप का। एक्सचेंज उपस्कर संचालित करने में लाइनमैन की कदापि कोई भूमिका नहीं होती। अतः उन्हें अद्यतन हाइटेक स्टेट ऑफ आर्ट तकनीकों में प्रशिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लाइनमैनों द्वारा टेलीफोन उपकरण का संचालन	लाइनमैनों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहक के आवास स्थान पर टेलीफोन उपकरण न खोलें। केवल खराब पाए गए उपकरण को ही बदला जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर राज्यों में गैस आधारित विकास के लिए प्रोत्साहन

3151. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों में रियायती दरों पर गैस उपलब्ध करवाकर उनका गैस आधारित विकास करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) शेष देश में 1850/- रुपए प्रति हजार घन मीटर के उपभोक्ता मूल्य के प्रति मामला दर मामला आधार पर 400/- रुपए प्रति हजार घन मीटर की और छूट के प्रावधान के समेत उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 1000/- रुपए प्रति हजार घन मीटर की रियायती मूल्य नियत किया गया है। रियायती मूल्य 31 दिसंबर, 1995 तक वैध है।

(ग) कच्चे तेल के उत्पादन के संबंध में अनुमानित वृद्धि से संबद्ध गैस

के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा की जाती है। यह ऑयल इंडिया लिमिटेड के मुक्त गैस क्षेत्रों द्वारा अनुपूरित होने के लिए प्रस्तावित है।

तेलशोधक कारखानों का विस्तार

3152. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषरूप से गुजरात में अपने तेलशोधक कारखानों का निकट भविष्य में विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना पूंजी निवेश किए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) फरवरी, 1994 के मूल्यों पर आधारित 624 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 3.00 एम एम टी पी ए के लिए गुजरात में इसकी कोयाली रिफाइनरी का विस्तार करने के संबंध में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का प्रस्ताव निवेश अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

रसोई गैस की नई एजेंसियां तथा पेट्रोल फुटकर बिक्री केंद्र

3153. श्री बीर सिंह महतो : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1995-96 के दौरान पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की नई एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल के फुटकर बिक्री केंद्र आवंटित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित स्थान क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिमी बंगाल के लिए खुदरा बिक्री केंद्र विपणन योजना 1993-96 तथा एल पी जी विपणन योजना 1994-96 के अंतर्गत क्रमशः 41 खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिपें तथा 90 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं।

एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों के प्रतिष्ठापन

3154. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास अधिकरणों का मद्यपान में कमी करने की जरूरत का प्रचार करने के लिए उपयोग करने का विचार है;

(ख) क्या इस बारे में कोई भूल कार्य किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार ने इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। केंद्रीय सरकार का समेकित जनजातीय विकास अभिकरणों जैसे किसी विशेष अभिकरण का मद्यपान की खपत में कमी करने के लिए प्रचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिंदी]

कोयले का लदान

3155. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत उन कोयला खानों का ब्यौरा क्या है, जहां कि 'पे-लोडर' के माध्यम से कोयले के लदान का विरोध किया जा रहा है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कोयले के उत्पादन में वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कितनी हानि हुई ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड (को. इं. लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार पे-लोडर्स के द्वारा कोयले की ढुलाई किए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है, जिनमें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा. को. को. लि.) के कर्मचारियों द्वारा रुकावट डाली गई हो। तथापि इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं, जिनमें बाह्य व्यक्ति/अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा पे-लोडरों द्वारा कोयले के लदान में व्यवधान पैदा किया गया है, जोकि कोयले की सड़क पर बिक्री तक सीमित हो गया है और वाशरियों/साइडिंग को कोयले के परिवहन तक ही सीमित है। उन कोलियरियों/डम्पों के नाम, जहां इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं, उनके नाम दिए गए हैं —

1. जीलगोरा
2. बरारी
3. कुसुंडा ओ. का. प.
4. राजपुर/साउथ झरिया ओ. का. प.
5. बेरा
6. दोबरी
7. कुया
8. बस्ताकोला
9. नूडखरकी डम्प।

(ख) यद्यपि कोयला उत्पादन के मामले में कुछ हानि रही है, किंतु कोयला कंपनी इस प्रकार के व्यवधानों के कारण उत्पादन में हुए हानि की मात्रा का ठीक रूप में ब्यौरा देने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

अप्रवासी भारतीयों द्वारा दूरसंचार को बढ़ावा

3156. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए अप्रवासी भारतीयों द्वारा कितनी

धनराशि निवेश किए जाने का लक्ष्य है;

(ख) किन-किन देशों ने इससे संबंधित नई तकनीक के विस्तार के संबंध में केंद्रीय सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अप्रवासी भारतीयों द्वारा दूरसंचार उपस्कर उत्पादन तथा दूरसंचार सेवाओं में निवेश की अनुमति दे दी है। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, दूरसंचार उपस्कर उत्पादन में अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए कोई अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। दूरसंचार सेवाओं के संबंध में सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए लगभग 114 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त 3 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। तथापि देश में दूरसंचार के उन्नयन के लिए अप्रवासी भारतीयों द्वारा रखे गए लक्ष्य की कुल राशि बतला-पाना संभव नहीं है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत सरकार ने दूरसंचार तथा डाक के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में इजराइल राज्य सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें नई संचार प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है।

(ग) अप्रवासी भारतीय तथा उनके स्वामित्व वाले विदेशी कोरपोरेट निकायों को स्वचालित आधार पर दूरसंचार उपस्कर उत्पादन में 100% तक विदेशी इक्विटी तथा पूंजीनिवेश व उससे प्राप्त आय की प्रतिपूर्ति के पूर्ण लाभों सहित निवेश की अनुमति दी गई है। दूरसंचार सेवाओं में निवेश के संबंध में अप्रवासी भारतीयों तथा विदेशी कोरपोरेट निकायों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गैर प्रतिपूर्ति आधार पर निवेश करने की सामान्य अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

संपर्क नहर का निर्माण

3157. श्रीमती चंद्र प्रभा अर्स : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने अलमट्टी बांध और पेन्नार नदी के बीच संपर्क नहर का निर्माण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने उक्त सर्वेक्षण करने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने हाल में कृष्णा (अलमत्ती) पेन्नार संपर्क की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य शुरू कर दिया है, इन कार्यों में क्षेत्र सर्वेक्षण, भू-भौतिकीय अन्वेषण, जलाशय सर्वेक्षण आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) कृष्णा (अलमत्ती)-पेन्नार संपर्क सहित जल अंतरण संपर्कों पर चर्चा करने के लिए 'सर्वेक्षण एवं अन्वेषण को सुकर बनाना और राज्यों के बीच सहमति' पर जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में उपसमिति की 15 सितंबर, 1994 को एक बैठक हुई। इस उप-समिति में राज्य सरकारों के जल संसाधन/सिंचाई विभाग के सचिव इसके सदस्य हैं। बैठक के दौरान कर्नाटक के प्रतिनिधि ने कहा कि जब तक कर्नाटक को अंतर-बेसिन अंतरण से उपलब्ध कराई जाने वाली संभावित जल की कुल मात्रा का पता नहीं चल जाता तब तक अन्वेषण के लिए सहमत होना कठिन होगा। तथापि, वे राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के मार्ग में नहीं आएंगे।

[हिंदी]

कंप्यूटरों में देवनागरी लिपि

3158. श्री लाल बाबू राय :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विभाग ने कंप्यूटरों में देवनागरी लिपि के प्रयोग के संबंध में कोई कार्य अथवा अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) हिंदी कंप्यूटरों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) कंप्यूटरों पर देवनागरी में शब्द/डाटा संसाधन सुविधा प्रदान करवाने के लिए राजभाषा विभाग सक्रिय रहा है। परिणामस्वरूप 'जिस्ट' तकनीक तथा अन्य कई प्रकार के कंप्यूटर साफ्टवेयर अब उपलब्ध हो चुके हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में इन सुविधाओं का प्रयोग भी बढ़ रहा है। कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने हेतु विभिन्न विकल्पों की जानकारी देने तथा इनका प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग प्रकाशनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

पंचायतों को टेलीफोन

3159. श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री राम सिंह कास्वां :
श्री रामपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान, राज्यवार, कितनी पंचायतों को टेलीफोन प्रदान किए गए हैं;

(ख) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार, राज्यवार, उन पंचायतों की संख्या कितनी है जिनमें टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान, राज्यवार, कितनी पंचायतों को टेलीफोन प्रदान करने का विचार है;

(घ) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि पंचायत स्तर पर टेलीफोन कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सर्वेक्षण के परिणाम क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान जिन पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई, उनकी संख्या 26,600 है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा विहीन पंचायत गांवों की संख्या 89,353 है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के अनुसार पंचायतों सहित सभी गांवों को वर्ष 1997 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। वर्ष 1995-96 के दौरान पंचायतों सहित गांवों को 1,05,000 सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे गांवों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। किंतु दूरसंचार सर्किल ग्राम पंचायत सार्वजनिक टेलीफोनों सहित ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्य-निष्पादन पर भी नियमित रूप से नजर रखते हैं और उन्हें चालू रखने के लिए उपाय किए जाते हैं।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान किए गए पंचायत गांवों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1994-95 के दौरान जिन पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई उनकी संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1912
2.	असम	209
3.	बिहार	1576
4.	गुजरात दादर तथा नागर हवेली, दमन व दीव सहित	2612
5.	हरियाणा	1296
6.	हिमाचल प्रदेश	554
7.	जम्मू और कश्मीर	29
8.	कर्नाटक	991
9.	केरल	—
10.	मध्य प्रदेश	3999
11.	महाराष्ट्र गोवा सहित	4535
12.	उत्तर-पूर्व मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय त्रिपुरा और मणीपुर सहित	201
13.	उड़ीसा	215
14.	पंजाव	605
15.	राजस्थान	1228
16.	तमिलनाडु पांडिचेरी सहित	1032
17.	उत्तर प्रदेश	5200
18.	पश्चिम बंगाल सिक्किम तथा अंडमान व निकोवार द्वीपसमूह	408
	कुल :	26600

विवरण-II

1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा विहीन पंचायत गांवों के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य का नाम	पंचायत गांवों की संख्या जिन्हें टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करानी है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4086
2.	असम	435
3.	विहार	3682
4.	गुजरात दादर और नगर हवेली दमन और दीव सहित	1820
5.	हरियाणा	—
6.	हिमाचल प्रदेश	773
7.	जम्मू एवं कश्मीर	740
8.	कर्नाटक	2235
9.	केरल	—
10.	मध्य प्रदेश	8806
11.	महाराष्ट्र गोवा सहित	6193
12.	उत्तर पूर्व (मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा तथा मणिपुर सहित	2466
13.	उड़ीसा	345

1	2	3
14.	पंजाब	3580
15.	राजस्थान	1809
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	480
17.	उत्तर प्रदेश	51552
18.	पश्चिम बंगाल सिक्किम तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह सहित	351
	योग :	89553

विवरण-III

वर्ष 1995-96 के दौरान टेलीफोन सहित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के राज्यवार लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	1995-96 के लक्ष्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4000
2.	असम	2000
3.	बिहार	11800
4.	गुजरात दादर और नगर हवेली, दमन और दीव सहित	2000
5.	हरियाणा	800
6.	हिमाचल प्रदेश	1500
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1000
8.	कर्नाटक	3700
9.	केरल	—
10.	मध्य प्रदेश	10400
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	5000
12.	उत्तर पूर्व मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर सहित	1800
13.	उड़ीसा	8500
14.	पंजाब	2300
15.	राजस्थान	5800
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	3000
17.	उत्तर प्रदेश	34000
18.	पश्चिम बंगाल सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित	7400
	कुल	105000

अनुसूचित जातियां

3160. डॉ. पी. बल्लल पेरुमान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में रह रही अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रही अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि दी गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा तमिलनाडु में शुरू किए गए रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) तमिलनाडु में रह रही अनुसूचित जाति जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 19.18% है। तमिलनाडु की अनुसूचित जनसंख्या का हिस्सा देश की कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या में 7.74% है।

(ख) केंद्र सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रह रही अनुसूचित जाति जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए तमिलनाडु सरकार को वर्षवार प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है—

वर्ष		राशि (रुपए लाख)
1992-93	—	122.44
1993-94	—	318.50
1994-95	—	186.54

(ग) तमिलनाडु में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा शुरू किए गए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं—

प्रमुख योजना

पृथक् उद्यमी योजना

(1) छोटे व्यापारियों को 1.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

(2) अनुसूचित जाति से परिवर्तित ईसाई और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाएं।

लघु योजना

फिल्टर प्वाइंट और शिल्पकार कुएं .

इसमें 5 अश्व शक्ति डीजल पंप सैटों, 7.5 अश्व शक्ति विद्युत पंप सैटों कुओं का गहरा करना। बैलों की जोड़ी वाली टायर के पहियों वाली बैलगाड़ी,

हल जोतने के लिए बैल, बैलों की जोड़ी वाली बैलगाड़ी कल पुर्जों वाली एक वाइसिकल का प्रावधान है।

निम्नलिखित में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा प्रदान की जा रही सहायता

प्रमुख योजना—कृषि और संबद्ध कार्यकलाप

लघु योजनाएं :

फिल्टर प्वाइंट और शिल्पकार कुएं : इसमें 5 अश्व शक्ति डीजल पंप सैटों, 7.5 अश्व शक्ति विद्युत पंप सैटों कुओं का गहरा करना। बैलों की जोड़ी वाली टायर के पहियों वाली बैलगाड़ी, हल जोतने के लिए बैल, बैलों की जोड़ी वाली बैलगाड़ी कल पुर्जों वाली एक वाइसिकल का प्रावधान है।

प्रमुख योजना

(1) छोटे व्यापारियों को 1.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता के प्रावधान वाली पृथक् उद्यमी योजना।

(2) 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11-क और 11-ख के अंतर्गत क्रमशः अनुसूचित जाति से परिवर्तित ईसाइयों और अनूसिचत जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कार्यक्रम।

प्रश्न के भाग (ग) के अंतर्गत उत्तर

1992-93	वास्तविक	23,245 योजनाएं
	वित्तीय	1184.60 लाख रुपए
1994-94	वास्तविक	19,953 योजनाएं
	वित्तीय	1196.685 लाख रुपए
1994-95	वास्तविक	21,011 योजनाएं
	वित्तीय	1702.41 लाख रुपए

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

3161. श्री हरिभाई पटेल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत गुजरात को वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि जारी की;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने छात्र लाभान्वित हुए;

(ग) इस राज्य की कितनी बकाया राशि लंबित हैं; और

(घ) इन बकाया राशियों के भुगतान कब तक किए आने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) गुजरात सरकार को निर्मुक्त केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उक्त राज्य में लाभान्वित छात्रों की संख्या नीचे दी गई है—

वर्ष	निर्मुक्त केंद्रीय सहायता (रुपए लाख में)	लाभान्वित छात्रों की संख्या
1992-93	310.87	1,29,240
1993-94	357.951	1,49,021
1994-95	767.239 (1993-94 के लिए 307.399 लाख रुपए के बकाया सहित)	1,59,798 (अनंतिम)

(ग) और (घ) वर्ष 1993-94 से संबंधित 307.399 लाख रुपए की बकाया राशि का भुगतान गुजरात सरकार को 1994-95 के दौरान अदा कर दिया गया है। उसके बाद, राज्य सरकार ने किसी अधिक बकाया राशि का दावा नहीं किया है।

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान

3162. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए केंद्र सरकार गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देती है; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्यवार गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि जारी की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई राज्य-वार धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त धनराशि 1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.23	3.54	6.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.58	0.74	0.84
3.	असम	0.24	0.28	0.49
4.	बिहार	1.194	2.04	2.92
5.	चंडीगढ़	0.29	0.39	0.01
6.	दिल्ली	4.07	4.84	6.84
7.	गोवा	0.07	0.09	0.12
8.	गुजरात	0.67	1.48	1.64

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	0.54	0.92	1.48
10.	हिमाचल प्रदेश	0.11	0.20	0.27
11.	जम्मू तथा कश्मीर	0.10	0.08	0.24
12.	कर्नाटक	1.54	2.52	4.71
13.	केरल	1.33	1.53	2.62
14.	मध्य प्रदेश	0.54	1.05	1.67
15.	महाराष्ट्र	2.08	2.92	3.61
16.	मणिपुर	0.79	1.38	1.86
17.	मेघालय	0.39	0.55	0.56
18.	मिजोरम	0.21	0.30	0.47
19.	नागालैंड	0.19	0.09	0.27
20.	उड़ीसा	1.20	2.95	4.27
21.	पांडिचेरी	0.04	0.01	0.06
22.	पंजाब	0.38	1.72	0.99
23.	राजस्थान	1.55	2.60	4.63
24.	सिक्किम	0.007	0.02	0.05
25.	तमिलनाडु	1.40	2.30	4.42
26.	त्रिपुरा	0.24	0.12	0.41
27.	उत्तर प्रदेश	7.02	8.99	14.44
28.	पश्चिम बंगाल	2.81	4.84	6.63

रेल डाक सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति

3163. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मेडिकल आधार पर काम करने के अयोग्य पाए जाने के बाद डाक विभाग के गोरखपुर रेल डाक सेवा के 'जी' मंडल से कितने व्यक्ति सेवानिवृत्त किए गए;

(ख) क्या उन व्यक्तियों के परिवारों के लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम आरंभ किया गया है;

(ग) क्या इन व्यक्तियों के पुत्रों/पुत्रियों को नियुक्त करने का कोई प्रावधान अथवा विचार है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ङ) इन मामलों का निपटारा कब तक कर दिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) 11 (ग्यारह)।

(ख) और (ग) सेवानिवृत्ति लाभों के अतिरिक्त यदि कर्मचारी का परिवार दीन-हीन परिस्थितियों में पाया जाता है, तो अशक्त कर्मचारी के परिवार के सदस्य को सामान्य भर्ती नियमों में ढील देते हुए अनुकंपा के आधार पर विभाग में नियुक्ति देने पर भी विचार किया जाता है।

(घ) कुल 11 मामलों में से 8 का निपटान किया जा चुका है और 3 मामले लंबित हैं।

(ङ) इन लंबित मामलों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए जाने की संभावना है।

निजी क्षेत्रों द्वारा दूरसंचार-सुविधाएं उपलब्ध कराना

3164. श्री राम कापसे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं स्थापित करने संबंधी कार्यक्रम को निजी क्षेत्र को सौंपने की किसी योजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) विभाग ने एक योजना को अंतिम रूप दिया है और सभी क्षेत्रीय इकाइयों को यह अनुदेश जारी किए हैं कि वे उन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संस्थापित 4/30 और 4/36 मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एम ए आर आर) प्रणालियां हासिल करें, जिन्होंने उपस्करों की आपूर्ति की है, बशर्ते क्षेत्रीय इकाइयां जनशक्ति की कमी के कारण स्वयं उन उपस्करों को स्थापित करने में असमर्थ हों।

[हिंदी]

दिल्ली में खराब पड़े टेलीफोनों के बारे में शिकायतें

3165. श्री राम टहल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसंबर, 1994 तक और 1995 के दौरान, आज तक दिल्ली में खराब पड़े टेलीफोनों के बारे में एक्सचेंज-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उक्त शिकायतों के निपटारे में औसतन कितना समय लगा;

(ग) इनमें से एक्सचेंज-वार कितनी शिकायतों के निपटारे में एक सप्ताह अथवा इससे अधिक समय लगा; और

(घ) खराब पड़े टेलीफोनों को ठीक करने में एक सप्ताह से भी अधिक समय लगने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) दोषपूर्ण बताए गए टेलीफोनों में से 70% अगले दिन ठीक कर दिए जाते हैं और शेष टेलीफोनों में से बहुत से 3 दिनों के भीतर ठीक कर दिए जाते हैं। दोषपूर्ण टेलीफोनों का लगभग 3% जिन्हें केबिल में रुकावट के कारण ठीक करना बहुत कठिन होता है। अथवा इसके चोरी हो जाने के कारण 7 दिन अथवा इससे अधिक समय लग जाता है।

(ग) 31-7-95 तक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त पैरा (ख) के अनुसार।

विवरण

क्रम सं.	एक्सचेंज	शिकायतों की संख्या		खराबियां ठीक की गईं	
		1-1-94 से 31-12-94	1-1-95 से 31-7-95	1-1-94 से 31-12-94 7 दिन	1-1-95 से 31-7-95 7 दिन
1	2	3	4	5	6
1.	जनपथ	28423	17499	0	0
2.	किदवई भवन	59983	27870	0	0
3.	राजपथ	37457	20224	0	0
4.	सेना भवन	38470	21444	0	0
5.	जोर बाग	92364	55831	3	18
6.	लोधी रोड	8442	4260	0	0
7.	दिल्ली गेट	85360	51138	627	328
8.	ईदगाह	209462	85494	3011	1162
9.	जे. एल. नेहरू मार्ग	—	4577	—	13
10.	तीस हजारी	251743	129873	3053	1175
11.	शाहदरा	94976	74556	2002	603
12.	लक्ष्मी नगर	298976	143924	241	5270
13.	मयूर विहार-I	48343	33619	0	0
14.	मयूर विहार-II	—	4647	—	35
15.	यमुना विहार	87647	31357	81	31
16.	शक्ति नगर	287382	167871	2657	7749
17.	बादली	19903	11518	57	59
18.	रोहिणी-I	50895	26866	259	93
19.	रोहिणी-II	32420	24619	142	51
20.	नरेला	18001	8054	0	30
21.	अलीपुर	4328	3184	0	0
22.	केशवपुरम	42774	27647	39	40
23.	ओखला	147672	93029	1905	1233
24.	नेहरू प्लेस	278331	199253	30685	32515
25.	चाणक्यपुरी	159416	75117	856	180
26.	हौजखास	137829	70762	4623	711
27.	छत्तरपुर	19216	8816	21	19
28.	वसंतकुंज	24026	15899	:	8

1	2	3	4	5	6
29.	तेखंड	37785	13556	104	90
30.	तुगलकाबाद	—	5656	—	138
31.	सरिता विहार	—	3772	—	17
32.	राजौरी गार्डन	234021	185302	8228	18823
33.	जनकपुरी	152154	87764	4373	7310
34.	पश्चिम विहार	74962	48131	407	141
35.	हरी नगर	44862	34330	259	50
36.	नागलोई	16564	10059	41	32
37.	नजफगढ़	7531	5154	0	8
38.	करोल बाग	150063	78550	608	562
39.	दिल्ली छावनी	8741	5331	0	0
40	शादीपुर	19543	10653	0	0
41.	आई जी आई ए	1502	1310	0	0
42.	पालम	1755	1481	0	0
43.	स्मालखा	2135	2123	0	0

आचार संहिता

3166. श्री राम पूजन पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सांप्रदायिकता को बढ़ने से रोकने के लिए एक आचार संहिता बनाने के लिए राजनीतिक दलों को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा कराने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

[अनुवाद]

एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां

3167. श्री ए. इंद्रकरण रेड्डी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां जनजातीय विकास के लिए दिशानिर्देशों को सही ढंग से कार्यान्वित नहीं कर रही हैं;

(ख) क्या ये एजेंसियां अपात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान कर रही हैं और अन्य लाभ पहुंचा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इन एजेंसियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है और उसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां। माननीय सांसद श्री वी. हनुमन्याराव से 8-2-1994 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि कोर्न्डुकोटे पंचायत, पोलावरम मंडल पश्चिम गोदावरी जिले के कुछ आदिवासी को समेकित आदिवासी विकास एजेंसी, पश्चिम गोदावरी से कभी भी कोई लाभ नहीं मिला। दूसरी ओर, कुछ लोग थे जिनको समेकित आदिवासी विकास एजेंसी से बार-बार लाभ मिले।

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार से 1-3-94 को इस शिकायत की जांच करने तथा इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार को स्मरण भी कराया गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिनांक 30-4-94 तथा 11-8-95 को अनुदेश जारी किए हैं, जिसमें उनसे समेकित आदिवासी विकास एजेंसियों/समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं इत्यादि से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बैंकों के आवेदन पत्र उचित जांच के बाद भेजे जाएं जिससे आदिवासियों को सहायता समान रूप से तथा विवेकपूर्ण ढंग से बांटी जाए तथा सभी ऋण कुछ ही व्यक्तियों द्वारा बार-बार न ले लिए जाएं।

रेलवे का उपयोग/विद्युत नेटवर्क

3168. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए रेलवे और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड नेटवर्क का उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे का एक प्रस्ताव, भुसावल-इटारसी-नागपुर सैक्शन में उनके ऑप्टिक फाइबर नैटवर्क में हिस्सेदारी के वास्ते मिला था। इसी प्रकार, भारतीय पावर ग्रिड निगम से भी एक प्रस्ताव मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी पावर-लाइनों पर ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली की नियोजित अतिरिक्त क्षमता में हिस्सेदारी की पेशकश की है।

ये दोनों प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा दूरसंचार विभाग द्वारा अतिरिक्त क्षमता का उपयोग कर लिया जाएगा वशर्ते वह तकनीकी रूप से उपयुक्त हो और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों हेतु दूरसंचार विभाग की उसकी जरूरत हो।

सामग्रियों की सप्लाई

3169. श्री सूरज मंडल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत दुधारा धोवनशाला को सामग्रियों की सप्लाई में धांधली की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की कथारा वाशरी को आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री के संबंध में हुई धांधली के बारे में कोयला मंत्रालय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जैसा कि सूचना दी गई है, उन्हें भी इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिंदी]

एल. पी. जी. एजेंसियों का आवंटन

3170. श्री गोविंद चंद्र मुंडा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय ने बड़ी संख्या में पेट्रोल खुदरा बिक्री केंद्र तथा रसोई गैस एजेंसियां बिना कोई विज्ञापन जारी किए आवंटित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने स्वविवेक शक्तियों के तहत अनुकंपा आधार पर बिना कोई विज्ञापन दिए 152 खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप तथा 182 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्वीकृति दी है।

बिहार में टेलीफोन

3171. श्री प्रेम चंद राम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ओ. वी. संख्या जारी करने के पश्चात् इस समय टेलीफोन लगाने संबंधी कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या ओ. वी. संख्या जारी होने के बावजूद, कई मामलों में टेलीफोन लगाने में महीनों विलंब हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है, जिसे सदन-पटल रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मुंबई बम-विस्फोट

3172. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जून, 1995 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'एनफ एवीडेंस ऑफ पाकिस्तान हैंड इन ब्लास्ट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। मुंबई बम विस्फोट की जांच-पड़ताल पाकिस्तान की संलिप्तता का पता चलता है। मैमन परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी और उनसे की गई पूछताछ के बाद इसकी पुष्टि हो गई है।

(ग) सरकार ने मैमन परिवार के सदस्यों के पाकिस्तान में मौजूद होने के बारे में पाकिस्तान को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। सरकार ने पाकिस्तान से मैमन परिवार के सदस्यों का वहां पता लगाने, उनको गिरफ्तार करने और उन्हें भारत को लौटाने का विभिन्न स्तरों पर और बार-बार आग्रह किया है। यह खेद की बात है कि पाकिस्तान से अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है।

[हिंदी]

दिल्ली में अपराधी

3173. श्री सत्यदेव सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रंगीन शीशे वाली गाड़ियों में अपराधी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं;

(ख) राजधानी दिल्ली में गाड़ियों के शीशे कितने प्रतिशत परिदर्शी होने चाहिए;

(ग) क्या पुलिस के पास ऐसे शीशे की पारदर्शिता को मापने के लिए कोई उपकरण है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वर्ष 1994 में तीन और 1995, (31-7-95 तक) में पांच मामलों में रंगीन शीशे वाली खिड़कियों/विंडस्क्रीन वाली कारों में घूमते हुए अपराधियों को पकड़ा गया/मुठभेड़ में मार दिया गया।

(ख) मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 100(2) के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक मोटर कार की विंडस्क्रीन और खिड़कियों के शीशे इस प्रकार के होने चाहिए तथा उन्हें ऐसे बनाए रखा जाना चाहिए जिससे कि पूर्णतः पारदर्शक हों तथा उनसे बाहर से अंदर व अंदर से बाहर की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो।

यातायात विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने इस मामले की विस्तार से जांच की है तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(1) के तहत ऐसे मोटर मालिकों के खिलाफ अभियोजन चलाने का फैसला किया है जिनके वाहनों में सोलर फिल्म्स/रंगीन शीशे लगे हों तथा जिनकी पारदर्शिता 70% से कम हो।

(ग) और (घ) किसी वाहन के रंगीन शीशे की पारदर्शिता को लक्स मीटर की मदद से तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा चैक किया जा सकता है। दिल्ली यातायात पुलिस के पास इस समय उपर्युक्त उपरकरण सुविधा उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली पुलिस को यह उपकरण तथा तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

विज्ञापन

3174. **श्री राजबीर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने संबंधी निर्धारित दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या ये दिशा-निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में 1994 और 1995 के दौरान अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुछ समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के बारे में उपरोक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन संबंधी कुछ मामले आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अपने विज्ञापनों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

भारत सरकार की विज्ञापन नीति

'क' प्रस्तावना :

1. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की ओर से विभिन्न समाचार पत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है। अनेक स्वायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन देते हैं।

2. सरकारी विज्ञापनों का मूल उद्देश्य समाचार या सामयिक विषयों पर टिप्पणियां छापने, समाचार पत्रों तथा विज्ञापन, कला, साहित्य, खेल व फिल्मों को मानक पत्रिकाओं के माध्यम से क्या संभव अधिक-से-अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रचार करना है। सरकारी, विज्ञापन देते समय प्रकाशन की राजनीतिक प्रतिवद्धता या संपादकीय नीति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर भी ऐसे समाचार-पत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे, जो सांप्रदायिक भावना भड़काते हों या हिंसा का प्रचार करते हों, भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर आघात करते हों या सार्वजनिक शालीनता और नैतिक आदेशों संबंधी सर्वमान्य परंपराओं पर आघात करते हों।

'ख' नीति निर्देश :

1. सरकारी नीति, प्रचार संबंधी आवश्यकताओं और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विज्ञापनों के एक संतुलित और सम्यक आधार पर वितरण का ध्येय रखा जाता है। सरकारी विज्ञापनों का प्रयोजन, किसी समाचार-पत्र/पत्रिका को आर्थिक सहायता देना नहीं है। सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों के अनुसरण में और विभिन्न श्रेणियों के समाचार-पत्रों के बीच अनुरूपता प्राप्त करने हेतु निम्न श्रेणियों को पत्र/पत्रिकाओं को उपयुक्त महत्त्व दिया जा सकता है/उनके प्रति उदारता बरती जा सकती है—

(क) छोटे और मझौले समाचार पत्र/पत्रिकाएं

(ख) विशेष सामग्री-युक्त वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं

(ग) भाषायी समाचार-पत्र/पत्रिकाएं और

(घ) पिछड़े, दूरस्थ एवं सीमावर्ती स्थानों से प्रकाशित पत्र/पत्रिकाएं।

2. छोटे, मझौले व बड़े समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है—

(क) **छोटे** : जिनकी प्रसार संख्या 25,000 प्रतियां प्रति अंक तक हो।

(ख) **मझौले** : जिनकी प्रसार संख्या 25,000 से 75,000 प्रतियां प्रति अंक के बीच हो।

(ग) **बड़े** : जिनकी प्रसार संख्या 75,000 प्रतियां प्रति अंक से अधिक हो।

3. सरकारी विज्ञापन देते समय समाचार-पत्र/पत्रिकाओं के चयन में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखा जाता है—

(क) समाज के सभी वर्गों के पाठकों तक विशेषतः राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियानों को पहुंचाना।

(ख) विज्ञापन में निहित संदेश के आधार पर प्रचार अभियानों को समाज के समस्त विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना। छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को प्रेरित करने वाले तथा शिक्षाप्रद अभियानों के बारे में विज्ञापन देने का विशेष ध्यान रखना।

(ग) समाचार-पत्र/पत्रिकाओं य प्रकाशन की कोई श्रेणी जिन्हें सरकार समय-समय पर उचित समझे।

(घ) समाचार-पत्र/पत्रिकाओं य स्मारिकाओं का सरकारी विज्ञापनों के लिए आमतौर से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

4. वि. दृ. प्र. निदेशालय ऐसे समाचार-पत्र/पत्रिकाओं का उपयोग करेगा जिनकी न्यूनतम बिक्री प्रसार संख्या कम-से-कम 2000 प्रतियां हों, फिर भी निम्नलिखित दशाओं में इस संबंध में छूट दी जा सकती है—

(क) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्र/पत्रिकाएं जिनकी बिक्री प्रसार संख्या कम-से-कम 500 प्रतियां प्रति अंक हो।

(ख) संस्कृत के समाचार-पत्र/पत्रिकाओं और पिछड़े क्षेत्रों, सामान्यतया दुर्गम क्षेत्रों से अथवा जनजातीय भाषा या मुख्यतः जनजातीय लोगों के लिए छपने वाली पत्र/पत्रिकाएं तथा जम्मू और कश्मीर से प्रकाशित पत्र/पत्रिकाएं जिनकी विक्रीत संख्या कम-से-कम 500 प्रति अंक हो।

5. समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिए जाने पर तभी विचार किया जा सकता है जब उनका कम-से-कम 4 महीने तक नियमित और अनवरत प्रकाशन होता रहा हो और प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के प्रावधानों का पालन किया गया हो। त्रैमासिक पत्रिकाओं के विषय में कम-से-कम 2 अंक प्रकाशित हो जाने के बाद विचार किया जा सकेगा।

6. समाचार-पत्र/पत्रिकाओं में सरकारी विज्ञापन पाने की पात्र बनने के लिए निम्नांकित न्यूनतम मुद्रित स्थान होना चाहिए—

आवधिकता	न्यूनतम मुद्रित स्थान
दैनिक	760 मानक कालम सें. मी.
साप्ताहिक और पाक्षिक	480 मानक कालम सें. मी.
मासिक और अन्य पत्रिकाएं	960 मानक कालम सें. मी.

ऐसे समाचार-पत्र/पत्रिकाओं को छूट दी जा सकती है जो जनजातीय भाषा में या मुख्यतः जनजातीय लोगों के लिए प्रकाशित हों।

7. सभी समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं की प्रसार संख्या किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या लेखाओं से संबंधित किसी व्यावसायिक और प्रतिष्ठित निकाय या संस्था से प्रमाणित होनी चाहिए। तथापि, जिन समाचार-पत्रों की प्रसार संख्या प्रति अंक 2,000 प्रतियां तक है, उन्हें इससे छूट दी गई है। यदि किसी समाचार-पत्र/पत्रिका द्वारा घोषित की गई प्रसार संख्या गलत सिद्ध होगी तो उसे सरकारी विज्ञापनों के लिए अयोग्य घोषित करने के अलावा सरकार उन पर अलग से भी कार्यवाही कर सकती है।

विज्ञापन दर : सरकारी विज्ञापनों के लिए दरों का स्वरूप विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा उन सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिनकी व्याख्या ऊपर की गई है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय प्रत्येक समाचार-पत्र/पत्रिका के साथ यथोचित दरों पर अनुबंध करेगा।

पुलों का निर्माण

3175. श्री जी. एम. सी. बालयोगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पूर्व-गोदावरी जिले में गोदावरी नदी की दो सहायक नदियों पर वोडासाकारू एवं कोटीपाली में पक्के पुलों के निर्माण की लागत में भागीदारी करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है;

(ख) क्या इन दो पुलों के निर्माण से के. जी. बेसिन क्षेत्र में गैस पर आधारित उद्योगों की जरूरतें पूरी होंगी; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लिमिटेड (एन एफ सी एल) तक गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए दो पुलों का निर्माण गेल के विचाराधीन था।

(ग) एन एफ सी एल तक पाइपलाइन को दो नदियों के नीचे क्षैतिज आयामी वेधन (एच डी डी) की प्रणाली का प्रयोग करके बिछाया जा रहा है तथा पुलों के प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।

रसोई गैस कनेक्शन

3176. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गोवा में रसोई गैस के कितने नये कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान गोवा में रसोई गैस के पर्याप्त कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान गोवा में जारी किए गए एल पी जी कनेक्शनों की संख्या निम्नवत् है—

वर्ष	जारी किए एल पी जी कनेक्शनों की संख्या
1992-93	3698
1993-94	6742
1994-95	8446

(ख) नए एल पी जी कनेक्शन गोवा सहित पूरे देश में एल पी जी की उपलब्धता कुल नए ग्राहकों के नामांकन, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध स्लैक तथा उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। 1995-96 के दौरान देश के लिए नए एल पी जी

ग्राहकों के नामांकन के संबंध में लक्ष्य 15 लाख नियत किया गया है।

[हिंदी]

मध्य प्रदेश में डाक एवं तार-सेवाएं

3177. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में टेलीफोन, डाक एवं तार सेवाओं में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान इस राज्य द्वारा अर्जित राजस्व अन्य राज्यों की तुलना में अधिक था;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान इन सेवाओं पर कितना खर्च हुआ;

(ङ) 1994-95 के दौरान इन सेवाओं में कितना सुधार हुआ है,

(च) क्या उक्त सभी सेवाएं राज्य के प्रत्येक गांव को उपलब्ध करा दी जाएंगी; और

(छ) यदि नहीं, तो ये सेवाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में, टेलीफोन, टेलीग्राम एवं डाक-सेवाओं में सुधार लाने के लिए, निम्नलिखित विभागीय कार्यकलापों की योजना बनाई गई है—

1. **टेलीफोन** (वर्ष 1995-96 के लिए योजना)

(i) चालू किए जाने वाले नए टेलीफोन-एक्सचेंज	—	280
(ii) प्रदान किए जाने वाले नए टेलीफोन-कनेक्शन	—	1,00,000
(iii) ग्रामीण-टेलीफोनों की व्यवस्था	—	10,400
(iv) एस. टी. डी. सेवाओं की पुनः स्थापना (स्टेशन)—		100
(v) सार्वजनिक टेलीफोन (पी. सी. ओ.) प्रदान करना		
स्थानीय	—	1,050
एस. टी. डी.	—	3,200

2. **टेलीग्राफ** (वर्ष 1995-96 के लिए योजना)

(i) भोपाल में 64 पोर्ट के स्टोर एंड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग 'सिस्टम' (एस एफ एम एस एस) तथा रायपुर, जबलपुर एवं इंदौर में 32 पोर्ट के एस एम एस एस की संस्थापना की जा रही है।

(ii) इस नेटवर्क में 64 'इलैक्ट्रॉनिक की-बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर्स' एवं 500 'इलैक्ट्रॉनिक की-बोर्ड' पुनः स्थापित किए जाने की भी योजना है।

3. **डाक** : मध्य प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 160 डाक-घरों की मंजूरी दी जा चुकी है तथा वर्ष 1995-96 के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर एवं विभागीय उप-डाकघरों को खोलने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

(ग) वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक मध्य प्रदेश सर्किल द्वारा अर्जित राजस्व निम्नवत् है—

	1991-92	1992-93	1993-94
		(करोड़ रुपयों में)	
डाक	30.46	31.68	35.41
टेलीफोन तथा टेलीग्राफ	163.66	208.69	268.76

मध्य प्रदेश में डाक विभाग के माध्यम से अर्जित राजस्व, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर पूर्व, उड़ीसा एवं वेस्ट सर्किलों द्वारा अर्जित राजस्व से अधिक है तथा यह राजस्व वर्ष 1991-92 एवं 1993-94 के दौरान राजस्थान सर्किल के राजस्व से भी अधिक था। इन वर्षों के दौरान टेलीफोन तथा टेलीग्राफ सेवाओं से अर्जित राजस्व, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर पूर्व, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल सर्किलों से अधिक था।

(घ) मध्य प्रदेश सर्किल द्वारा वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नवत् है—

	1991-92	1992-93	1993-94
		(करोड़ रुपयों में)	
डाक	68.26	75.04	85.08
टेलीफोन/एवं टेलीग्राफ	60.70	79.44	94.17

(ङ) निम्नलिखित वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में इन सेवाओं में सुधार की सीमा का उल्लेख नीचे किया गया है—

	1992-93	1993-94	1994-95
(i) प्रतिमाह प्रति 100 स्टेशनों पर टेलीफोन की शिकायतें	19.5	17.0	11.77
(ii) प्रतिमाह प्रति 100 स्टेशनों पर टेलीफोन की खराबियां	14.7	13.1	12.36
(iii) दिन के 12 घंटों के अंदर पहुंचाए जाने वाले तार	90.8	91.4	93.5

(iv) मध्य प्रदेश में, वर्ष 1994-95 के दौरान 4 डाकघरों की मंजूरी दी जा चुकी है।

(च) और (छ) **टेलीफोन तथा टेलीग्राफ**—कुल 76,220 गांवों में से 26,121 गांवों की लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों के माध्यम से टेलीफोन तथा टेलीग्राफ की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष गांवों में यह सुविधा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदान कर दी जाएगी।

डाक—मध्य प्रदेश के सभी गांवों को डाकघर की सुविधा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, मध्य प्रदेश के सभी गांवों में प्रतिदिन डाक-वितरण की सुविधा दी जा रही है।

'डार्क जोन' के अंतर्गत आने वाले स्थानों पर कम शक्ति के ट्रांसमीटर

3178. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'डार्क जोन' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त स्थानों पर कम शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) हालांकि उपयुक्त डिश एंटिना प्रणाली की सहायता से देश में दूरदर्शन की उपग्रह प्रदत्त सेवा उपलब्ध है तथापि, स्थलीय ट्रांसमीशन भी देश के सभी जिलों को पूर्णतः अथवा अंशतः उपलब्ध है जो देश के 68.4% क्षेत्र को कवर करता है। अब तक कवर न हुए क्षेत्रों (अज्ञात जिलों) में स्थानीय टी. वी. सेवा देने की दृष्टि से, संसाधनों की उपलब्धता और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित अन्य आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करते हुए आठवीं योजना के अंत तक वर्तमान में भिन्न-भिन्न शक्तियों के 531 टी. वी. ट्रांसमीटर देश में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के चालू होने पर स्थलीय टी. वी. सेवा देश के लगभग 83.2% क्षेत्र को उपलब्ध होने की संभावना है।

[अनुवाद]

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की तैनाती

3179. मेजर (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी :
प्रो. एम. कामसन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पंजाब के किसी बैंक में ड्यूटी के दौरान भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कुछ जवान मृत पाए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस हेतु बनाए गए ड्यूटी चार्टर में बैंकों में सुरक्षा ड्यूटी प्रदान करना भी सम्मिलित है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें गलत ड्यूटी पर तैनात करने के लिए क्या कारण थे;

(च) क्या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का गठन मात्र भारत तिब्बत सीमाओं पर तैनाती के लिए ही किया गया है;

(छ) क्या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कर्मियों को गार्ड ड्यूटी पर अथवा अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैनात किया गया है; और

(ज) यदि हां, इन प्रयोजनों के लिए तैनात किए गए कर्मियों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) 16-7-1995 को, 5 कांस्टेबलों के शव, जिनके शरीर पर गोलियों के जख्म थे, नकोदर में पी. एन. बी. शाखा के परिसर से बरामद हुए, जहां, पर वे ड्यूटी पर तैनात थे। हवलदार सतबीर सिंह, जिसकी ड्यूटी भी वहां थी, लापता पाया गया। बाद में 20-7-95 को उसका शव मिला। संदेह किया जाता है कि हवलदार सतबीर सिंह ने अपने साथियों को मारा और बाद में अल्म्यूनियम सलफाइड खाकर आत्महत्या कर ली।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, 1994 का नियम 8(1) नीचे उद्धृत किया गया है—

बल का कार्य और कमान तथा उसका नियंत्रण (1) धारा 4 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ बल ये कार्य करेगा—

(i) भारतीय सीमाओं को सुरक्षा के सुरक्षोपाय तथा सीमावर्ती इलाकों के निवासियों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना।

(ii) सीमा पार से होने वाले अपराधों, तस्करी, भारतीय भू-भाग में अवैध रूप से आने-जाने तथा अन्य अवैध गतिविधि की रोकथाम।

(iii) संवेदनशील प्रतिष्ठानों, बैंकों तथा उन व्यक्तियों, जिनकी सुरक्षा को खतरा हो, को सुरक्षा प्रदान करना।

(iv) किसी क्षेत्र में गड़बड़ी की घटना होने पर वहां व्यवस्था को बहाल तथा उसे बनाए रखना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) जी नहीं, श्रीमान्।

(छ) जी हां, श्रीमान्।

(ज) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के 394 कार्मिक गार्ड ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं और 63 कार्मिक अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा ड्यूटी पर लगाए गए हैं।

जेलों का आधुनिकीकरण

3180. श्री के. प्रधानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत जेलों का आधुनिकीकरण करने हेतु वित्तीय सहायता देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) मिजोरम और नागालैंड राज्य सरकारों ने वर्ष 1995-96 के दौरान 'जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण योजना' के अंतर्गत निधियां प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) इन राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई सहायता मुख्य रूप से सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने तथा पुरानी जेल इमारतों की मरम्मत व नवीनीकरण और उपकरणों की खरीद के लिए है।

(ग) मिजोरम सरकार को, वर्ष 1995-96 के लिए उसे आवंटित 3.00 लाख रुपए की तुलना में 2.87 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। नागालैंड सरकार को वर्ष 1995-96 के लिए उसे आवंटित 4.50 लाख रुपए की तुलना में 2.25 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

कलाकारों को भुगतान

3181. **श्री श्रीकांत जेना :**
डॉ. असीम बाला :
श्री राम विलास पासवान :
श्री राम नाइक :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1995 के इंडियन एक्सप्रेस में 'सी. ए. जी. अनअर्ट्स मेजर डी. डी. स्कैम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिखाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी अनियमितताओं से कितनी धनराशि जुड़ी है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) कलाकारों को भुगतान करने के क्या दिशा-निर्देश हैं; और

(च) इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (1995 की संख्या 2) में दूरदर्शन के केंद्रीय निर्माण केंद्र की कार्य-प्रणाली में उपकरणों के उपयोग, घरेलू कार्यक्रमों के निर्माण और निष्पादन, उपकरणों को किराए पर लेने, कलाकारों को किए गए भुगतान आदि के संबंध में कुछ कमियों का उल्लेख किया गया है।

(घ) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ङ) दूरदर्शन द्वारा कलाकारों को निर्धारित शुल्क-ढांचे के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(च) दूरदर्शन केंद्रों के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तावों की जांच करते समय कठोर नियंत्रण रखने के निर्देश दे दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण दूरभाष केंद्र

3182. **डॉ. के. वी. आर. चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में, जिला-वार किन-किन स्थानों पर 1994-95 के दौरान ग्रामीण दूरभाष केंद्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इन दूरभाष केंद्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान किन-किन स्थानों पर ग्रामीण दूरभाष केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश में उन स्थानों की जिलावार संख्या जहां वर्ष 1994-95 के दौरान ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए गए हैं

जिले का नाम	स्थानों की संख्या
आदिलाबाद	6
अनंतपुर	19
श्रीकाकुलम्	16
कुड्डपा	10
चित्तूर	12
पूर्व गोदावरी	4
गुंटूर	11
रंगारेड्डी	7
करीमनगर	9
खम्माम	13
कुरनूल	24
कृष्णा	18
महबूबनगर	8
मेढक	10
नलगोंडा	13
नेल्लोर	6
निजामाबाद	12
प्रकाशम्	17
विशाखापत्तनम्	4
विजयनगरम्	24
पश्चिम गोदावरी	21
वारंगल	6

विवरण-II

आंध्र प्रदेश में उन स्थानों की जिलावार संख्या जहां वर्ष 1995-96 के दौरान ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है

जिले का नाम	स्थानों की संख्या
आदिलाबाद	3
अनंतपुर	32
चित्तूर	33
कडपा	32
पूर्व गोदावरी	1
गुंटूर	5
करीमनगर	24
कृष्णा	15
कुरनूल	10
महबूबनगर	26
मेढक	32
नलगोंडा	15
नेल्लोर	17
प्रकाशम्	17
विशाखापट्टनम	12
विजीनगरम्	2
वारंगल	15
पश्चिम गोदावरी	4
निजामाबाद	15

टेलीफोन कनेक्शन लगाने का लक्ष्य

3183. श्रीमती सूर्यकांता पाटील :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और 1995-96 के दौरान नये टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए राज्य-वार तथा वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) जुलाई, 1995 के अंत तक टेलीफोन कनेक्शन लगाने का वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ग) क्या 1989 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन बुक करने वाले व्यक्तियों के नाम अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। कुछ व्यक्ति जिन्होंने टेलीफोन कनेक्शन के लिए वर्ष 1989 के दौरान आवेदन किया है, निम्नलिखित राज्यों में अभी तक प्रतीक्षा सूची में हैं—

1. आंध्र प्रदेश, 2. गुजरात, 3. हरियाणा, 4. हिमाचल प्रदेश, 5. जम्मू एवं कश्मीर, 6. कर्नाटक, 7. केरल, 8. मध्य प्रदेश, 9. महाराष्ट्र, 10. पंजाब, 11. राजस्थान, 12. तमिलनाडु, 13. उत्तर प्रदेश, 14. पश्चिम बंगाल, तथा 15. दिल्ली।

वर्ष 1989 में पंजीकृत इन व्यक्तियों को कनेक्शन न दिए जाने के कारण हैं—(1) संसाधनों की कमी, (2) कुछ स्थानों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करने में देरी। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में पूरे देश में 1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना है।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा 1995-96 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं.	राज्य	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां 7/95 तक
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	66000	63278	77000	77857	82000	138278	148500	28712
2.	असम	10000	11461	13000	13450	10000	13103	14600	6110
3.	बिहार	28000	34389	27000	37189	35000	44068	69300	7458
4.	गुजरात (दादर दमन दीव और नगर हवेली सहित)	94000	79275	81000	82187	80500	122507	163100	18402

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
5.	हरियाणा	26000	23343	41000	41793	22000	47008	64900	9605
6.	हिमाचल	7000	7030	10000	11009	12000	21349	35300	4775
7.	जम्मू और कश्मीर	3500	2569	7000	7047	4000	4983	9300	1821
8.	कर्नाटक	46000	59413	62000	73539	79000	136008	168200	26641
9.	केरल (लक्षद्वीप यू. टी. सहित)	80000	72200	53000	58936	79000	90460	326300	28138
10.	मध्य प्रदेश	50000	72537	98000	101964	57000	88619	173800	9412
11.	महाराष्ट्र (गोआ सहित)	116500	178062	156800	245463	24700	360807	437900	58264
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा)	7000	9200	7300	8687	8000	8689	16100	5422
13.	उड़ीसा	9000	15083	26000	21021	8000	18638	45500	10131
14.	पंजाब (चंडीगढ़ यू. टी. सहित)	23000	33503	51000	59008	70500	101059	182500	24835
15.	राजस्थान	32000	50081	62000	75135	67000	84623	147500	14362
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	65000	63295	96700	94116	152000	149899	326900	24754
17.	उत्तर प्रदेश	70000	92590	115000	59330	82000	116290	195200	24444
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	37000	35952	51200	47885	71000	70240	128700	17433
19.	दिल्ली	80000	83558	76600	125020	260000	153090	272700	25595
	जोड़ :	850000	986819	1111600	1240636	1426000	1769718	2926300	346314

[हिंदी]

भारतीय प्रेस परिषद्

3184. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रेस परिषद् के गठन के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) इसके संगठमात्मक ढांचे का आधार क्या है;

(ग) क्या प्रेस परिषद् अंग्रेजी को एक भारतीय भाषा मानती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो अंग्रेजी भाषा के पत्रकार को इस परिषद् में भारतीय भाषा के प्रतिनिधि के रूप में सदस्यता दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इस परिषद् में ऐसी अनियमितताओं को दूर करके समुचित व्यक्तियों को इसकी सदस्यता दिए जाने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और भारत में समाचार-पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने तथा इसमें सुधार करने के उद्देश्य से भारतीय प्रेस परिषद् को प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अंतर्गत स्थापित किया गया था।

(ख) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा-5 भारतीय प्रेस परिषद् के संस्थागत स्वरूप को निर्धारित करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अंग्रेजी सहित किसी भाषा विशेष को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि किसी भी स्थिति में भारतीय भाषाओं से संबंधित संपादक एवं गैर-संपादक पत्रकारों की श्रेणियों से क्रमशः तीन से कम और चार से कम व्यक्ति नहीं होंगे। प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार परिषद् के सदस्यों को नामित किया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई पाइपलाइन

3185. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित प्राकृतिक गैस के वितरण हेतु नई पाइप-लाइनें बिछाने के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित दक्षिण ग्रिड को आयातित गैस की आपूर्ति के लिए योजना तैयार कर ली है और उसे मंजूर भी कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड एच. पी. जे. पाइपलाइन प्रणाली का दर्जा बढ़ा रही है और उसका विस्तार कर रही है;

(च) यदि हां, तो क्या ओमान से आयातित गैस को एच. बी. जे. पाइपलाइन से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उपरोक्त नई पाइपलाइन बिछाने और एच. बी. जे. पाइपलाइन के उन्नयन और विस्तार में अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आयातित गैस के घरेलू वितरण के लिए पाइपलाइनों का निर्माण करने के लिए कार्रवाई गैस आधारित इकाइयों के स्थान और मांगों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही की जाएगी।

(ग) और (घ) दक्षिणी राज्यों की गैस की मांग पूरी करने के लिए ओमान से आयात की जाने वाली 28.3 एम एम एस सी एम डी गैस का परिवहन करने का प्रस्ताव है।

(ङ) एच बी जी पाइपलाइन की क्षमता 18.2 एम एम एस सी एम डी से बढ़ाकर 33.4 एम एम एस सी एम डी की जा रही है।

(च) और (छ) जी, हां। वर्तमान उपभोक्ताओं की अतिरिक्त मांग पूरी करने के लिए एच बी जे पाइपलाइन के साथ ओमान गैस को जोड़ा जाएगा।

(ज) एच बी जे उन्नयन परियोजना के लिए अनुमोदित लागत 2376 करोड़ रुपए है। नई पाइपलाइनों के लिए अनुमान पाइपलाइन मार्गों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही तैयार किए जाएंगे।

बिहार में टेलीफोन

3186. **श्री प्रेम चंद राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार में कितने टेलीफोन कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया और क्या उपलब्धि रही;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1995-96 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो एक्सचेंज-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) बिहार में 1994-95 के दौरान 35000 के लक्ष्य के मुकाबले 44068 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।

(ख) और (ग) जी, हां। 1995-96 के दौरान बिहार में टेलीफोन-एक्सचेंजों की क्षमता में 28,464 लाइनों की वृद्धि करने की योजना बनाई गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बिहार में वर्ष 1995-96 के दौरान टेलीफोन-एक्सचेंजों की संचित क्षमता में नियोजित वृद्धि का विवरण

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	टाइप	बढ़ाई गई निवल क्षमता
(क) ई-10 बी			
1.	बोकारो	मुख्य	1500
2.	धनबाद	विस्तार	9000
		उप जोड़	10500
(ख) सी-हॉट			
1.	देवघर	मुख्य	600
2.	डाल्टनगंज	मुख्य	2000
3.	पूर्णिया	मुख्य	2000
4.	बेगूसराय	विस्तार	2000
5.	सीतामढ़ी	मुख्य	1320
6.	बिहार सरीफ	विस्तार	1000
7.	आरा	मुख्य	2000
8.	हाजीपुर	मुख्य	2000
		उप जोड़	12920
(ग) छोटे और मध्यम एक्सचेंज			
		सं. 15	5044
		कुल जोड़	28464

एन. एम. एफ. डी. सी.

3187. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का गठन कब किया गया था; और

(ख) अपनी स्थापना से लेकर अब तक निगम द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना 30 सितंबर, 1994 को की गई।

(ख) निगम द्वारा किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकार ने 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी सहित एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की है जो दिनांक 30-9-1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था। बिहार विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला खान को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 2-1-1995 से नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की इक्विटी में भारत सरकार का अंशदान प्रदत्त शेयर पूंजी के 25% तक सीमित होगा और शेष शेयर राज्य सरकारों/निगमों एवं अन्य संस्थानों तथा अल्पसंख्यकों के विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा धारित होंगे।

उक्त निगम के कार्य में तेजी लाने के लिए मंत्रालय ने निगम को 1994-95 के दौरान 50.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए। वर्तमान वर्ष के लिए 39 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, केवल उत्तर प्रदेश राज्य ने ही अपने निगम के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की इक्विटी में 6.95 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। केरल सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की शेयर पूंजी अनुदानस्वरूप 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों ने सूचना दी है कि वे शेयर पूंजी के लिए क्रमशः 5 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए का अंशदान करेंगे। कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की शेयर पूंजी में अंशदान करने के प्रति सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है।

राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगमों/माध्यम एजेंसियों के जरिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस उद्देश्य से माध्यम एजेंसियों को नामांकित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया। छः राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने माध्यम एजेंसियां नामांकित कर ली हैं।

1 अगस्त, 1995 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने 67.40 करोड़ रुपए की ऋण राशि मंजूर की, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का 44.18 करोड़ रुपए का शेयर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, त्रिपुरा और बिहार के लिए था। अब तक 31.02 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। इससे 16,251 लाभग्राहियों को शामिल करते हुए 15,129 यूनिटों की स्थापना में मदद मिलेगी।

सरकारी विज्ञापन

3188. श्री सनत कुमार मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए कई करोड़ रुपए की लागत से विज्ञापन कार्यक्रम शुरू करने हेतु कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में जब केंद्रीय सरकार का बजटीय घाटा जुलाई, 1995 तक लगभग 19,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया हो, ऐसे कार्यक्रम चलाने का क्या औचित्य है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जनगणना

3189. श्री शिव शरण वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य-वार एवं समुदाय-वार जनसंख्या क्या है; और

(ख) वर्ष 1981 तथा 1991 की अवधि के दौरान समुदाय-वार जनसंख्या में कितनी वृद्धि/कमी हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार भारत, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की जनसंख्या के धर्म-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। जिसमें कुल जनसंख्या का प्रतिशत और 1981-91 के दौरान हुई प्रतिशत वृद्धि भी दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	भारत/राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र	जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत 1981-91	हिंदू जनसंख्या	हिंदू कुल जनसंख्या का प्रतिशत	हिंदू प्रतिशत वृद्धि 1981-91	मुस्लिम जनसंख्या	मुस्लिम कुल जनसंख्या का प्रतिशत	मुस्लिम प्रतिशत वृद्धि 1981-91	ईसाई जनसंख्या	ईसाई कुल जनसंख्या का प्रतिशत	ईसाई प्रतिशत वृद्धि 1981-91	सिख जनसंख्या	सिख कुल जनसंख्या का प्रतिशत	सिख प्रतिशत वृद्धि 1981-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	भारत @	1991	816,169,666	23.79	672,599,428	82.41	22.78	95,222,853	11.67	32.76	18,895,917	2.32	16.89	16,243,252	1.99	25.48
		1981	659,300,460		547,794,269	83.09		71,728,063	10.88		16,166,017	2.45		12,844,471	1.96	
	राज्य															
1.	आंध्र प्रदेश	1991	66,508,008	24.20	59,281,950	89.14	24.74	5,923,954	8.91	30.66	1,216,348	1.83	(-) 15.34	21,910	0.03	35.06
		1981	53,549,673		47,525,681	88.75		4,533,700	8.47		1,433,327	2.68		16,222	0.03	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1991	864,558	36.83	320,212	37.04	73.34	11,922	1.38	135.01	89,013	10.29	225.98	1,231	0.19	
		1981	631,839		184,732	29.24		5,073	0.80		27,306	4.32		1,231	0.19	
3.	असम +	1991	22,414,322		15,,047,293	67.13		6,373,204	28.43		744,367	3.32		16,492	0.07	
		1981	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	1991	86,374,465	23.54	71,193,417	82.42	22.72	12,787,985	14.81	29.50	843,717	0.98	13.99	78,212	0.09	0.65
		1981	69,914,734		58,011,070	82.97		9,874,993	14.13		740,186	1.07		77i,704	0.11	
5.	गोवा	1991	1,169,793	16.08	756,621	64.68	16.95	61,455	5.25	48.74	349,225	29.86	10.55	1,087	0.09	(–)18.33
		1981	1,007,749		646,986	64.20		41,317	4.10		315,902	31.35		1,331	0.13	
6.	गुजरात	1991	41,309,582	21.19	36,964,228	89.48	21.12	3,606,920	8.73	24.05	181,754	0.44	36.96	33,044	0.08	47.27
		1981	34,085,799		30,518,500	89.53		2,907,744	8.53		132,703	0.39		22,438	0.07	
7.	हरियाणा	1991	16,463,648	27.40	14,686,512	89.21	27.18	763,775	4.64	45.89	15,699	0.10	28.52	956,836	5.81	19.27
		1981	12,922,618		11,547,676	89.36		523,536	4.05		12,215	0.09		802,230	6.21	
8.	हिमाचल प्रदेश	1991	5,170,877	20.79	4,958,560	95.90	20.95	89,134	1.72	28.04	4,435	0.09	12.16	52,050	1.01	(–)0.30
		1981	4,280,818		4,099,706	95.77		69,613	1.63		3,954	0.09		52,209	1.22	
9.	जम्मू और कश्मीर+	1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1981	5,987,389		1,930,448	32.24		3,843,451	64.19		8,481	0.14		133,675	2.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	कर्नाटक	1991	44,977,201	21.12	38,432,027	85.45	20.66	5,734,023	11.64	25.71	859,478	1.91	11.32	10,101	0.02	57.80
		1981	37,135,714		31,852,029	85.77		4,163,691	11.21		773,500	2.08		6,401	0.02	
11.	केरल	1991	29,098,518	14.32	16,668,587	57.28	12.62	6,788,364	23.33	25.49	5,621,510	19.32	7.41	2,224	0.01	71.74
		1981	25,453,680		14,801,347	58.15		5,409,687	21.25		5,233,865	20.56		1,295	0.01	
12.	मध्य प्रदेश	1991	66,181,170	26.84	61,412,898	92.80	26.61	3,282,800	4.96	31.21	426,598	0.65	21.20	161,111	0.34	12.65
		1981	52,178,844		48,504,575	92.96		2,501,919	4.80		351,972	0.65		143,020	0.27	
13.	महाराष्ट्र @	1991	78,937,187	25.73	64,033,213	81.12	25.29	7,628,755	9.67	31.40	885,030	1.12	11.26	161,184	0.21	50.28
		1981	62,784,171		51,109,457	81.40		5,805,785	9.25		795,464	1.27		107,255	0.17	
14.	मणिपुर	1991	1,837,149	29.29	1,059,470	57.67	24.18	133,535	7.27	34.44	626,669	34.11	48.60	1,301	0.07	31.15
		1981	1,420,953		853,180	60.04		99,327	6.99		421,702	29.68		992	0.07	
15.	मेघालय	1991	1,774,778	32.86	260,306	14.67	8.09	61,462	3.46	48.34	1,146,092	64.58	63.06	2,612	0.15	56.03
		1981	1,335,819		240,831	18.03		41,434	3.10		782,854	52.62		1,674	0.13	
16.	मिजोरम	1991	689,756	39.79	34,788	5.05	(–)1.30	4,538	0.66	105.80	591,342	85.73	42.89	299	0.04	(–)28.98
		1981	493,757		35,245	7.14		2,205	0.45		413,840	83.81		421	0.09	
17.	नागालैंड	1991	1,209,546	56.98	122,473	10.12	10.07	20,642	1.71	74.84	1,057,940	87.47	70.20	723	0.06	(–)1.48
		1981	774,930		111,266	14.36		11,806	1.52		621,590	80.21		743	0.10	
18.	उड़ीसा	1991	31,659,736	20.06	29,971,257	94.67	19.11	577,775	1.83	36.83	666,220	2.10	38.67	17,296	0.05	21.21
		1981	26,370,271		25,161,775	95.42		422,266	1.60		480,426	1.82		14,270	0.05	
19.	पंजाब	1991	20,281,969	20.81	6,989,226	34.46	12.73	239,401	1.18	42.42	225,163	1.11	21.75	12,767,697	62.95	25.18
		1981	16,788,915		6,200,195	36.93		168,094	1.00		184,934	1.10		10,199,141	60.75	
20.	राजस्थान	1991	44,005,990	28.44	39,201,099	89.08	28.09	3,525,339	8.01	41.46	47,989	0.11	21.28	649,174	1.48	34.73
		1981	34,261,862		30,603,970	39.32		2,492,145	7.28		39,568	0.12		492,818	1.44	
21.	सिक्किम	1991	406,457	28.47	277,881	68.37	30.60	3,849	0.95	18.76	13,413	3.30	91.20	375	0.09	16.46
		1981	316,385		212,780	67.25		3,241	1.03		7,015	2.22		322	0.10	
22.	तमिलनाडु	1991	55,858,946	15.39	49,532,052	88.67	15.15	3,052,717	5.47	21.14	3,179,410	5.69	13.63	5,449	0.01	23.98
		1981	48,408,077		43,016,546	88.86		2,519,947	5.21		2,798,048	5.78		4,395	0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.	त्रिपुरा	1991	2.757,205	34.30	2,384,934	86.50	30.02	196.495	7.13	41.84	46.472	1.68	86.84	740	0.03	159.65
		1981	2,053,058		1,834,218	89.34		138,529	6.75		24.872	1.21		285	0.01	
24.	उत्तर प्रदेश	1991	139,112,287	25.48	113,712.829	81.74	23.11	24,109,684	17.33	36.54	199,575	0.14	23.04	675,775	0.48	47.34
		1981	110,862,013		92,365.968	83.31		17,657,735	15.93		162,199	0.15		458.647	0.41	
25.	पश्चिम बंगाल	1991	68.077,965	24.73	50.866,624	74,72	21.09	16,075,836	23.61	36.89	383,477	0.56	19.96	55,392	0.08	12.92
		1981	54,550,647		42.007,159	76.96		11,743,259	21.51		319.670	0.59		49.054	0.09	
	संघ राज्यक्षेत्र															
1.	अंडमान और	1991	280,661	48 70	189,521	67.53	55.61	21,354	7.61	31.91	67,211	23.95	39.23	1,350	0.48	36.23
	निकोबार द्वीप समूह	1981	188.741		121,793	64.53		16,188	8.58		48,274	25.58		991	0.52	
2.	चंडीगढ़	1991	642.015	42 16	486,895	75.84	43.24	17,477	2.72	91.74	5.030	0.78	12.53	130.288	20.29	36.61
		1981	451.610		339,920	75.27		9,115	2.02		4,470	0.99		95,370	21.11	
3.	दादरा और	1991	138,477	33.57	132.213	95.48	33.45	3,341	2,41	72.93	2,092	1.51	3.31	20	0.01	81.82.
	नागर हवेली	1981	103.676		99.072	95.56		1,932	1.86		2,025	1.95		11	0.01	
4.	दमन और दीव	1991	101.586	28.62	89.153	87.76	28.87	9,048	5.91	26.65	2,904	2.86	23.73	101	0.10	106.12
		1981	78.981		69,183	87.59		7,144	9.05		2,347	2.97		49	0.06	
5.	दिल्ली	1991	9,420,644	51.45	7,882,164	83.67	51.57	889,641	9.44	84.64	83,152	0.88	34.97	455,657	4,84	15.67
		1981	6,220,406		5,200,432	83.60		481,802	7.75		61,609	0.99		393.921	633	
6.	लक्षद्वीप	1991	51,707	28.47	2,337	4.52	29.91	48,765	94.31	27.75	598	1.16	124.81	1	N	∝
		1981	40.249		1,799	4.47		38,173	94.84		266	0.66		—	—	
7.	पांडिचेरी	1991	807,785	33.64	695,981	86.16	34.56	52.867	6.54	44.20	58,362	7.23	16.93	29	N	(–)6.45
		1981	604,471		517,228	85.57		36,663	6.06		49,914	8.26		31	0.01	

(चालू)

क्र. सं.	भारत/राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र	जनगणना वर्ष	बौद्ध			जैन			अन्य धर्म व सम्प्रदाय			धर्म नहीं बताया गया		
			जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि 1981-91
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	भारत @	1991	6,323,492	0.77	35.98	3,332,061	0.41	4.42	3,131,125	0.38	13.19	405,486	0.05	573.46
		1981	4,650,194	0.71		3,190,996	0.48		2,766,241	0.42		60,209	0.01	
	राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	1991	22,153	0.03	71.33	26,564	0.04	42.50	2,564	N	201.29	12,565	0.02	51.02
		1981	12,930	0.02		18,642	0.03		851	N		8,320	0.02	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	1991	111,372	12.88	28.78	64	0.01	52.38	313,118	36.22	(–)3.95	17,652	2.04	1,716.05
		1981	86,483	13.69		42	0.01		326,000	51.60		972	0.15	
3.	असम+	1991	64,808	0.29	—	20645	0.09	—	138.230	0.62	—	10.083	0.05	—
		1981	—	—		—	—		—	—		—	—	
4.	बिहार	1991	3,518	N	17.15	23,049	0.03	(–)16.53	1,443,258	1.67	22.32	1,309	N	356.10
		1981	2,002	N		27,613	0.04		1,179,878	1.69		287	N	
5.	गोवा	1991	240	0.02	(–)20.53	487	0.04	5.41	403	0.04	(–)9.23	275	0.02	(–)72.64
		1981	302	0.03		462	0.05		444	0.04		1.005	0.10	
6.	गुजरात	1991	11,615	0.03	53.84	491,331	1.19	5.04	14.213	0.03	(–)9.37	6,478	0.02	(–)51.70
		1981	7,550	0.02		467,768	1.37		15,683	0.05		13,413	0.04	
7.	हरियाणा	1991	2,058	0.01	170.43	35,296	0.21	(–)0.52	156	N	(–)77.06	3,316	0.02	8.626.32
		1981	761	0.01		35,482	0.27		680	0.01		38	N	
8.	हिमाचल प्रदेश	1991	64,081	1.24	21.76	1,206	0.02	15.30	211	N	(–)64.48	1,200	0.02	12.46
		1981	52,629	1.23		1,046	0.02		594	0.01		1,067	0.03	
9.	जम्मू और कश्मीर+	1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1981	69,706	1.17		1,576	0.03		44	N		8	N	

1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10.	कर्नाटक	1991	73,012	0.16	72.81	326,114	0.73	14.62	6.235	0.01	(-) 50.97	36.121	0.08	8,342.03
		1981	42,251	0.11		284.508	0.77		12.901	0.04		433	N	
11.	केरल	1991	223	N	0.00	3.641	0.01	1.00	3.275	0.01	556.31	10.694	0.04	238.52
		1981	223	N		3.605	0.02		499	N		3.159	0.01	
12.	मध्य प्रदेश	1991	216,667	0.33	187.69	190,324	0.74	10.20	62.457	0.09	(–)59.88	128.315	0.19	9.104.81
		1981	75,312	0.14		444,960	0.85		155,692	0.30		1,394	N	
13.	महाराष्ट्र @	1991	5,040,785	6.39	27.74	965.840	1.22	2.82	99,768	0.13	34.12	106,560	0.14	1,596.01
		1981	3,946,149	6.28		939,392	1.50		74,386	0.12		6,283	0.01	
14.	मणिपुर	1991	711	0.04	50.32	1,337	0.07	37.13	14,066	0.77	(–)60.37	60	N	(+) 99.32
		1981	473	0.03		975	0.07		35,490	2.50		8,814	0.62	
15.	मेघालय	1991	2,934	0.16	7.12	445	0.02	(–)17.90	298,466	16.82	(–)13.29	2,461	0.14	60.85
		1981	2,739	0.20		542	0.04		344,215	25.77		1,530	0.11	
16.	मिजोरम	1991	54,024	7.83	33.63	4	N	(–)63.64	1,859	0.27	15.75	2,902	0.42	*
		1981	40,429	8.19		11	N		1.606	0.32				
17.	नागालैंड	1991	581	0.05	12.38	1.202	0.10	4.25	5,870	0.48	(–)78.92	106	0.01	3,433.33
		1981	517	0.07		1.153	0.15		27,852	3.59		3	N	
18.	उड़ीसा	1991	9,153	0.03	14.01	6.302	0.02	(–)5.12	397,798	1.26	45.40	13,935	0.04	319.98
		1981	8,028	0.03		6,642	0.03		273,596	1.04		3,318	0.01	
19.	पंजाब	1991	24,930	0.12	3,020.15	20,763	0.10	(–)23.24	883	0.01	(–)88.47	13,906	0.07	1,230.72
		1981	799	N		27.049	0.16		7,658	0.05		1,045	0.01	
20.	राजस्थान	1991	4,467	0.01	0.90	562,806	1.28	(–)9.85	1,191	N	(–)66.38	13,925	0.03	1,196.55
		1981	4,427	0.01		624,317	1.82		3,543	0.01		1,074	N	
21.	सिक्किम	1991	110,371	27.15	21.49	40	0.01	(–)62.96	374	0.09	(–)81.18	154	0.04	83.33
		1981	90.848	28.71		108	0.03		1,987	0.63		84	0.03	
22.	तमिलनाडु	1991	2,128	N	189.52	66,900	0.12	34.98	2,620	0.01	(–)84.56	17.670	0.03	844.92
		1981	735	N		49,564	0.10		16,972	0.04		1,870	N	

1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
23.	त्रिपुरा	1991	128,260	4.65	134.03	301	0.01	1.35	2	N	(–)92.59	1	N	(–)95.82
		1981	54,806	2.67		297	0.02		27	N		24	N	
24.	उत्तर प्रदेश	1991	221,433	0.16	305.99	176,259	0.13	24.52	8,392	0.01	(–) 58.74	8,340	0.01	706.58
		1981	54,542	0.05		141.549	10.13		20,339	0.02		1,034	N	
25.	पश्चिम बंगाल	1991	203,578	0.30	30.25	34.355	0.05	(–)11.14	452,403	0.67	71.75	6,300	0.01	101.15
		1981	156,296	0.29		38,663	0.07		263,414	0.48		3,132	0.01	
	संघ राज्यक्षेत्र													
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1991	322	0.11	153.54	17	0.01	54.55	256	0.09	10.82	630	0.22	(–)44.05
		1981	427	0.07		11	N		231	0.12		1.126	0.60	
2.	चंडीगढ़	1991	699	0.11	53.96	1,531	0.24	(–)18.95	40	0.01	(–)84.85	55	0.01	(–)57.03
		1981	454	0.10		1,889	0.42		264	0.06		128	0.03	
3.	दादरा और नागर हवेली	1991	200	0.15	5.82	529	0.38	42.20	82	0.06	20.59	—	—	(–)100.00
		1981	189	0.18		372	0.36		68	0.07		7	0.01	
4.	दमन और दीव	1991	31	0.03	∝	212	0.21	51.43	123	0.12	4.24	14	0.01	∝
		1981	—	—		140	0.18		118	0.15		—	—	
5.	दिल्ली	1991	13,906	0.15	95.39	94,672	1.00	28.08	936	0.01	(–)13.41	516	0.01	(-) 2.09
		1981	7,117	0.11		73,917	1.19		1,081	0.02		527	0.01	
6.	लक्षद्वीप	1991	1	N	∝	—	—	—	2	N	∝	3	0.01	(–)72.73
		1981	—	—	—		—	—	—	—		11	0.03	
7.	पांडिचेरी	1991	39	0.01	48.00	470	0.06	69.68	14	N	(–)91.86	23	N	(–)779.28
		1981	75	0.01		277	0.04		172	0.03		111	0.02	

टिप्पणी : × असम और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर।

@ महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले की अकराणी और अक्कलकुवा तहसीलों के 33 गांवों में 1991 की जनगणना नहीं हो सकी थी। इन गांवों की जनसंख्या (अर्थात् 16,052 व्यक्ति) गौण स्रोतों से ली गई है और महाराष्ट्र और भारत की जनसंख्या में सम्मिलित की गई है। तथापि उनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

÷ असम और जम्मू एवं कश्मीर से क्रमशः 1981 और 1991 में जनगणना नहीं की गई थी।

N से तात्पर्य 'नगण्य' है।

∝ से तात्पर्य 'अनंत' है।

[हिंदी]

टाडा कैदी

3190. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप टाडा कैदियों की रिहाई के लिए पुनरीक्षा समितियों का गठन किया गया है;

(ख) इन समीक्षा समितियों की सिफ़ारिश पर 30 जून, 1995 तक, राज्य-वार कितने टाडा कैदियों को रिहा किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन पुनरीक्षा समितियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर ऐसे कैदियों को रिहा करने हेतु सरकारों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा पुनरीक्षा समितियों के गठन के बारे में और ऐसी पुनरीक्षा समितियों की सिफारिशों पर छोड़े गए टाडा नजर-बंदियों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सभी लंबित मामलों की तेजी से पुनरीक्षा करने और जहां कहीं न्याय हानि हुई हो उन मामलों में तुरंत राहत देने की आवश्यकता को गृह मंत्रालय बार-बार दोहराता रहा है।

विवरण

क्रम सं.	टाडा को लागू करने वाले उन राज्यों के नाम जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षा समितियां गठित की हैं	टाडा के उपबंधों को समाप्त करने पर पुनरीक्षा के बाद रिहा किए गए व्यक्तियों के बारे में उपलब्ध सूचना
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	208
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	2229
4.	बिहार	765
5.	गुजरात	647
6.	हरियाणा	प्राप्त नहीं
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	जम्मू और कश्मीर	23
9.	कर्नाटक	28
10.	मणिपुर	92
11.	मध्य प्रदेश	15
12.	महाराष्ट्र	507
13.	मेघालय	शून्य
14.	पंजाब	2819
15.	राजस्थान	85
16.	तमिलनाडु	4
17.	उत्तर प्रदेश	418
18.	पश्चिम बंगाल	शून्य
19.	गोवा	शून्य
20.	चंडीगढ़	8
21.	दिल्ली	118
	योग :	7968

विज्ञापन

3191. श्री परसराम भारद्वाज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान अनेक विज्ञापनों को बार-बार दिखाया जाता है जिसके कारण दर्शकों की इन कार्यक्रमों में रुचि कम होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दर्शकों के हित में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण को कम-से-कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) विज्ञापनों से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से दूरदर्शन कार्यक्रमों के बीच में विज्ञापनों को शामिल करता है लेकिन वे कार्यक्रम की निरंतरता को किसी भी प्रकार से प्रभावित किए बिना तथा दर्शकों की रुचि में कमी किए बगैर शामिल किए जाते हैं।

नहरों की खुदाई

3192. श्री एन. जे. राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को गुजरात सरकार से नहरों की खुदाई के लिए मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) गुजरात की स्वीकृति हेतु लंबित नई बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

विवरण

केंद्र में गुजरात की नई, बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लाभ (हेक्टेयर)	केंद्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
	वृहद् परियोजनाएं				
1.	मच्छू-I सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकरण	8.12	2140 (अतिरिक्त)	फरवरी, 91	यह परियोजना सलाहकार समिति द्वारा 8/93 में स्वीकार्य पाई गई थी। राज्य सरकार को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है और राज्य वित्त विभाग की सहमति भेजनी है।
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	उन्द-II	27.09	4250	दिसंबर, 91	राज्य सरकार को परियोजना के विभिन्न मामलों जैसे जल विज्ञान, सिंचाई आयोजना, लागत अनुमानों का समाधान करना है।
2.	गोमा	31.10	7005	मई, 94	राज्य सरकार को परियोजना के विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामले सुलझाने हैं। कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। वन भूमि के स्थानांतरण की स्वीकृति भी सिद्धांतः प्राप्त हो गई है।
3.	वालन	22.16	7390	मई, 90	राज्य सरकार को वन स्वीकृति प्राप्त करनी है, क्रोपिंग पैटर्न की पुनरीक्षा करनी है और सिंचाई आयोजना अध्ययनों को अंतिम रूप देना है।
4.	ओजट-II	59.73	7960	अक्तूबर, 93	राज्य सरकार को लाभ लागत अनुपात के संबंध में मामले हल करने हैं।
5.	नित्ती का पुनर्रुद्धार	14.51	2030	जून, 93	राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामले सुलझाने हैं।
6.	महुपदा	25.74	2340	सितंबर, 93	राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामले सुलझाने हैं।
7.	वरतू-II	24.18	6150	दिसंबर, 1991	राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामले सुलझाने हैं।
8.	नानीवरसम (अरसना)	32.40	3760	नवंबर, 94	राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामले सुलझाने हैं।

1	2	3	4	5	6
9.	वकरोल (ओ एल)	23.86	4290	जनवरी, 95	राज्य सरकार की केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामले सुलझाने हैं।

टिप्पण—परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना और जहां लागू हो, वन/पर्यावरण/पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करती है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्य

3193. **श्री एस. एम. लालजान शाह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में कोई ऐसा बोर्ड/परिषद है जिसमें मंत्रालय की सहायता करने/मंत्रालय को सलाह देने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को नामित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नामांकन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और सदस्यों, बोर्ड/परिषद का नाम, परिषद/बोर्ड का आकार और बोर्ड और इसके सदस्यों के निर्देश का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. राष्ट्रीय एकता परिषद

परिषद का कोई तय आकार नहीं है। तथापि, केंद्रीय मंत्रि परिषद, सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के नेता और संसद के किसी सदन में कम-से-कम एक प्रतिनिधि वाले तथा निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय दलों के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्ति इस परिषद के सदस्य होते हैं। परिषद के लिए कोई निश्चित 'विचारणीय विषय' नहीं हैं। तथापि, यह परिषद राष्ट्रीय एकता से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करती है।

2. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी बोर्ड, हैदराबाद

इस बोर्ड के अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं और इसमें 19 सदस्य होते हैं जिनमें से 6, गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, संसद सदस्यों तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों पर नामांकन हेतु विचार किया जाता है। यह बोर्ड, अकादमी द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के बारे में परामर्श देता है।

3. पुलिस अनुसंधान एवं विकास सलाहकार परिषद

परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करते हैं। आसूचना ब्यूरो के निदेशक और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के निदेशक इस परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। कुल 14 सदस्य होते हैं जिनमें से 4, गैर-सरकारी होते हैं। वे समाज विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और प्रबंधन के क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले होते हैं। बोर्ड को, देश में पुलिस की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करने और पुलिस अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों एवं नीतियों की सिफारिशें करने का काम सौंपा जाता है।

4. गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति

समिति में सामान्यतया 30 सदस्य होते हैं जिनमें से 15, गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों में शामिल हैं—राज्य सभा और लोक सभा दोनों में से दो-दो सदस्य, 2 सदस्य संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित और 2 सदस्य, स्वयंसेवी हिंदी संगठनों से। शेष सात गैर-सरकारी सदस्य, गृह मंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। यह समिति, सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में मंत्रालय को सलाह देती है।

रसोई गैस कनेक्शन

3194. **डॉ. बसंत पवार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों के कोटे से गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने रसोई गैस कनेक्शन स्वीकृत किए गए;

(ख) क्या सरकार को किन्हीं फर्जी रसोई गैस कूपनों की जानकारी मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1992 और 1993 के दौरान संसद सदस्यों के कोटे के प्रति संस्वीकृत एल पी जी कनेक्शनों की संख्या निम्नवत् है—

वर्ष	संस्वीकृत कनेक्शनों की संख्या
1992	36357
1993 (जनवरी-जून, 93)	26856

माननीय ससदस्यों की सिफारिशों के अनुसार, अग्रता आधार पर एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए 1-7-1993 के एक विशेष अग्रता वाउचर प्रणाली आरंभ की गई है। माननीय सदस्य किसी भी व्यक्ति को एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा वह व्यक्ति देश के किसी भी भाग

में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से अग्रता कनेक्शन प्राप्त कर सकता है।

(ख) और (ग) जी, हां। एल पी जी कनेक्शनों के लिए नकली वाउचरों के कुछ मामले सरकारी तेल कंपनियों की दृष्टि में आए हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों को विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि वे नकली वाउचरों का पता लगा सकें। जब कहीं नकली वाउचरों का पता लगा लिया जाता है तो प्रतिभूति जमा राशि को जब्त कर लिया जाता है और रीफिलों की आपूर्ति रोक दी जाती है। कुछ मामलों में उपकरण वापस ले लिए गए हैं और पुलिस के यहां शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

निरीक्षण-क्वार्टर

3195. डॉ. लाल बहादुर रावल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग के अधिकांश निरीक्षण-क्वार्टरों पर विभिन्न परिमंडलों के उच्च अधिकारियों ने अनुज्ञेय-अवधि से अधिक समय तक कब्जा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिंदी]

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को बंद किया जाना

3196. श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को बंद किए जाने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणाम कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जीवन की सुरक्षा

3197. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन माह के दौरान संसद सदस्यों के माध्यम से राज्य-वार, कितनी याचिकाएं ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनमें जीवन की सुरक्षा की मांग की गई है; और

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र

3198. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में विशेषतः मिदनापुर जिले में अनेक टेलीफोन एक्सचेंजों में कोई सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य में मिदनापुर जिले सहित ऐसा कोई जिला नहीं है जहां सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा न हो। मिदनापुर जिले में 1249 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ कार्य कर रहे है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में फैक्स-सुविधा

3199. श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र के डाकघरों में फैक्स सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये डाकघर कहां-कहां अवस्थित हैं;

(ग) क्या उक्त सुविधा दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो स्थानों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यह सुविधा कब तक दे दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र में डाक-घरों के माध्यम से जनता के लिए फैक्स सुविधा प्रदान करने हेतु कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नीति के तौर पर, केवल तारघरों से और दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित दूरसंचार केन्द्रों के माध्यम से ब्यूरो फैक्स सुविधा प्रदान की जाती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी और दूरदर्शन का आधुनिकीकरण

3200. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में आकाशवाणी और दूरदर्शन का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये योजनाएं कब तक कार्यान्वित की जाएंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में दिए अनुसार।

विवरण

क्रम सं.	स्कीम का नाम	तैयार होने की संभावित तिथि
1	2	3
	आकाशवाणी	
1.	कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (प्रशि.) भुवनेश्वर।	1996-97
2.	सम्भलपुर में 20 कि.वा. मी.वे.ट्रा. का 100 कि.वा. तक उन्नयन तथा प्रतिस्थापन।	दिसंबर, 1995
3.	जैपोर में 50 कि.वा. शा.वे.ट्रा. की स्थापना।	मई, 1996
4.	पुरी में 3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर सहित स्थानीय रेडियो केंद्र।	अक्तूबर, 1995
5.	जोरांदा में 1 कि.वा. मी.वे.ट्रा. सहित स्थानीय रेडियो केंद्र।	अक्तूबर, 1995
6.	बालासोर के सोरो में 1 कि.वा. मी.वे.ट्रा., एम.पी. स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केंद्र।	1997-98
7.	रायरंगपुर में 1 कि.वा. मी.वे.ट्रा., एम.पी. स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केंद्र।	1997-98
	दूरदर्शन	
1.	उ.श.ट्रा. सम्भलपुर का 1 कि.वा. से 10 कि.वा. में उन्नयन।	1996-97
2.	अ.श.ट्रा., बालेश्वर का अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में उन्नयन।	तथैव
3.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, बहरामपुर का अल्प श.ट्रा. से उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में उन्नयन।	तथैव
4.	कार्यक्रम निर्माण सुविधा केंद्र, सम्भलपुर का भवन निर्माण।	तथैव
5.	कार्यक्रम निर्माण सुविधा केंद्र, भवानीपटना।	1996-97

टिप्पणी :

उपरोक्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करना/पूरा करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

संकेत :

स्टा.क्वा.	—	स्टाफ क्वार्टर
उ.शा.ट्रा.	—	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
का.नि.सु.के	—	कार्यक्रम निर्माण सुविधा केंद्र
अ.शा.ट्रा.	—	अल्प शक्ति ट्रांमीटर

एल. पी. जी. एजेंसियों तथा पेट्रोल के खुदरा बिक्री केंद्रों का आवंटन

3201. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सरकार के कार्यकाल के दौरान आवंटित पेट्रोल के खुदरा बिक्री केंद्रों तथा एल.पी.जी. एजेंसियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त आवंटनों में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप संबंध में बिना बारी के किए गए कुल आवंटनों की संख्या कितनी है; और

(ग) बिना बारी के आवंटन हेतु क्या मापदंड अपनाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संघ मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) तेल चयन बोर्ड के माध्यम से सामान्य चयन प्रक्रिया नवंबर, 1990 से स्थगित कर दी गई तथा जनवरी, 1991 में तेल चयन बोर्डों को समाप्त कर दिया गया। 1-1-1993 की प्रभावी तिथि से 18 राज्यवार/क्षेत्रवार तेल चयन बोर्डों का गठन किया गया था। 31-3-1995 की स्थिति के अनुसार वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान तेल चयन बोर्डों के माध्यम से 896 खुदरा बिक्री केंद्र तथा 623 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन किया गया है।

(ख) और (ग) वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 31-3-1995 तक सरकार की स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत 162 खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप तथा 208 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुकंपा आधार पर आवंटित की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा अनुमोदित अनुकंपा आधार पर स्वविवेक कोटा, के तहत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के लिए दिशानिर्देश विवरण में संलग्न हैं।

विवरण

विवेकाधीन कोटे के तहत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश :

(i) उस व्यक्ति का आश्रित जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया हो परंतु जिसका अभी तक उचित रूप से पुनर्वास न किया गया हो।

(ii) किसी ऐसे परिवार का सदस्य, जो आतंकवादियों के आक्रमण, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का शिकार रहा हो।

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(iv) प्रतिरक्षा/अर्द्ध सैनिक/पुलिसकर्मी/अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी जो ड्यूटी के समय स्थायी रूप से अपंग हो गए हों।

(v) असामान्य परिस्थितियों में प्राण गंवाने वालों के निकटतम संबंधी अर्थात् विधवा, अभिभावक, संतान।

(vi) कठिन परिस्थितियों में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों, संगीतकारों, साहित्यकारों आदि जैसे विख्यात पेशेवर व्यक्ति और उच्च उपलब्धि प्राप्त महिलाएं।

(vii) वेहद दुःख-तकलीफ के विशिष्ट मामले, जो सरकार की राय में अत्यंत मार्मिक है और किसी समय पर मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(viii) विवेकाधीन आवंटनों की संख्या सामान्य रूप से औसत वार्षिक विपणन योजना के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें से पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा विक्री केंद्रों के आवंटन सामान्य रूप से 5% से अधिक नहीं होने चाहिए।

किसी उम्मीदवार को विवेकाधीन आवंटन निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधीन किया जाएगा :

1. भारत का/की नागरिक होना/होनी चाहिए।

2. उसके अथवा उसके निम्न निकट संबंधियों (सौतेले संबंधियों सहित) के पास पहले से ही किसी तेल कंपनी के पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप नहीं होनी चाहिए।

(1) पति/पत्नी

(2) पिता/माता

(3) भाई

(4) पुत्र/पुत्रवधू

गुजरात में गैस ग्रिड

3202. श्री महेश कनोडिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने गुजरात में गैस ग्रिड स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस ग्रिड से राजस्थान को गैस देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गुजरात में 90 से अधिक उपभोक्ताओं को विद्यमान पाइपलाइनों के जरिए गैस आपूर्ति की जाती है। गुजरात में अतिरिक्त पाइपलाइन विछाने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

3203. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन के लिए साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि से विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड में कोई प्रावधान किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(घ) क्या सरकार को ऐसी जानकारी है कि विस्थापित व्यक्तियों के स्थान पर कुछ अन्य व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा दिनांक 15-6-95 तक 9536 भू-वंचितों को रोजगार दे दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

यू. एस. वेस्ट को लाइसेंस

3204. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
डॉ. वसंत पवार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने पायलट परियोजनाएं स्थापित करने हेतु यू. एस. वेस्ट को लाइसेंस जारी करने के बारे में सरकार से विदेशी निवेश संबंधी नये निर्देश देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

कोयला खनन की नई तकनीकें

3205. श्री रामपाल सिंह :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को कोयला खनन की नई तकनीकें देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव पर दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) उक्त समझौते के कब से प्रभावी होने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयले पर इंडो-रूस कार्यकारी दल की जुलाई के अंत में संपन्न हुई दूसरी बैठक में हुए विचार-विमर्श के दौरान रूसी पक्ष ने कोयला धुलाई संयंत्र, शॉफ्टों के निर्माण और ओपनकास्ट खनन के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी की पेशकश किए जाने की इच्छा व्यक्त की। भारतीय पक्ष ने किसी भी प्रकार की विशिष्ट प्रौद्योगिकी पर, जिसकी कि पेशकश की जाएगी, उक्त के संबंध में सहमति व्यक्त की।

(ग) और (घ) किंतु, इस संबंध में अभी तक किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

रसोई गैस कनेक्शन

3206. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में प्राथमिकता के आधार पर कितने रसोई गैस कनेक्शन दिए गए;

(ख) अन्य राज्यों में रसोई गैस कनेक्शन दिए जाने का अनुपात क्या है;

(ग) क्या बिहार में प्राथमिकता के आधार पर काफी कम संख्या में रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इतनी कम संख्या में रसोई गैस कनेक्शन दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) सरकार के विवेक पर तत्काल तथा पात्र मामलों में व्यक्तियों एवं जन प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, जन सेवा समाज सेवकों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जिनमें कुछ मामलों में सांसद एवं पूर्व सांसद शामिल हैं, की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्राथमिकता कनेक्शन जारी किए जाते हैं। सांसदों के कोटे के प्रति भी प्राथमिकता कनेक्शन जारी किए जाते हैं। प्राथमिकता वाले एल पी जी कनेक्शन राज्य-वार आधार पर नहीं दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

शिक्षित बेरोजगार युवक

3207. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में शिक्षित युवकों में बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शिक्षित युवकों के बीच बढ़ते बेरोजगारी पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनंतिम अनुमानों से पता चलता है कि देश में शिक्षितों और अशिक्षितों, दोनों में बेरोजगारी आठवीं योजना के आरंभ में 17 मिलियन के विपरीत मार्च, 1995 के अंत में 18.7 मिलियन थी। इस प्रकार के अनुमान राज्य-वार और शिक्षित व्यक्तियों के लिए अलग से नहीं लगाए गए हैं।

(ख) बेरोजगारी आठवीं पंचवर्षीय योजना में महत्व दिया जाने वाला क्षेत्र है। इस योजना में रोजगार सघन सेक्टरों, उप-सेक्टरों और कार्यकलापों के तीव्र विकास के आधार पर शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों के लिए देश में उत्पादक रोजगार अवसरों के तीव्र विकास के लिए एक कार्यनीति की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री की रोजगार योजना की एक विशेष रोजगार स्कीम, जो शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, गुजरात सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

समाचार वाचक/उद्घोषक

3208. श्री के. जी. शिवप्पा :
डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री राम विलास पासवान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमों के समाचार वाचकों और उद्घोषकों को सरकारी कर्मचारी मान लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या उन्हें नियमित सेवा ढांचे के अंतर्गत रखा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आकाशवाणी के उद्घोषक अपनी पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन दे रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत सभी स्टाफ आर्टिस्टों/समाचारवाचक-सह-अनुवादकों सहित आकाशवाणी के उद्घोषकों (विदेशी नागरिकों और जिन्होंने विशेषरूप से बाहर रहने का विकल्प चुना है) जो 6 मार्च, 1982 को सेवा में थे या उसके बाद नियुक्त हैं, को सरकारी कर्मचारी माना गया है। इस तरह से कर्मचारियों की ये श्रेणियां अब सेवानिवृत्ति लाभों सहित जैसा कि केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों पर लागू होता है, सेवा शर्तों से शासित होते हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। उद्घोषक समय-समय पर बेहतर कैरियर प्रोसपैक्टस तथा पदोन्नति के अवसरों की मांग करते रहे हैं।

(छ) उद्घोषकों के संवर्ग को पुनर्गठित करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश में दूरसंचार नेटवर्क

3209. श्री बलराज पासी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में संचार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में जिलेवार कितनी टेलीफोन एक्सचेंजें हैं;

(घ) क्या ऐसी एक्सचेंजों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) पर्वतीय जिलों में जिलावार कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या नीचे दी गई है—

1. पिथौरागढ़	—	22
2. अलमोड़ा	—	30
3. देहरादून	—	24
4. नैनीताल	—	54
5. पौढ़ी	—	29
6. उत्तरकाशी	—	11
7. टिहरी	—	28
8. चमोली	—	32
योग :		230

(घ) से (ङ) जी, हां। ब्यौरे भाग (ख) में उल्लिखित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1995-96 के दौरान निम्नलिखित प्रणालियां संस्थापित की जाएंगी—

(i) देहरादून में एम.सी.पी.सी. बी.एस.ए.टी. सहित हब-स्टेशन = 16 नग

(ii) 10 चैनल यू.एच.एफ. प्रणालियां = 29 नग

(iii) 30 चैनल यू.एच.एफ. प्रणालियां = 24 नग

1995-96 के दौरान निम्नलिखित नए एक्सचेंज चालू किए जाने की संभावना है।

1. देहरादून में 10 के न्यू टेक.
2. आई.आई.पी., देहरादून में 2के ई-10बी आर.एस.यू.
3. क्लीमेंट टाउन देहरादून में 1के ई-10बी आर.एस.यू.
4. लामगोंडी (चमोली) में 128 पी सी डॉट
5. गैरसैण (चमोली) में 128 पी सी-डॉट
6. गाजा (टिहरी) में 128 पी सी-डॉट
7. जमनीखाल (टिहरी) में 128 पी सी-डॉट
8. घंघेलीखाल (टिहरी) में 128 पी सी-डॉट
9. गंगोत्री (उत्तरकाशी) में 128 पी सी-डॉट
10. पीखल, जिला पौढ़ी गढ़वाल में 128 पी सी-डॉट
11. कंडखाट, जिला पौढ़ी गढ़वाल में 128 पी सी डॉट

इन पर्वतीय जिलों में 1995-96 के दौरान उनके एक्सचेंजों का विस्तार भी किया जाएगा। इस वित्त वर्ष के दौरान 20 तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. भी प्रदान करने की योजना है।

[हिंदी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति

3210. श्री मंगल लाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के लिए अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमिगत अथवा फरार होने या प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता के संबंध में शपथ-पत्र अथवा जिले के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के प्रमाण-पत्र को पेंशन स्वीकृति के लिए मान्यता नहीं दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसे मामलों में न्यायालय के निर्देश पर पेंशन स्वीकृत की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) योजना के अंतर्गत ही, पात्रता के मानदंड और स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भोगी गई जिन यातनाओं का दावा किया गया है, उनके समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों का प्रावधान किया गया है। पेंशन की स्वीकृति के दावों पर विचार और उनका निपटान, योजना के अधीन निर्धारित प्रक्रिया और उसके अधीन समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) वह साक्ष्य अर्थात् उपर्युक्त शपथ पत्र जो योजना के उपबंधों के अनुरूप नहीं पाया जाता, उस पर पेंशन की स्वीकृति के लिए विचार नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमाण-पत्र, योजना के उपबंधों के अधीन, केवल तभी स्वीकार किए जा सकते हैं जब सरकार को समाधानप्रद रूप में यह पुष्टि हो जाए कि संबद्ध समय के सरकारी अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) और (च) थोड़े से मामलों में, कुछ न्यायालयों ने, इस आधार पर पेंशन की संस्वीकृति के निदेश सरकार को दिए कि उन्होंने, योजना के अधीन

अपेक्षाओं को पूरा कर दिया है। यदि योजना के उपबंधों के अनुसार ऐसे आधार स्वीकार्य नहीं होते हैं तो सरकार निर्णयों का प्रतिवाद उपयुक्त न्यायालयों के समक्ष अपीलें/पुनरीक्षा याचिकाएं दाखिल करके कर चुकी है/कर रही हैं। चूंकि पेंशन जारी करने के आदेश विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित किए गए हैं, इसलिए ऐसे सभी मामलों का ब्यौरा देना संभव नहीं है क्योंकि इस बारे में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यकरण

3211. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, बजाए मानव अधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करने के, जिसके लिए इसका मूलतः गठन किया गया था, पर्यावरण प्रदूषण, आवास की कमी आदि जैसे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने आयोग के कार्यकरण की उपलब्धियों का कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार समाचार माध्यमों आदि में दी गई कुछ रिपोर्टों से अवगत है जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए पर्यावरण प्रदूषण, आवास के अभाव आदि जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के बारे में विचार व्यक्त किए गए हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-12 में यथा निरूपित, आयोग के कार्य केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की छानबीन करने तक ही सीमित नहीं है। तथापि, सरकार का मत है कि आयोग को नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए।

(ख) और (ग) मानवाधिकार संरक्षण विधेयक, 1993 को लागू किए हुए अभी दो साल से भी कम समय हुआ है। अधिनियम और उसके अधीन गठित आयोग के कार्यकरण की सफलता एवं असफलता पर टिप्पणी, अभी समयपूर्व टिप्पणी होगी। आयोग द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। इस कार्रवाई से, आयोग के कार्य-निष्पादन और अधिनियम के कार्यकरण के मूल्यांकन और उसके किसी पक्ष पर चर्चा करने का अवसर भी मिल जाता है। आयोग ने वर्ष 1993-94 की अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट 3-6-94 को प्रस्तुत की थी जिसे 26 अगस्त 1994 को संसद में रखा गया था। सरकार को वर्ष 1994-95 के लिए आयोग की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट भी 16 जून, 1995 को प्राप्त हुई है जिसे संसद के दोनों सदनों में रखे जाने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है।

तेल के कुओं की खुदाई

3212. **डॉ. वी. राजेश्वर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने रामनाथपुरम में अब तक कितने कुओं की खुदाई की है, और चालू वर्ष में कितने कुओं की खुदाई किए जाने की संभावना है;

(ख) इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं अथवा प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त जिले में ड्रिलिंग कार्य के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को भी आमंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रामनाथपुरम जिले में अब तक 8 अन्वेषी कूप वेधित किए गए हैं।

मेलूर-I नामक एक स्थान वेधन हेतु हाथ में लिया गया है। आगे मेलूर-I के वेधन के पूरे हो जाने के पश्चात् चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए एक और स्थान को हाथ में लिए जाने की संभावना है।

(ख) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार पेरुंगलम जिले में 909 एमएम घन मीटर मात्रा के आरंभिक स्थलगत गैस भंडार सिद्ध हुए हैं। सतत् अन्वेषी क्रियाकलापों से क्षेत्र के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन भंडार बढ़ने की आशा की जाती है।

(ग) और (घ) एक ब्लाक सी वाई-ओ एन-ओ एस-I (क्षेत्रफल 4725 वर्ग कि. मी.) जो अंशतः रामनाथपुरम जिले में है तथा तटीय एवं अपतटीय भाग में फैला है, उसे अन्वेषण बोली के VIIवें दौर में प्रस्तावित किया गया था। इस ब्लाक के लिए एक बोली प्राप्त की गई है।

गुजरात में ट्रांसमीटर

3213. **श्री लोमजीभाई डामोर :**
डॉ. खुशीराम डुगरोमल जेस्वानी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को गुजरात सरकार से भुज में कम शक्ति के ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर में परिवर्तित करने और राज्य में कुछ उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों के स्थान में परिवर्तन करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) ट्रांसमीटर से सीमित कवरेज उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए भुज स्थित अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में उन्नयन करने और द्वारका स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को इसी जिले में अन्य स्थान पर स्थापित करने के बारे में गुजरात सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) जबकि 300 मी. टावर जिसके 1996-97 के दौरान पूरा होने की संभावना है, के निर्माण के अधीन अस्थाई टावर सहित भुज में एक उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर (10 कि. मी.) पहले ही चालू कर दिया गया है, मौजूदा उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को शिफ्ट करने के लिए द्वारका में ही एक वैकल्पिक स्थान का भी अधिग्रहण कर लिया गया है।

[हिंदी]

दक्षिणी गैस ग्रिड

3214. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी गैस ग्रिड परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बाम्बे हाई की अतिरिक्त गैस का उपयोग दक्षिणी राज्यों के लिए करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दक्षिणी राज्यों में कितनी गैस की आवश्यकता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) दक्षिणी गैस ग्रिड की अवधारणा को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) और (ग) इस अवधारणा में आयातित गैस/एल एन जी से पूरी की जाने वाली अधिशेष गैस का बम्बई अपतट से परिवहन की कल्पना की गई है।

(घ) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने अन्य बातों के साथ-साथ दक्षिणी राज्यों में प्राकृतिक गैस की मांग का आंकलन करने के लिए एक अध्ययन आरंभ किया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

3215. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया; और

(ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में यदि कोई असफलता मिली तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, केंद्रीय सहायता की निर्मुक्तियां राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट में किए गए समान बजट प्रावधानों के आधार पर की जाती हैं। केंद्रीय सेक्टर तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। तथापि प्रत्येक राज्य में किसी वर्ष विशेष में आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किए जाने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या के बारे में 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(क) तथा 11(ख) के अंतर्गत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य के लिए लक्ष्यों व उपलब्धियों से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बीस सूत्री कार्यक्रम का सूत्र 11(क)

अवधि	लक्ष्य (परिवार/लाभार्थी)	उपलब्धियां (परिवार/लाभार्थी)
1	2	3
1993-94	2,03,000	2,26,638
1994-95	2,53,000	2,52,482
20 सूत्री कार्यक्रम का सूत्र 11(ख)		
1993-94	2,15,000	2,58,273
1993-95	2,45,000	2,79,024

[हिंदी]

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी नेटवर्क

3216. **श्री छीतू भाई गामीत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना की अवधि में दूरदर्शन और आकाशवाणी के नेटवर्क के विस्तार के लिए क्या लक्ष्य तय किए गए हैं;

(ख) इस दिशा में अब तक राज्यवार क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रस्तावित विस्तार से संबंधित राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) संलग्न विवरण-I और II में दिए अनुसार।

विवरण-I

आकाशवाणी

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आठवीं योजना के दौरान लक्षित परियोजनाओं की संख्या	आज की स्थिति के अनुसार उपलब्धि	=आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान पूरा किया जाने वाला प्रस्ताव
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	8	5*	3
अरुणाचल प्रदेश	8	6*	2
असम	11	4	7
बिहार	9	5*	4
गोवा	4	4*	—
गुजरात	5	1	4
हरियाणा	1	—	1
हिमाचल प्रदेश	7	6*	1
जम्मू और कश्मीर	6	4*	2
कर्नाटक	9	7*	2
केरल	9	4*	5
मध्य प्रदेश	15	9	6
महाराष्ट्र	22	11*	11
मणिपुर	2	1	1

1	2	3	4
मेघालय	3	3*	—
मिजोरम	2	1	1
नागालैंड	2	2*	—
उड़ीसा	13	7	6
पंजाब	4	3	1
राजस्थान	10	7*	3
सिक्किम	3	3*	—
तमिलनाडु	15	8*	7
त्रिपुरा	5	3	2
उत्तर प्रदेश	21	13*	8
पश्चिम बंगाल	16	4	12
दिल्ली	12	3*	9
चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	1	—	1
दमन और दीव (सं.शा.क्षेत्र)	1	1	—
पांडिचेरी (सं.शा.क्षेत्र)	2	1	1
लक्षद्वीप मिनीकाय द्वीपसमूह (सं.शा.क्षेत्र)	1	1	—
दादर और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)	—	—	—

संकेत चिह्न :

* वे परियोजनाएं सम्मिलित हैं जो तकनीकी रूप से तैयार हैं।

= लक्ष्य निधियों, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं पारम्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेंगे।

विवरण-II

दूरदर्शन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आठवीं योजना के दौरान लक्षित परियोजनाओं की संख्या	आज की स्थिति के अनुसार उपलब्धि	आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान पूरा किया जाने वाला प्रस्ताव
1	2**	3	4
आंध्र प्रदेश	62	27	35
अरुणाचल प्रदेश	31	1	30
असम	20	8	12
बिहार	31	9	22
गुजरात	47	12	35
गोवा	1	—	1
हरियाणा	9	3	6
हिमाचल प्रदेश	44	10	34
जम्मू और काश्मीर	40	22	18
कर्नाटक	39	10	29
केरल	18	4	14
मध्य प्रदेश	47	14	33
महाराष्ट्र	64	16	48
मेघालय	6	3	3
मिजोरम	6	2	4
मणिपुर	6	1	5
नागालैंड	6	1	5
उड़ीसा	80	35	45
पंजाब	5	2	3
राजस्थान	67	22	45
सिक्किम	6	2	4
तमिलनाडु	38	8	30
त्रिपुरा	8	1	7
उत्तर प्रदेश	77	11	66
पश्चिम बंगाल	23	6	17
चंडीगढ़ (सं. शा. क्षेत्र)	2	1	1
दिल्ली	4	2	2
लक्षद्वीप (सं. शा. क्षेत्र)	2	2	—
पांडिचेरी (सं. शा. क्षेत्र)	4	2	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	—	6
दमन और दीव (सं. शा. क्षेत्र)	1	—	1

1	2	3	4
दादरा और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)	1	—	1

संकेत चिह्न : ** वे स्कीमें शामिल हैं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत की जानी हैं।

योजना व्यय

3217. श्री नितीश कुमार :
श्री मुलायम सिंह लोधी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मई, 1995 के दैनिक समाचार-पत्र 'ऑब्जरवर' में इन्फ्रास्ट्रक्चर सोशल सेक्टर्स बीयर दा ब्रन्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुल योजना व्यय का 60 प्रतिशत आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान खर्च करने का निर्णय लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या यह धनराशि वास्तव में खर्च की गई;

(ङ) यदि नहीं, तो विभिन्न क्षेत्रों पर क्षेत्रवार कितने-कितने प्रतिशत धनराशि खर्च की गई;

(च) निर्धारित धनराशि खर्च न किए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या निर्धारित धनराशि को ग्रामीण विकास और पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर खर्च नहीं किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) और (ख) जी, हां। समाचार 'आठवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन' से संबंधित है जिसमें विभिन्न क्षेत्रकों में निवेश में कमी की ओर संकेत किया गया है।

(ग) से (ज) विभिन्न क्षेत्रकों के लिए योजना आवंटन समग्र संसाधन स्थिति, योजना प्राथमिकताओं और पूर्व-निष्पादन आदि को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। इस प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है कि प्रत्येक वर्ष पंचवर्षीय योजना परिव्यय का 20% आवंटन/खर्च किया जाना है। कुल अनुमोदित आठवीं योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विभिन्न क्षेत्रकों पर खर्च की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	क्षेत्रक	आठवीं योजना अनुमोदित परिव्यय (1991-92 की कीमतों पर) के % के रूप में 1992-95 के दौरान प्रत्याशित खर्च*
1	2	3
1.	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	55.67
2.	ग्रामीण विकास	50.03
	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	51.67
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	41.61
5.	ऊर्जा	57.76
6.	उद्योग और खनिज	54.19
7.	परिवहन	58.08
8.	संचार	62.31
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	33.94
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	80.73
11.	सामाजिक सेवाएं	45.96
12.	सामान्य सेवाएं	64.40
	कुल :	53.28

* अनंतिम।

भूजल की खोज

3218. श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल की खोज के लिए खुदाई का कार्य आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में निम्न जल स्तर वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जहां अधिक क्षमता वाले ट्यूबवैल लगाए गए थे; और

(घ) उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई थी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) भूजल के विकास के लिए नलकूपों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। तथापि, केंद्रीय भूजल बोर्ड देश में भूजल अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक अन्वेषणात्मक वेधन का कार्य करता है। इस प्रयोजन के लिए, बोर्ड ने 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बलिया, एटा, गोरखपुर, हरिद्वार, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, नैनीताल, सोनभद्र, वाराणसी एवं बिजनौर जिलों में 34 वेधन छिद्र ड्रिल किए और इस पर 100 लाख रुपए का व्यय किया गया।

विवरण

केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा ड्रिल किए गए वेधन छिद्रों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मार्च, 1995 तक ड्रिल किए गए वेधन छिद्रों की संख्या
1	2	3
राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	1204
2.	अरुणाचल प्रदेश	16

1	2	3
3.	असम	279
4.	बिहार	426
5.	दिल्ली	131
6.	गोआ	90
7.	गुजरात	822
8.	हरियाणा	667
9.	हिमाचल प्रदेश	66
10.	जम्मू व कश्मीर	229
11.	कर्नाटक	1230
12.	केरल	272
13.	मध्य प्रदेश	1104
14.	महाराष्ट्र	755
15.	मणिपुर	36
16.	मेघायल	39
17.	मिजोरम	6
18.	नागालैंड	14
19.	उड़ीसा	630
20.	पंजाव	295
21.	राजस्थान	1170
22.	सिक्किम	40
23.	तमिलनाडु	662
24	त्रिपुरा	70
25.	उत्तर प्रदेश	795
26.	पश्चिम बंगाल	354
	कुल :	11402
संघ राज्यक्षेत्र		
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	59
2.	चंडीगढ़	29
3.	दादर एवं नगर हवेली	13
4.	दमन एवं दीव	3
5.	लक्षद्वीप	—
6.	पांडिचेरी	54
	कुल :	158
	कुल जोड़ :	11640

डाक-टिकट

3219. श्री काशीराम राणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई पर कोई स्मारक डाक टिकट जारी करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई के निधन के बाद, डाक विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

भूजल स्तर

3220. श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजवीर सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय भूजल बोर्ड ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूजल संसाधनों के विकास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार कितना-कितना नियतन किया गया है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के अंत में कितने प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि भूजल का विकास राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, बोर्ड ने पूर्वी राज्यों में भूजल संसाधनों के अन्वेषण और विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की है जिसमें 67.75 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 14,425 भूजल संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस योजना पर योजना आयोग के साथ परामर्श चल रहा है।

हिमालय विकास प्राधिकरण

3221. श्री शरत पटनायक : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार का एक हिमालय विकास प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए किसी प्रकार की विदेशी सहायता भी मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ) हिमाचल क्षेत्र के समेकित विकास के लिए राष्ट्रीय नीति निरूपण हेतु योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट में निहित सिफारिशें विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श में योजना आयोग के विचाराधीन हैं। सरकार को अभी रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेना है तथा कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति

3222. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने गुजरात में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की संख्या और वयस्क व्यक्तियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं, या उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) एक से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों में विलंब से मानसिक विकास संबंधी 1991 में किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार और ऐसा प्रभाव उन बच्चों पर जो इसमें मंद तथा पिछड़ रहे हैं, गुजरात राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति एक हजार 15 तथा शहरी क्षेत्र में प्रति एक हजार 25 है। वयस्क मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) कल्याण मंत्रालय मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है—

1. विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना।
2. प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता में जन-शक्ति विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।
3. विशेष विद्यालयों की स्थापना तथा विकास के लिए संगठनों को सहायता।

इसके अतिरिक्त, प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना का एक प्रस्ताव भी सक्रिय विचाराधीन है। इस प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मानसिक मंदता तथा प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य

1. उनके लिए जो न्यास के अभिभावकत्व में हैं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के रूप में मानसिक रूप से मंद तथा प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों की देखभाल तथा पुनर्वास प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

2. वर्तमान धन की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, मानसिक रूप से मंद तथा प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों की देखभाल में लगे हुए संगठनों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना।

3. मानसिक रूप से मंद तथा प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों को आवासीय देखभाल प्रदान करने के लिए गृहों तथा सेवा संस्थानों को स्थापित करना।

4 मानसिक रूप से तथा प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों की देखभाल तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना।

5. माता-पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार द्वारा यदि ऐसी इच्छा जाहिर की जाए या परिवारिक सहारे के अभाव में मानसिक रूप से मंद तथा प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों के अभिभावकत्व के अधिकार का भार लेना तथा अभिभावकत्व और फोस्टर देखभाल प्रदान करना।

6. परिवारों, फोस्टर परिवारों/माता-पिता संघों तथा स्वयंसेवी संगठनों को कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करना तथा सहायता प्रदान करना।

7. मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करना।

8. मानसिक रूप से मंद बच्चों के माता-पिता की मृत्यु के बाद उनके द्वारा अपने बच्चों के अनुरक्षण के लिए वसीयत की गई संपत्तियों को प्राप्त करना, अधिग्रहण करना तथा उनका प्रबंध करना।

प्रसार भारती अधिनियम

3223. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री सुधीर गिरि :
श्री राम नाईक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की कुछ धाराओं में किए जाने वाले संशोधनों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस अधिनियम को कब तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्व के इस भाग में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रसारण के कारण तेजी से बदलते प्रसारण परिदृश्य की दृष्टि से निगम के प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ परिवर्तन करना न्यायसंगत है। इस संबंध में ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्तमान में कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

उत्तर प्रदेश में डाक और तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

3224. डॉ. साक्षीजी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश में

सभी विद्यमान डाक और तारघरों को आधुनिक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश में सभी मौजूदा डाकघरों और तारघरों को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश सर्किल में छः डाकघरों को आधुनिक बनाया गया। वर्ष 1995-96 के दौरान 27 डाकघरों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

जहां तक तारघरों का संबंध है, लखनऊ, देहरादून, आगरा, इलाहाबाद और कानपुर केंद्रों में स्टोर एंड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम स्थापित करके 103 तारघरों को पहले ही आधुनिक बनाया जा चुका है। वर्ष 1995-96 के दौरान, 200 और तारघरों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक की-बोर्ड टर्मिनल्स उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है। इन टर्मिनल्स की पहुंच नेशनल टेलीग्राफ मैसेज स्विचिंग नेटवर्क तक होगी।

भूमिगत जल क्षमता

3225. डॉ. रमेश चंद तोमर :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने भूमिगत जल क्षमता का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए बेसिनवार अध्ययन करने के लिए किसी योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में छः नदी थालों अर्थात् साबरमती, सोन, साहिबो, पेनगंगा, रूसीकुल्या और शतरंजी के लिए 50.83 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर भूजल आकलन और विकास योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) योजना का क्रियान्वयन, अपेक्षित पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

छुआछूत

3226. डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के संबंध में तेरहवें वार्षिक प्रतिवेदन में संवैधानिक जनादेश के बावजूद छुआछूत जारी रहने को उजागर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अभी भी व्यापक रूप से छुआछूत बरती जाती है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ग) केंद्र सरकार ने छुआछूत के उन्मूलन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) वर्ष 1992 के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 संबंधी वार्षिक रिपोर्ट (13वीं रिपोर्ट) के अनुसार 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप में अस्पृश्यता की प्रथा विद्यमान न होने की सूचना है। यह भी उल्लेख है कि फिर भी यह प्रथा सात राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आंशिक रूप से प्रचलित है।

शेष 12 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पांडिचेरी में अस्पृश्यता की प्रथा अभी तक प्रचलित है।

1989 में तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति आयोग द्वारा अस्पृश्यता की समस्या के बारे में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार अस्पृश्यता की प्रथा के जारी रहने के निम्नलिखित कारण हैं—(1) जाति प्रथा की गहरी जड़ें, (2) अनुसूचित जातियों द्वारा अस्वच्छ व्यवसायों का जारी रखा जाना, (3) अनुसूचित जातियों के बीच निरंतरता और सामाजिक चेतना का अभाव, (4) धार्मिक कठोरता और धार्मिक साहित्यजनित भेदभाव।

(ग) सरकार इस स्थिति को समझती है और इसने अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन संबंधी केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केंद्रीय सहायता तथा उक्त दोनों अधिनियमों के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	वर्ष	परिव्यय	निर्मुक्त केंद्रीय सहायता
1.	1992-93	5.50	5.50
2.	1993-94	6.50	7.06
3.	1994-95	6.00	9.74
4.	1995-96	12.00	0.50 (15-8-1995 तक की स्थिति के अनुसार)

केंद्रीय सहायता केंद्र सरकार और राज्यों के बीच बराबरी (50 : 50) के आधार पर है तथापि, संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता 100% के आधार पर दी जाती है।

राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन देश में अस्पृश्यता की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए उन्हें निर्मुक्त की गई केंद्रीय सहायता का उपयोग कानूनी सहायता प्रदान करने, अधिकारियों की नियुक्ति, विशेष न्यायालयों की स्थापना, समितियों की स्थापना, आवधिक सर्वेक्षण, अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने, अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रचार, राहत और पुनर्वास इत्यादि कार्यों में करते हैं।

1994-95 में महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ के दौरान इस मंत्रालय द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के संदेश युक्त पोस्टरों के वितरण तथा बस के पिछले भाग और कीयोस्कों पर संदेशों के प्रदर्शन के माध्यम से अस्पृश्यता उन्मूलन विषयक प्रचार-कार्य पर विशेष बल दिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अस्पृश्यता समाप्त करने संबंधी संदेश का प्रचार करते हुए कल्याण मंत्रालय की ओर से अनेक कदम उठाए। यह कार्य विभिन्न मीडिया एजेंसियों यथा आकाशवाणी, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय प्रकाशन प्रभाग, फिल्म डिवीजन, दूरदर्शन, प्रेस सूचना ब्यूरो, क्षेत्र प्रचार निदेशालय इत्यादि के माध्यम से किया गया।

केंद्र सरकार भी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई का समन्वय कर रही है और संसद के दोनों सदनों के पटल पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।

मुंबई में करमुक्त सेवाएं

3227. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुंबई में अमेरिका की 1-800 सेवा की तरह करमुक्त सेवा शुरू करना का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) आरंभ में बंबई तथा बाद में अन्य शहरों में करमुक्त सेवा शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए प्रारंभिक अध्ययन किया गया है। यह सेवा शुरू करने के लिए, इंटेलिजैंट नेटवर्क नोड्स की स्थापना की जानी है, जिसके लिए आवश्यक उपस्कर का प्रापण किया जाना है। इस सेवा को प्रारंभ करने के लिए अभी तक कोई विशेष समय-सारणी तैयार नहीं की गई है।

अतिरिक्त जल का वितरण

3228. **श्री जसवंत सिंह :**
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के बीच 31 दिसंबर, 1981 को रावी और ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल के वितरण के संबंध में कोई समझौता हुआ था;

(ख) क्या इस समझौते में राजस्थान का हिस्सा 0.6 एम. ए. एफ. निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या पंजाब को राजस्थान की मांग का 0.6 एम. ए. एफ. अतिरिक्त जल के उपयोग की अनुमति तब तक के लिए दी गई थी जब तक कि राजस्थान अपने हिस्से का उपयोग पूरी तरह करने की स्थिति में न हो;

(घ) क्या उनकी अध्यक्षता में जुलाई-अगस्त, 1992 में आयोजित इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में राजस्थान को इसका पूरा हिस्सा बहाल करने का निर्णय लिया गया था;

(ङ) क्या इस निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(च) क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री ने उनसे जून और अक्तूबर, 1994 में इस विवाद को हल करने के लिए तीनों मुख्य मंत्रियों की एक और बैठक बुलाने का अनुरोध किया था; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 31-12-81 के समझौते की धारा (11) के अनुसार पंजाब को राजस्थान की आवश्यकताओं से अधिशेष जल को उपयोग करने की तब तक अनुमति दी गई है जब तक कि राजस्थान अपने पूर्ण हिस्से को उपयोग करने कि स्थिति में नहीं है। राजस्थान का हिस्सा, जो अस्थायी आधार पर पंजाब को उपलब्ध कराया जाता है, को 1981 के समझौते के अनुसार रावी-ब्यास के राजस्थान के अपने पूर्ण हिस्से को उपयोग करने के लिए राजस्थान द्वारा की गई प्रगति की गति के अपनुरूप धीरे-धीरे राजस्थान को लौटा दिया जाएगा।

(घ) से (छ) जल से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के मुख्य मंत्रियों की जुलाई और अगस्त, 1992 में अंतर्राज्यीय बैठकें हुईं। रावी-ब्यास के अधिशेष जल का बंटवारा इन बैठकों की कार्यसूची मदों से बाहर था। तथापि कोई निर्णय नहीं हो सका तथा बातचीत समाप्त कर दी गई। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने 30-6-94 और 5-10-94 को बातचीत पुनः जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया जिसे केंद्रीय मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

[हिंदी]

डाक एवं तार कर्मचारियों को सरकारी मकानों का आवंटन

3229. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 30 जून, 1995 को डाक एवं तार विभाग के कितने कर्मचारियों को सरकारी मकानों का आवंटन किया जाना शेष था और यह कुल मांग का कितना प्रतिशत है;

(ख) मकानों के आवंटन के लिए प्रतीक्षा की अधिकतम और औसत अवधि कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार कुल आवंटित मकानों की तुलना में विवेकाधिकार कोटा के अंतर्गत कितने प्रतिशत मकान आवंटित किए गए?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क)

डाक विभाग : डाक कर्मचारियों को टाइप-I, II और टाइप-III मकान आवंटित करने के लिए लंबित आवेदन-पत्रों की कुल संख्या, 30-6-95 की स्थिति के अनुसार 1578 है। प्रतिशतता का आकलन किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, टाइप-III तक, आवंटित मकानों की कुल संख्या के संदर्भ में विवेकाधिकार कोटे के अंतर्गत आवंटित किए गए मकानों की प्रतिशतता निम्नानुसार है—

वर्ष	क्वार्टर का टाइप		
	I	II	III
1992-93	शून्य	1.56	शून्य
1993-94	18.75	7.58	शून्य
1994-95	21.43	8.86	4.88

दूरसंचार विभाग :

(क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना

3230. **डॉ. कृपासिंधु भोई :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई;

(ख) किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इन परियोजनाओं पर अनुमानतः राज्य-वार कितनी लागत आई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कितने हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) वर्ष 1992-95 के दौरान राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत 46 उप-परियोजनाएं स्वीकृत की गई। राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना 31-3-95 को बंद हो गई है। ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	कृष्य कमान क्षेत्र (हजार हेक्टे.)	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	3/95 तक व्यय (संचित)
1	2	3	4	5	6
(क)	**गुजरात**				
1.	साबरमती (धारोई बायांतर नहर)	1/93	13.0	505.3	44.0
2.	मेशवो	1/93	6.9	248.0	17.6
3.	ससोई	7/94	4.1	107.0	—
4.	पाटा डुंगरी	7/94	5.1	129.0	—
5.	गोंदाली	7/94	1.4	46.0	—
6.	जोजावा	7/94	6.8	174.0	—
7.	मालान	7/94	3.4	116.6	—
8.	हिरन	7/94	2.6	90.0	—
9	खरोद	7/94	1.3	54.0	—
	कुल :		44.6	1469.9	61.6

1.	2	3	4	5	6
(ख) हरियाणा					
1.	भाखड़ा-ब्यास और पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली में नहरों, जलमार्गों को पक्का करना	6/92	340.0	11200.0	10656.8
(ग) कर्नाटक					
1.	अंजनापुर	6/92	6.74	134.0	196.1
2.	अम्बलीगोला	6/92	3.20	67.0	115.0
3.	धर्मा	12/89	7.69	147.0	288.0
4.	गोंडी अनिकट	9/93	4.47	144.0	100.0
5.	टी. बी. एस. एल. सी. डिस्ट्री-12	9/93	3.30	115.0	70.0
6.	—वही—13	9/93	9.21	328.0	75.0
7.	—वही—14	9/93	13.62	452.0	75.0
8.	—वही—15	9/93	6.91	220.0	75.0
9.	—वही—31	9/93	17.72	558.0	128.0
10.	—वही—55	9/93	6.41	228.0	253.0
11.	—वही—76	9/93	23.85	924.0	200.0
12.	—वही—85	9/93	11.35	362.0	100.0
13.	—वही—89	9/93	15.34	491.0	100.0
14.	—वही—98	9/93	12.94	413.0	100.0
15.	राया, बांसबाना और बेला	9/93	4.27	136.0	—
16.	गोकाक	9/93	7.53	240.3	17.7
17.	आइनकेरी	9/93	1.57	49.3	35.7
18.	नया मदागा	9/93	2.01	63.6	35.6
19.	मदागा मसूर	7/94	2.86	99.0	—
	कुल :		160.99	5171.2	1964.1
(घ) केरल					
1.	पीची	8/92	16.00	369.0	543.40
2.	वाझानी	8/93	4.31	115.0	156.00
	कुल :		20.31	484.0	699.40
(ङ) मध्य प्रदेश					
1.	तवा	1/93	41.00	1330.0	—
(च) उड़ीसा					
1.	हीराकुंड	1/93	24.12	844.0	401.2

1	2	3	4	5	6
2.	महानदी डेल्टा चरण-I	6/92	10.72	306.0	144.0
3.	महानदी डेल्टा	6/92	34.52	1036.0	89.0
	कुल :		68.86	2186.0	634.2
(छ) राजस्थान					
1.	बुचारा	7/94	2.02	79.0	—
2.	ढील	7/94	6.58	219.0	—
3.	गुधा	7/94	10.39	450.0	—
4.	जेटपुरा	7/94	3.73	123.0	—
5.	नंद समंद	7/94	7.78	242.0	—
6.	ओराई	7/94	9.26	414.0	—
7.	सेंथाल	7/94	3.27	127.0	—
8.	उमेद सागर	7/94	2.97	134.0	—
	कुल :		46.10	1788.0	—
(ज) तमिलनाडु					
1.	थितार	6/92	9.64	241.0	670.3
2.	मंजालार	1/93	2.17	54.0	127.7
3.	पिल्लावुकुल	1/93	3.60	91.0	—
	कुल :		15.41	3860	798.0

रसोई गैस एजेंसियों में धोखाधड़ी

3231. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिमी महाराष्ट्र में रसोई गैस वितरक एजेंसियों द्वारा अनधिकृत और जाली टर्मिनेशन वाउचरों का उपयोग करके धोखाधड़ी किए जाने के बड़े मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में ऐसा किस प्रकार किया जाता है;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पश्चिमी महाराष्ट्र में गत दो वर्षों के दौरान पकड़े गए जाली टर्मिनेशन वाउचरों की संख्या निम्नानुसार है —

1993-94	—	97
1994-95	—	—

(ख) और (ग) कोलाबा में इंडेन के वितरक मैसर्स ए. एस. सी. गैस एजेंसी के नाम के अधीन आर्मी प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप में काम करने वाला एक कर्मचारी धोखाधड़ी करके जाली टर्मिनेशन वाउचर जारी कर रहा था। सेना की प्रक्रिया के अनुसार संबद्ध कर्मचारी का कोर्टमार्शल कर दिया गया और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया एवं 9-2-94 को सिविल कारावास में भेज दिया गया।

(घ) धोखाधड़ी एवं कदाचार को रोकने के लिए टर्मिनेशन वाउचर के प्रति गैस कनेक्शन जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाती है—

(i) टर्मिनेशन वाउचर प्राप्त करने वाले वितरक को जारी करने वाले वितरक से लिखित संपुष्टि प्राप्त करनी होती है।

(ii) टर्मिनेशन वाउचर की सत्यता के बारे में लिखित संपुष्टि प्राप्त होने के बाद ही कनेक्शन जारी किया जाता है।

(iii) सरकारी/अर्द्धसरकारी तथा ख्याति प्राप्त कंपनियों/फर्मों के कर्मचारियों के मामले में छूट दी जाती है जहां ग्राहक पूर्व स्थान से अगले स्थान पर अपने स्थानांतरण से संबंधित प्रमाणित कागजात प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत करता है ताकि टर्मिनेशन वाउचर की सत्यता की संपुष्टि की प्रतीक्षा किए बगैर एल. पी. जी.

कनेक्शन जारी किया जा सके। तथापि, वितरक को जारी करने वाले वितरक से टी. वी. की सत्यता की पुष्टि प्राप्त करना जरूरी होगा।

(v) ग्राहकों को भी टर्मिनेशन वाउचर की सत्यता की पुष्टि के लिए वचन-पत्र देना होता है।

[हिंदी]

विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना

3232. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों के जीवनयापन हेतु अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों के रिश्तेदारों को विशेष रियायतें प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सरकार विकलांग व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए फिलहाल कोई नई योजना तैयार नहीं कर रही है। तथापि, विकलांग व्यक्तियों को रेलगाड़ी और वायुयान में यात्रा रियायतों, विकलांगों के उपयोग में आने वाली विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए कर से छूट, विकलांग व्यक्तियों को आयकर से छूट केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता भिन्नात्मक ब्याज दर योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार शुरू करने के लिए ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की डीलरशिप एजेंसी में आरक्षण, मोटरयुक्त वाहनों के मालिकों द्वारा पथकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

(ग) और (घ) आयकर से छूट के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के संबंधियों को विशेष छूट का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

धारा 80 डी डी के तहत भारत में विकलांग व्यक्तियों के आश्रितों के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित) प्रशिक्षण और पुनर्वास इत्यादि पर एच यू एफ निवासी अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा वहन किए गए व्यय के संबंध में कटौती का प्रावधान किया गया है। ऐसे अनुरक्षण की बढ़ी हुई लागत के स्थानापन्न के लिए इस कटौती को 12000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया गया है।

धारा 80 यू—यह सुनिश्चित करने के लिए एक नई धारा 80 यू लागू की गई है कि वे माता-पिता जिनके हाथों में अल्प वयस्क विकलांग व्यक्तियों की आय धारा 64 के तहत जोड़ दी गई है, उसे धारा 80 यू के अनुसार 20,000 रुपए तक की कटौती का दावा करने की अनुमति दी जाए जिसमें यह व्यवस्था है कि उस व्यक्ति के मामले में 20,000 रुपए तक की कटौती की जाए जो स्थाई अपंगता (दृष्टिहीनता सहित) से पीड़ित हो अथवा मानसिक रूप से मंद हो।

धारा 88 बी—इस धारा के तहत किसी निवासी व्यक्ति विशेष के लिए जिसने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो निवल भुगतान योग्य कर से अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। छूट को 10% से बढ़ाकर 20% करने और इस लाभ की अनुमति उन मालमों में देने के लिए जिनमें कुल आय 75000 रुपए से अधिक न हो (50,000 रुपए की सीमा के मुकाबले जैसी कि शुरू में विनिर्दिष्ट थी), इसमें संशोधन किया गया है।

अन्य रियायत

भारत सरकार ने किसी व्यक्ति विशेष अथवा अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए जिनका कोई संबंधी शारीरिक रूप से विकलांग, दृष्टिहीन अथवा मानसिक रूप से मंद हो, निम्नलिखित अतिरिक्त रियायतों की हाल ही में घोषणा की है। कोई करदाता जो भारत में रह रहा हो, कोई व्यक्ति विशेष हो अथवा अविभाजित हिंदू परिवार का हो और पिछले वर्ष के दौरान किसी वैसे व्यक्ति के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए किसी व्यय का वहन किया हो तथा जो उस व्यक्ति विशेष का संबंधी अथवा अविभाजित हिंदू परिवार का सदस्य हो जो दृष्टिहीनता अथवा मानसिक मंदता सहित स्थाई शारीरिक अपंगता से पीड़ित हो, को 6000/- रुपए तक की कटौती की अनुमति दी जाएगी। उसे कटौती की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब उसकी कुल आय 100000/- रुपए से अधिक हो।

[अनुवाद]

फिल्मों का चयन

3233. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदर्शन हेतु फिल्में पास करने के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा क्या नियम/मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या इन नियमों के उल्लंघन के उदाहरण सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु आशयित सभी फिल्मों को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के प्रावधानों और उसके अंतर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जांच की जाती है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (ग) सरकार को समय-समय पर अश्लील और उत्तेजक दृश्यों में वृद्धि संबंधी शिकायतें/प्रेस रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। इन रिपोर्टों को सिद्ध करने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद ही सभी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है।

(घ) बोर्ड तथा इसके सलाहकार पैनलों के सदस्यों और जांच अधिकारियों को इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु बारंबार निर्देश दिए गए हैं।

विवरण

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसंबर, 1991

अधिसूचना

सा. का. नि. 836(ई) केंद्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952(1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 9(अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले दिया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन को मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे—

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि—

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रांत उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक् से रोक न लगाई जाए;

(ग) प्रमाणन व्यवस्था व सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हों;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें; और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि—

(1) हिंसा जैसा समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

(2) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

(3) ऐसे दृश्य न दिखाएं जाएं जिनमें—

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में अथवा हिंसा के बलात् दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

(4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों;

(5) वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

(6) मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने वाले अथवा उचित ठहराने वाले दृश्यों को न दिखाया जाए;

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिससे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम-से-कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए;

(11) काम-विकृतियां दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम-से-कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए;

(13) सांप्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैधानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो;

व्याख्या : ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे।

(19) संप्रतीक और नाम का [अनुचित प्रयोग निवारण (अधिनियम, 1950) 1950 का 12] के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाए जाएं।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि—

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परंतु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किंतु अव्यस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं, के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन अवश्य किया जाएगा।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके यह सुनिश्चित करेगा कि वे शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड का उल्लंघन नहीं करते हों।

पाद टिप्पण : भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) तारीख 7-1-78 में का. आ. 9(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-1-78 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ (सी)।

निम्नलिखित द्वारा संशोधित—

(1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) तारीख 17-2-79 में का. आ. 618 के रूप में प्रकाशित तारीख 27-1-79 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ(सी)।

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) तारीख 7-5-83 में का. आ. 356(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-5-83 की अधिसूचना संख्या 805/2/82-एफ(सी)।

(3) भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (II) तारीख 9-9-89 में का. आ. संख्या 2179 के रूप में प्रकाशित तारीख 11-8-89 की अधिसूचना संख्या 805/4/89-एफ(सी)।

फा. संख्या 805/1/90-एफ(सी)

हस्ताक्षर/-

(एस. लक्ष्मीनारायणन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फोन : 383857

[हिंदी]

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा निधियों का दुर्विनियोग

3234. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वयंसेवी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध सरकार को वर्ष 1994-95 के दौरान और इस वर्ष में अब तक निधियों के दुर्विनियोग किए जाने की शिकायतें मिली हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उन स्वैच्छिक संगठनों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण जिनके विरुद्ध सरकार ने 1994-95 के दौरान शिकायतें प्राप्त की हैं

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संगठन का नाम	की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशन जिला, बालहीना बरगाला कालोनी बरगाला सेवासंगम, जिला प्रशासन	इस मंत्रालय द्वारा जांच की गई और शिकायत गलत पाई गई।
2.	दिल्ली	मुक्ति संग्राम संघ, दिल्ली	संगठन से कहा गया है कि वह प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान की जाने वाली छात्रवृत्ति तथा दी जाने वाली प्रशिक्षण सामग्रियों में अनियमिताओं को सुधारे।

1	2	3	4
		शोषण उन्मूलन परिषद, दिल्ली	संगठन से कहा गया है कि वह प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान की जाने वाली छात्रवृत्ति तथा दी जाने वाली प्रशिक्षण सामग्रियों में अनियमिताओं को सुधारें।
		समाज सेवा संघ, दिल्ली	इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को भेजा जा रहा है।
3	उड़ीसा	पीपल्स औरगनाइजेशन फार वैलफेयर इम्प्लाइमेंट एंड रूरल डवलपमेंट भुवनेश्वर	संगठन के विरुद्ध लगाए गए अभियोग के संबंध में दिनांक 16-2-95 को मामला संख्या 20 यू/ई 68/406/477-ए/34 आई. पी. सी. उड़ीसा स्थित कमख्या नामक थाने में दर्ज किया गया है और इसकी जांच चल रही है। राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार आगे अनुदान निर्मुक्ति नहीं की गई है।
4.	राजस्थान	ब्रिज बाल निकेतन, भरतपुर	संगठन के विरुद्ध शिकायत की जांच इस मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा की गई थी और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर इस संगठन को आगे अनुदान की निर्मुक्ति रोक दी गई है।
		मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान, कोटा	संगठन के विरुद्ध शिकायत की जांच कोटा के डिवीजन आयुक्त द्वारा कराई गई। प्राप्त की गई प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर इस संगठन को अनुदान पर रोक लगा दी गई है और निर्मुक्त अनुदानों की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।
		राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति, उदयपुर	राज्य सरकार से प्राप्त प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर संगठन को आगे अनुदानों पर रोक लगा दी गई है।
		सर्वोदय सेवा केंद्र, उदयपुर	-तदैव-
		मानव कल्याण सोसायटी, जयपुर	-तदैव-
5.	उत्तर प्रदेश	ईश्वरन सरन आश्रम, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जांच कराने का अनुरोध किया गया है क्योंकि शिकायत का एक बड़ा भाग राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से संबंधित है।
		स्वर्गीय तपेश्वर राम कल्याण समिति, मऊ	प्राप्त शिकायत की जांच की जा रही है।
		सार्वजनिक शिक्षोनयन संस्थान, हरदोई	संगठन के विरुद्ध शिकायत की जांच इस मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा कराई गई थी और यह पाया गया कि उक्त संगठन का कार्य निष्पादन संतोषजनक है और निधियों का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। तत्पश्चात् शिकायत करने वाले व्यक्ति ने स्वयं यह सूचना दी कि संगठन का कार्य ठीक ढंग से चल रहा है और इसे धनराशि निर्मुक्त की जानी चाहिए।
6.	पश्चिम बंगाल	मानव विकास एवं अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	इस संगठन के विरुद्ध एक शिकायत उसी संगठन के एक भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा प्राप्त हुई। इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता के समाज कल्याण विभाग के निदेशक के माध्यम से कराई गई जिन्होंने यह सूचना दी कि इस संगठन का कार्य संतोषजनक है।

1995-96

शून्य

[अनुवाद]

कोयले पर रायल्टी

3235. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा कोयले का उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों ने कोयले पर टन भार आधारित रायल्टी को मूल्य आधारित रायल्टी में बदलने की जोरदार मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों ने रायल्टी की दरों में संशोधन किए जाने के लिए सरकार द्वारा जनवरी, 1994 में गठित किए गए अध्ययन दल को रायल्टी की दरों का यथामूल्य आधार पर निर्धारण किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। इस अध्ययन दल द्वारा अपनी सिफारिशें दिए जाने से पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों के सुझावों पर भी विचार किया गया था।

अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार कोयले पर रायल्टी की विद्यमान दर टन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

सिंचाई परियोजनाएं/जलाशय परियोजनाएं

3236. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री खेलन राम जांगड़े :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री छेदी पासवान :
श्री फूलचंद वर्मा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सिंचाई परियोजनाओं/जलाशय योजनाओं के नाम क्या हैं जो राज्य-वार केंद्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केंद्रीय जल आयोग का विचार लंबित पड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए तिमाही बैठकें आयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) देश में स्वीकृति के लिए लंबित नई बड़ी व मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी विभिन्न केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती है तथा वन/पर्यावरण/पुनर्वास व पुनर्स्थापन योजनाओं जैसी भी स्थिति हो, के बारे में स्वीकृति प्राप्त करती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग को निर्देश दिया है कि वह लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करें ताकि उनको शीघ्र तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी जा सके।

विवरण

देश में स्वीकृति के लिए लंबित नई बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बड़ी/ मझौली	मूल्यांकन की स्थिति	केंद्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तिथि
1	2	3	4	5
असम				
1.	पगलादिया बांध	बड़ी	क	17-02-93
2.	गोरुफेला सिंचाई	मझौली	क	13-01-95
3.	बूढीसूती	-वही-	क	19-09-94
आंध्र प्रदेश				
1.	के. सी. नहर का आधुनिकीकरण	बड़ी	क	29-09-94
2.	पुलीचिंताला योजना	-वही-	क	23-09-94
3.	श्रीराम सागर से बाढ़ प्रवाह नहर	-वही-	क	06-12-93
4.	जुराला परियोजना	-वही-	ख	10-09-80
5.	येत्सेस जलाशय परियोजना फेस-I	-वही-	ख	29-01-93
6.	वैम्सधारा परियोजना फेस-II	-वही-	ख	16-05-8
7.	तेलुगु गंगा परियोजना	-वही-	ग	05-12-83
8.	पलेम बांणु परियोजना	मझौली	ख	05-05-88
9.	पेडेरु जलाशय	-वही-	ख	15-09-91
बिहार				
1.	जमानिया पंप केनाल योजना	बड़ी	क	12/90
2.	पन-पन-धारधा सिंचाई योजना	-वही-	क	12/93
3.	सकसेन घाट पंप केनाल	-वही-	क	11/83
4.	कोसी परियोजना फेस-II (पूर्वी कोसी नहर)	-वही-	क	12/90

1	2	3	4	5
5.	बुरहाई जलाशय परियोजना	बड़ी	क	12/90
6.	पुनाती जलाशय	-वही-	क	7/92
7.	गंडक परियोजना फेस-II	-वही-	क	12/90
8.	सिक्तिया (एजोय) बांध	-वही-	ख	1/88
9.	सोन केनाल आधुनिकीकरण फेस-I	बड़ी	ख	1/92
10.	उत्तर कोयल जलाशय परियोजना	-वही-	ख	3/86
11.	स्वर्ण रेखा बहुप्रयोजनी परियोजना	-वही-	ख	8/89
12.	तिलाइया धाधर	-वही-	ग	12/81
13.	कोनर सिंचाई परियोजना	-वही-	ग	4/82
14.	कटरी जलाशय योजना	-वही-	क	8/90
15.	खुंडघाट जलाशय योजना	-वही-	ख	11/82
गुजरात				
1.	मेच्यू-I सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	बड़ी	ख	05-02-91
2.	उंड-II (गोहाटी सरोवर) सिचाई परियोजना	मझौली	क	20-12-91
3.	गोमा सिंचाई योजना	-वही-	क	25-05-90
4.	महुपदा जल संसाधन परियोजना	-वही-	क	10-09-93
5.	ओजट-II जल संसाधन परियोजना	-वही-	क	04-10-93
6.	मिती सिंचाई परियोजना का पुनर्रुद्धार	-वही-	क	18-06-93
7.	वालन सिंचाई योजना	-वही-	ग	02-05-90
8.	मनि वरसन जल जलाशय परियोजना	मझौली	क	14-11-94
9.	वकरोल जल संसाधन परियोजना	-वही-	क	11-01-95
10.	वरतू-II सिंचाई	-वही-	क	12-12-91
हिमाचल प्रदेश				
1.	साहनर सिंचाई योजना	बड़ी	क	7/87
2.	रेणुका बांध परियोजना	-वही-	क	4/93

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर				
1.	रणवीर केनाल का आधुनिकीकरण	बड़ी	क	1/92
2.	न्यू प्रताप केनाल का आधुनिकीकरण	मझौली	क	1/92
3.	इगोफी सिंचाई योजना	-वही-	क	7/93
4.	कोतुआ केनाल का आधुनिकीकरण	-वही-	क	1/92
5.	रफिआवाद उद्व लिफ्ट सिंचाई	-वही-	ख	5/86
6.	जागीर केनाल का आधुनिकीकरण	-वही-	ख	10/87
7.	दादी केनाल का आधुनिकीकरण	-वही-	क	11/94
केरल				
1.	कुरियार कुटी कारापारा एम. पी. परियोजना	बड़ी	क	16-03-94
2.	इदमलायर सिंचाई परियोजना (आधुनि.)	-वही-	ख	07-02-92
कर्नाटक				
1.	अपर कृष्णा परियोजना चरण-2	बड़ी	क	13-12-93
2.	अपर तुंगा परियोजना	-वही-	क	26-02-92
3.	रामयल लिफ्ट सिंचाई	-वही-	क	27-11-91
4.	हिपारगी परियोजना	-वही-	ख	01-08-85
मणिपुर				
1.	तिपाईमुख बांध परियोजना	बड़ी	क	10-82-95
2.	जीरी सिंचाई	मझौली	ख	14-09-87
महाराष्ट्र				
1.	सिवना टकली मझौली सिंचाई परियोजना	मझौली	घ	21-10-93
2.	जंघमवति लिफ्ट	-वही-	ख	03-12-81
3.	सकोल	-वही-	ख	06-03-93
4.	रायगोहन	-वही-	ख	15-12-90
5.	तेंभापुरी	-वही-	घ	16-11-90
6.	मोरना गुरेधर	-वही-	ख	28-05-83

1	2	3	4	5
7.	मसालगा मझौली सिंचाई परियोजना	मझौली	ख	3/93
8.	हेतवाने	-वही-	ख	4/83
9.	वेनेतुरा (वेनेगुर)	-वही-	ख	11-12-93
10.	गड नदी परियोजना	-वही-	क	16-09-94
11.	तुल तुलीसी परियोजना	बड़ी	क	07-11-90
12.	तलांवा सिंचाई परियोजना	-वही-	क	6/92
13.	हूमन नदी परियोजना	-वही-	क	19-09-91
14.	वरना सिंचाई परियोजना	-वही-	ख	8/83
15.	निम्न वूना परियोजना	-वही-	ख	28-02-89
16.	गोसीखुर्द (इंद्ररा सागर)	-वही-	ख	07-12-83
17.	तिल्लारी परियोजना	-वही-	ख	19-11-83
18.	अरुनावती नदी परियोजना	-वही-	ख	28-12-87
19.	संगोला शाखा केनाल	-वही-	ख	17-02-86
20.	पुनादी	-वही-	ख	08-03-89
21.	कर्वा	-वही-	घ	01-04-87
22.	वावनथाडी	-वही-	ख	07-03-89
23.	दुधगंगा सिंचाई परियोजना	-वही-	ग	01-09-83
24.	वान	-वही-	ख	29-12-87
25.	कोयना कृष्णा लिफ्ट योजना	-वही-	ख	15-01-87
26.	दारा सिंचाई परियोजना	मझौली	क	13-06-94
27.	ताजनपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना	-वही-	क	14-02-94
28.	बोर्दनाला परियोजना	बड़ी	क	14-06-94
29.	लोवर बंजारा	-वही-	क	13-06-94
30.	नागल मझौली सिंचाई परियोजना	-वही-	क	13-06-94
31.	जैम	-वही-	क	24-05-94
32.	कार	-वही-	क	24-05-94
33.	घोर दहे गांव	-मझौली-	ख	21-12-93
34.	ब्राह्मण गंअवे सिंचाई परियोजना	-वही-	क	10-02-93
35.	पंटाकली टैंक परियोजना	-वही-	ख	03-12-92
36.	चंद्रवाधा	-वही-	ख	05-02-93
37.	अपर मेनार परियोजना	मझौली	ख	28-04-87
मध्य प्रदेश				
1.	अरपा परियोजना	बड़ी	क	10-09-92
2.	केलो सिंचाई परियोजना	-वही-	क	11-05-88
3.	वर्गी बहुप्रयोजनी परियोजना	-वही-	ख	01-01-89
4.	कोलार परियोजना	-वही-	ख	21-10-91
5.	ओमकारेश्वर बहुप्रयोजनी परियोजना	-वही-	ख	05-11-92
6.	वानसागर परियोजना ईकाई-II	-वही-	ख	28-01-91
7.	बारगी डिवरसियन परियोजना	-वही-	ख	09-11-90
8.	थानवर टेंक परियोजना	-वही-	ख	27-12-89
9.	पेंच डिवरसियन परियोजना	-वही-	ख	01-08-88
10.	राजघाट केनाल परियोजना	-वही-	ख	08-02-90
11.	महान परियोजना	-वही-	ख	01-02-90
12.	सिंध नदी परियोजना चरण-II	-वही-	ख	03-12-90
13.	महानदी जलाशय परियोजना	-वही-	ग	01-02-90
14.	सुतियापत टेंक परियोजना	मझौली	क	15-07-93
15.	मोंगरा सिंचाई परियोजना	बड़ी	क	30-05-92
16.	अपर बेडा	मझौली	क	28-07-92
17.	उरिवग	-वही-	क	21-09-93
उड़ीसा				
1.	लोअर सुक्तेल	बड़ी	क	08-09-94
2.	लोअर इंद्रा सिंचाई	-वही-	क	06-04-93
3.	कानुपुर सिंचाई	-वही-	ख	29-06-89
4.	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना	-वही-	ख	12/91
5.				20-04-95 को निकाल दी गई
6.	मंजोरे	बड़ी	ख	27-08-91
7.	रुखरा सिंचाई	-वही-	ख	18-05-93
8.	वघालती सिंचाई	-वही-	ख	18-04-94
9.	वाघ बांध	-वही-	ख	18-03-92
10.	तेलंगीर परियोजना	-वही-	क	17-10-95

1	2	3	4	5
तमिलनाडु				
1.	मद्रास के लिए कृष्णा जल की पूर्ति चरण-I	बड़ी	क	16-06-89
2.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	-वही-	क	01-09-94
3.	कावेरी डेल्टा चरण-I का आधुनिकीकरण	-वही-	ख	15-08-85
4.	इरुक्कनगडी जलाशय (मझौली)	मझौली	क	21-02-95
राजस्थान				
1.	इंदिरा गांधी नहर चरण-I (विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)	बड़ी	क	3/93
2.	विलासपुर डी/डब्ल्यू कम्पोजिट सिंचाई परियोजना	-वही-	ख	18-11-91
3.	नर्मदा केनाल	-वही-	घ	01-07-91
4.	ओलवारा लिफ्ट सिंचाई	मझौली	क	21-12-93
5.	वांदी सेंदरा	-वही-	क	27-01-93
6.	चाकन सिंचाई	-वही-	क	29-02-93
7.	सुकली सिंचाई	-वही-	क	27-01-93
8.	पिपलादी सिंचाई	-वही-	क	29-02-93
9.	वेलहाली सिंचाई	-वही-	घ	09-10-91
10.	चाउली	-वही-	घ	03-02-92
उत्तर प्रदेश				
1.	चित्तौरगढ़ जलाशय	बड़ी	क	18/93
2.	जरौली पंप केनाल परियोजना	-वही-	क	11/93
3.	मउदहा बांध परियोजना	-वही-	क	3/90
4.	कनहार सिंचाई योजना	-वही-	क	2/94
5.	घग्घर केनाल योजना का आधुनिकीकरण	-वही-	क	4/92
6.	बानसागर परियोजना	-वही-	ख	6/89
7.	जमानिया पंप केनाल	-वही-	ख	4/83
8.	वेवर फीडर परियोजना	-वही-	ख	9/88
9.	सिंग मेजा बांध	-वही-	ख	3/92
10.	बुंदेलखंड क्षेत्र में चैनलों को पक्का करना	बड़ी	ख	5/92
11.	राजघाट केनाल परियोजना	-वही-	ख	9/88
12.	हिंडोन क्रिसनी दोआब	-वही-	ख	3/93
पश्चिमी बंगाल				
1.	दोलोंग जलाशय योजना	बड़ी	क	15-02-93
2.	स्वर्णरिखा बांध परियोजना	-वही-	ख	30-06-81
3.	कम्भूमवती जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण	-वही-	ग	26-09-93

टिप्पणी :

(क) राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।

(ख) सलाहकार समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों की अनुपालना कर ली जाए जैसे पर्यावरण/वन/पुनर्वास/पुनर्स्थापन स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

(ग) तकनीकी आर्थिक जांच पूरी की गई किंतु सलाहकार समिति द्वारा मुख्यतया अंतर्राज्यीय मुद्दे हल न होने के कारण इस पर विचार आस्थागित रखा गया।

(घ) योजना आयोग को निवेश स्वीकृति के लिए सिफारिश की गई।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट

3237. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा मार्च 1995 में जारी की गई मानवाधिकारों के हनन की रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकारों के हनन पर भी ध्यान दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मार्च, 1995 में, भारत में 'मानवाधिकारों के उल्लंघन' विषय पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सी-डॉट एक्सचेंज

3238. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी-डॉट ने अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में देश में विकसित दूरसंचार एक्सचेंज लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) इन एक्सचेंजों से कितनी लाइनों की सुविधा प्राप्त हुई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं। तथापि, दूरसंचार विभाग द्वारा कई ग्रामीण क्षेत्रों में सी-डॉट डिजाइन के एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं।

(ख) सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में 128 पी और 256 पी सी-डॉट 'रैक्स' स्थापित किए जाते हैं। इन एक्सचेंज यूनिटों के सर्किलवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन एक्सचेंजों के माध्यम से सुलभ लाइनों की मानक संख्या निम्नलिखित है—

(i)	128 पी सी-डॉट	=	88 लाइनें
(ii)	256 पी सी-डॉट टाइप 'ए'	=	184 लाइनें
(iii)	256 पी सी-डॉट टाइप 'बी'	=	152 लाइनें

विवरण

31-3-95 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सी-डॉट 'रैक्स' यूनिटों की अवस्थितियों की सर्किलवार संख्या

सर्किल का नाम	सी-डॉट 'रैक्स' यूनिटों की संख्या
आंध्र प्रदेश	741
असम	220
बिहार	634
गुजरात	844
हरियाणा	346
हिमाचल प्रदेश	359
जम्मू एवं कश्मीर	61
कर्नाटक	788
केरल	302
मध्य प्रदेश	1964
महाराष्ट्र	1457
उत्तर पूर्व	213
उड़ीसा	256
पंजाब	407
राजस्थान	801
तमिलनाडु	768
उत्तर प्रदेश	794
पश्चिम बंगाल	305
अंडमान एवं निकोबार	8

मानवाधिकार आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतें

3239. श्री छेदी पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानवाधिकार आयोग ने 1994-95 के दौरान केंद्रीय सरकार को कितनी शिकायतें भेजीं; और

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकार को शिकायतें नहीं भेजता है। जहां कि उसे उचित लगता है वह संबंधित प्राधिकारियों से शिकायतों पर रिपोर्टें मंगाता है और समुचित सिफारिशें करता है। जब कभी आयोग से सिफारिशें प्राप्त होती हैं तो सरकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन यथापेक्षित कार्रवाई करती है।

[हिंदी]

सीमा पार करना

3240. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान देश की सीमा पार करते हुए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या उनसे कोई विस्फोटक सामग्री जब्त की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) भू-सीमा को पार करके भारत में प्रवेश करते हुए, सुरक्षा बलों द्वारा 4564 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और 50 उग्रवादी मारे गए।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

विस्फोटक	45
हथगोले	233
वारूदी सुरंग (एंटी टैंक)	03
वारूदी सुरंग (एंटी पर्सोनल)	22

[अनुवाद]

कन्नड़ कार्यक्रम

3241. श्रीमती चंद्र प्रभा अर्स : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के चेनल 9 पर कन्नड़ कार्यक्रमों का प्रसारण करने का है;

(ख) क्या उक्त चेनल का कर्नाटक की ऐतिहासिक घटनाओं और कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भी उपयोग करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय दूरदर्शन-9 पर कार्यक्रमों का प्रसारण हेतु कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) कन्नड़ कार्यक्रमों के लिए कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं; और

(च) दूरदर्शन-9 पर कन्नड़ कार्यक्रमों हेतु अधिक घंटे नियत करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) डीडी-9 पर पहले ही कन्नड़ कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। इस चैनल पर कर्नाटक की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक घटनाओं पर रिपोर्टों और महत्वपूर्ण घटनाओं के कवरेज सहित विभिन्न प्रकार के मनोरंजक एवं सूचनाप्रद कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(घ) प्रतिदिन 12 से $12\frac{1}{2}$ घंटे तक।

(ङ) यह चैनल केवल कन्नड़ कार्यक्रमों के लिए है। तथापि, सायंकाल में जब चैनल पर स्थलीय सुविधा उपलब्ध होती है तो प्रति सप्ताह 30 मिनट के लिए क्रमावर्तनानुसार तुलु, कोडवा, कोंकणी, उर्दू तथा संस्कृत में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(च) फिलहाल ट्रांसमिशन घंटों में कोई वृद्धि किए जाने का विचार नहीं है।

मूल्यांकन समिति

3242. **श्री बी. एल. शर्मा 'प्रेम' :**
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1995 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'फ्रेवर्ड फर्मस बैग रूपिज 55 करोड़ प्रोजेक्ट' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) ऑप्टिकल फाइबर केबिल की आपूर्ति के लिए दिनांक 19-5-95 को 25 के. एम. एस. हेतु, मैसर्स विकास हैब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को तथा 3-7-95 को 3000 के. एम. एस. हेतु मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आदेश दिए गए थे।

(ग) आप्टिकल फाइबर केबल के प्रापण के लिए मौजूदा निविदा 6-4-95 को खोली गई थी क्योंकि निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा था। इसलिए 6-4-95 को खोले गए वर्तमान टेंडर की दरों पर, जो पूर्व दरों से कम हैं, विभाग की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो कंपनियों को आदेश दिए गए थे।

[हिन्दी]

पेट्रोल का आयात

3243. **डॉ. विद्या मोहन :**
डॉ. लाल बहादुर राबल :
श्री नवल किशोर राय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में पेट्रोल का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने वाले पेट्रोल की कुल प्रस्तावित मात्रा तथा मूल्य कितना है;

(ग) इस प्रकार पेट्रोल आयात करने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से देश में पेट्रोल की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) सरकार ने स्वदेशी उत्पादन और मांग के बीच के अंतराल को पाटने के लिए वर्ष 1995-96 हेतु लगभग 118 मिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित मूल्य के 0.559 एम एम टी पेट्रोल के आयात का अनुमोदन किया है।

संरक्षण उपायों के संवर्धन के अतिरिक्त, सरकार ने तेल रिफाइनरी क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति दे दी है। 57.40 एम एम टी पी ए की वर्तमान शोधन क्षमता की तुलना में, विद्यमान रिफाइनरियों के विस्तार/व्यवधान हटाने, नई ग्रासरूट रिफाइनरियों ई ओ यू सहित संयुक्त उद्यम कंपनियों और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों की स्थापना के बाद देश में कुल शोधन क्षमता लगभग 153 एम एम टी पी ए होने का अनुमान है। चूंकि वर्ष 2001-2002 तक पेट्रोलियम उत्पादों की मांग लगभग 102 एम एम टी पी ए होने का अनुमान है, इसलिए यह क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

[अनुवाद]

सूचना और सबके लिए शिक्षा प्रकोष्ठ

3244. **डॉ. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में लोगों को शिक्षित करने और निर्धन वर्ग के लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से कोई सूचना और सबके लिए शिक्षा प्रकोष्ठ उस राज्य में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्य में इन प्रकोष्ठों के कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रायोजित धारावाहिक

3245. **श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक दूरदर्शन द्वारा अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रायोजित कितने टी. वी. धारावाहिक परियोजनाएं प्राप्त की गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान दूरदर्शन हेतु 'एयर-टाइम बाईआउट' आधार पर कार्यक्रमों के निर्माण हेतु कितने स्थानीय निर्माताओं को अनुमति प्रदान की गई है और इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रायोजित टी. वी. धारावाहिकों अथवा कार्यक्रमों हेतु इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) दूरदर्शन के लिए कार्यक्रमों/धारावाहिकों के निर्माण हेतु अनिवासी भारतीयों को विशेष अधिमा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में तेल की खोज

3246. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी कंपनियों ने राजस्थान में तेल की खोज का कार्य आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में इन गैर-सरकारी कंपनियों ने तेल की खोज आरंभ की है;

(ग) उनकी खोज का परिणाम क्या रहा; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य में तेल की खोज के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) राजस्थान में ब्लाक आर-जे-ओ एन-90/1 के अंतर्गत तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए भारत सरकार/आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन तथा शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी. वी. नीदरलैंड्स के बीच एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) कंपनी जल्दी ही अन्वेषण कार्य आरंभ कर रही होगी।

(घ) भारत सरकार, निजी कंपनियों द्वारा तेल एवं गैस के अन्वेषण के संबंध में राजस्थान समेत भारत के विविध क्षेत्रों, तटीय एवं अपतटीय दोनों में ब्लाक प्रस्तावित करती रही है। राजस्थान में, 9 ब्लाकों के लिए बोलियां प्राप्त की गई हैं। उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में यथा उल्लिखित एक ब्लाक आर. जे-ओ एन-90/1 के लिए संविदा में पहले ही हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। सरकार ने दो और ब्लाकों अर्थात् आर. जे-ओ एन-90/4 तथा आर. जे-ओ एन-90/5 के संबंध में भी संविदा के एवार्ड को अनुमोदित कर दिया है। इन ब्लाकों के लिए संविदाओं में अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं। शेष ब्लाकों के लिए बोलियां विचाराधीन हैं।

मिलावटी पेट्रोलियम उत्पाद

3247. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देश से गुजरात आने वाले किसी जहाज में मिलावटी पेट्रोलियम उत्पाद पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिंदी]

उत्तर प्रदेश में रेल डाक सेवा

3248. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रेल डाक सेवा की स्थापना करने की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी किन-किन स्थानों पर स्थापना की जाएगी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मांग प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश में रेल डाक सेवा संगठन पहले से ही विद्यमान है।

(ख) उत्तर प्रदेश में 64 रेल डाक सेवा छंटाई कार्यालयों की कार्य-प्रणाली को देखने के लिए सात रेल डाक सेवा डिवीजन हैं। जिला छंटाई कार्यालयों की ब्यौरेवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक रेल डाक सेवा छंटाई कार्यालय खोलने की मांग की गई थी।

(ङ) विभागीय मानदंडों के अनुसार बहराइच जिले में छंटाई कार्यालय खोलने का औचित्य नहीं पाया गया।

विवरण

उत्तर प्रदेश के जिला संकेन्द्रण केन्द्र

जिले का नाम	संकेन्द्रण केन्द्र का नाम
1	2
आगरा	आगरा फोर्ट आरएमएस
आजमगढ़	आजमगढ़ आरएमएस
इलाहाबाद	इलाहाबाद आरएमएस
अलीगढ़	अलीगढ़ आरएमएस
अलमोड़ा	अलमोड़ा सार्टिंग
बांदा	बांदा आरएमएस
बदायूं	बरेली आरएमएस
बुलंदशहर	खुर्जा जंकशन आरएमएस

1	2
बाराबंकी	बाराबंकी आरएमएस
बस्ती	बस्ती आरएमएस
बहराइच	गौंडा आरएमएस
बिजनौर	नजीबाबाद आरएमएस
बरेली	बरेली आरएमएस
बलिया	बलिया आरएमएस
चमौली	नजीबाबाद आरएमएस
देवरिया	देवरिया आरएमएस
देहरादून	देहरादून सार्टिंग
इटावा	इटावा आरएमएस
एटा	कासगंज आरएमएस
फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद आरएमएस
फतेहपुर	फतेहपुर आरएमएस
फैजाबाद	फैजाबाद आरएमएस
गाजीपुर	गाजीपुर आरएमएस
गौंडा	गौंडा आरएमएस
गोरखपुर	गोरखपुर आरएमएस
गाजियाबाद	गाजियाबाद सीएसओ
हरदोई	बालामऊ आरएमएस
हमीरपुर	कानपुर आरएमएस
जौनपुर	जौनपुर आरएमएस
जालौन	उरई आरएमएस
झांसी	झांसी आरएमएस
कानपुर (आर)	कानपुर आरएमएस
खीरी	खीरी आरएमएस
कानपुर	कानपुर आरएमएस
लखनऊ	लखनऊ आरएमएस
ललितपुर	ललितपुर आरएमएस
मैनपुरी	शिकोहाबाद आरएमएस
मिर्जापुर	मिर्जापुर आरएमएस
मेरठ	मेरठ कैंट आरएमएस
मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर आरएमएस
मथुरा	मथुरा जंकशन आरएमएस
मुरादाबाद	मुरादाबाद आरएमएस
नैनीताल	काठ गोदा आरएमएस
पीड़ी	नजीबाबाद आरएमएस
प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ आरएमएस
पीलीभीत	पीलीभीत आरएमएस
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ सार्टिंग

1	2
राय बरेली	राय बरेली आरएमएस
रामपुर	मुरादाबाद आरएमएस
सुलतानपुर	सुलतानपुर आरएमएस
सीतापुर	सीतापुर आरएमएस
सहारनपुर	सहारनपुर आरएमएस
शाहजहांपुर	शाहजहांपुर आरएमएस
टिहरी	हरिद्वार आरएमएस
उन्नाव	उन्नाव आरएमएस
उत्तर काशी	हरिद्वार आरएमएस
वाराणसी	वाराणसी आरएमएस
महोबा	बांदा आरएमएस
महाराजगंज	गोरखपुर आरएमएस
मऊ	मऊ आरएमएस
पदरौना	देवरिया आरएमएस
सोनभद्र	मिर्जापुर आरएमएस
सिद्धार्थ नगर	बस्ती आरएमएस
भदोही	वाराणसी आरएमएस
फिरोजाबाद	शिकोहाबाद आरएमएस
हरिद्वार	हरिद्वार आरएमएस

[अनुवाद]

चीन के साथ चर्चा

3249. **श्री मोहन रावले :**
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री इंद्रजीत गुप्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने सुरक्षा संबंधी मुद्दों, विशेषकर सीमा पार नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए हाल ही में विस्तृत चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) काफी समय से लंबित सुरक्षा और अपराध संबंधी मुद्दों का किस हद तक समाधान हुआ है ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (ग) यह दौरा जनवादी गणराज्य चीन सरकार के निमंत्रण पर आयोजित किया गया था। जनवादी गणराज्य चीन के नागरिक सुरक्षा मंत्री और पर्यवेक्षण मंत्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की रोकथाम करने सहित सामान्य हित के अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था। प्रधान मंत्री के साथ भी एक बैठक हुई थी। इन उच्च स्तरीय संपर्कों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक स्थाई और अच्छे पड़ौसी वाले संबंध स्थापित करना है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में विदेशी निवेश

3250. श्री सुलतान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में विदेशी निवेश संबंधी समझौतों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम क्षेत्र में विपणन उद्यमों में विदेशी साम्य पूंजी की भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेट्रोलियम क्षेत्र में अब तक हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम क्षेत्र में विपणन उद्यमों में विदेशी इक्विटी में बांटी गई राशि का विवरण निम्नानुसार है—

क्र. सं.	कंपनी का नाम	इक्विटी		चुकता पूंजी (करोड़ रुपए)
1	2	3		4
1.	इंडो मोबील लिमिटेड	आईओसी— मोबील पेट्रोलियम कारपोरेशन	50% 50%	रु. 18.80 करोड़
2.	भारत शेल लिमिटेड	बी पी सी एल शेल	49% 51%	रु. 100 करोड़
3.	हिंदुस्तान कोलास लि०	एचपीसीएल कोल्गास	50% 50%	रु. 5.50 करोड़
4.	ए. वी. आई. आयल लि०	आई ओ सी बॉमर लॉरी एन वाई सी ओ एम ए	25% 25% 50%	रु. 8 करोड़
5.	आई बी पी कालटेक्स	आई बी पी कालटेक्स	49% 51%	रु. 20 करोड़
6.	बॉमर लॉरी—फुक्स	बी एल फुक्स	50% 50%	रु. 4 करोड़

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान कच्चे तेल, गैस का उत्पादन तथा रिफाइनरी क्रूड थ्रुपुट निम्नानुसार है—

मद		उत्पादन
कच्चा तेल	—	32.23 मि. मी. ट.
प्राकृतिक गैस	—	19.388 बिलियन घन मीटर
रिफाइनरी क्रूड थ्रुपुट	—	56.45 मि. मी. ट.

स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

3251. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गुजरात राज्य में कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की ओर से वित्तीय सहायता पाने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने-कितने आवेदन-पत्र मंजूर किए गए और कितनी सहायता राशि प्रदान की गई;

(ग) सहायता राशि मंजूर करते समय विचार हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(घ) ऐसे कितने आवेदन-पत्र स्वीकृति हेतु लंबित हैं; और

(ङ) इन आवेदन-पत्रों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :

(क) वर्ष		प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
1992-93	—	47
1993-94	—	87
1994-95	—	79
1995-96	—	41
कुल :		234

(ख) वर्ष	निपटाए गए आवेदन पत्रों की संख्या	मंजूर की गई राशि (रुपए लाख में)
1992-93	32	52.52
1993-94	37	66.18
1994-95	53	119.02
1995-96	16	36.16
कुल :	138	273.88

(ग) यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं समाज रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान निर्मुक्त करता है। यह संगठन सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, कंपनी अधिनियम, न्यास अथवा कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त और संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम 2 वर्षों से कार्यरत किसी अन्य संस्था के अधीन पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन पत्रों की संस्तुति से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जानी चाहिए। संगठन को वित्तीय दृष्टि से ठीक और उस स्थिति में होना चाहिए जो योजना पर किए जाने वाले कुल व्यय का कम-से-कम 10% भाग वहन करने की स्थिति में होना चाहिए।

(घ) 78 आवेदन-पत्र लंबित हैं और 20 आवेदन-पत्र अस्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ङ) पात्र लंबित आवेदन-पत्रों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार वर्तमान अथवा परवर्ती वित्त वर्ष के दौरान किया जाएगा जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा अन्य निकायों, जैसा कि निर्धारित हो, से सिफारिश तथा अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के अध्यधीन होगा।

कोयला उत्पादन

3252. **श्री रवि राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के उत्पादन में चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में अप्रैल-जून, 1995 की अवधि के दौरान कोयले का उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 44.96 मि. ट. की तुलना में 49.66 मि. ट. हुआ है। जोकि 10.45% की वृद्धि को दर्शाता है।

[हिंदी]

बकाया राशि

3253. **श्री जगमीत सिंह बरार :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों की काफी बड़ी राशि राज्य बिजली बोर्ड और इस्पात विनिर्माण इकाइयों पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1995 के अंत तक प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड और इस्पात इकाई पर कितनी राशि बकाया थी;

(ग) विवादित राशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त बकाया राशि की वसूली और भविष्य में इस राशि में वृद्धि को रोकने के लिए कोई प्रभावी उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) दिनांक 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों (रा. वि. बो.) तथा इस्पात संयंत्रों की ओर कोल इंडिया लिमिटेड (को. इं. लि.) को देय बकाया जोकि विवादित और अविवादित रूप में अलग-अलग दर्शायी गई है, उसे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य विद्युत बोर्डों तथा इस्पात संयंत्रों से देय बकाया राशि की वसूली करने के लिए सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(i) पहली जून, 1995 से 'कैश एंड कैरी' पद्धति बड़े उत्साह के साथ क्रियान्वित की जा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड ने सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत उपयोगिताओं को सूचित किया है कि वे कोयला आपूर्ति के लिए औसत मासिक बिलिंग का 1.5% तक का अप्रत्यादेय लेटर-ऑफ-क्रेडिट खोलें अथवा अग्रिम रूप में भुगतान करें। तदनुसार राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।

(ii) 270 करोड़ रुपए की राशि का कोल इंडिया लिमिटेड की देय बकाया राशि तथा बदरपुर तापीय विद्युत गृह के एवज् में रेलवे को देय बकाया राशि के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की योजनागत सहायता से चालू वर्ष के दौरान वसूल किए जाने का प्रस्ताव है।

(iii) कोयला कंपनियों तथा राज्य विद्युत बोर्डों के बीच देय बकाया विवादित राशि का निपटारा किए जाने के लिए अधिनिर्णायकों की नियुक्ति कर दी गई है।

(iv) कोल इंडिया लिमिटेड, सहायक कंपनियों और कोयला मंत्रालय के स्तर पर दोषी उपभोक्ताओं की देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती बैठकें की जा रही हैं।

(v) दामोदर घाटी निगम, बिहार राज्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के संबंध में ऊर्जा बिलों के एवज् में समायोजन के माध्यम से देय बकाया राशि की वसूली की जा रही है।

विवरण

31-3-1995 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य बोर्डों/इस्पात संयंत्रों की ओर कोल इंडिया लिमिटेड की देय बकाया राशि

(राशि करोड़ रुपए में)
(आंकड़ा अनंतिम)
31-3-1995 की स्थिति के अनुसार
देय बकाया राशि

I. राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत उपयोगिताएं		विवादित	अविवादित	जोड़
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी (ए. ई. सी.)	16.29	—1.64	14.65

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (एपीईबी)	14.23	8.10	22.33
3.	बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (बीएसईबी)	19.52	21.87	41.39
4.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस)	234.41	199.40	433.81
5.	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन (सीईएससी)	2.63	1.28	3.96
6.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड (डीपीएल)	11.19	66.84	78.03
7.	दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	76.38	174.52	250.90
8.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू)	35.27	26.80	62.07
9.	गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (जीईबी)	47.40	64.80	112.20
10.	हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (एचएलईबी)	134.47	11.17	145.64
11.	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	6.19	—0.67	5.52
12.	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (एमएसईबी)	378.39	32.95	411.34
13.	मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (एमपीईबी)	22.00	71.07	93.07
14.	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी)	149.01	101.40	250.41
15.	उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (ओएसईबी)	16.76	1.38	18.14
16.	पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (पीएसईबी)	174.93	56.11	231.04
17.	राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (आरएसईबी)	28.62	11.25	39.87
18.	तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी)	137.53	20.17	157.70
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (यूपीएसईबी)	135.04	235.76	370.80
20.	पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (डब्लूबीएसईबी)	1.89	163.34	165.23
21.	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (डब्लूबीपीडीसी)	5.77	198.82	204.59
22.	अन्य	7.56	3.13	10.69
	जोड़ :	1655.53	1467.85	3123.38
II.	इस्पात संयंत्र :			
1.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	79.05	6.78	85.83
2.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	68.57	—2.30	66.27
3.	भिलाई इस्पात संयंत्र	110.15	15.65	125.80
4.	बोकारो इस्पात लिमिटेड	72.78	—1.37	71.41
5.	अन्य 'सेल' यूनिटें	0.19	0.53	0.72
6.	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को)	32.51	36.26	68.77
7.	वी. आई. जे. ए. जी. (बिजाग) इस्पात	23.82	6.87	30.69
8.	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को)	3.55	0.52	4.03
	जोड़ :	390.62	61.90	452.52

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एस. टी. डी. सुविधा

3254. श्री कुंजी लाल :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सभी तहसील-मुख्यालयों में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन तहसील-मुख्यालयों के नाम क्या हैं, जिनमें एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है; और

(घ) सरकार का विचार इन राज्यों के तहसील-मुख्यालयों में कब तक यह सुविधा प्रदान करने का है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश में उपमंडलीय मुख्यालय नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश में 294 तहसील-मुख्यालयों में से 193 तहसील-मुख्यालयों को एस. टी. डी. नेटवर्क के साथ जोड़ा जा चुका है। राजस्थान में सभी 90 उपमंडलीय मुख्यालयों में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है।

(ख) सभी तहसील मुख्यालयों में उत्तरोत्तर रूप से यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) उत्तर प्रदेश में 101 तहसील मुख्यालयों में जहां एस टी डी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है, उनके नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) उत्तर प्रदेश में 1995-96 के दौरान, 1980 तहसील मुख्यालयों में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है और शेष तहसील-मुख्यालयों में 1996-97 के दौरान यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

विवरण

उन तहसील-मुख्यालयों की सूची, जहां एस. टी. डी. सुविधा नहीं प्रदान की जा सकी है—

क्र. सं.	तहसील-मुख्यालय	क्र. सं.	तहसील-मुख्यालय
1	2	1	2
1.	चुनार	9.	सकलडिहा
2.	कर्नलगंज	10.	विसवा
3.	नारायणी	11.	लोहपुर
4.	डालामऊ	12.	फतेहपुर
5.	सालोन	13.	जलालपुर
6.	महाराजगंज	14.	बिधुना
7.	रुद्रपुर	15.	डेरापुर
8.	चाकिया	16.	मिसरिख

1	2	1	2
17.	सिधौली	50.	मेजा
18.	पुवाया	51.	निछलालि
19.	बाबरु	52.	रामनगर
20.	बारा	53.	रसूलाबाद
21.	धरोहर	54.	सिराठ
22.	राघोल	55.	तारबंगेज
23.	जलालाबाद	56.	तिलोई
24.	बिलग्राम	57.	तुलसीपुर
25.	इटावा	58.	उतरोला
26.	डुमरियागंज	59.	अलीगंज
27.	तमकुराज	60.	वागेश्वर
28.	मजनपुर	61.	बाह (जरार)
29.	मछलीशहर	62.	बेहाट
30.	तलबेहाट	63.	भटवरी
31.	बीकापुर	64.	भिखीसेन
32.	रुदोली	65.	बिलासपुर
33.	मडियाहू	66.	बिशालपुर
34.	बादलपुर	67.	बिसौली
35.	लालगंज	68.	चकराता
36.	हरैया	69.	चंपावत
37.	मोठ	70.	डाटागंज
38.	भिणा	71.	देवप्रयाग
39.	बिल्हौर	72.	धरचुला
40.	चड़खड़ी	73.	वारी
41.	दुधी	74.	डाडीहाट
42.	गरौठा	75.	दुदना
43.	कैशरगंज	76.	गंगुलीहाट
44.	कराकट	77.	घूमाकोट
45.	कुलफार	78.	गुन्नूर
46.	कुंडा	79.	इगलास
47.	भाजपुर	80.	जलेसर
48.	मऊ	81.	खैर
49.	मऊरानी	82.	खटीमा

1	2	1	2
83.	किछा कुतौली	92.	प्रतापनगर
84.	लकसर	93.	पूरनपुर
85.	माट	94.	पुरौला
86.	मुन्सीयारी	95.	राजगढ़ी
87.	नगिना	96.	शाहसवान
88.	निलाक	97.	शाहबाद
89.	नाकुर	98.	सियाना
90.	नरेन्द्रनगर	99.	स्वार
91.	पटियाली	100.	थैलीसिवान
		101.	थाराली

[अनुवाद]

विकास परियोजनाएं

3255. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली विकास परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ख) इसका कुल परिव्यय कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार सी. एन. एन. के साथ पहले से ही किए गए समझौते के अलावा विदेशी टी. वी. स्टेशनों के साथ और अधिक सहयोग करने का है;

(घ) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए विदेशी टी. वी. केंद्रों के साथ कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1995-96 की शेष अवधि के दौरान 7 कार्यक्रम निर्माण केंद्र तथा भिन्न-भिन्न शक्तियों के 212 ट्रांसमीटर पूरे करने हेतु लक्षित हैं बशर्ते आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों तथा उपकरणों की समय पर आपूर्ति हो। इन स्कीमों हेतु पूंजी परिव्यय लगभग 285 करोड़ रुपए हैं।

(ग) दूरदर्शन के साथ सहयोग हेतु कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा वर्तमान में दूरदर्शन द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं—

1. एम. टी. वी. डेवलपमेंट कंपनी, न्यूयार्क, यू. एस. ए-डीडी-2 चैनल पर प्रायोजकता आधार पर।
2. बीबीसी वर्ल्ड वाइड, लंदन, ब्रिटेन—डीडी-2 चैनल पर राजस्व भागीदारी आधार पर।
3. टर्नर इंटरनेशनल इंक, यू. एस. ए.।
   (i) उपग्रह डीडी/सी. एन. एन. चैनल पर दूरदर्शन और सी. एन. एन. आई. कार्यक्रमों से प्रसारण शुल्क के भुगतान तथा राजस्व की भागीदारी पर।
   (ii) डीडी-1 अथवा डीडी-2 अथवा डीडी-3 चैनल पर स्थलीय रूप से प्रसारित टर्नर इंटरनेशनल के कार्यक्रमों के संबंध में राजस्व भागीदारी आधार पर।
4. टेलीविसा, मैक्सिको—डीडी-2 चैनल पर प्रायोजकता आधार पर।
5. ट्रांसटेल, जर्मनी—डीडी-1 और डीडी-2 चैनल पर अधिग्रहण आधार पर।

चकमा शरणार्थी

3256. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध चकमा शरणार्थियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी आरोपों की जांच करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश में बस गए चकमाओं ने अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उनको डरा-धमकाकर और आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न करवाकर मानवाधिकारों का कथित रूप से उल्लंघन किए जाने के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को चकमाओं की जान-माल की सुरक्षा करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई करने तथा यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।

[हिंदी]

भिखारी

3257. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भिखारियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में कितने भिखारी पकड़े गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) दिल्ली में भिखारियों को पकड़ने हेतु गत तीन महीनों के दौरान कितने छापे मारे गए हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने भिखारियों को काम देने हेतु कोई योजना आरंभ की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भिखारियों की संख्या मालूम करने के लिए कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है।

(ख) पिछले वर्ष अर्थात् 1994-95 के दौरान बंबई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959, जो 1960 से दिल्ली में भी लागू है, के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल 4807 भिखारियों को पकड़ा गया। इन भिखारियों को संक्षिप्त विचारण के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पकड़े गए 4807 भिखारियों में से 1716 को छोड़ा गया/मुक्त किया गया, 626 को जमानत पर रिहा किया गया और 2465 को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार पिछले तीन महीने अर्थात् 1 मई से 31 जुलाई, 1995 तक भिखारियों को पकड़ने के लिए कुल 139 छापे मारे गए।

(घ) और (ङ) आठवीं योजनावधि के दौरान 1992-93 में भारत सरकार ने भिक्षावृत्ति की रोकथाम तथा भिखारियों की देखभाल, उपचार, विकास और उनके पुनर्वास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत भिखारियों को समाज के साथ फिर से जोड़ने के उद्देश्य से उन्हें तकनीकी, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्तमान भिक्षुक गृहों में कार्य केंद्रों की स्थापना के वास्ते/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

3258. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1995 के मध्य में दिल्ली में अखिल भारतीय अल्पसंख्यक कोप की एक बैठक हुई थी जिसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की धीमी प्रगति के संबंध में चिंता व्यक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस निगम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में इस बारे में कोई सूचना/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को पुरस्कार

3259. **श्री राम कापसे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने टेलीफोन का गलत उपयोग करने वालों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों के लिए पुरस्कार की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए हैं तथा पुरस्कारस्वरूप उन्हें कितनी राशि दी गई है; और

(घ) इस योजना से विभाग किस प्रकार लाभान्वित हुआ है ?

जन संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में, कपटपूर्ण टेलीफोन लाइनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बारे में मददगार सूचना-प्रदाताओं को पुरस्कार देने की परिकल्पना है। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति, सतर्कता-अनुभागों के कर्मचारियों के अलावा बाहरी व्यक्ति अथवा एम टी एन एल/सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। पुरस्कार की अधिकतम राशि प्रति व्यक्ति 5000/- रुपए तथा किसी एकल मामले में अधिकतम राशि 50,000/- रुपए है। पुरस्कार की राशि का निर्णय, प्रत्येक मामले में मामला विशेष की प्रकृति तथा सूचना देने वाले व्यक्ति की भूमिका के आधार पर किया जाता है।

(ग) 23 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा चुका है तथा उन्हें उपयोगी सूचना देने हेतु 26,000/- रुपए की राशि दी जा चुकी है।

(घ) इस योजना के परिणामस्वरूप, एम. टी. एन. एल ने 11 मामलों में अनियमितताओं का पता लगाया है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन

3260. श्री राम नाईक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जुलाई, 1995 के द्वितीय सप्ताह के दौरान थाने नगर, महाराष्ट्र में 540 तथा 542 से शुरू होने वाले टेलीफोन खराब थे तथा प्रयोक्ताओं को इससे काफी असुविधा हो रही थी;

(ख) क्या उपर्युक्त दोनों एक्सचेंज हाल ही में चालू किए गए थे तथा ये फ्रांस की आधुनिक तकनीक से युक्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो फ्रांस की तकनीक की खरीद के बारे में सरकार की भविष्य में क्या नीतियां हैं ?

जन संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। जुलाई, 95 के वित्तीय सप्ताह में वर्षा के कारण, डक्ट केबलों के जोड़ों में खराबी आ जाने के कारण, थाणे शहर में 540 और 542 लेवल के कुछ टेलीफोन खराब हो गए थे और प्राथमिकता के आधार पर इन्हें ठीक करने के प्रयास किए गए थे। जिन उपभोक्ताओं के टेलीफोन 7 दिनों से अधिक समय के लिए खराब थे, उन्हें किराए में छूट दी गई थी। तथापि, वहां एक्सचेंज में कोई खराबी नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) उक्त खराबी का टेलीफोन एक्सचेंज स्विचिंग उपस्कर के कार्य-निष्पादन से कोई संबंध नहीं है। अतः इस मामले में मौजूदा नीति में परिवर्तन की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

[हिंदी]

उत्तर प्रदेश का विकास

3261. श्री राम पूजन पटेल :
डॉ. लाल बहादुर रावल :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई आयोग गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा राज्य के किन क्षेत्रों को विकास के लिए चुना गया;

(ग) आयोग द्वारा अनुशासित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) से (घ) संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई आयोग गठित नहीं किया गया है। तथापि, दिसंबर, 1962 में उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों अर्थात् गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया तथा जौनपुर के विकास के लिए पटेल आयोग नामक एक संयुक्त अध्ययन दल गठित किया गया था।

पटेल आयोग की सिफारिशें मूलतः कृषि, सहकारिता, बागवानी, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, उद्योग, लोक निर्माण विभागों (सड़कें तथा पुल) से संबंधित हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

विशेष डाक टिकटें

3262. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनकी स्मृति में सरकार का वर्ष 1995-96 के दौरान डाक टिकट जारी करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : वर्ष 1995-96 के दौरान विशेष स्मारक डाक-टिकटें : व्यक्ति एवं संस्थान—

क्र. सं.	विषय	
1	2	
1.	श्री के. एल. सहगल	जारी किया जा चुका है।
2.	श्री आर. एस. रुईकर	जारी किया जा चुका है।
3.	संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ	जारी किया जा चुका है।
4.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	जारी किया जा चुका है।
5.	ए पी पी टी सी, बेंकॉक	
6.	लुई पॉस्चर	
7.	ला मार्टिनियर कॉलेज, लखनऊ	
8.	इंडो-प्रीटोरिया (महात्मा गांधी)	
9.	5 राज राइफल्स	
10.	जाट रेजिमेंट	
11.	रंटजन—एक्स-रे के 100 वर्ष	
12.	क्रिकेटर्स—सी. के. नायडू, प्रो. देवधर, विजयमर्चेंट, वीनू मांकड़	
13.	भारती-भवन पुस्तकालय, इलाहाबाद	
14.	श्री पी. एम. थेवर	
15.	तुकदोजी महाराज	
16.	डॉ. वाई. सुब्बाराव	
17.	ज्ञानी जैल सिंह, भारत के राष्ट्रपति	
18.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च	
19.	खाद्य एवं कृषि संगठन	
20.	मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र	
21.	पंडित कुंजी लाल दुबे	
22.	अर्वे कोनुनबीय, कजाकं क राष्ट्रीय कवि	
23.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट	

धनराशि का दुर्विनियोग

3263. श्री ए. इंद्रकरन रेड्डी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण हेतु निर्धारित धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या विशेष रूप से वेस्ट गोदावरी जिले में आदिवासियों की समेकित आदिवासी विकास प्राधिकारियों द्वारा उपेक्षा की जा रही है;

(ग) केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश के समेकित आदिवासी विकास प्राधिकारियों के कार्यकरण के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) आदिवासियों की समस्याएं हल करने हेतु ऐसी शिकायतों पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है और उसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां। माननीय सांसद श्री वी. हनुमंथाराय से 8-2-1994 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमे यह उल्लेख किया गया था कि कोंडूकोटे पंचायत, पोलावरम, मंडल पश्चिम गोदावरी जिले के कुछ आदिवासी को समेकित आदिवासी विकास एजेंसी, पश्चिम गोदावरी से कभी भी कोई लाभ नहीं मिला। दूसरी ओर, कुछ लोग थे जिनको समेकित आदिवासी विकास एजेंसी से बार-बार लाभ मिले।

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार से 1-3-94 को इस शिकायत की जांच करने तथा इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार को स्मरण भी कराया गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिनांक 30-4-94 तथा 11-8-95 को अनुदेश जारी किए हैं, जिसमें उनसे समेकित आदिवासी विकास एजेंसियों/समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं इत्यादि से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बैंकों के आवेदन-पत्र उचित जांच के बाद भेजे जाएं जिससे आदिवासियों को सहायता समान रूप से तथा विवेकपूर्ण ढंग से बांटी जाए तथा सभी ऋण कुछ ही व्यक्तियों द्वारा बार-बार न ले लिए जाएं।

संसद सदस्यों के पत्र

3264. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संसद सदस्यों द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों का उत्तर देना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश मामलों में राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र की सरकारें संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर नहीं देती हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद सदस्यों और विधायकों से प्राप्त पत्रों की शीघ्रता से पावती भेजी जाए, उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तथा उनका उपयुक्त स्तर पर शीघ्रता से जवाब दिया जाए।

(ग) और (घ) यद्यपि मंत्रालयों और विभागों द्वारा इन अनुदेशों के अनुपालन का प्रबोधन सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र प्रशासनों के संबंध में जानकारी नहीं रखी जाती है।

अनुसूचित जातियों हेतु प्रशिक्षण योजनाएं

3265. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से इस वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण देने के लिए 'अम्बेडकर प्रशिक्षण योजना' और 'एकलव्य प्रशिक्षण योजना' शुरू की जा रही हैं;

(ख) क्या उक्त योजनाओं को राजस्थान में शुरू किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया; और

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्रीय प्रायोजित प्रशिक्षण कक्षाओं और संबंधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य भर्ती निकायों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने इस योजना के अंतर्गत जयपुर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर प्रशासनिक सेवा परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र और भरतपुर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर नागौर, गंगानगर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नौ अम्बेडकर/एकलव्य संस्थान स्थापित किए हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों 1991-92 से 1993-94 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 1096 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए इन 10 केंद्रों को 66,85,479 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उनमें से अंतिम रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 10 उम्मीदवारों का नियुक्ति के लिए चयन किया गया था।

[हिंदी]

रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल के खुदरा बिक्री केंद्रों का आवंटन

3266. **श्री गोविंद चंद्र मुंडा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान राज्यों में पेट्रोल के खुदरा बिक्री केंद्र और रसोई गैस की एजेंसी खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त 1191 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 1040 खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिपों को 1994-96 की एल पी जी विपणन योजना और 1993-96 की खुदरा बिक्री केंद्र योजना में शामिल कर लिया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एल पी जी विपणन योजना 1994-96	खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	85	80
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	5
3.	असम	16	31
4.	बिहार	95	121
5.	गोवा	14	7
6.	गुजरात	64	75
7.	हरियाणा	39	27
8.	हिमाचल प्रदेश	2	18
9.	जम्मू और कश्मीर	12	2
10.	कर्नाटक	54	17
11.	केरल	48	43
12.	मध्य प्रदेश	104	63
13.	महाराष्ट्र	133	106
14.	मणिपुर	4	1
15.	मेघालय	1	2

1	2	3	4
16.	मिजोरम	1	—
17.	नागालैंड	0	3
18.	उड़ीसा	28	34
19.	पंजाब	41	34
20.	राजस्थान	51	99
21.	सिक्किम	1	1
22.	तमिलनाडु	112	52
23.	त्रिपुरा	4	0
24.	उत्तर प्रदेश	156	172
25.	पश्चिम बंगाल	90	41
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार	0	0
2.	चंडीगढ़	8	1
3.	दादरा और नगर हवेली	0	1
4.	दिल्ली	21	0
5.	दमन और दीव	0	0
6.	लक्षद्वीप	0	0
7.	पांडिचेरी	5	4
	कुल योग :	1191	1040

[अनुवाद]

विकलांगों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय पुरस्कार

3267. प्रो. एम. कामसन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995 के लिए विकलांगों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए विकलांगों के विशिष्ट नियोजकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुरस्कारों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या विकलांगों के उन पदस्थापन अधिकारियों, व्यक्तियों और संस्थाओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं जिन्होंने अपंगों के कल्याणार्थ बेहतर काम किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस बीच विकलांगों और अपंगों के नियोक्ताओं और पदस्थापन अधिकारियों का चयन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) नियोक्ताओं का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करने का प्रस्ताव है—

(1) किसी भी दी गई स्थापना में उनके कर्मचारियों में 2% कर्मचारी विकलांग हैं तथा न्यूनतम 3 व्यक्ति हों। 13 विकलांग व्यक्तियों या उसके अधिक रोजगार देने वाली बड़ी स्थापनाओं के मामले में 2% की पूर्ति का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता नहीं है;

(2) जहां नहीं आवश्यक हो, तंत्र में मामूली समायोजन किए गए हैं;

(3) विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की वेतन दरों सहित वहीं सेवा शर्तें प्रदान की जाती हैं जैसे कि अन्य कर्मचारियों को;

(4) विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं पर नियोक्ता सहानुभूति प्रकट करते हैं; और

(5) जब आवश्यक तथा संभव हो, आवास जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) कल्याण मंत्रालय ने 29 जुलाई, 1995 को खुले विज्ञापन के माध्यम से स्थापन अधिकारी, व्यक्तियों तथा संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/सरकारी उपक्रमों के माध्यम से सभी तरह पूर्ण आवेदन 31 अगस्त, 1995 तक इस मंत्रालय को भेजे जाने हैं।

(ङ) नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) आवेदन-पत्र मंगाने की अंतिम तारीख 31 अगस्त, 1995 निश्चित की गई है।

प्रौद्योगिकी अंतरण

3268. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा भारत को प्रौद्योगिकी के अंतरंण के संबंध में समझौते पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) अलबर्टा राज्य द्वारा शासित अलबर्टा रिसर्च काउंसिल,

कनाडा ने भारत के भारी तेल भंडारों के संबंध में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है। तथापि, उनके साथ किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

कोयला खान के कर्मचारियों का पुनर्वास पैकेज

3269. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयला खानों की परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में कोई उदार पुनर्वास पैकेज लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने भूमि से निर्वासित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि से संबंधित भू-वंचितों के लिए पुनर्वास पैकेज के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

(i) काफी हद तक इन परियोजनाओं में कुशल तथा अर्धकुशल श्रेणियों में नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं जोकि नितांत रूप में भू-वंचित परिवारों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(ii) भू-वंचितों को परियोजनाओं में कार्य की अन्य श्रेणियों में उनकी कुशलता को व्यावसायिक आधार पर बढ़ाने के लिए उचित व्यवसायिक प्रशिक्षण मुहैया किया जाएगा।

(iii) सभी भू-वंचित परिवारों को उचित सुविधाओं सहित वैकल्पिक आवास स्थल उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक बेदखल परिवार को 2000/- रुपए तक स्थानांतरण भत्ता तथा मकान के लिए 5000/- रुपए एकमुश्त अनुदान अदा किया जाएगा।

(iv) अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के लिए नकद मुआवजा अग्रिम रूप से जिला प्रशासन के पास जमा कर दिया जाएगा ताकि भू-स्वामी बेदखल परिवारों को मुआवजे के भुगतान में विलंब न हो सके।

(v) उन परिवारों जिनके एक सदस्य को रोजगार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, को 20 वर्ष तक 300/- रुपए की राशि प्रति माह प्रति एकड़ की दर पर यथाअनुपात आधार पर दी जाएगी जोकि अधिकतम 1000/- रुपए प्रतिमाह जीवन-यापन भत्ता के रूप में तथा 100/- रुपए प्रतिमाह प्रति परिवार अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी।

उपर्युक्त बताई गई दर पर जीवन-यापन भत्ते की राशि 20 वर्ष के आधार पर पंजीकृत कर दी जाएगी तथा भू-वंचितों को वितरित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के पास जमा कर दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लिमिटेड के एक पुर्नस्थापन तथा पुनर्वास नीति भी अंगीकृत की है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण तथा पुनर्वास और विस्थापन की कार्य योजना तैयार करना भी शामिल है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार दिए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है—

वर्ष	जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया उनकी संख्या
1992	2636
1993	2204
1994	2003
जोड़ :	6843

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्र

3270. श्री जी. एम. सी. बालयोगी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह अनुदेश जारी किए हैं कि वे शिक्षा संस्थानों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रवृत्ति पाने के लिए अर्ह छात्रों से वापस न हो सकने वाला शुल्क और भरण-भत्ता वसूल न करने के निर्देश दें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये निर्देश कब जारी किए गए थे;

(ग) क्या सरकार को इन अनुदेशों के किसी प्रकार उल्लंघन किए जाने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार छात्रों की असुविधा दूर करने के लिए शैक्षिक वर्ष के प्रथम तीन महीनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि देने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत मंजूरी और संवितरण की पद्धति को सुधारू रूप देने के लिए दिनांक 4-4-1995 को सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में यह शामिल किया गया है कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निजी संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करने चाहिएं कि पात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से कोई अनिवार्य तथा वापस न किया जाने वाला शुल्क एकत्रित न किया जाए क्योंकि ये शुल्क संस्थाओं को सीधे सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

(ग) और (घ) उक्त योजना को कार्यान्वित करने वाले किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के इन दिशानिर्देश से अलग हटने के बारे में अब तक कोई सूचना नहीं दी है।

(ङ) और (च) इन दिशानिर्देशों में योजना के अंतर्गत कार्यकलापों की अनुसूची भी बनाई गई है जिसके अनुसार 'नवीकरण के मामलों' में प्रथम संवितरण शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक माह के भीतर और 'नए मामलों' के संबंध में प्रवेश की तारीख से लेकर डेढ़ महीने के भीतर कर दिया जाना चाहिए।

रसोई गैस की आपूर्ति

3271. श्री हरीश नारायण प्रभू झांट्ये : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में रसोई गैस की आपूर्ति में भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गोवा राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास पंजीकृत एल पी जी के मौजूदा उपभोक्ताओं की मांग कमोबेश संपूर्णतया पूरी की जा रही है। अस्थाई रूप से होने वाली बकाया मांग बढ़ाने गए घंटों में और अवकाश वाले दिनों में भराई संयंत्रों के प्रचालन के माध्यम से और आसपास के क्षेत्रों के भराई संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके एल पी जी की आपूर्तियों में वृद्धि करके पूरी की जाती है।

कोयला खानें

3272. श्री हाराधन राय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले का भंडार होने के बावजूद कतिपय अन्य कारणों से बंद की गई कोयला खानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का बंद पड़ी इन कोयला खानों में से किन्हीं कोयला खानों को फिर से चालू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या फिलहाल बंद पड़ी कोयला खानों को फिर से चालू करने हेतु उन्हें निजी उद्यमियों को सौंपने की सरकार की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भंडारों के समाप्त होने के अलावा अन्य कारणों से 17 कोयला खानें बंद की गई हैं।

(ख) से (घ) इनमें से कुछ खानों को पुनः खोलने के प्रयास निम्न प्रकार हैं—

कंपनी	खान	की गई कार्यवाही
1	2	3
ई.को.लि.	1. कृष्णा नगर	खान सुरक्षा महानिदेशक को पुनः खोलने की अनुमति के लिए संदर्भित।
	2. राणा-लोअर सीम	निनगाह के माध्यम से लोअर सीम का उत्खनन कार्य किया जा रहा है।
	3. गिरमिंट	तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किए जा रहे हैं।
भा.को. को.लि.	1. केंडवाडीह	अन्य खानों के माध्यम से कार्य करने के लिए आंशिक संपत्ति को अंतरित कर दिया गया है।
	2. लेकडीह डीप	खान पुनः खोल दी गई है।
से.को.लि.	1. पुरा धौरी	इसे ओपनकास्ट खान में परिवर्तित कर दिया गया है।
	2. मील भू-गत	इसे ओपनकास्ट खान में परिवर्तित कर दिया है तथा राजरप्पा में शामिल कर दिया गया है।
	3. करकट्टा भू-गत	इसे अब ओपनकास्ट खान में परिवर्तित कर दिया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में कोयला खनन केवल विद्युत उत्पादन तथा लौह एवं इस्पात उत्पादन में ग्रहीत खपत के लिए अनुमेय है। वर्तमान नीति के अंतर्गत, ग्रहीत कोयला खनन के लिए केवल उत्खनन-योग्य ब्लाकों की ही पेशकश की जा सकती है।

रसोई गैस का उत्पादन

3273. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में कितनी मात्रा में रसोई गैस का उत्पादन किया गया;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान रसोई गैस के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) उत्पादन और मांग के बीच अंतर का प्रतिशत कितना है, और

(घ) इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान एल पी जी का उत्पादन निम्नवत् था—

वर्ष	आंकड़े हजार मी. टन में एल पी जी उत्पादन
1992-93	2572
1993-94	2699
1994-95 (अनंतिम)	2858
1995-96 (लक्ष्य)	2679 (अनंतिम)

(ग) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (अनंतिम) के दौरान एल पी जी के उत्पादन और मांग के बीच अंतर का प्रतिशत क्रमशः 11.4 प्रतिशत, 15.3 प्रतिशत तथा 20.2 प्रतिशत है।

(घ) नई रिफाइनरियों तथा प्रभाजकों को आरंभ करके तथा कतिपय विद्यमान उत्पादन केंद्रों पर एल पी जी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके एल पी जी के उत्पादन को बढ़ाने के प्रस्ताव हैं। एल पी जी आयात सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं।

रसोई गैस के सिलेंडर

3274. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेरठ में अनधिकृत रूप से रसोई गैस के सिलेंडरों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो रसोई गैस सिलेंडरों के अनधिकृत रूप से निर्माण पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) दिनांक 26 मई, 1995 के टाइम्स ऑफ इंडिया में 'मेरट्स थ्राइविंग एल पी जी रैकेट' शीर्षक का समाचार सामने आया था। मामले की जांच-पड़ताल की गई है और यह पता चला है कि कुछ एक जालसाज गैस सिलेंडर नियमावली, 1981 के अधीन यथा अपेक्षित कोई अनुमोदन प्राप्त किए बगैर छोटे एल पी जी सिलेंडरों का निर्माण करने में लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये जालसाज सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा प्रयुक्त आकार से दूसरे आकार के छोटे सिलेंडरों का निर्माण कर रहे हैं।

(ग) और (घ) विस्फोटक विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा मेरठ जिला प्रशासन से छोटे सिलेंडरों के अनधिकृत निर्माताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है।

पेट्रोल से सीसा अलग करना

3275. श्री श्रीकांत जेना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल से सीसा अलग करने के कारण वातावरण में कार्सीनो-जेनिक बेंजीन नामक पदार्थ फैल जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। सीसा रहित पेट्रोल के केवल उन वाहनों में प्रयोग का समर्थन किया जाता है जिनमें कटेलिटिक कन्वर्टर्स लगे हों जो स्वचालित वाहनों से निकलने वाले बेनजीन सहित हानिकर निस्सरणों को कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसे उपोत्पादनों में परिवर्तित करते हैं।

तेल शोधन परियोजनाएं

3276. श्री बोला बुल्ली रामय्या :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय कंपनियों का विचार उपयोग में लाई गई आयातित मशीनरी का प्रयोग कर तेलशोधक परियोजनाएं लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये तेलशोधक परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर लगाए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। ब्यौरा निम्नानुसार है—

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	रिफाइनरी की क्षमता	स्थान
1.	तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम	2.0	तमिलनाडु
2.	मैसर्स अबान लायड	3.00	तमिलनाडु
3.	मैसर्स पेट्रो एनर्जी प्रोडक्ट्स कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	4.8	पांडिचेरी

[हिंदी]

बाढ़ पर नियंत्रण

3277. श्री दत्ता मेघे :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सावुल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ग्रस्त राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ कोई बैठक की है;

(ग) यदि हां, तो इसमें किन प्रमुख बातों पर चर्चा की गई थीं; और

(घ) इसका क्या निष्कर्ष निकला ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) देश के ज्यादातर सभी राज्यों में बाढ़ आती है। मुख्यतः असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा चिरकालिक बाढ़ प्रभावित राज्य हैं। जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा कभी-कभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पंचायत संचार सेवा

3278. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री रति लाल वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1995 'जनसत्ता' में 'पंचायत संचार सेवा की उपयोगिता' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पंचायत संचार सेवा योजना की स्कीम के बारे में उक्त समाचार, समाचार-पत्र का विवरण है। फिलहाल, यह योजना सरकार के विचाराधीन है और इस योजना के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

कोयला खनन परियोजनाएं

3279. श्री प्रकाश बी. पाटील : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने अपने देश में कुछ कोयला खनन परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सरकार की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। कोयले पर दिसंबर, 1994 में संपन्न हुई इंडो-चीन कार्यकारी दल की दूसरी बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने ओपनकास्ट परियोजनाओं में आयोजन तथा डिजाइन में विशेषज्ञता की ओर चीन में ओपनकास्ट खानों के विकास के लिए ओपनकास्ट उपकरणों की आपूर्ति किए जाने की भी पेशकश की थी। चीनी पक्ष ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया था। उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में एक चीनी शिष्टमंडल ने संबद्ध भारतीय संगठनों के साथ इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए अप्रैल, 1995 के दौरान भारत का दौरा किया। चीनी पक्ष से एक उपयुक्त स्थल विनिर्दिष्ट किए जाने और केंद्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड को भू-गर्भीय आंकड़े मुहैया किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अनुच्छेद 339 के अंतर्गत आयोग की स्थापना

3280. श्री फूलचंद वर्मा : क्या कल्याण मंत्री 4 अगस्त, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 339 के अंतर्गत एक आयोग की स्थापना के विषय में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत आयोग गठित करने का निर्णय किया है। इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित सात सदस्य होंगे। अध्यक्ष, अनुसूचित जनजातियों में से होंगे और आयोग के कम-से-कम आधे सदस्य अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विख्यात व्यक्ति होंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल भंडार

3281. श्री अनंतराव देशमुख : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल के प्रतिलभ्य भंडारों में तेल की मात्रा कितनी है;

(ख) ये भंडार लगभग कितने समय तक बने रह सकते हैं; और

(ग) तेल भंडारों की उपलब्धता में वृद्धि हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1 अप्रैल, 94 को आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन के तथा 1 जनवरी, 95 को आयल इंडिया लिमिटेड के कच्चे तेल के वसूली योग्य भंडारों का शेष क्रमशः 699.66 मि. मी. टन तथा 60.53 मि. मी. टन है।

(ख) भंडारों की अवधि भंडार वृद्धि प्रतिमान तथा स्तर साथ ही भंडार निकासी दरों द्वारा नियंत्रित होती है। आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन तथा आयल इंडिया लिमिटेड के उपर्युक्त भंडारों की अनुमानित अवधि क्रमशः 24 वर्ष तथा 20 वर्ष है।

(ग) सरकार ने 1994-97 की अवधि के दौरान अन्वेषी प्रयास सघन करने और इस प्रकार भंडार उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए अन्वेषण का वर्द्धित कार्यक्रम आरंभ किया है। इसमें भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन तथा भारत के तलछटीय बेसिनों में अन्वेषी वेधन का अतिरिक्त निवेश समाविष्ट हैं।

इसके अतिरिक्त, समय-समय पर ब्लाक, अन्वेषण हेतु निजी भारतीय तथा विदेशी कंपनियों को प्रस्तावित किए गए हैं। मार्च, 1995 में उद्घोषित संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अधीन 28 ब्लाक आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन/आयल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं के अधीन निजी कंपनियों द्वारा विकास हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 95 है।

[हिंदी]

राजभाषा अधिनियम

3282. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभाग में भाषाई आधार पर भेदभाव के विरुद्ध राजभाषा अधिनियम में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी निकायों द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी में प्रकाशित की जाने वाली 'विज्ञान प्रगति' और 'भगीरथ' पत्रिकाओं को हिंदी पत्रिकाओं की तुलना में अधिक सुविधाएं और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं;

(ग) राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन रोकने और हिंदी पत्रिकाओं को उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजभाषा अधिनियम के उल्लंघन के मामले में शीघ्र ही एक जांच कराने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) राजभाषा अधिनियम के प्रावधान प्रमुखतः संघ के अनेक राजकीय प्रयोजनों के लिए भाषाओं के प्रयोग संबंधी है। अतः इनमें भाषाई आधार पर भेदभाव के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) कथित हिंदी पत्रिकाओं 'विज्ञान प्रगति' और 'भगीरथ' के प्रकाशन के लिए उपलब्ध कर्मचारी तथा अन्य सुविधाएं अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिकाओं के लिए उपलब्ध ऐसी सुविधाओं के समतुल्य अथवा अधिक हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विकलांग परिषद

3283. **डॉ. पी. वल्लल पेरुमान** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग परिषद का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद का स्वरूप क्या है और इसके कार्य तथा मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस परिषद ने विभिन्न राज्यों विशेषतः तमिलनाडु में विकलांगों के लाभार्थ अब तक क्या-क्या कल्याणकारी उपाय शुरू किए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय विकलांग कल्याण परिषद के अध्यक्ष कल्याण मंत्री हैं जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विकलांग कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञों सहित 60 सदस्य हैं। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा सेवाओं के प्रति समन्वित तथा व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना;

(2) राष्ट्रीय कार्रवाई योजना विकसित करना;

(3) विकलांगों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित करना;

(4) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विधायी, प्रशासनिक तथा अन्य उपायों की आवधिक रूप से समीक्षा करना; तथा

(5) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ग) यह राष्ट्रीय परिषद कल्याण उपायों/कार्यक्रमों को आरंभ नहीं करती है। यह मात्र एक सलाहकार निकाय है।

[हिंदी]

बाढ़ नियंत्रण

3284. **श्री सुरेशानंद स्वामी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित उत्तर प्रदेश की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी दर्शाई गई अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश को दी गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च, 95 तक आठवीं योजना के दौरान केंद्रीय सरकार को 61 करोड़ रुपए की लागत पर 14 बाढ़ नियंत्रण योजनाएं प्रस्तुत की हैं। इन सभी योजनाओं की जांच की गई और टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गईं। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ख) योजनाओं की स्वीकृति का समय राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियों के अनुपालन पर निर्भर करेगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्र से बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई।

[अनुवाद]

चोरी के मामलों का पंजीकरण

3285. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या गृह मंत्री 17 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5994 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब पुलिस नियम के नियम 24.4 के अंतर्गत चोरी आदि के मामलों का पंजीकरण करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995 के दौरान अब तक कितने मामलों का पंजीकरण किया गया है तथा जांच शुरू की गई है;

(ग) 1995 के दौरान इस संबंध में संसद सदस्यों की ओर से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) इस प्रकार के मामलों और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री को संसद सदस्यों से अप्रैल, 199. के दौरान प्राप्त पत्रों की संख्या से संबंधित सूचना जानने के बारे में 17 मई, 1995 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5994 के भाग (ङ) के उत्तर में सरकार ने आश्वासन दिया था। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II के अनुसार, राज्य पुलिस बलों के संगत नियमों के अंतर्गत चोरी इत्यादि के मामलों को दर्ज करने का विषय संबंधित राज्य सरकारों का है। उसी प्रकार, इस बारे में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों को, मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

कोयले की चोरी

3286. **श्री रामचंद्र धंगारे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले चंद्रपुर क्षेत्र के विभिन्न कोयला खानों से खान प्राधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अब तक ऐसे कितने मामले पकड़े गए; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिंदी]

आत्महत्या की प्रवृत्ति

3287. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आत्महत्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की आत्महत्याओं के पीछ क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन कारणों पर रोक लगाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) देश में 1993 और 1994 के दौरान की गई आत्महत्याओं की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या तथा आत्महत्या करने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) चूंकि आत्महत्या करने के कारण अनेक, जटिल और अधिकांशत: निजी/परिवार से संबंध हैं, अत: किसी कार्रवाई योजना के द्वारा अथवा अन्यथा सरकार की उसमें भूमिका अत्यंत सीमित प्रतीत होती है।

विवरण

वर्ष 1993 के दौरान विभिन्न कारणों से की गई आत्महत्याओं के मामलों की संख्या
(राज्य व संघ राज्य क्षेत्रवार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परीक्षा में असफलता	सास-ससुर के साथ झगड़ा	पति/पत्नी के साथ झगड़ा	गरीबी	प्रेम संबंध	पागलपन	संपत्ति पर विवाद	घातक बीमारी	बेरोजगारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	86	345	229	360	164	142	182	2063	37
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0	3	1	0	6	6
3.	असम	41	68	33	50	75	74	24	52	21
4.	बिहार	23	50	28	61	46	34	51	64	24
5.	गोवा	1	4	8	9	19	22	2	11	3
6.	गुजरात	51	146	281	71	140	277	18	456	137
7.	हरियाणा	29	48	75	21	25	7	38	202	20
8.	हिमाचल प्रदेश	7	19	12	6	12	5	2	23	10
9.	जम्मू व कश्मीर	4	0	5	0	3	1	1	0	2
10.	कर्नाटक	102	137	174	272	168	215	35	1693	74
11.	केरल	83	573	460	3	186	441	287	1081	180
12.	मध्य प्रदेश	103	731	733	89	347	324	109	829	33
13.	महाराष्ट्र	130	785	973	266	261	395	141	1028	133
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15.	मेघालय	0	3	1	1	5	6	0	10	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	2	0	1	1
18.	उड़ीसा	76	170	211	20	212	65	30	176	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	पंजाब	0	8	22	8	14	33	7	44	4
20.	राजस्थान	137	144	160	44	66	127	60	189	41
21.	सिक्किम	2	0	1	0	0	1	0	0	0
22.	तमिलनाडु	145	530	533	307	414	140	107	1729	135
23.	त्रिपुरा	37	68	34	0	50	36	0	24	0
24.	उत्तर प्रदेश	21	99	154	39	138	37	127	277	10
25.	प. बंगाल	94	539	611	161	3100	960	942	1753	179
	योग राज्य	2031	4437	4740	1788	5458	3346	2163	11701	1070
	संघ राज्य क्षेत्र									
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	14	6	1	6	6	0	1	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	23	0
28.	दादरा व नागर हवेली	0	1	9	0	0	9	0	7	0
29.	दमन एवं दीव	0	0	2	0	1	0	0	0	0
30.	दिल्ली	4	12	24	31	30	14	1	41	30
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	4	89	170	9	7	19	0	214	2
	योग संघ राज्य क्षेत्र	9	116	211	41	44	48	1	296	3
	योग (अखिल भारत)	2040	4553	4951	1829	5502	3394	2164	11997	1102

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिवालिया होना या आर्थिक स्थिति में अचानक परिवर्तन	प्रियजनों की मृत्यु	सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट	दहेज विवाद	अवैध गर्भ धारण	अज्ञात कारण	अन्य कारण	योग (स्तंभ 3 से 18)
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	148	27	26	238	15	1198	2590	7850
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	44	0	56
3.	असम	20	15	87	15	15	1369	598	2557
4.	बिहार	15	33	4	45	6	742	417	1643
5.	गोवा	1	1	0	0	0	93	29	203
6.	गुजरात	96	47	48	34	5	480	1144	3431
7.	हरियाणा	4	9	26	41	4	248	457	1254

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
8.	हिमाचल प्रदेश	0	4	0	0	0	34	36	170
9.	जम्मू व कश्मीर	1	0	1	7	0	27	18	70
10.	कर्नाटक	109	41	23	78	5	2034	2895	8055
11.	केरल	385	77	68	11	17	477	3795	8124
12.	मध्य प्रदेश	33	63	100	161	11	903	1682	6251
13.	महाराष्ट्र	136	58	66	112	60	936	4911	10338
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	18	0	19
15.	मेघालय	0	0	0	0	1	20	24	71
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	25	0	25
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	8	8	20
18.	उड़ीसा	8	16	25	98	18	914	1291	3345
19.	पंजाब	3	3	2	18	0	185	142	493
20.	राजस्थान	28	14	57	82	3	537	1040	2729
21.	सिक्किम	0	0	2	0	0	42	0	48
22.	तमिलनाडु	146	41	2	87	14	940	2585	7895
23.	त्रिपुरा	0	2	2	0	0	43	247	543
24.	उत्तर प्रदेश	13	65	35	394	29	699	3810	5947
25.	पश्चिम बंगाल	114	821	449	74	119	584	51	11381
	योग राज्य	1259	1337	1054	1495	269	12600	27770	82518
	संघ राज्य क्षेत्र								
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	2	0	0	0	59	4	110
27.	चंडीगढ़	0	0	0	4	0	21	10	58
28.	दादरा व नागर हवेली	0	1	0	0	0	0	12	39
29.	दमन एवं दीव	1	0	0	0	0	4	12	20
30.	दिल्ली	5	2	5	51	1	380	252	883
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	4	5	12	1	0	46	34	616
	योग संघ राज्य	10	10	17	56	1	510	324	1726
	योग (अखिल भारत)	1269	1347	1071	1551	270	13110	28094	84244

वर्ष 1994 के दौरान विभिन्न कारणों से की गई आत्महत्याओं के मामलों की संख्या
(राज्य व संघ राज्य क्षेत्रवार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परीक्षा में असफलता	सास-ससुर के साथ झगड़ा	पति/पत्नी के साथ झगड़ा	गरीबी	प्रेम संबंध	पागलपन	संपत्ति पर विवाद	घातक बीमारी	बेरोजगारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	93	255	247	321	132	138	170	2146	75
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0	3	0	0	0	0
3.	असम	45	37	17	43	79	41	22	77	18
4.	बिहार	19	55	39	81	82	44	36	81	12
5.	गोवा	8	5	12	4	19	33	0	17	5
6.	गुजरात	51	238	245	82	143	256	25	476	164
7.	हरियाणा	83	34	72	22	31	74	39	134	22
8.	हिमाचल प्रदेश	18	5	2	1	14	2	4	21	6
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9	1	2	2	0	0	0	1	0
10.	कर्नाटक	126	174	131	294	226	219	60	1630	134
11.	केरल	62	334	353	55	147	369	216	1006	181
12.	मध्य प्रदेश	142	390	628	146	282	242	105	644	38
13.	महाराष्ट्र	154	911	1017	286	350	381	49	1298	119
14.	मणिपुर	1	0	0	0	1	1	0	2	0
15.	मेघालय	0	0	5	0	4	7	0	2	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	71	167	243	24	287	58	17	205	20
19.	पंजाब	10	25	23	27	23	54	14	28	9
20.	राजस्थान	96	109	140	53	102	102	63	161	26
21.	सिक्किम	0	0	0	11	3	7	0	4	2
22.	तमिलनाडु	249	700	648	282	382	75	109	1514	270
23.	त्रिपुरा	35	61	53	0	56	27	0	22	0
24.	उत्तर प्रदेश	85	160	358	66	177	158	106	431	28
25.	पश्चिम बंगाल	568	587	746	127	2634	743	952	1856	168
	योग (राज्य)	1870	4248	4983	1927	5177	3031	1987	11761	1297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	संघ शासित क्षेत्र									
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	6	17	0	2	11	0	21	1
27.	चंडीगढ़	1	5	7	2	3	3	1	12	4
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	1	12	1	1	0
29.	दमन एवं दीव	0	0	3	0	0	1	0	0	1
30.	दिल्ली	13	8	32	8	27	32	11	50	28
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	9	88	172	16	6	27	0	178	2
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	25	107	231	26	39	86	13	262	36
	योग (अखिल भारत)	1895	4355	5214	1953	5216	3117	2000	12023	1333

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिवालिया होना या आर्थिक स्थिति में अचानक परिवर्तन	प्रियजनों की मृत्यु	सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट	दहेज विवाद	अवैध गर्भ धारण	अज्ञात कारण	अन्य कारण	योग (स्तंभ 3 से 18)
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
	राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	156	13	45	228	24	89	2297	7231
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	46	0	51
3.	असम	4	5	23	11	17	1234	891	2564
4.	बिहार	7	6	17	39	8	298	612	1436
5.	गोवा	4	2	0	0	0	99	34	237
6.	गुजरात	79	60	48	35	10	574	1307	3793
7.	हरियाणा	7	9	26	7	0	157	271	938
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	47	152	272
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	3	0	7	19	44
10.	कर्नाटक	148	59	31	116	45	1345	4312	9050
11.	केरल	385	58	55	13	20	944	4235	8533
12.	मध्य प्रदेश	56	40	109	185	11	1598	2103	7024
13.	महाराष्ट्र	155	52	27	133	21	1177	4682	1078
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	17	12	34

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
15.	मेघालय	0	0	1	0	0	30	1	50
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	42	42
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	14	23	37
18.	उड़ीसा	2	2	26	113	5	760	1013	3013
19.	पंजाब	2	1	4	27	0	175	123	545
20.	राजस्थान	49	24	27	90	5	830	814	2691
21.	सिक्किम	0	2	0	0	4	18	6	57
22.	तमिलनाडु	89	157	41	141	9	1196	3426	9248
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	2	54	208	518
24.	उत्तर प्रदेश	15	65	40	474	15	1186	3574	6938
25.	पश्चिम बंगाल	395	834	727	79	191	1782	0	12389
	योग राज्य	1553	1389	1247	1654	387	14479	30527	87517
	संघ शासित क्षेत्र								
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	1	0	0	0	41	20	122
27.	चंडीगढ़	0	0	0	1	0	34	46	119
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	7	15	37
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	1	1	7
30.	दिल्ली	4	9	7	28	0	315	231	803
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	1	1
32.	पांडिचेरी	3	6	5	4	0	33	40	589
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	7	16	12	33	0	431	354	1678
	योग (अखिल भारत)	1560	1405	1259	1687	387	14910	30881	89195

स्रोत : 'भारत में दुर्घटना, मौतें एवं आत्महत्याएं' से आंकड़े।

टिप्पणी : ये आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

3288. श्री हाराधन राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, दमकल केंद्रों, रेलवे स्टेशनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने संबंधी कई मामले काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, हां। लंबित का ब्यौरा निम्नानुसार है—

शिक्षण संस्थाएं	58
अस्पताल	2
पुलिस स्टेशन	1
अग्नि शमन केंद्र	शून्य
रेलवे स्टेशन	शून्य
कुल :	61

कुल 61 लंबित मामलों में से 36 मामले लंबी दूरी वाले कनेक्शन हैं तथा शेष 25 मामले वर्ष 1995-96 के दौरान पंजीकृत हुए हैं।

(ग) सभी कनेक्शन 31-3-1996 तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

[हिंदी]

पेट्रोल खुदरा बिक्री केंद्रों का आवंटन

3289. **श्री कुंजीलाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान बिना बाड़ी के आधार पर कितने पेट्रोल खुदरा बिक्री केंद्र मंजूर किए गए;

(ख) इस प्रकार के आवंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बिना बारी के आधार पर पेट्रोल खुदरा बिक्री केंद्र आवंटित किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ग) मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राजस्थान में निम्नलिखित व्यक्तियों को अनुकंपा आधार पर चार खुदरा बिक्री केंद्र आवंटित किए गए—

1. श्रीमती हीरा देवी बड़वाड़	—	जोधपुर
2. श्री डी. के. शास्त्री	—	जयपुर
3. सुश्री आर. के. रवीन्द्र कौर	—	भरतपुर
4. श्रीमती सोनोती मीणा	—	जयपुर

(ख) अनुकंपा आधार पर विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के लिए सरकार द्वारा 1-4-1995 से पालन किए जा रहे दिशानिर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए दिशानिर्देश

(i) उस व्यक्ति का आश्रित जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया हो परंतु जिसका अभी तक उचित रूप से पुनर्वास न किया गया हो।

(ii) किसी ऐसे परिवार का सदस्य, जो आतंकवादियों के आक्रमण, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का शिकार रहा हो।

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(iv) प्रतिरक्षा/अर्द्ध सैनिक/पुलिस कर्मी/अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी जो ड्यूटी के समय स्थायी रूप से अपंग हो गए हों।

(v) असामान्य परिस्थितियों में प्राण गंवाने वालों के निकटतम संबंधी अर्थात् विधवा, अभिभावक, संतान।

(vi) कठिन परिस्थितियों में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों, संगीतकारों, साहित्यकारों आदि जैसे विख्यात पेशेवर व्यक्ति और उच्च उपलब्धि प्राप्त महिलाएं।

(vii) बेहद दुख-तकलीफ के विशिष्ट मामले, जो सरकार की राय में अत्यंत मार्मिक हैं और किसी समय पर मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(viii) विवेकाधीन आवंटनों की संख्या सामान्य रूप से औसत वार्षिक विपणन योजना के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें से पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री केंद्रों के आवंटन सामान्य रूप से 5% से अधिक नहीं होने चाहिए।

किसी उम्मीदवार को विवेकाधीन आवंटन निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधीन किया जाएगा —

(1) वह भारत का/की नागरिक होना/होनी चाहिए।

(2) उसके अथवा उसके निम्न निकट संबंधियों (सौतेले संबंधियों सहित) के पास पहले से ही किसी तेल कंपनी के पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप नहीं होनी चाहिए।

(i) पति/पत्नी

(ii) पिता/माता

(iii) भाई

(iv) पुत्र/पुत्रवधू

संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर

3290. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के अंतिम रूप से उत्तर देने के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराने पर विचार कर रही है ताकि नियमानुसार निर्धारित समयावधि में ऐसे पत्रों के उत्तर दिए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर में विलंब के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी को तय करना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संभव नहीं है कि कई पत्रों में ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, जिनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श करके विस्तृत परीक्षण/जांच करनी पड़ती है। तथापि मंत्रालय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के अंतिम उत्तर तीन महीने की अवधि के भीतर भेजने के लिए निरंतर प्रयास करता है।

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रौद्योगिकी पर पर्यावरण का प्रभाव

3291. श्रीमती माणिकराव होडल्या गावीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेजी से विकसित हो रही दूरसंचार प्रौद्योगिकी का पादप-गृह पर प्रभाव पड़ रहा है और इससे ओजोन परत क्षीण हो रही है जिससे विश्वव्यापी पर्यावरण को हानि हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या को देखने हेतु कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा सहायता

3292. श्री पवन कुमार बंसल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 में अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा सहायता के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य किए गए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों की संख्या क्या है और उन्हें कितनी धनराशि जारी की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्य के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) शामिल किए गए लाभार्थियों तथा 1994-95 में निर्मुक्त अंशदान से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1994-95 एस.सी.डी.सी. द्वारा निश्चित किया गया वित्तीय लक्ष्य 1994-95
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	875.00
2.	असम	25.00
3.	बिहार	60.00
4.	गुजरात	51.00
5.	हरियाणा	145.00
6.	हिमाचल प्रदेश	65.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	90.00
8.	कर्नाटक	539.00
9.	केरल	82.50
10.	मध्य प्रदेश	54.00
11.	महाराष्ट्र	59.30
12.	उड़ीसा	30.00
13.	पंजाब	97.06
14.	राजस्थान	10.20
15.	तमिलनाडु	311.50
16.	त्रिपुरा	शून्य
17.	उत्तर प्रदेश	457.00
18.	पश्चिम बंगाल	688.50
19.	गोवा	14.00
20.	चंडीगढ़	4.50
21.	दादर और नगर हवेली दमन व दीव	18.50
22.	दिल्ली	65.00
23.	पांडिचेरी	5.00
	जोड़ :	3767.06

विवरण-II

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त केंद्रीय हिस्सा	कवर किए लाभार्थी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	577.33	2,33,553
2.	असम	24.02	5,163
3.	बिहार	शून्य	1,633
4.	गुजरात	17.82	16,918
5.	हरियाणा	75.31	11,999
6.	हिमाचल प्रदेश	48.43	5,046
7.	जम्मू तथा कश्मीर	86.47	1,614
8.	कर्नाटक	310.21	83,000

1	2	3	4
9.	मध्य प्रदेश	51.88	15,629
10.	केरल	79.20	7,738
11.	महाराष्ट्र	56.97	23,567
12.	उड़ीसा	28.87	44,235
13.	पंजाब	28.82	17,796
14.	राजस्थान	9.80	12,500
15.	तमिलनाडु	186.54	19,283
16.	त्रिपुरा	शून्य	एन.ए.
17.	उत्तर प्रदेश	282.32	89,256
18.	पश्चिम बंगाल	233.29	90,432
19.	गोवा	13.45	00,068
20.	चंडीगढ़	4.32	289
21.	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	17.75	एन.ए.
22.	दिल्ली	62.45	3,000
23.	पांडिचेरी	4.80	533
	जोड़ :	2200.00	5,82,552

[हिंदी]

कोयले का अवैध खनन

3293. श्री रतिलाल वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गिरीडीह और दुमका जिलों में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की बोंयाडीह कोयला खानों में अवैध खनन और पिछले तीन-चार वर्षों से सरकारी कोयला डिपुओं से बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी किए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या इस अवैध कार्य में जिला पुलिस और सेंट्रल कोलफील्ड्स के अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ है और जंगलों में अवैध कोयला डिपु चलाने वाले व्यक्तियों से प्रत्येक महीने लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में बोयडीह नामक कोई यूनिट नहीं है। किंतु, को. इ. लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार गिरीडीह में तथा न कि दुमका जिले में बेनियाडीह कोलियरी विद्यमान है, जिसमें बंद पड़ी तथा अलाभकारी कोयला खान विद्यमान है और इसके आस-पास के क्षेत्र के ग्रामवासी इन निरस्त कोयला खानों से कोयले की चोरी, यद्यपि कम मात्रा में, किए जाने की कार्रवाई में लिप्त बताए जाते हैं।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। कोयले के गैर-कानूनी रूप में व्यापार किए जाने के मामले में से. को. लि. के अधिकारियों के शामिल होने का कोई प्रमाण विद्यमान नहीं है, तथा इसलिए जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। किंतु, राज्य सरकार के कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों को इस मामले को संदर्भित करने के अतिरिक्त, कोयला की गैर-कानूनी रूप में खनन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं—

1. निरस्त खानों में चूहे के बिलों को सतत् रूप से भरा जाना।
2. ऐसे चूहे के बिल वाले पहुंच क्षेत्रों में डोजिंग किया जाना।
3. निरस्त क्षेत्रों में अचानक निरीक्षण तथा स्थानीय पुलिस की सहायता से गैर-कानूनी डिपों में अचानक छापे।
4. ऐसी गतिविधियों में लिप्त बैलगाड़ी, साइकिल आदि को जब्त किया जाना।
5. इस संबंध में समय-समय पर जिला प्राधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में जिला दूरसंचार-कार्यालय

3294. श्री योगानंद सरस्वती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से एक 'जिला दूरसंचार कार्यालय' स्थापित करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सी-डॉट में आरक्षण-नीति

3295. श्री सूरज मंडल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी-डॉट में तकनीकी सहायकों के कुल कितने पद रिक्त हैं और इनमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है;

(ख) क्या सी-डॉट में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का चयन करने के संबंध में सरकारी आरक्षण नीति में कुछ विसंगतियां हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) तकनीकी सहायक हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्यूनतम प्रतिशत और पात्रता क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क)

(i)	चुनिंदा प्रत्याशियों की संख्या	—	3
	विवरण : अनुसूचित जाति	—	1
	अनुसूचित जनजाति	—	2
	अन्य पिछड़ा वर्ग	—	शून्य
(ii)	कुल रिक्तियां	—	34

(ख) और (ग) सी-डॉट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों के मामले में सरकार की आरक्षण-नीति का पालन कर रहा है। तथापि, सी-डॉट में तकनीकी कार्यों के स्वरूप को समझते हुए, उक्त वर्गों में अपेक्षित अनुभव एवं अभिरुचि वाले उपयुक्त प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं। अतः, इन वर्गों के पद आज भी बहुत बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं तथा उन्हें साल-दर-साल आगे बढ़ाया जाता है। तथापि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों की भर्ती हेतु सी-डॉट विशेष भर्ती अभियान भी चला रहा है।

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को सी-डॉट में तकनीकी सहायक के पद हेतु आवेदन करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत तथा अर्हता, इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी डिप्लोमा अथवा भौतिकी, रसायन तथा गणित के विषयों सहित विज्ञान-स्नातक व एक वर्षीय डिप्लोमा है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे द्वारा चावल और गेहूं के परिवहन पर निबंधन लगाए जाने के कारण तमिलनाडु गंभीर संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि उसका अनाज का भंडार घटता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बिखर जाएगी और मौजूदा स्टॉक अधिक समय नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, हम कुरुवाई धान की फसल भी पूरी तरह नहीं काट पा रहे हैं क्योंकि हमें कावेरी नदी का पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार भी कावेरी जल न्यायाधिकरण के अंतरिम पंचाट को लागू करने से इंकार कर रही है।

अब तक राज्य केंद्रीय पूल से आवंटित समूचे चावल को उठाने में सक्षम रहा है। यह भी समझा जाता है कि भारतीय खाद्य निगम का भंडार भी तेजी से कम हो रहा है। यदि मौजूदा हालात कुछ सप्ताह और बने रहते हैं, तो तमिलनाडु को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिए चावल की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा तथा इससे गरीब जनता पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, हमारी मुख्यमंत्री ने समस्या के हल के लिए रेल मंत्री को अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं परंतु सब बेकार हुआ है। रेलवे के असहयोग के कारण राज्य में अनाज की मौजूदा कमी पैदा हुई है। यदि इसे पूर्ववत् नहीं किया गया तो, तमिलनाडु को एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। रेलों से खाद्यानों की ढुलाई बहाल करने के प्रति दिल्ली में अधिकारियों की उदासीनता के कारण चिंता बढ़ रही है तथा इसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली अत्यधिक प्रभावित होगी।

इसलिए मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस समस्या के हल के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें, और तमिलनाडु को चावल और गेहूं की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में रेल वेगन आवंटित करें। (व्यवधान) महोदय, यह अत्यधिक गंभीर मामला है। सरकार इस ओर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं, पर वे उपस्थित नहीं हैं।

[हिंदी]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, अमरावती शहर के करीब 11000 फोन में से कम-से-कम 4000 फोन बंद हैं, इनमें से सैकड़ों फोन तीन से चार माह से बंद हैं।

केबल के काम में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। नए कनेक्शन एलाट करने में अधिकारियों द्वारा किए गए भारी भ्रष्टाचार के कारण पूरे शहर की फोन सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई हैं।

इलेक्ट्रानिक्स एक्सचेंज के तहत दिए गए कनेक्शंस में से कम-से-कम 2500 फोन बंद पड़े हुए हैं, जिससे नागरिकों में भारी रोष है तथा गत 12 अगस्त को फोन विभाग के लापरवाह कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से नाराज नागरिकों ने केंद्रीय मंत्री श्री सुखराम का पुतला भी टेलीफोन कार्यालय के सामने जला डाला। यह बहुत दुख की बात है।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, यह जरा देख लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं सुना। मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : नगर के वरिष्ठ नागरिकों, अधिकारियों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पत्रकारों तथा अन्य कई अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित करीब 4000 टेलीफोन डेड होने से नागरिकों में बड़ी नाराजगी आई है और मैं इस सवाल को यहां पर उठा रही हूं। यह बहुत गंभीर मामला है और मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर तुरंत कार्यवाही की जाए।

श्री कालकाप्रसाद (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसमें एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं कि दिल्ली में भी सारी टेलीफोन व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है।...(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक मंत्री श्री आर. के. चौधरी ने विधान परिषद में कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ मेरठ में स्थापित किए जाने की घोषणा कर दी है। इसके दो दिन पूर्व उत्तर प्रदेश विधान सभा में विधायक सत्य प्रकाश विकल के एक प्रश्न के उत्तर में प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक से अधिक खंडपीठ स्थापित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

12.04 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राज्य सरकार द्वारा विधान परिषद में की गई घोषणा के कारण आगरा

के अधिकांश अधिवक्ता आज सांकेतिक हड़ताल पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ बनाओ समिति द्वारा आज दीवानी कचहरी आगरा में प्रदेश सरकार के इस निर्णय से पैदा हुए आक्रोश व अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की रूपरेखा तय की जा रही है, जिसमें संभावना यह है कि संघर्ष समिति के संघर्ष करने के निर्णय के पश्चात् उत्तर प्रदेश के 18 जिलों की न्यायिक व्यवस्था पंगु हो जाएगी। पहले भी ऐसा हुआ है।

संसद में विधि मंत्रालय की इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना से संबंधित प्रश्न के उत्तर में खंडपीठ स्थापना के विनिश्चय का अभी निर्णय न लिए जाने पर खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन वापस लिया था तब न्यायिक व्यवस्था बहाल हो सकी थी।

स्वर्गीय इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में देश में स्थित विभिन्न उच्च न्यायालयों की खंडपीठ स्थापित कर सस्ता व सुलभ न्याय वादकारी को उपलब्ध कराने के लिए निरंतर की जा रही मांग के औचित्य को जांचने व परखने के लिए जसवंतसिंह आयोग का गठन किया गया था। साढ़े चार करोड़ से अधिक की धनराशि उस पर व्यय की गई थी। जसवंत सिंह आयोग ने तत्कालीन न्यायविदों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों व प्रदेश की मंत्रिपरिषद् के अनेक सदस्यों की साक्ष्य लेने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की संस्तुति की थी।

केंद्र सरकार आगरा में खंडपीठ की स्थापना यह कहकर टालती रही कि खंडपीठ स्थापना के लिए भवन व आवर्तक व गैर आवर्तक व्यय-भार की व्यवस्था प्रदेश सरकार को करनी है। उसने इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से कोई समुचित प्रस्ताव अभी तक केंद्र सरकार के अनुरोध के उपरांत भी नहीं भेजा है। अभी हाल में भी केंद्र सरकार ने यही बात संसद में डॉ. लाल बहादुर रावल द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दोहराई है। अगर अब प्रदेश सरकार ने अवैध ढंग से जिस प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श व सहमति लिए बिना घोषणा की है उससे तो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भारी जनरोष पैदा हो गया है। बरेली, इलाहाबाद व गोरखपुर में भी भारी असंतोष व रोष पैदा हो गया है। जसवंत सिंह आयोग की संस्तुतियों के विरुद्ध आगरा के स्थान पर मेरठ में खंडपीठ की स्थापना श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गठित जसवंतसिंह आयोग की अवमानना है। प्रदेश सरकार ने जसवंतसिंह आयोग की सिफारिश लागू करने तथा उसकी सिफारिश के अनुसार भवन, साज-सज्जा व आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययभार सहन करने की स्वीकृति व वचन तो जसवंत सिंह आयोग को ही दे दिया था तब प्रदेश सरकार ने किन आधारों पर आयोग की सिफारिशों को ठुकराकर एवं केंद्र सरकार की सहमति के बिना कैसे घोषणा कर दी ? या फिर केंद्र सरकार भी मेरठ के स्थानीय राजनैतिक दबाव में आकर प्रदेश सरकार के इस षड्यंत्र में सम्मिलित है। इस बारे में केंद्र सरकार सदन में वक्तव्य दे और स्थिति स्पष्ट करे।

मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि वह जसवंत सिंह आयोग की संस्तुति के क्रियान्वयन में आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की अविलंब घोषणा करे ताकि उत्तेजित प्रदेश की जनता की भावना शांत हो सके तथा देश की आजादी की लड़ाई के दंड-स्वरूप आगरा से हटाई गई हाईकोर्ट के बदले कम-से-कम आगरा को खंडपीठ मिल सके। धन्यवाद।

श्री शिव शरण वर्मा (मछलीशहर) : मैं शिवशरण वर्मा, सांसद संसदीय क्षेत्र मछलीशहर जौनपुर, उत्तर प्रदेश से हूं। मैंने अपने क्षेत्र में, एक 33 के. वी. का पावर हाउस स्वीकृत करवाया था। मेरे प्रयास द्वारा इसके लिए 58 लाख रुपए की धनराशि भी 'पूर्वांचल विकास निधि' द्वारा आवंटित करवाई थी। क्षेत्रीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तथा जनता ने यह तय किया कि क्षेत्रीय सांसद ने इसको स्वीकृत करवाया है और सांसद श्री वर्मा जी के द्वारा ही, इसका शिलान्यास होना चाहिए। शिलान्यास की तारीख 2 सितंबर, 1994 निश्चित की गई। मैंने 2 सितंबर, 1994 को 15-20 हजार कार्यकर्ताओं के साथ शिलान्यास करने के लिए प्रस्थान किया।

आगे बढ़ने पर, जिला प्रशासन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मुझपर कातिलाना हमला किया। जिलाधिकारी* और पुलिस अधीक्षक* दोनों वहां मौजूद थे। इन दोनों अधिकारियों ने बर्बर अधिकारियों को संकेत देकर मुझे तथा अन्य कार्यकर्ताओं को मारने के लिए निर्देशित किया। ए. डी. एम. (वित्त एवं राजस्व)* तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक* ने, स्वयं मुझे मारकर तथा पूर्व विधायक श्री केशरी प्रसाद पांडेय को, लाठियों से मारकर गिरा दिया तथा अन्य अधिकारियों ने भी हम लोगों को लाठियों द्वारा बुरी तरह मरवाकर पंगु बना दिया और इन अधिकारियों ने मुझे भद्दी गालियां देकर अपमानित किया।

सी. ओ. मछलीशहर, सी. ओ. बदलापुर, सी. ओ. मड़ियाहूं, थानाध्यक्ष पंवारा*, थानाध्यक्ष मु. बादशाहपुर*, थानाध्यक्ष सुजानगंज*, थाना सुजानगंज, थानाध्यक्ष महराजगंज*, थानाध्यक्ष बक्सा*, थानाध्यक्ष बदलापुर ने हम लोगों को बुरी तरह से निर्दयता के साथ मारा। एस. पी. ओ. और डी. एम. निकट में खड़े होकर संकेत देते रहे। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, फिर भी मेरे ऊपर लाठियां गिरती रहीं।

इन बर्बर अधिकारियों ने मोतीलाल गुप्ता मंडल कांग्रेस अध्यक्ष बदलापुर, तारा सिंह महिला अध्यक्ष, कमलीखरबार-सिंगराभऊ, दिनेश दुबे व राजेश दुबे पुत्रगण पूर्व विधायक स्व. रामशिरोमणि दुबे, श्री सूर्यनाथ उपाध्याय अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, देवेश उपाध्याय उपाध्यक्ष, सुरेन्द्रनाथ जिला प्रवक्ता, कमलाशंकर मिश्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख, ब्रह्मदेव शुक्ल शेषधर शुक्ल, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को भी भद्दी गालियां देते हुए लाठियों से बुरी तरह मारकर गंभीर चोटें पहुंचाई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिए जाएंगे।

[हिंदी]

श्री शिव शरण वर्मा : सैकड़ों व्यक्तियों को लाठी से मारकर हाथ-पैर तोड़ डाले हैं। ऐसे लोग पुलिस की हिरासत में सिविल अस्पताल जौनपुर में भर्ती थे। इनके अतिरिक्त अन्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी लाठी की मार से गंभीर चोटें आई हैं। किसी भी घायल व्यक्ति की स्वास्थ्य परीक्षा नहीं करवाई गई है। एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस अधिकारियों ने आंसू गैस छोड़ी तथा सैकड़ों बंदूकों की फायरिंग की गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर ईंट-पत्थर फेंककर घायल किया।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, पढ़ना मना है। आप वैसे ही बोलिए।

श्री शिव शरण वर्मा : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दलबीर सिंह यादव ने मेरी महेन्द्रा नं. डीएलसीसी-711 तथा बुलेट मोटरसाइकिल डीआरटी-3434 को भी तोड़कर नष्ट कर दिया। पुलिस ने लोगों के घरों में घुसकर मनमानी लूट

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की तथा औरतों की इज्जत भी लूटी। यह घोर अत्याचार का प्रतीक है। सभी घायल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जनपद के अलग-अलग थानों में रखा गया। उनकी स्वास्थ्य परीक्षा नहीं करवायी गई और न तो दवा की व्यवस्था की गई। लोगों ने स्वयं इलाज करवाया।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री शिव शरण वर्मा : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, पढ़ना मना है।

श्री शिव शरण वर्मा : उपाध्यक्ष जी, आप भी हम लोगों के द्वारा ही निर्वाचित हुए हैं। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हम लाठी से मारे जा रहे हैं और पुलिस अधिकारी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस मामले को हमने पहले भी उठाया है...(व्यवधान) लोकतंत्र में यह नहीं चलेगा। यह पक्षपात नहीं चलेगा। आप हमें सदन में समय नहीं देंगे और बोलने नहीं देंगे? ...(व्यवधान)

12.13 म.प.

इस समय श्री शिव शरण वर्मा सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ बोल रहे हैं वह ठीक है।

12.14 म.प.

इस समय श्री शिव शरण वर्मा सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

(व्यवधान)

12.15 म.प.

इस समय श्री शिव शरण वर्मा अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बार-बार यह मसला उठाना पड़ रहा है। तीन बार ये उठा चुके हैं।

[अनुवाद]

अब उन्हें आकर सभा बीच वाले स्थान में बैठना होगा। हमें इस संबंध में अवश्य ही कुछ करना चाहिए। हमें इसे हल्के-फुल्के नहीं लेना चाहिए। उन्होंने आपको पर्याप्त समय दिया है। वह उसे रोज नहीं उठा रहे हैं। कई महीने बाद यह मामला उठाया गया है। हमने मामले में कुछ नहीं किया।

[हिंदी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह मामला 1994 का मामला है। माननीय सदस्य मछलीशहर से चुने गए हैं और ये लगातार शिकायत कर रहे हैं कि जब ये पावर हाउस का उद्घाटन करने जा रहे थे और इन्हीं के प्रयत्नों से वहां पावर हाउस लगा था, तो पुलिस ने इनको रोका, इनके साथ मारपीट की, इन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दीं। माननीय सदस्य यह मामला कई बार उठा चुके हैं लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले की चिंता नहीं की गई। अगर सचिवालय की ओर से सारे तथ्य इकट्ठे कर लिए जाते तो किसी निर्णय पर पहुंचना सरल होता।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : सदस्यों को इस प्रकार अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। सदस्यों को अपमानित किया जाता है।

[हिंदी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा इस पर नोटिस लीजिए और इस पर उचित कार्रवाई कीजिए।

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, ये मेरी पड़ौसी कांस्टीट्युएंसी से हैं। इनको एक करोड़ रुपया मिला और इन्होंने सारा पीने के पानी के लिए दे दिया। वाजपेयी जी ने सही कहा है, शायद ये तीन-चार बार सदन में उठा चुके हैं और यह एक माननीय सदस्य का मामला है। इन पर प्राणघातक प्रहार हुआ। ये पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी, केंद्र सरकार में और स्पीकर साहब को भी, यानी सब जगह अपना दुःख प्रकट कर चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि मेहरबानी करके गृह मंत्री जी को कहिए कि वे इसमें दखल दें और जो कुछ कार्रवाई करनी है, जो अधिकारी इन्वोल्व हैं, वे आज भी प्राणों की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर नोटिस नहीं लिया जाएगा तो किसी सदस्य की सुरक्षा नहीं होगी। इसको हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए, यही मेरा अनुरोध होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस संबंध में माननीय मंत्री का कथन सुनें।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, मैं इस संबंध में सदस्यों के कथन से सहमत हूं। यह इस सदन के सदस्यों की व्यक्तिगत सुरक्षा और निष्ठा का प्रश्न है।

श्री पवन कुमार बंसल : यह इस सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न भी है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इस संदर्भ में हमें इस सदन की परंपरा का पालन करना चाहिए जोकि बहुत अच्छी परंपरा है। जब ऐसे मामले उठाए जाते हैं तब उन्हें सरकार को उचित कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है। मैं अवश्य ही इसकी सूचना गृह मंत्री को आवश्यक कार्यवाही के लिए दूंगा।...(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : श्रीमन्, इस सभा में आज ही तेल क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों पर एक प्रश्न किया गया था। अब मैं तेल क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों के नाम पर चल रहे एक बड़े घोटाले का जिक्र करना चाहती हूं। बड़े शोर-शराबे और महाराष्ट्र में असहयोग आंदोलन के परिणामस्वरूप एनरोन के डाभोल बिजलीघर परियोजना के समझौते को समाप्त किया जा रहा है। परंतु एनरोन के भारत के तेल क्षेत्र में घुसने की बात अभी किसी को ज्ञात नहीं है। मैं जिस समझौते का जिक्र कर रही हूं वह आज से दो वर्ष पहले किया गया था। उस समय हमने इस सभा में उसका जिक्र किया था। परंतु इस सारे समय में उस समझौते के कागजात सभा-पटल पर नहीं रखे

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गए। हाल ही में इन्हें सभा-पटल पर रखा गया। हम देखते हैं कि इस समझौते से देश के हितों को लंबे समय तक बेचने की बात है। मैं जिस समझौते की बात कर रही हूं वह बंबई में अप-तट-स्थित मुक्ता और पन्ना तेल निक्षेपों के बारे में है। हम देखते हैं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल को बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय महाजनों की नीलामी में विदेशी और निजी भारतीय कंपनियों को मुफ्त में दिया जा रहा है। इसमें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अलावा भारतीय कंपनी रिलायंस और विदेशी कंपनी एनरोन शामिल हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की इसमें केवल 40 प्रतिशत इक्वीटी है। इस प्रकार तेल जैसी राष्ट्रीय संपत्ति को नई कंपनियों को बेचा जा रहा है, जिसमें सरकारी कंपनी का केवल 40 प्रतिशत हिस्सा होगा। दूसरे उत्पादित तेल को, लागत तेल और लाभ तेल—दो भागों में बांटा जाएगा। लागत तेल वह तेल होगा, जिससे ठेकेदार अर्थात् एनरोन की लागत पूरी की जाएगी। यह लागत उत्पादित तेल से पूरी की जाएगी तथा बाद में लाभ को तीन भागीदारों में बांटा जाएगा। अब हम यह देखते हैं कि यह बंटवारा भी समान नहीं है क्योंकि जहां तक लागत का संबंध है, समझौते में कहा गया है और उससे ही पढ़ती हूं :

> "तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समझौता लागू होने की तारीख से पहले लगाई गई लागत की वसूली के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।"

इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में तेल निकालने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने विकास पर पर्याप्त रुपया खर्च किया है। उन्होंने मूलभूत ढांचा खड़ा किया है। उन्होंने वहां कुछ निर्माण कार्य भी किया है। इस सब लागत की वसूली आयोग नहीं कर पाएगा। यह कैसा असमान और अनुचित समझौता है। जहां तक हमारे राष्ट्रीय हितों का संबंध है तथा जहां तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए खर्च का संबंध है, दिमाग को यह सोचकर झटका-सा लगता है कि क्या इस समझौते को भारत सरकार ने किया होगा।

दूसरे, निक्षेपों का विकास करने की लागत, तथा एनरोन द्वारा की जाने वाली विकास लागत, जो उसे भागीदार के रूप में करनी है, उस पर कोई सीमा नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जब एनरोन अपनी लागत को पूरा-पूरा वसूल कर लेगी तब अन्य पक्षों को लाभ का हिस्सा मिलेगा। यह हमारे राष्ट्रीय हितों को बेचना है। तेल निकाला गया तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों द्वारा वह मुफ्त में दिया जा रहा है। बंगला में कहावत है, जिसका अर्थ है 'मछली को उसी के तेल में तलना'। ऐसा लगता है कि सरकार देश को उसी के तेल में तल रही है। यह समझौता पूरी तरह राष्ट्रीय हितों के विपरीत है और हमें संदेह है कि यह डाभोल परियोजना से भी बड़ा घोटाला है। इसलिए सरकार इस बारे एक वक्तव्य दे। मैं चाहती हूं कि इस समझौते की समीक्षा की जाए और हम यह भी जानना चाहते हैं कि बार-बार अनुरोध किए जाने पर भी यद्यपि सम्झौता हुए दो वर्ष हो गए हैं, उसके कागजात सभा-पटल पर क्यों नहीं रखे गए।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्रीमन्, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक बजे तक बैठेंगे और मैं बारी-बारी से बुलाऊंगा। आचार्य जी अपना भाषण शुरू करें।

आचार्य जी मेरा अनुरोध है कि यदि हम संक्षेप में बोलें तो अधिक सदस्य भाग ले सकेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : कल हरियाणा में भिवानी जिले में कदमा क्षेत्र में एक गंभीर घटना घटी, जहां हजारों किसानों ने शुल्क बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन किया···(**व्यवधान**)

[हिंदी]

श्री जंगबीर सिंह (भिवानी) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य मेरे क्षेत्र से संबंधित मामले को सदन में उठा रहे हैं जबकि इनसे ज्यादा मैं सही जानकारी सदन को दे सकता हूं क्योंकि उससे मैं ज्यादा प्रभावित हूं···(**व्यवधान**) अपने इलाके के बारे में, मैं ज्यादा जिम्मेदारी से सदन को अवगत करा सकता हूं, कोई दूसरा माननीय सदस्य नहीं करा सकता···(**व्यवधान**) उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि यह मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला है। मैं इस मामले में आपका संरक्षण चाहता हूं। आप पहले मुझे सुनिए और बाद में माननीय सदस्य की बातों को सुना जाए···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई शब्द असंसदीय होगा, तो उसकी हम जांच करेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। पर भिवानी में पुलिस ने गोली चलाई। हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने गोली चलाई···(**व्यवधान**)

[हिंदी]

श्री जंगबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनसे ज्यादा मैं चिंतित हूं, मैं ज्यादा प्रभावित हूं यह मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला है। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। आप पहले मुझे सुन लीजिए, उसके बाद आचार्य जी को सुनें। अगर मैं सही बात को सदन के सामने नहीं रखूंगा, तो मैं अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाऊंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने नोटिस क्यों नहीं दिया ? हमने नोटिस दिया है···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों पर पुलिस ने गोली चलाई···(**व्यवधान**)

श्री पवन कुमार बंसल : श्रीमन्, इतना ही पर्याप्त नहीं। यदि कोई सदस्य किसी व्यक्ति पर आरोप लगाता है, तो उसे सूचना देनी चाहिए···(**व्यवधान**)

[हिंदी]

श्री जंगबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री आचार्य जो कुछ कह रहे हैं वह सब वे सुनी-सुनाई बात पर कह रहे हैं। जो बात मैं कहूंगा वह सही कहूंगा क्योंकि वह मेरा संसदीय क्षेत्र है। मैं सही स्थिति को आपके और सदन के सामने रखूंगा। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : वहां बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। वे अभी भी अपना प्रदर्शन जारी रखे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : वे समाचार-पत्रों की खबर के आधार पर बोल रहे हैं। केवल उसी आधार पर वे सभा में आरोप नहीं लगा सकते।

श्री वसुदेव आचार्य : भिवानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोली से लगभग तीन हजार किसान मारे गए हैं···(**व्यवधान**) मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस गंभीर स्थिति पर वक्तव्य दें···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, यदि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाना चाहते हैं, तो उसकी सूचना देनी होगी।

श्री वसुदेव आचार्य : श्रीमन्, यह आरोप नहीं है। पुलिस ने गोली चलाई है, और तीन हजार किसान मारे गए हैं···(**व्यवधान**)

[हिंदी]

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले श्री जंगबीर सिंह को सुना जाए क्योंकि यह उनके क्षेत्र की घटना है···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि कोई आरोप होगा तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री वसुदेव आचार्य : हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे थे, यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था ···(**व्यवधान**) सरकार जानकारी प्राप्त कर सभा में वक्तव्य दे।

[हिंदी]

आप बोलिए कि यह नहीं हुआ है। पुलिस फायरिंग नहीं हुई है, कोई डेथ नहीं हुई है···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, मैं दो निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक 35 आरोपों का संबंध है जो अनुमत्य नहीं है, नियमों का पालन होना चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य : यह आरोप नहीं है। यह कल हुआ है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : एक मिनट, मैं यह नहीं कह रहा कि ये आरोप हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा कि आपने आरोप लगाया है। पर जैसाकि वे कह रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप पूरा रिकार्ड देखें और उसमें यदि ऐसे आरोप हैं जिनको नियम के अनुसार उठाने की इजाजत नहीं है तो उन्हें निकाल दें।

दूसरी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में घटी है। उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि कुछ ऐसा होगा, जिसकी अनुमति नहीं है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का मौका मिलेगा। पर अभी नहीं, श्री आचार्य के बोलने के बाद···

(**व्यवधान**)

[हिंदी]

श्री जंगबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये कुछ बातें ऐसी कहेंगे जो तथ्यों के विपरीत होंगी। मैं सदन के सामने वस्तुस्थिति रखूंगा।···(**व्यवधान**) उपाध्यक्ष महोदय, जो मसला माननीय सदस्य श्री आचार्य जी उठाने जा रहे हैं, क्योंकि वह मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वहां जो कुछ हुआ वह निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण भी और दुखद भी है। पिछले दो-ढाई साल से वहां के किसान अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के लेवल पर और हरियाणा सरकार के लेवल पर संघर्षरत थे। उन किसानों के नेताओं के साथ बातचीत चलती रही है और पिछले दिनों मुख्यमंत्री जब उस क्षेत्र में जनसभा करने जा रहे थे, वहां का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता था इसलिए मैंने वहां के नेताओं को मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगें रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और यह कहा कि आप जो दो साल से बिल नहीं भर रहे हैं, जो सवा सौ करोड़ से ज्यादा बकाया है, उसे आप किश्तों में भर दें। आपके जो कनेक्शन काटे गए हैं या और दूसरी तकलीफें हैं, वे सब माफ कर दी जाएंगी। उनकी सबसे बड़ी मांग यह थी कि महेन्द्रगढ़ और उन गांवों के किसानों की दरों को एट पार, किया जाए। मुख्यमंत्री ने उनकी यह मांग भी मान ली। अब चूंकि इसमें राजनीति का प्रवेश हो गया ···(**व्यवधान**) आचार्य जी आप इस बात को सुनिए। मैं बहुत कम बोलता हूं और कभी भी किसी के बीच दखलअंदाजी नहीं करता इसलिए मैं आपसे यह चाहूंगा कि कम-से-कम मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। आपसे ज्यादा मैं जानता हूं व मैं इससे प्रभावित हूं, इस बात को आप मानें। वे संघर्ष पर उतारू थे इसलिए प्रशासन ने उनको समझाने की कोशिश की कि अगर आप बिल का भुगतान नहीं करेंगे तो हमें बिजली की सप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा सरकार इस स्थिति में नहीं है कि बिजली के बिलों का भुगतान न हो और वह बिजली देती रहे। इसके बाद वहां के किसानों ने यह बात मान ली। उन्होंने कहा कि आप बिजली की सप्लाई चालू कर दें। हम कल से ही बिल भरने शुरू कर देंगे लेकिन इसके बाद भी उन लोगों को भड़का दिया गया।

उपाध्यक्ष जी, कल जो घटना हुई, वहां के आठ-दस हजार किसान पावर हाऊस के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और वे बहुत उग्र और हिंसक थे। पुलिस के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं मरने वाले और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं तथा घायलों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। पुलिस को उस परिस्थिति में आत्मरक्षा के अलावा और कोई चारा नहीं था···(**व्यवधान**) जब पुलिस ने देखा कि उग्र भीड़ द्वारा पावर हाऊस में तोड़-फोड़ की जा रही है तो पुलिस ने मजबूर होकर इसके विरुद्ध कार्यवाही की। उनको चेतावनी दी, आंसू गैस के गोले छोड़े। उनको बार-बार चेतावनी दी। इसके बाद छड़ियों और गंडासों से लैस ग्रामीणों की उग्र भीड़ के सामने और कोई चारा नहीं था। यही बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस विषय में और बहस मत कीजिए। कृपया बैठ जाएं। मैंने लवली आनंद को बोलने को बुलाया है···(**व्यवधान**)

[हिंदी]

श्रीमती लवली आनंद (वैशाली) : उपाध्यक्ष जी, उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर-निगम के प्रशासक श्री के. के. पाठक ने हिंदुस्तान के कार्यालय संवाददाता श्री विकास कु. सिंह को अपने कार्यालय में बुलाकर बुरी तरह पिटाई कर दी। इस घटना से बिहार भर के पत्रकारों में भारी गुस्सा है। लोग पहली बार सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन हमें बिहार सरकार से इस मामले में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है पिछले वर्षों से यहां पत्रकारों

के उत्पीड़न की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही है।

घटना की वजह यह थी कि श्री विकास ने लगभग दो दिन पहले निगम के प्रशासक के विरुद्ध उन्हीं को कोट करते हुए···(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार (गया) : उपाध्यक्ष जी, यह स्टेट का मामला है। हम इस पर यहां डिसकस नहीं कर सकते।···(व्यवधान)

श्रीमती नवली आनंद : यह हमारे राज्य का मामला है।···(व्यवधान) उन्हीं को कोट करते हुए एक खबर छपी थी, जिसका श्री पाठक ने कोई प्रतिवाद या खंडन नहीं किया। बिहार में इससे पहले भी टाइम्स ऑफ इंडिया एक स्थानीय संपादक श्री उत्तम सेन गुप्ता पर दफ्तर के सामने हमले हुए व पोतिहारी में हिंदुस्तान के संवाददाता उमाशंकर पर भी प्राणघातक हमले हुए। रांची के छायाकार बापी पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। धनबाद के एक ऐसे ही मामले में सरवर अली कमीशन गठित हुआ था। जब नवभारत टाइम्स के स्थानीय संवाददाता अशोक वर्मा को वहां के तत्कालीन एच. डी. एम. ने बुरी तरह पीटकर अपंग बना दिया जो आज भी अपंग जीवन जीने को अभिशप्त हैं। धनबाद जांच आयोग की रिपोर्ट आज भी सरकार के कोल्ड स्टोरेज में पड़ी है। रिपोर्ट में तत्कालीन एच. डी. एम. को दंडित करते हुए भविष्य में प्रशासन के किसी जिम्मेवार पद पर नहीं बिठाने का निर्देश था। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझाव भी थे।

मैं जानती हूं कि केंद्र ऐसे मामलों पर राज्य सरकार से संबंधित बताकर मुंह फेर लेगी परंतु यह मामला पूरे प्रेस जगत् के सम्मान का है। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस तरह यह लोकतंत्र और अभिव्यक्ति पर खतरनाक हमला है। फिर एक आई. ए. एस. अधिकारी राज्य से पहले सीधे केंद्र के नौकर हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करूंगी कि मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र हर संभव उचित कार्यवाही करें क्योंकि राज्य पर केंद्र का अंकुश रखना जरूरी है नहीं तो राज्य तानाशाह हो सकता है।···(व्यवधान)

डॉ. वसंत कुमार (नासिक) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सूखा पड़ा है। यह सूखा उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में पड़ा है। वर्षा औसत की केवल 30-35 प्रतिशत हुई है, और किसानों ने केवल 40-45 प्रतिशत बुआई की है। गन्ने, गेहूं, धान और अंगूर की फसल सूख रही है। किसानों में भय का वातावरण है और वे बड़ी चिंता में हैं। पीने के पानी की कमी है। मेरे जिले में 187 गांवों को टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। जानवरों के लिए भी पानी और चारा नहीं है।

इस समय महाराष्ट्र में नई और अनुभवहीन सरकार है, जिसे गांवों की स्थिति की जानकारी नहीं है। इसलिए मेरा केंद्र से अनुरोध है कि वह सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए के एक पर्यवेक्षक दल भेजे।

मेरा केंद्र सरकार से यह अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने को कहें। पीने के तथा कृषि के लिए पानी के वास्ते आने वाले सालों के लिए व्यापक योजना बनाए तथा पशु कैम्प शुरू करके उनके लिए पानी और चारा तथा किसानों को नए बीज, और उर्वरक उपलब्ध कराएं ताकि वे फिर से फसल की बुआई कर सकें।

मेरा यह भी अनुरोध है कि कृषि कर, बिजली के बिलों तथा कृषि ऋणों की वसूली बंद की जाए तथा ऋणों पर ब्याज से छूट दी जाए। वे ई. जी. एस. पर तुरंत काम शुरू करें ताकि किसानों को काम दिया जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को 200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए।···(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री राजेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से तिलैया-ढाडर योजना का समझौता हुआ था।···(व्यवधान) 1970 में वाटर कमीशन ने कुछ इंक्वारी की थी। इंक्वारी के बाद योजना स्वीकृत हो गई और 1990 में केंद्र सरकार ने योजना की प्रगति के लिए एक करोड़ रुपए दिए। काम भी शुरू हो गया। तिलैया-ढाडर योजना का मतलब यह है कि तिलैया डैम से जो सरप्लस पानी निकलेगा, उसे ढाडर नदी में डालकर बिहार प्रांत के तीन जिलों--गया, नालंदा और नवादा में 64 हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होनी थी। काम चालू हो गया लेकिन केंद्र सरकार की लापरवाही से 50 लाख रुपए का सीमेंट पत्थर हो गया। केंद्र सरकार के टालमटोल रवैये के चलते पैसा मिलना बंद हो गया। कार्य बंद है, बिहार में सुखाड़ हो गया है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि केंद्र सरकार जल्द-से-जल्द तिलैया टाडर योजना की जो बाकी राशि है, इसको उपलब्ध कराए।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : कर्मा वेलफेयर अस्पताल 1962 में स्थापित किया गया था। 200 बिस्तर वाला यह अस्पताल बीड़ी, अभरक तथा राज्य के अन्य कर्मचारियों के लिए स्थापित किया गया था और उन्हें वहां उचित इलाज मिल रहा था। परंतु अब केंद्र सरकार की एक योजना के तहत वहां बिस्तरों की संख्या 200 से घटाकर 100 कर दी गई है तथा इसे और कम करके 50 बिस्तर करने का विचार है। अस्पताल के लिए इमारत तथा अन्य साजो-सामान उपलब्ध हैं। पर कर्मचारियों की छंटनी हो रही है तथा कम-से-कम एक दर्जन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 15 वर्ष की सेवा के बाद नौकरी से हटा दिए गए हैं, जिनकी उम्र अब निर्धारित सीमा से ऊपर हो गई है। अब ये बेचारे कहां जाएंगे तथा उनको खपाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के इस भाग में क्षय रोग व अन्य खतरनाक रोग बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिस्तरों की संख्या कम की जा रही है। एक ओर तो आप नारा देते हैं कि 'सबके लिए स्वास्थ्य'। क्या केन्द्र सरकार यह कार्य पूरा करेगी या फिर यह राज्य सरकारों का दायित्व है। क्षय रोगी तथा अन्य प्रकार के रोगी भी कोडरमा में बढ़ रहे हैं। श्रीमन्, ऐसा केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं हो रहा है, पर ऐसा प्रस्ताव है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सभी आयुर्वेदिक और कल्याण अस्पतालों को बंद कर दिया जाए अथवा उनमें बिस्तरों की संख्या घटाई जाए। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा इसके भयंकर परिणाम होंगे तथा कर्मचारियों को सड़कों पर आने को मजबूर होना पड़ेगा···(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यह मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, वहां 200 बैड की व्यवस्था की थी, अब इसे घटाकर 50 बैड का किया जा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ

नहीं हो सकती है, इस पर आप सरकार को डायरेक्ट कीजिए। (व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम वहां है क्या ? मैं तीन दिन से नाम दे रहा हूं।…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नाम है या नहीं, मुझे बाद में मालूम होता है, अब नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कुछ सदस्यों को बार-बार अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, जबकि दूसरे सदस्य उसका इंतजार ही कर रहे हैं। इसलिए मैं बारी-बारी से ऐसे सदस्यों को बुलाऊंगा। आपसे अनुरोध है कि सहयोग करें।

[हिंदी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने फिरोजाबाद में रेल दुर्घटना स्थल का दौरा किया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस समय माननीय मंत्री जी वहां घायलों की स्थिति देखने अस्पताल पहुंचे, उस समय मरीजों को नींद की गोलियां दे दी गई, जो घायल वहां एडमिट थे, उनको नींद के इंजेक्शन लगा दिए गए ताकि वह अपनी व्यथा-कथा भी माननीय प्रधान मंत्री महोदय से न कह सकें।…(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : यह सर्वथा गलत है। हमें ऐसी बात कहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिसका कोई प्रमाण न हो। कृपया ऐसे आरोपों की इजाजत न दें, श्रीमन्…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आरोप लगाए गए हैं तो उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : जब प्रधान मंत्री जी वहां गए तो 38 में से 32 घायल मरीज गहरी नींद में सो रहे थे। जब इस बात की जानकारी वहां के स्वयंसेवी संगठनों को लगी और वहां के दूसरे नागरिकों को लगी तो उनमें जबरदस्त रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने प्रधान मंत्री के खिलाफ वहीं नारे लगाए, और तो और प्रधान मंत्री किसी से चर्चा न कर पाएं, इसके लिए नागरिकों के आने-जाने पर रोक लगी दी गई थी। जो हमारे वहां के सांसद हैं, प्रभूदयाल कठेरिया, उनको भी जबर्दस्ती प्रधान मंत्री तक जाने से रोका गया और उनके साथ बदतमीजी की गई। सरकार जानबूझकर तथ्यों को छिपा रही है ताकि वास्तविकता सामने न आ पाए। वहां हालत यह है कि कई लोगों का सामूहिक संस्कार कर दिया गया। उनके रिश्तेदार आज भी बिलख रहे हैं। उनकी सहायता की उचित व्यवस्था नहीं की गई। मैं चाहता हूं सरकार इस मामले में वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं दो मिनट चाहूंगा। फिरोजाबाद की रेल दुर्घटना के बारे में सदन को बताया गया था कि सरकार लगातार सूचना देती रहेगी। कल प्रधान मंत्री जी फिरोजाबाद गए थे। उनको सदन में एक वक्तव्य देना चाहिए। वहां क्या स्थिति है, मरने वालों की अंतिम संख्या क्या है ? क्या घायलों के लिए उचित प्रबंध किया गया है ? उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा जब बहस हुई थी उस दिन प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अगर आवश्यक हुआ तो सरकार न्यायिक जांच कराने के बारे में फैसला करेगी। हो सकता है अपने दौरे के बाद प्रधान मंत्री इस परिणाम पर पहुंचे हों कि न्यायिक जांच कराने की जरूरत है। प्रधान मंत्री वहां होकर आए हैं तो उन्होंने क्या देखा, उनका स्थिति के बारे में क्या आंकलन है, इसको लेकर सदन के सामने तथ्य आना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे फिरोजाबाद की ताजा स्थिति के बारे में सदन में एक वक्तव्य दें और सदन को वहां की घटनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेना, फिर यह एक बहस हो जाएगी।

श्री श्रीकांत जेना : जी, नहीं। मैं बहस नहीं कर रहा हूं। केवल एक जानकारी…

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा मामला है जिस पर चर्चा हो चुकी है और माननीय मंत्री यहां मौजूद हैं।

श्री श्रीकांत जेना : मैं केवल एक वाक्य जोड़ रहा हूं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको इजाजत देता हूं तो अन्य को भी देनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मैं कोई वक्तव्य आदि नहीं दे रहा हूं।

दुर्घटनाग्रस्त पुरुषोत्तम एक्सप्रेस उस दिन डेढ़ घंटा देरी से चल रही थी। मैंने और पुरी के एक अन्य सदस्य श्री त्रिपाठी ने भी यह मामला उठाया था। परंतु प्रधान मंत्री ने कहा कि गाड़ी लेट नहीं थी। उसे एक अन्य गाड़ी को निकालने के लिए कानपुर में रोका गया था, क्योंकि उस गाड़ी में विदेश मंत्री सफर कर रहे थे। यदि ऐसा न हुआ होता तो दुर्घटना को रोका जा सकता था। क्या आप इस पहलू को स्पष्ट करेंगे ?…(व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं ? प्रधान मंत्री ने कहा है कि गाड़ी लेट नहीं थी। परंतु वास्तव में गाड़ी को कानपुर स्टेशन पर डेढ़ घंटे रोका गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेना आपने इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। अब जो करना है वह मंत्री महोदय का काम है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : श्रीमन्, विपक्षी नेता ने सभा को प्रधान मंत्री की फिरोजाबाद यात्रा की जानकारी दी है तथा वस्तुस्थिति के बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध किया है।

प्रधान मंत्री ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया था। वहां सब कुछ साफ

कर दिया गया है।...(व्यवधान)

[हिंदी]

आप वहां गए नहीं, जाकर तो देखते, जो बोले हैं वे गए नहीं, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

उसके बाद वे अस्पताल गए। वे आगरा में अस्पतालों में गए तथा सभी आवश्यक पूछताछ की।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और राज्यपाल प्रधानमंत्री के साथ थे। नागरिक प्रशासन अधिकारी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य (ट्रेफिक) तथा अन्य रेल अधिकारी भी उस समय मौजूद थे।

समीक्षा के बाद उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए।

श्री राम नाईक (बंबई-उत्तर) : प्रधानमंत्री आज या कल वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : मुझे इसकी जानकारी नहीं। यदि सदस्य चाहें तो हम उनसे कहेंगे, परंतु तथ्य यहीं हैं। मैं भी कल वहां गया था। श्री वाजपेयी जी का मुख्य मुद्दा न्यायिक जांच को लेकर है। रेल सुरक्षा आयुक्त की जांच शुरू हो गई है।

श्री राम विलास पासवान : यह पर्याप्त नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन : आप कृपया इंतजार करें। प्रधानमंत्री ने उस दिन यही कहा था कि यदि आवश्यकता हुई तो न्यायिक जांच कराई जाएगी।

श्री राम विलास पासवान : आप न्यायिक जांच कब करवाएंगे। क्या एक महीने के बाद जांच की जाएगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : रेल सुरक्षा आयुक्त की सांविधिक जांच पूरी हो जाने दीजिए...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय सदस्य निहित मुद्दे को समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं और वे यहां मामले को खींचना चाहते हैं।...(व्यवधान)

[हिंदी]

अब आप रेलवे मिनिस्टर हो गए हैं, तो अब आप ज्युडिशियल इंक्वायरी की घोषणा कीजिए।

[अनुवाद]

न्यायिक जांच जब की जाएगी तब ऐसी रिपोर्ट भी उसके सामने रखी जाएगी।...(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री मल्लिकार्जुन : इंक्वायरी नहीं करनी है। ऐसा बोल करके इसको स्पल आउट न करें, इतना समझ लें तो काफी है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : आप हमें केवल इतना बता दें कि प्रधानमंत्री कब वक्तव्य देंगे---आज या कल---ताकि हम तैयारी के साथ आ सकें।

श्री मल्लिकार्जुन : आप प्रधानमंत्री से किस प्रकार का वक्तव्य चाहते हैं जबकि हम सभी तथ्यों को जानते हैं। क्या आप मृतकों की संख्या जानना चाहते हैं ? वह 299 है।

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी (पुरी) : नहीं, यह उससे कहीं अधिक है। यह 600 के करीब है।

श्री मल्लिकार्जुन : ठीक है, आप अपना अनुमान लगाइए।...(व्यवधान) यदि सदस्य कुछ और पूछना चाहते हैं तो मैं बताने को तैयार हूं।

[हिंदी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, अब अगर मंत्री महोदय तथ्य मांग रहे हैं, प्रश्नों को निमंत्रित कर रहे हैं तो मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। इन्होंने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ गई थीं। उन्होंने लौटने के बाद यह वक्तव्य दिया है कि दुर्घटना स्थल पर पहुंचने में रेल के आफिसर्स ने साढ़े सात घंटे की देर की, यह गंभीर आरोप है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : यह जो गंभीर आरोप है उसको मैं क्लियर कर देता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारे श्रीकांत जेना जी ने एक आरोप लगाया है। अब इन आरोपों की सफाई कहां मिलेगी, जांच के द्वारा सारे तथ्य सामने आ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : दुर्घटना के तुरंत बाद चिकित्सा सहायता गाड़ी भेजी गई थी। महाप्रबंधक दिल्ली में रहते हैं तथा वहां से यहां पहुंचने में तीन घंटे लगते हैं, इसलिए जब चिकित्सा सहायता गाड़ी वहां पहुंची, वहां उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं था। वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इसी कारण लोग यह समझते हैं कि वहां कोई नहीं गया। चार घंटे बाद दिल्ली से जब महाप्रबंधक वहां पहुंचे...(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : रेलवे ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए विशेषतौर पर एक विमान खरीदा है। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया ?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी (गढ़वाल) : एक विमान इसी काम के लिए विशेषतौर से आई. आर. सी. ओ. एन. की मार्फत खरीदा गया है। इस विमान ने पिछले साल बंगलौर के लिए 50 उड़ानें भरी। वह यहां क्यों नहीं गया ?

श्री मल्लिकार्जुन : फिरोजाबाद में हवाई-पट्टी नहीं है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : वह कम-से-कम आगरा तक तो जा सकता था।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मैं विमान की स्थिति की जांच करूंगा कि क्या पायलट उपलब्ध था और क्या रेल प्रशासन ने कोई प्रयत्न किया...(व्यवधान) जांच करके आपको सूचित करूंगा।...(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : श्रीमन्, यदि आप रिकार्ड देखें आपको पता चलेगा कि एक विमान विशेष रूप से इसी कारण खरीदा गया था क्योंकि आपात् स्थिति में घटनास्थल पर पहुंचने के लिए उन्हें नागरिक

विमान नहीं मिल पाता है। इसलिए···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय नहीं चाहे, किसी को हस्तक्षेप करने और बोलने का अधिकार नहीं है। उससे पहले आप नहीं बोल सकते···

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : उन्होंने इसी काम के लिए विमान खरीदा है।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं कुछ समय के लिए अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर देता हूं। मैं जांच करूंगा और सदस्य महोदय को बताऊंगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : वे बोलने का मौका दे रहे हैं। मेरा कहना है कि रेलवे ने विशेषरूप से इसी काम के लिए विमान खरीदा है और मंत्री महोदय कहते हैं कि पाइलट नहीं था और···(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने सभी उत्तर दे दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। मैं अब प्रो. रासा सिंह को बुलाता हूं।

[हिंदी]

श्री रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण गेहूं लगातार महंगा हो रहा है। पिछले एक महीने में गेहूं के दाम 100 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से बाजार में गेहूं का आटा 7-8 रुपए किलो बिक रहा है। इस महंगाई का असर मैदे की कीमतों पर भी पड़ा है और डबल रोटी भी महंगी हो गई है। रोटी इंसान की बुनियादी आवश्यकता है।

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 1 अगस्त से फ्लोर मिलों को गेहूं की बिक्री बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से मिलों को गेहूं खुले बाजार से खरीदना पड़ रहा है, जिससे खुले बाजार में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले भारतीय खाद्य निगम जहां राशन की दुकानों पर तय मूल्य पर गेहूं मुहैय्या कराता था, वहीं आटा, मैदा और सूजी बनाने वाली फ्लोर मिलों को भी गेहूं बेचा जाता था। परंतु 1 अगस्त के बाद इसे रोक दिया गया। गेहूं की खुली बिक्री रोकने से गंभीर स्थिति पैदा हो गई है और इसका फायदा जमाखोर और कालाबाजारी उठा रहे हैं।

अतः भारत सरकार से प्रबल अनुरोध है कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त से गेहूं की खुली बिक्री पर लगाई गई रोक अविलंब हटाएं, जिससे गेहूं की खुली बिक्री से बाजार में गेहूं की कीमतें नियंत्रित होंगी। इसलिए गेहूं पर खुले बाजार में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा बिक्री पर लगी रोक को शीघ्र हटाया जाए।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब मंत्री महोदय ने मुझे अवसर दिया तो मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने अवसर नहीं दिया। मैंने विमान के इस्तेमाल के बारे में आपके प्रश्न का पूरा उत्तर दिया। मैंने कहा था कि मुझे ब्यौरा मालूम नहीं है और मैं जांच करने के बाद बताऊंगा। मैंने अवसर नहीं दिया था।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : श्रीमन्, मैंने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने कहा था कि मैं अवसर दे रहा हूं। जब उन्होंने मुझे अवसर दिया तो अन्य कोई कैसे बोल सकता है ? मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया ? महोदय, यह उचित नहीं है···(व्यवधान)

महोदय, मंत्री जी ने बताया कि मुख्यप्रबंधक इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां पहुंचने में चार घंटे लगते हैं। मैं कह रहा था कि रेलवे ने दुर्घटना पर पहुंचने के लिए विशेषरूप से विमान खरीदने पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तथा वह विमान···(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : कई अन्य सदस्यों के नाम भी सूची में हैं और उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। अन्य सदस्यों को बोलने के अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है···(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : अब मंत्री महोदय कहते हैं, विमान उपलब्ध नहीं था और पायलट उपलब्ध नहीं था। विमान सैकड़ों बार बंगलौर गया, घटना-स्थलों पर नहीं।

श्री श्रीकांत जेना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा था कि कानपुर स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को रोके रखा गया और वे उत्तर देने को तैयार भी थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी प्रकार की देरी नहीं की गई। मैं पूरी जिम्मेदारी तथा पूरी तरह जांच करने के बाद यह कह रहा हूं कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कानपुर स्टेशन पर डेढ़ घंटा रुकी रही, क्योंकि एक दूसरी गाड़ी को रास्ता देना था, जिससे विदेश मंत्री यात्रा कर रहे थे और इसी कारण यह दुर्घटना हुई। यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करना चाहेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : श्रीमन्, मुझे नहीं पता, माननीय सदस्य को यह जानकारी कहां से मिली। तथ्य तो यह है कि विदेश मंत्री पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से 30-40 मिनट पहले कानपुर पहुंच गए थे। इसलिए उनके कारण पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को लेट करना कहना उचित नहीं लगता।···(व्यवधान)

1.00 म.प.

श्री श्रीकांत जेना : आप बताइए कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को रोका गया या नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन : इसे किसी अन्य कारण से रोका गया। मैं नहीं बता सकता कि क्यों। (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : प्रधानमंत्री ने कहा था कि जहां तक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का संबंध है उसे नहीं रोका गया। पर, वास्तव में वह डेढ़ घंटा देर से चली। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास मुश्किल से एक मिनट का समय था। यदि ऐसा ही चलता है तो, यह एक सामान्य बहस हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मैं उन्हें पत्र लिखूंगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावले, यदि आप अभी नहीं बोलना चाहते तो मैं अगली मद पर चर्चा शुरू करा दूंगा।

[हिंदी]

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब भारतीय हैं, लेकिन 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से हमारी राष्ट्रीय एकता और एकात्मकता को भंग किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता हो नहीं सकती है। यहां होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, मोरेक्को, अल्जीरिया, तुर्कीस्तान, इजिप्ट, ईरान, ईराक, मलेशिया, इंडोनेशिया है, सारे मुस्लिम कंट्रीज में पर्सनल लॉ है, जहां दूसरी शादी नहीं कर सकते, उसे तलाक नहीं दे सकते। अगर तलाक देना होगा तो उसे कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मुस्लिम बहिनों को 'तलाक तलाक तलाक' बोल देते हैं। यह बहुत गंभीर मामला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल समाप्त हुआ। अब मैं अगली मद शुरू करता हूं।

(व्यवधान)

1.01 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सूची के अनुसार नाम पुकारें हैं। आपको आरोप नहीं लगाना चाहिए।

(व्यवधान)

1.03 म.प.

इस समय, श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए

1.03 $\frac{1}{2}$ म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1995

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्का बालू) : मैं श्री सीताराम केसरी की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1995, जो 17 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 551(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 8069/95]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं श्री सुखराम की ओर से भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1995 जो 22 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 348 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1995 जो 23 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 516(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 8070/95]

वर्ष 1995-96 के लिए वाटर और पावर कंसलटेंसी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्का बालू) : मैं श्री पी. वी. रंगय्या नायडू की ओर से वर्ष 1995-96 के लिए वाटर और पावर कंसलटेंसी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 8071/95]

1.03 $\frac{3}{4}$ म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदर्भ की सूचना सभा को देनी है—

"राज्य सभा के कार्य प्रक्रिया तथा संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 23 अगस्त, 1995 को हुई बैठक में, लोक सभा द्वारा 21 अगस्त, 1995 को पारित किए गए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1995 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

1.04 म.प.

लोक लेखा समिति

एक सौ आठवां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : महोदय, मैं मद्रास पत्तन न्यास के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन पर दी गई

कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का एक सौ आठवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.04 1/4 म.प.

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन

स्क्वैड्रन लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर) : मैं इंडियन एयरलाइंस—बेड़े का क्षमता से कम उपयोग, उड़ान कार्मिकों को निष्फल वेतन, पट्टे के विमान पर परिहार्य भुगतान, पायलटों के प्रशिक्षण पर व्यर्थ खर्च, जेट इंजिन वर्कशाप चालू होने में देरी, के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) के तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चवालीसवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.04 1/2 म.प.

याचिका समिति

बाइसवां प्रतिवेदन

श्री पी. जी. नारायणन (गोविंदेट्टिपालयम) : मैं याचिका समिति का बाइसवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.04 3/4 म.प.

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

नौवां प्रतिवेदन

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.05 म.प.

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

श्री बी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.05 1/2 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार) : मैं सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.06 म.प.

रेल अभिसमय समिति

दसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री एम. बागा रेड्डी (मेडक) : मैं 'ऊर्जा संरक्षण उपायों सहित रेलवे में आधुनिकीकरण कार्यक्रम की प्रगति' के बारे में रेल अभिसमय समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी कार्यवाही का सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.06 1/2 म.प.

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं 'रक्षा अनुसंधान और विकास-प्रमुख परियोजनाएं' के बारे में रक्षा संबंधी, स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.07 म.प.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक (मथुरापुर) : मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 1995 के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

1.07 1/2 म.प.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

दिए गए साक्ष्य

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक (मथुरापुर) : मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 1995 के संबंध में विज्ञान और

प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

देश में सफाई कर्मचारियों द्वारा सिर पर मैला ढोने की चल रही प्रथा के बारे में

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्का बालू) : लोक सभा में शून्यकाल के दौरान 23 मई, 1995 को अभी भी सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता से मैं सहमत हूं। इस महान् सदन में इस अमानवीय प्रथा के मुद्दे को अनेक अवसरों पर उठाया गया है।

भारत सरकार ने 1980-81 के दौरान पी. सी. आर. अधिनियम के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों की मुक्ति की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की थी। इस योजना में शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में बदलने और सफाई कर्मचारियों का वैकल्पिक और सम्मानजनक व्यवसायों में पुनर्वास करने की व्यवस्था की। पुनर्वास कार्यक्रम पर अधिक बल देने के उद्देश्य से 1991 में शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तन का काम शहरी विकास मंत्रालय को सौंपा गया था तथा सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास का काम कल्याण मंत्रालय के पास ही रहा था। आठवीं योजना के अंत तक हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करने के लिए सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना सरकार द्वारा 1992 में आरंभ की गई थी।

इस योजना में मुक्त हुए सफाई कर्मचारियों को 150/- रुपए प्रतिमास स्टाइपेंड सहित 6 मास के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके बाद उन्हें वैकल्पिक और सम्मानजनक व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसके लिए उत्पादन/सेवा यूनिट लगाने के लिए 50,000 रुपए तक की परियोजना का प्रावधान है। इसमें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता 10,000 रुपए की सीमा तक, 15 प्रतिशत सीमांत ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर और शेष बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। कल्याण मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 255.20 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। 31 मार्च, 1994 तक पुनर्वास कार्यक्रमों के अंतर्गत 37,694 सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 60,863 सफाई कर्मचारियों को सहायता दी गई है। 1994-95 के दौरान 42,000 सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा 1,44,000 सफाई कर्मचारियों को पुनर्वास प्रदान करने का लक्ष्य था। 1994-95 तक कम लागत वाले सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत 13.633 लाख शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करके 83,566 सफाई कर्मचारियों को मुक्त किया गया है।

कल्याण मंत्रालय को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विशेष प्रयत्नों के बावजूद योजना के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति के अभाव की जानकारी है। हमने मुख्य मंत्रियों को इस विषय में तीन बार पत्र भी लिखे हैं। हमने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मुख्य मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों से तिरुवनंतपुरम, बंबई तथा दिल्ली में हुए जोनल सम्मेलन में विचार-विमर्श भी किया है। इस योजना के कार्यान्वयन पर राज्य मंत्रियों के बंगलौर में हाल ही में आयोजित किए गए सम्मेलन में फिर से विचार-विमर्श किया गया जिसमें सभी संबंधित राज्यों से इस प्रतिष्ठित योजना का कार्यान्वयन शीघ्र करने का अनुरोध किया गया क्योंकि इस योजना का उद्देश्य सफाई कार्य की अमानवीय प्रथा को समाप्त करना है।

बैंकों के प्रबंध निदेशकों की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। हम प्रचालन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य मंत्रियों की एक और बैठक भी आयोजित करेंगे। हम शहरी विकास मंत्रालय की कम लागत वाले सफाई कार्यक्रम तथा अपनी सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के बीच अधिक समन्वय बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में एकत्र की गई फीडबैक से, वांछित प्रगति प्राप्त करने के रास्ते में कुछ प्रचालन संबंधी समस्याएं हैं। ये हैं (1) निचले स्तर की एजेंसियों को राज्यों द्वारा निधियों को प्रदान करने में देरी, (2) अपर्याप्त स्टाइपेंड राशि, (3) इस योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा देने में बैंकों की अनिच्छा, (4) अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं आदि। इस बाधाओं को ध्यान में रखकर इस योजना के पुनर्निमाण का प्रस्ताव है। इस संबंध में विचाराधीन कुछ प्रस्ताव हैं—(क) आर्थिक सहायता तथा सीमांत राशि की सीमा बढ़ाना, (ख) परियोजना लागत की सीमा में वृद्धि करना, (ग) प्रशिक्षण के लिए स्टाइपेंड राशि बढ़ाना, तथा (घ) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों, जो निचले स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, को सीधे वित्त पोषित करना।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते ही हैं, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल केवल 31 मार्च, 1997 तक है। सरकार इस आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने पर विचार करेगी। इस आयोग के कार्यालय के लिए नियमित आवास की व्यवस्था कर ली गई है और जल्दी ही इसे लोकनायक भवन में स्थानांतरित किए जाने की आशा है। आयोग के लिए कुछ कर्मचारियों की व्यवस्था कर ली गई है तथा और कर्मचारियों की व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन है।

माननीय सदस्य, श्री राम विलास पासवान ने कर्नाटक के कोल्लार गोल्ड माइंस में सिर पर मैला ढोने से संबंधित मामले को उठाया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कोल्लार गोल्ड माइंस में 2890 शौचालयों में से 1422 को फ्लश शौचालयों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शेष 1468 शौचालयों में 334 पोर कार्मिक अभी भी सिर पर मैला ढोने के काम में लगे हैं। भारत गोल्ड माइंस नामक सरकारी उपक्रम घाटे में जा रहा एकक है और यह अपना काम बंद करने के कगार पर है। यह अनुमान है कि शेष शौचालयों को परिवर्तित करने के लिए 60 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। मैं अपने साथी श्री बूटा सिंह से पूर्णतः सहमत हूं कि कम-से-कम महात्मा गांधी के जन्म-स्थान पोरबंदर, को इस वर्ष उनके जन्म-दिवस से [illegible] इसी प्रथा से मुक्त किया जाना चाहिए। हमने यह मामला गुजरात सरकार के साथ उठाया था और उन्होंने सूचित किया है कि सभी शुष्क शौचालयों को 1976 तक जलवाहित शौचालयों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि सफाई कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानीय निकायों में 18 माह से अधिक की अवधि का वेतन नहीं दिया गया है। मैंने स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन की शीघ्र अदायगी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस मामले को उठाया है।

[हिंदी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मामले को उस दिन उठाया था और मुझे खुशी है कि उस दिन तमाम माननीय सदस्यों ने और हर पक्ष के सदस्य ने इसका समर्थन किया था। आज देश की 48 साल की आजादी के बाद, देश के लिए यह कलंक और दुर्भाग्य की बात है कि आज भी उन दलितों को अपने सिर पर पाखाना उठाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और इसको रोकने में सरकार सक्षम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सीताराम केसरी जी भी आ गए हैं। इनकी जानकारी में है कि अंबेडकर सेंटिनरी ईयर में हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि तीन साल के अंदर पूरे देश में सिर पर पाखाना उठाने के सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा और उसके लिए हम लोगों ने उस समय 5 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की थी जिसको घटाकर इन्होंने 500 करोड़ रुपए कर दिया और वह भी हमको पता नहीं कि खर्च हो पाता है कि नहीं या पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही खर्च हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार आंकड़ों में जाती है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को हमने लिबरेट किया। उस समय हमने पता लगाया था कि 39 छोटे-बड़े शहर थे जहां सिर पर पाखाना उठाने का सिस्टम मौजूद था और हमने कहा था कि तीन साल का लक्ष्य बनाकर इन 39 शहरों को लिबरेट कर देंगे यह हमने प्रावधान किया था, तो उनमें से कितने शहर अभी तक हमने पूर्णरूपेण लिबरेट करने का काम किया है?

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि हमने जो के. जी. एफ. का मामला उठाया था और कहा था कि एक कर्नाटक ही ऐसी स्टेट है जहां पर कानून बनाकर सिर पर पाखाना उठाकर ढोने की प्रथा को खत्म कर दिया गया, तो फिर वहां क्यों केन्द्र सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग के. जी. एफ. संस्था है, उसमें यह प्रचलित है ? लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहां आपने कहा है कि 50 प्रतिशत जगह पर अभी भी सर पर पाखाना उठाने का सिस्टम जारी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम इन दिनों के अंदर इस देश को सर पर पाखाना उठाने जैसा कलंक प्रथा से मुक्त कर देंगे। उसके बाद जो मकान बनेंगे, जिनके पास घर बनाने के अपने साधन हैं, उनको बाध्य किया जाएगा कि वे इस तरह की लेटरिंग बनाएं जिससे सर पर पाखाना उठाने का सिस्टम न हो। क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना निर्धारित की है जिससे गरीब लोगों को सरकार पैसा दे जिससे वे कोई और काम कर सकें तथा यह प्रथा समाप्त हो सके। यह बात हम उस दिन भी जानना चाहते थे और कई माननीय सदस्यों तथा खुद स्पीकर साहब की भी यही मंशा थी। मैं समझता हूं कि इसको केजुएल रूप में लिया गया है। जब तक आप कोई सीमा निर्धारित नहीं कर लेते तब तक इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। क्या आपने कोई सीमा निर्धारित की है ? अब यहां पर केसरी जी आ गए हैं। अगर वे इस संबंध में कुछ बताएं तो अच्छा होगा।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : उन्होंने पहले बता दिया है।

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ दिया है।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, सर पर मैला ढोने की जो प्रथा समाप्त करने की बात है, उसमें जितने भी चेयरमैन और सदस्य हैं, उनके लिए न तो ऑफिस हैं, न रेजीडेंस और न ही उनको स्टॉफ दिया गया है। तीन वर्षों के बाद यह प्रथा समाप्त होने की बात हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक उनको ऑफिस नहीं दिया जाएगा, स्टॉफ नहीं दिया जाएगा, काम करने वाली टाइप मशीन नहीं दी जाएगी तो तीन वर्षों में वे कैसे इस उद्देश्य को पूरा करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री के. वी. तंग्का बालू : उपाध्यक्ष महोदय. मैंने वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र ने अब तक क्या उपाय किए है। हम इन्हें लागू करने में विलंब नहीं करना चाहते। हमने अनेक उपाय किए हैं। मुख्यमंत्रियों की तीन बैठकें हुई हैं। इस विषय पर पूरी तरह चर्चा कर हमने राज्यों से इसे पूरी तरह लागू करने का अनुरोध किया है। मैंने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि हम कार्यक्रम में फेर-बदल करना चाहते हैं ताकि इस समस्या को अधिक कारगर ढंग से हल किया जा सके। इसमें राज्य सरकारों को हमारे साथ सहयोग करना होगा। हम उन्हें पैसा दे रहे हैं तथा उपायों को लागू करना उनका काम है।

उसके अलावा हमने इस समस्या के समाधान के लिए 985 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। हम इसे आठवीं योजना के अंत तक पूरा करना चाहते हैं। परंतु प्रगति उत्साहवर्धक नहीं है। इसलिए दो मास पहले बंगलौर में हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में हमने अनुरोध किया था कि वे सहयोग करें और इस कार्य में तेजी लाएं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने इसे लागू करने के लिए बड़ी गंभीरता से अनुरोध किया है। इस संबंध में हमारे मंत्रालय में एक निगरानी एजेंसी भी है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस बुराई को कर्नाटक के समान समाप्त करने के लिए हम यथासंभव प्रयत्न करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : यह मात्र चाहने की बात नहीं है, यह संविधानिक अधिकार है।

श्री के. वी. तंग्का बालू : श्री पासवान, यह किसी के चाहने की बात नहीं है, यह तो सरकार का वादा है।

श्री राम विलास पासवान : हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रगति हुई है, अब क्योंकि पांच साल बीत चुके हैं।

श्री के. वी. तंग्का बालू : श्री पासवान जी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए जो प्रगति हुई है वह मेरे वक्तव्य में स्पष्ट है। दूसरे मैंने यह भी कहा है कि हम इससे प्रसन्न नहीं हैं।

श्री राम विलास पासवान : प्रसन्न होने का क्या मतलब है ?

[हिंदी]

हैप्पी का क्या मतलब है ? पांच साल में आपको खत्म करना था और पांच साल में आप एक भी कदम नहीं बढ़े।

[अनुवाद]

आप खुश हैं तो इसके लिए धन्यवाद।

श्री के. वी. तंग्का बालू : मैंने कहा कि मैं खुश नहीं हूं। आप बात को घुमाइए नहीं। मैंने कहा है कि इसके क्रियान्वयन के बारे में हम खुश नहीं हैं। जो मैंने कहा है उसे समझिए।

आपने कहा कि इस काम के लिए 5000 करोड़ रुपए रखे गए थे। यह घोषणा कब की गई ? आप भी इस विभाग में मंत्री थे।

श्री राम विलास पासवान : आप वित्त मंत्रालय से इसका पता करें।

श्री के. वी. तंग्का बालू : मैं इससे सहमत हूं। जहां तक सरकार का संबंध है वह इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री द्वारा लालकिले की प्राचीर से घोषणा किए जाने के बाद हमने इसे कार्यान्वित करने का निर्णय किया और इसे कार्यान्वित किया। हमने राज्य सरकारों से इसमें सहयोग करने का अनुरोध किया। अनेक राज्यों ने इस कार्य में लगे व्यक्तियों का पता लगाने में हमारा सहयोग नहीं किया है। इसलिए हमने पुनः बैठक बुलाई और उनसे सहयोग का अनुरोध किया। हमारी सरकार ने पाखानों और पानी वाले पाखानों के लिए अलग से कार्यक्रम शुरू किया है। हमारे मंत्रालय ने इसके लिए 80 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं और यह कार्यक्रम चल रहा है। नए निर्माण के बारे में शहरी विकास मंत्रालय ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं कि नए मकान बनाने वालों को पानी वाले पाखाने का निर्माण करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया है। हमने उन्हें लाइसेंस देने के लिए भी मना किया है।

इस प्रकार हमने अनेक उपाय किए हैं; ताकि यह बुराई दूर हो सके और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। हम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करेंगे और इस प्रथा को समाप्त करने तक दम नहीं लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान ने पूछा था कि कर्नाटक में सभी क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत आते हैं, सिवाय के. जी. एफ. क्षेत्र के जोकि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है।

श्री के. वी. तंग्का बालू : इस ओर की हमने ध्यान दिया है। इसके बारे में मैंने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है। इस विषमता को दूर करने के लिए हम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं।

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, मैंने कोलार के उपायुक्त से अनुरोध किया था कि वह सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के उद्देश्य से पाखाने बनाने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करें। उन्होंने यह राशि जारी कर दी है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने भी इस काम के लिए 23 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल सफाई बोर्ड ने 10 लाख रुपए दिए हैं। मैंने भारत गोल्ड माइंस से इन पाखानों का निर्माण करने को कहा है। काम चल रहा है। भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के. जी. एम. में सिर पर मैला ढोना बंद करने की बड़ी इच्छुक है। वे इसे बंद करने के लिए सहायता दे रहे हैं···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह उसी निर्वाचन क्षेत्र के होने के कारण बोल रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री के. वी. तंग्का बालू : मैंने जो कहा वे उसकी पुष्टि कर रहे हैं। कार्य में प्रगति हो रही है। हम इस विषय में कर्नाटक सरकार से विचार-विमर्श कर रहे हैं। संसद सदस्य के कोटे को मिलाकर यह राशि 50 लाख होती है तथा इस राशि से कार्य प्रगति पर है।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : जहां तक कर्नाटक में सरकारी उपक्रमों का संबंध है, श्री पासवान ने जो कहा है वह सही है। राज्य मंत्री महोदय ने भी इस बारे में बताया है। हम यह महसूस करते हैं कि सरकारी उपक्रम कार्यक्रम को लागू नहीं कर रहे हैं। जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, वह एक भिन्न बात है। जहां कमिशन के लिए भवन का प्रश्न है मैं कई बार शहरी विकास मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख चुका हूं···(**व्यवधान**) एक बैठक भी हुई थी···

[**हिंदी**]

बिहार सरकार की बात नहीं है। इन्होंने यह कहा कि कमिशन के लिए कोई मकान नहीं मिला है। हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है और एक मिनिसटीरियल सब कमेटी में ये बातें अनेक बार उठी। फिर हमने लिखा है कि इसके लिए तत्काल ऑफिस होना चाहिए। प्रश्न यह उठा हुआ है कि ऑफिस शहर से दूसरी जगह जाएगा। हमने इनसिस्ट किया है कि शैडयूल कास्ट, शैडयूल ट्राइब्स कमिशन के लिए यहां ऑफिस होना चाहिए। अपनी तरफ से हम कोशिश में हैं और उम्मीद है कि कोशिश पूरी हो जाएगी।

श्री राम विलास पासवान : सिर पर मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए क्या आपने कोई टाइम निर्धारित किया है कि 2 साल, 4 साल या 10 साल में इसे खत्म कर देंगे ?

[**अनुवाद**]

श्री के. वी. तंग्का बालू : इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है और हम इस कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करना चाहते हैं। परंतु इसका कार्यान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से नहीं किया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम इसकी समय-सीमा बढ़ा देंगे। परंतु हम इसे लंबे समय तक नहीं टालना चाहते। इसे हम शीघ्र ही पूरा करना चाहते हैं। यह एक बुराई है और इसे हमेशा चलने नहीं दिया जा सकता।

[**हिंदी**]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि आपने कुछ योजना चलाई है। यह सुलभ इंटरनेशनल है. जिस सुलभ इंटरनेशनल के मालिक, मैं नहीं कहूंगा की कौन-सी जाति के हैं, क्या हैं. दुर्गेश्वर पाठक हैं। वह वही काम करता है और अरबपति हो गया है और यही शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को ले जाकर बंधुवा मजदूर बनाता है, उसी से पाखाना साफ कराता है और साइनबोर्ड लगा रहा है कि सुलभ शौचालय के नाम पर हम लिट्रेट कर रहे हैं, लेकिन वह एक मजदूर का भी प्रोवीडेंट फंड जमा नहीं करता है, न कुछ करता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि इस तरह का आप उन दलितों का ही कुछ बना दीजिए, एक कोआपरेटिव सोसायटी बना दीजिए और उसको आप काम दे दीजिए तो उसको थोड़ा मुनाफा भी हो जाएगा और इस काम में आपकी प्रगति भी हो जाएगी।

यह भारत सरकार से पैसा लेता है, कभी किसी को मैन ऑफ दि ओनेस्टी एवार्ड देता है, कभी किसी को जाकर ब्राइब करने का काम करता है और यह गरीबों के नाम पर, दलितों के नाम पर लूट कर रहा है। इस संबंध में भी आप थोड़ा देखने का काम कीजिए।

[**अनुवाद**]

श्री के. वी. तंग्का बालू : यह एक अच्छा सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बात करनी है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : इनकी बात को सुन लीजिए, इनके यहां फसाद का मामला है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लगातार कई दिनों से नोटिस दे रहा था, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी।

आज बिहार के अंदर, खासतौर से तीन-चार जिलों के अंदर, हम तीनों लोग एक ही जिले से हैं, बाढ की सिचुएशन इतनी खराब है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे दरभंगा जिले के 10-11 ब्लाक्स के अंदर पूरे इलाके में पानी फैल गया है। यहां पर पहले देवेन्द्र यादव जी ने, हरिकिशोर सिंह जी ने इस सवाल को उठाया, लेकिन आज तक भारत सरकार के मंत्री से संतरी और संतरी से लेकर चपरासी तक ने बिहार जाने का काम नहीं किया। आज वहां की स्थिति यह है कि बिहार सरकार का जितना बस था, उतना वहां पर रिलीफ का इंतजाम उसने किया है। हर तीन साल में, दो साल के अंतरकाल पर, वहां पर सैलाब आ जाता है और इसमें ज्यादातर पानी नेपाल से आता है। यहां पर भारत सरकार ने नेपाल सरकार से भी संधि की थी, उस पानी को रोकने के लिए बैराज बनेगा, डैम बनेगा, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। जब 1992 में सैलाब आया था, तब भारत सरकार ने वायदा किया था कि वहां के बांध को मजबूत करने के लिए या वहां जो क्षति हुई थी, उसको दूर करने के लिए यहां रिलीफ का काम होगा, यहां से इंजीनियर जाएंगे, यहां से पैसा जाएगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो इस दफा सैलाब आया है, उस सैलाब के आने की वजह भी यही है कि जो पैसा 1992 के सैलाब के बाद बिहार सरकार को जाना चाहिए था, यह नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं। यहां से हो सके तो मंत्री जाए, नहीं तो कोई उच्चाधिकारियों का एक दल जाकर वहां के सैलाब की सिचुएशन को देखे। आज लाखों लोग इस पीड़ा में हैं कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, आज लोग अपने घरों से नहीं निकल सके, वहां पूरी बीमारी का माहौल पैदा हो गया है, वहां पर हैजा फैलने का डर हो गया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं हुई है, जो बड़े अफसोस की बात है।अगर इस मामले में सरकार कुछ कहे, हाउस को कुछ एश्योरेंस दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वह कुछ स्टैप लेने जा रही है।

श्री राम विलास पासवान : राम लखन बाबू यहां बैठे हुए हैं, हम लोगों की छह कांस्टीट्वेंसी में से चार कांस्टीट्वेंसी फ्लड में डूबी हुई है। आप यहां से आते हैं, आप जाते हैं, मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको गंभीरता से ले और वहां राहत कार्य के साथ-साथ जो भी जरूरत हो ...(**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : वहां पूरी की पूरी रेल्वे लाइन उखड़ गई है।

श्री राम विलास पासवान : वह असिसटेंस देने का काम करे। यह पार्लियामेंट का जो सत्र चल रहा है, मैं जानता हूं कि यहां बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन एकाएक बांध टूटा है और उस बांध के टूटने के कारण हम लोगों को कुसेसर स्थान, जितना दरभंगा जिले का बहेड़ी से लेकर इनका क्षेत्र और इनका मधुबनी, सब फ्लड में डूबे हुए हैं, लोगों का जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भारत सरकार इसको ले और वहां विशेष व्यवस्था करने का काम करे और हो सके तो सदन में आकर वक्तव्य भी देने का काम करे कि वहां क्या राहत-कार्य चल रहा है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यह मेरी कांस्टीट्वेंसी में है, आप तो जानते ही हैं। झंझारपुर कमला बलान, यह नदी जितनी तबाही मचा रही है, चाहे दरभंगा जिले में हो, समस्तीपुर में हो या हमारे यहां मधुबनी जिले में हो, झंझारपुर कमला बलान नदी है और इसके बाद अधवारा समूह है। इन नदियों से, नेपाल भारत की सीमा से बाढ़ का पानी आकर लाखों लोगों का जीवन आज अस्तव्यस्त कर गया है और लोगों का जान-माल खतरे में पड़ा हुआ है। बिहार सरकार अपनी क्षमता भर राहत के काम चला रही है, लेकिन जब तक भारत सरकार इसमें वित्तीय सहायता बिहार सरकार को उपलब्ध नहीं कराती है, तब तक मैं समझता हूं कि जितनी राहत होनी चाहिए, वह राहत नहीं हो सकेगी। वहां लोगों का जान-माल आज खतरे में पड़ गया है। झंझारपुर कमला बलान का तटबंध पूरी तरह तहस-नहस हो गया है, टूट चुका है, और मेन रोड टूट गई है, रास्ता नहीं है, हम झंझारपुर नहीं जा सकते, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यालय नहीं जा सकता। मैं वहां गया था और चार दिन घूमकर आया हूं। 1987 से भी भारी बाढ़ और अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति है। मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसकी गंभीरता को देखकर इन जिलों के लिए विशेष वित्तीय सहायता देकर भारत सरकार युद्ध स्तर पर राहत-कार्य चलाए और वहां जनजीवन को बचाने का प्रयास करे। जो रोड्स टूट गई हैं उनको भी दुरुस्त कराया जाए।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : माननीय सदस्यों को याद होगा अभी दो-तीन दिन पहले बिहार के इरीगेशन मंत्री और पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री आए थे। उनके साथ अधिकारी भी थे। कई विषयों पर हमने चर्चा की थी। जहां तक उत्तर बिहार का सवाल है, उस मीटिंग में इस तरह की बात नहीं आई थी।

श्री राम विलास पासवान : वह तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग थी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा के नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है।यदि इसका दुरुपयोग हो तो कोई भी आपत्ति उठा सकता है और तब पीठासीन अधिकारी को उत्तर देना कठिन होगा।

[हिंदी]

श्री राम लखन सिंह यादव : यहां जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं, उनसे संबंधित कई विषय हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है चाहे वह उत्तर बिहार में नेपाल से नदियों के पानी के आने का प्रश्न हो या नेपाल से मिलकर नदियों के ऊपर कैसे प्रबंध किया जाए, यह प्रश्न हो। बांध टूट गया यह अपनी जगह एक गंभीर प्रश्न है। इसलिए सब विषयों पर आज कुछ कहना संभव नहीं है। मैं चाहूंगा कि बिहार के जितने भी लोग हैं वे इस संबंध में बातचीत करें और संबंधित मंत्री चाहे इरीगेशन के हैं या कोई और हैं, उनसे बात करें। जहां तक फ्लड का सवाल है और रिलीफ का सवाल है मैं समझता हूं आज सबसे पहले उसकी आवश्यकता है। इस संबंध में बिहार की सरकार क्या कर रही है, हमें पता नहीं, क्या उन्होंने चाहा, हमें यह भी पता नहीं है। लेकिन इससे संबंधित जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री इसको देखते हैं, हो सका तो मैं उनसे आज ही बातचीत करूंगा। जहां तक केंद्र सरकार की मदद का सवाल है, वह जो कुछ कर सकती है, उसका फर्ज है, वह करेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : असाधारण परिस्थितियों में और इस विषय के

अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण इसे समय समाप्त होने के बाद उठाने दिया गया तथा इसे एक पूर्वोदहारण नहीं बनाया जा सकता।

अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं।

1.32 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के मयूरभंज जिले में मानगोविंदपुर में जडिदाह सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कीर्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : श्रीमन्, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बादशाही ब्लाक के अंतर्गत मानगोविंदपुर ग्राम पंचायत में जडिदाह सिंचाई परियोजना पर संघ सरकार द्वारा शीघ्र विचार किया जाना चाहिए। इस परियोजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े गरीब किसानों वाले क्षेत्र बादशाही की 16 ग्राम पंचायतें पूरी तरह तथा 20 ग्राम पंचायतें आंशिक रूप में, खुंटा-I और जी. बी. ब्लाक लाभान्वित होंगे। इन किसानों को खेती के लिए किसी भी प्रकार की सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस योजना का प्रस्ताव भी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना अथवा विदेशी सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत स्वीकृति के लिए राज्य सरकार ने अनेक बार केंद्र सरकार को भेजा है। गरीब किसानों की समस्या को हल करने के लिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे।

(दो) रेशम के कोयों का मूल्य 150 रुपए प्रति किलोग्राम निश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. एच. मुनीयप्पा (कोलार) : श्रीमन्, कर्नाटक में देश के कुल रेशम उत्पादन का 80 प्रतिशत रेशम पैदा होता है। इसमें से 30 प्रतिशत से भी अधिक कोलार जिले में पैदा होता है। कोलार जिले के अधिकतर परिवार रेशम के कीड़े पालने पर निर्भर करते हैं। रेशम के मूल्य के बार-बार घटने-बढ़ने के कारण किसान, बुनकर और कतैये कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं।

चीन से बड़ी मात्रा में रेशम आयात किए जाने के कारण देश के रेशम उद्योग पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मैंने इस संबंध में सरकार के पास अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं। कपड़ा मंत्री स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वयं कर्नाटक गए तथा रेशम उद्योग को कुछ राहत दी गई। परंतु देश में, विशेषकर कर्नाटक में रेशम का मूल्य स्थिर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे और किसानों, कतैयों तथा बुनकरों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार के रेशम कीट पालन विभाग से बातचीत करके रेशम के कोयों का मूल्य 125 रुपए और 150 रुपए के बीच निश्चित करे।

विश्व बैंक ने रेशम कीट पालन के विकास के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड को 550 करोड़ रुपए की सहायता दी है। दुर्भाग्यवश इसका अधिकतर हिस्सा स्थापना पर ही खर्च कर दिया गया है, इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर नहीं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरंत अनुसंधान और विकास कार्यों पर धन लगाए।

(तीन) केरल में कन्नानौर में क्षेत्रीय भविष्यनिधि कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (कन्नानौर) : कन्नानौर में केरल के सबसे अच्छी और बड़ी बीड़ी बनाने की इकाइयां हैं। इसलिए वहां बीड़ी मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं। इनके साथ-साथ वहां हथकरघा और शक्तिचालित करघा मजदूर भी सैकड़ों की संख्या में बसते हैं। कन्नानौर और कासरगाड़े जिलों में एक लाख से अधिक भविष्य-निधि जमाकर्ता हैं।

इन गरीब मजदूरों को कन्नानोर से एक सौ किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर कालीकट स्थित भविष्यनिधि कार्यालय जाने में अकथनीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो अपने दावे स्वीकृत कराने के लिए उन्हें कई बार वहां जाना पड़ता है।

यह सही है कि दो भविष्यनिधि कार्यालयों के लिए निश्चित बीच की दूरी 250 किलोमीटर है, परंतु यह भी निश्चित है कि कम-से-कम 75000 जमाकर्ता होने चाहिए। कन्नानौर क्षेत्र इस दूसरी आवश्यकता को पर्याप्त सीमा तक पूरा करता है क्योंकि यहां 1,15,000 से अधिक भविष्यनिधि जमाकर्ता हैं।

यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में भविष्यनिधि कार्यालय 150 किलोमीटर से भी कम दूरी पर इन्हीं परिस्थितियों में खोले गए हैं।

कन्नानौर में तीन महीने में एक बार अथवा प्रति महीने भविष्यनिधि अधिकारियों का कैंप रखने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय में हजारों कर्मचारी अपने मामले अधिकारियों के सामने नहीं रख पाएंगे। इसलिए एक सर्वकालीन कार्यालय होना आवश्यक है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्र ही कन्नानौर में एक क्षेत्रीय भविष्यनिधि कार्यालय खोले।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरबल—अनुपस्थित

श्री काशीराम राणा—अनुपस्थित

श्री चिन्मयानंद स्वामी—अनुपस्थित

श्री शिवाजी पटनायक

(चार) उड़ीसा में 'सारा' और 'खटिया' संप्रदायों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, 'सारा' संप्रदाय का नाम उड़ीसा की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसे सूची में 'सहारा' लिखा गया है जबकि उड़ीसा में इस नाम की कोई जनजाति नहीं है। कभी-कभी 'सारा' का उच्चारण 'सहारा' भी किया जाता है। 'साबरा' और 'सौरा' भी जिन्हें अनुसूचित जनजाति दिखाया गया है, 'सारा' के समान ही हैं। खुर्दा, नयागढ़ और कटक जिलों में 'सारा'-जाति के लगभग 2 लाख लोग हैं, परंतु 'सारा' को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल न किए जाने के कारण वे इन जातियों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। इसके परिणामस्वरूप उनमें असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है। सूची में तुरंत समुचित सुधार किया जाए ताकि वे उन सुविधाओं को पा सकें, जिनके वे अधिकारी हैं।

इसी प्रकार भक्तुआ जाति 'खटिया' को सूची में 'कटिगा' लिखा गया है और इस कारण 'खटिया' संप्रदाय अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले

लाभों से वंचित हैं। इसे भी तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।

मैं सरकार स अनुरोध करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. एस. पी. यादव—अनुपस्थित

(पांच) त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुझीथेराई में थम्पारावर्णी नदी पर पुराने पुल का पुनर्निमाण किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर थम्पारावर्णी नदी पर कुझीथेराई के स्थान पर बना पुराना पुल बड़ी जर्जर अवस्था में है। यह बढ़ते हुए ट्रेफिक का भार नहीं उठा सकता तथा कभी भी ढह सकता है। यह देश के सबसे पुराने पुलों में से एक है, जिसका निर्माण 1969 में किया गया था। पुल की जर्जर अवस्था की ओर अनेक बार अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है। मद्रास के मुख्य इंजीनियर ने कुछ वर्ष पहले इसका निरीक्षण किया था तथा इसकी खतरनाक हालत को देखते हुए सहारे के लिए खंबों का निर्माण कराया था। परंतु भारी वर्षा और बाढ़ में ये खंबे टूटकर बह गए तथा मूल खंबों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा पुल में जगह-जगह रिसाव होने लगा तथा दरारें पड़ गईं। पुल के दोनों ओर की दीवारें भी टूट-फूट गई हैं। देश के सुदूर दक्षिण भाग को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण तथा भीड़ वाली सड़क के पुल का पुनः निर्माण करने और चौड़ा करने की आवश्यकता लंबे समय से अनुभव की जा रही है। इसमें विलंब करने से यह कभी भी गिर सकता है तथा इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पुराने पुल का पुनः निर्माण करें और इसे चौड़ा करें।

[हिंदी]

(छः) राजस्थान में अजमेर को हवाई मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह (अजमेर) : अजमेर राजस्थान की हृदयस्थली है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षिक, धार्मिक तथा पर्यटन की दृष्टि से देश के मानचित्र में अजमेर का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। तीर्थराज पुष्कर तथा ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर शरीफ के दर्शनार्थ देश-विदेश के लाखों लोग अजमेर आते-जाते हैं। वहां की सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में देश के विभिन्न भागों के तथा अन्य पड़ौसी देशों के छात्र-छात्राएं भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अजमेर आते हैं। अजमेर के पास ही नसीराबाद की प्रसिद्ध सैनिक छावनी तथा ब्यावर एवं किशनगढ़ जैसी प्रसिद्धि प्राप्त औद्योगिक नगरियां हैं जहां भी निरंतर देश के विभिन्न भागों से आना-जाना होता है। अजमेर तथा पुष्कर में प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटक भी विश्व के विभिन्न अंचलों से यहां के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। परंतु अजमेर में हवाई अड्डा नहीं होने तथा वायुमार्ग से नहीं जुड़ा होने के कारण उन्हें भारी असुविधा होती है और समय भी अत्यधिक लगता है। अजमेर में हवाई अड्डा नहीं होने के कारण इसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। अनेक बार आश्वासनों के बावजूद भी अभी तक अजमेर में हवाई अड्डे की स्थापना नहीं हो पाई है। परिणामस्वरूप अजमेर जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था और जिसका अपना विशिष्ट स्थान है, हवाई मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक समन्वय के लिए प्रसिद्ध नगर में विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षित एवं सुनिश्चित किए गए स्थान पर अविलंब हवाई अड्डे का निर्माण कर अजमेर को वायु-सेवा से जोड़ें।

(सात) महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : महिलाओं पर अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले ही दिनों में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं पर अत्याचार बराबर जारी हैं। जैसाकि दिल्ली में हुआ तंदूर कांड और मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक महिला को उनके पति द्वारा हत्या करके ललितपुर के स्टाप डैम में डाला जाना, जिससे कि मगरमच्छ लाश को खा जाए और हत्या का कोई सबूत न मिले। दुःख की बात है कि अक्सर ऐसी घटनाओं को राजनैतिक संरक्षण भी मिल रहे हैं। प्रशासन और पुलिस जिस पर सुरक्षा का दायित्व है कभी-कभी वह स्वयं भी उसमें शामिल पाए जाते हैं। मोलेस्ट्रेशन, दहेज के लिए हत्या, कस्टोडियल रेप, युवा महिलाओं को प्रोस्टीट्यूशन के लिए बाजार में बेचना आदि ऐसी घटनाएं जिनको रोकने की तुरंत आवश्यकता है। इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए और कठोरता से उसे लागू किया जाना चाहिए।

सितंबर में महिलाओं को एक सम्मेलन (विश्व महिला सम्मेलन) बीजिंग में होने जा रहा है। मैं सरकार से अपेक्षा करती हूं कि इस सम्मेलन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में महिलाओं के अधिकारों के प्रति नई समुचित नीति बननी चाहिए।...(व्यवधान)

(आठ) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सम्भल के संपूर्ण विकास के लिए धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डॉ. एस. पी. यादव (सम्भल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम 377 के अधीन सूचना के तहत मैं कहना चाहता हूं कि सम्भल लोक सभा क्षेत्र यद्यपि देश की राजधानी दिल्ली के निकट ही स्थित है, लेकिन इसके बावजूद इसका अपेक्षित विकास नहीं हो सका। संपूर्ण क्षेत्र ग्रामीण अंचल में फैला हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से खादर, ऊसर, बंजर, भूड, ढाका इत्यादि प्रकार की भूमि अनुपजाऊ पड़ी हुई है। सारा क्षेत्र यातायात के साधनों—रेल व सड़क एवं विकास की अन्य किरणों—पानी, बिजली के लिए तरस रहा है। जिसके कारण आजीविका के साधन नगण्य हैं। नौजवान लड़के दिल्ली की ओर पलायन कर रहे हैं अथवा अपराधी बन रहे हैं। आए दिन चोरी, डकैती, रोड होल्ड-अप आदि घटनाएं होती रहती हैं।

अतः भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं ऊसर भूमि सुधार मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि सम्भल लोक सभा क्षेत्र के संपूर्ण विकास एवं सड़कों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब डॉ. एस. पी. यादव का नाम पुकारा गया था तो माननीय सदस्य अनुपस्थित थे और परिणामस्वरूप श्रीमती गीता मुखर्जी का नाम पुकारा गया। बाद में डॉ. एस. पी. यादव सभा में आ गए और उन्होंने नियम 377 के अंतर्गत कार्यवाही में भाग लिया यद्यपि अध्यक्षपीठ को श्रीमती गीता मुखर्जी का नाम ना पुकारने को अत्यधिक बाध्य किया गया है, पर विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत मैं श्रीमती गीता मुखर्जी का नाम नियम 377 के अधीन कार्यवाही में भाग लेने के लिए पुकारता हूं।

(नौ) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में केलेघाई नदी की बाढ़ नियंत्रण परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में

पंसकुरा में केलेघाई नदी में अक्सर बाढ़ आती है। बाढ़ नियंत्रण की एक परियोजना पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी है। परियोजना के बारे में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिल गई है। परंतु इसे अभी गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

मैं जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे बिना विलंब के इस परियोजना को गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.45 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.47 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.56 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.56 म.प. पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प;

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक;

कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प और कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब आज की कार्य सूची की मद संख्या 18 से 21 पर चर्चा करेंगे। इन सबके लिए चार घंटे का समय रखा गया है। प्रत्येक दल के लिए समय का आवंटन इस प्रकार किया गया है : कांग्रेस—एक घंटा 48 मिनट; भारतीय जनता पार्टी—49 मिनट; मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी—15 मिनट; जनता दल—10 मिनट; कम्यूनिस्ट पार्टी—6 मिनट; समता पार्टी—6 मिनट; अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम—5 मिनट; जनता दल (ए)—4 मिनट; तेलगुदेशम—3 मिनट; तथा अन्य राजनीतिक दल और गुटों को बहुत कम समय मिला है···

(व्यवधान)

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अर्जुन सिंह की पार्टी को कितना समय दिया गया है ?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह पार्टियों के सचेतकों पर है कि वे कितने वक्ताओं को बोलने को कहते हैं तथा उन्हें कितना समय देना चाहते हैं।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : यह केवल कागज पर ही रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा वास्तव में होना चाहिए क्योंकि एक विषय पर जहां एक घंटा आवंटित किया गया था छः घंटे लग गए। इसलिए मेरा सचेतकों से अनुरोध है कि वे यह देखें कि कितना समय लेकर वे कितने वक्ताओं को बोलने को कहते हैं। श्री राम नाईक।

[हिंदी]

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित दो सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करता हूं—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1995 को प्रख्यापित रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1995 को प्रख्यापित कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्याक 6) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष जी, मैं रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश और कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 के संबंध में संकल्पों को रखते हुए, अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि मंत्रिमंडल के बाकी मंत्रीगण कपड़ा मंत्री जी को डिस्टर्ब न करें तो हमारी ओर उनका ध्यान हो सकता है।

उपाध्यक्ष जी, मेरे संकल्प मुख्य रूप से इस बात पर आधारित हैं कि संविधान ने केंद्र सरकार को अध्यादेश निकालने का जो अधिकार दिया हुआ है, उसका केंद्र सरकार हमेशा दुरुपयोग करती है और इन अध्यादेशों को ऐसे समय निकालकर घोर अनौचित्य किया गया है···(व्यवधान)

3.00 म.प.

उपाध्यक्ष जी, यह जो अध्यादेश निकालने का अधिकार है, इसका सरकार दुरुपयोग कर रही है और इस संबंध में तो ऐसा दुरुपयोग किया है जिसके बारे में मैं कहूंगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

संसदीय इतिहास में अध्यादेश जारी करने में इसका कोई सानी नहीं है।

[हिंदी]

उपाध्यक्ष महोदय, जो 109 बीमार मिलें एन. टी. सी. के पास हैं उनकी जमीन और प्लांट मशीनरी बेचने के लिए दूसरा जो 15 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है, उनमें से 13 बंबई की मिल हैं और दो कानपुर की हैं, इनका जो राष्ट्रीयकरण किया है, उसकी भी जमीन बेचने का अधिकार प्राप्त करने के लिए आप यह विधेयक लाए हैं। मुख्यतः ये दो इश्यू हैं।

उपाध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि इसी सदन में दो जून को मंत्री महोदय एक विधेयक एन. टी. सी. के बारे में लाए थे और मैंने उस समय विवाद किया था कि बिल और है आप उस पर कब विचार करेंगे ? मंत्री महोदय ने कहा था कि आप इस विधेयक को बिना विचार के पास कर दीजिए। फिर मैंने कहा कि एक बिल है, वह भी आना चाहिए, तो फिर शाम को आपने दोनों बिलों को इंट्रोड्यूज किया। आपको याद होगा, दो जून को इन्होंने इसी सदन में दोनों बिल इंट्रोड्यूज कर दिए और बाद में सत्र समाप्त हो गया। बाद में नौ जून को कामर्स मिनिस्ट्री की स्थाई समिति के पास वह बिल विचार करने के लिए भेजा गया और ये दोनों अध्यादेश 27 जून को निकाले।

उपाध्यक्ष जी, स्टेंडिंग कमेटी सिलैक्ट कमेटी के बराबर होती है। अब स्टेंडिंग कमेटी के शुरू होने के बाद, पहले जैसे अलग सिलैक्ट कमेटी नहीं बनाई जाती है और यह स्थाई समिति विचार करती है, जब स्थाई समिति को यह बिल भेजा है, उसके बाद, उसके द्वारा विचार करते हुए भी, बिल उसके पास होते हुए भी आर्डीनेंस निकालना यह पार्लियामेंट के इतिहास की अपनी एक पहली घटना है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कि बिल सिलैक्ट कमेटी को भेजा हो और आर्डीनेंस निकाल दिया गया हो। इस प्रकार का काम पहला है, पहले कभी नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि यह अधिकार का घोर दुरुपयोग है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, 1983 में 12 साल पहले, जो 15 मिलें केंद्र सरकार ने टेकओवर की थीं और यह अध्यादेश निकालकर राष्ट्रीयकरण किया था यह उसके संबंध में है और यह काम बहुत देर के बाद किया जा रहा है। मुझे यह पूछना है कि 12 साल तक आप क्यों सोते रहे। उसके पहले यह क्यों नहीं किया और यदि 12 साल के बाद ही करना था, तो अब इतनी जल्दी क्यों की ? जब आपने पहले 12 साल तक नहीं किया तो अब ऐसी क्या जल्दी थी। 12 साल आप काम नहीं करते हैं और अब इसके लिए प्रस्ताव लाते हैं। यह सर्वथा अनुचित है। इसके लिए मैं यह प्रस्ताव यहां लाया हूं।

उपाध्यक्ष जी, जिन विधेयकों के लिए मंत्री महोदय कह रहे थे कि बिना विचार के मंजूर करना चाहिए, उसके बारे में स्थाई समिति की रिपोर्ट आई है। उसमें लिखा गया है कि समिति की नौ बैठकें हुईं। यानी समिति की नौ बैठकों में विचार करने के बाद यह रिपोर्ट आई है। हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे कि बिना विचार के इसे पास करो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बात जो आपने कही, यह ठीक नहीं कही। स्थाई समिति की रिपोर्ट इतनी बड़ी रिपोर्ट है। उसमें से केवल मैं दो पृष्ठों के सिर्फ दो पैराग्राफ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह पेज 37 के पैरा 59-60 में है। इसे मैं संक्षेप में जल्दी-जल्दी व जैसा लिखा है, वैसा ही पढ़ूंगा ताकि विषय समझ में आ सके।

[अनुवाद]

पैरा 59 में कहा गया है :

"समिति को सूचित किया गया कि सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ 1983 में उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की थी, जो अभी विचाराधीन है। समिति को यह भी सूचित किया गया कि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संघ और राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना विवादित कपड़ा उपक्रमों की किसी भी स्थायी संपत्ति, स्थिर आस्तियों तथा संयंत्र और मशीनों का व्ययन करने, कब्जे से अलग करने अथवा पदस्थ करने पर रोक लगा दी। उन्हें इन मिलों के परिसर से किसी भी संयंत्र, मशीन, उपकरण, फर्नीचर या अनुबंध को हटाने पर भी रोक दिया गया।

60. समिति को बताया गया कि दस वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी यह मामला अभी भी विचाराधीन और न्याय-निर्णयाधीन है तथा सरकार इस प्रतिबंध को समाप्त कराने में असफल रही है। उल्लिखित विधेयक के खंड 11 में सरकार को 15 मिलों तथा उन मिलों की जिनके प्रबंधग्रहण के मामले न्यायनिर्णयाधीन हैं, किसी भी संपत्ति का अंतरण, व्ययन, बंधक-बिक्री करने का अधिकार दिया गया है। खंड 11 तथा विधेयक के अन्य उपबंध एक अध्यादेश जारी कर 27 जून, 1995 से लागू कर दिए गए हैं। कपड़ा मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय ने भी कंपनी को बताया है कि—उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कार्यपालिका के लिए है तथा यह इस संबंध में कानून बनाने के विधानमंडल के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालता। समिति का विचार है कि इससे न्यायालय के समक्ष मामला उलझ जाने के कारण सरकार को इस ओर पहले ध्यान देना चाहिए था।

[हिंदी]

इसलिए कमेटी की आपके बारे में आब्जर्वेशन यह है कि यह मामला इतने साल पड़ा रहा। इसको जिस प्रकार से गंभीरता से देखना चाहिए था, वैसा नहीं देखा और 12 साल लटकने के बाद आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट को जाकर आग्रह कर सकते थे कि यह केस 12 साल से पड़ा हुआ है और इससे लाखों मजदूरों का सवाल जुड़ा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रायरिटी दे सकता थी। लेकिन इस प्रकार का जो प्रयास करना चाहिए था, वह आपने नहीं किया। इसलिए कमेटी ने कहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इससे और ज्यादा गुत्था बन जाएगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसके बारे में क्या विचार किया है ?

अध्यक्ष जी, यह पहली रिकमेंडेशन के बारे में है तथा दूसरी जो रिकमेंडेशन है, वह पेज 38 के पैरा 61 में है। उसे भी मैं यहां कोट करता हूं :

[अनुवाद]

"विधेयक के उपबंधों के अंतर्गत इन मिलों का आधुनिकीकरण करने और चलाने के लिए पुनर्जीवन कार्यक्रम शुरू करने का काम राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा किया जाएगा। समिति का कहना है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम का पहला रिकार्ड उत्साहवर्धक नहीं वरन् खराब रहा है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत अथवा प्रबंध-ग्रहण की गई सभी मिलों का घाटा बढ़ा है जो 31-3-1994 को 3790.94 करोड़ रुपए था। इन परिस्थितियों में समिति को संदेह है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम पुनर्जीवित करने के कार्य को कारगर ढंग से लागू कर सकेगा। इसलिए समिति चाहती है कि त्रिपक्षीय समिति द्वारा पूरी प्रक्रिया की लगातार और नजदीक से निगरानी की जानी चाहिए। समिति इसलिए सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस संबंध में पर्याप्त उपाय करे। इसमें राष्ट्रीय कपड़ा निगम का पूर्ण पुनर्गठन भी शामिल है।"

[हिंदी]

इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि कमेटी का यह आब्जर्वेशन है कि एन. टी. सी. का पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। एन. टी. सी. ने 3,900 करोड़ रुपए का आज तक घाटा किया है तो आप ऐसी कौन-सी नयी व्यवस्था लाना चाहते हैं जिससे यह घाटा कम हो जाएगा, एन. टी. सी. का व्यवस्थापन उस प्रकार से चलेगा। इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? इसके संबंध में यदि आपने स्पष्टतः से प्रारंभ में ही कहा तो मुझे लगता है कि यहां पर जो चर्चा होगी, उसको एक दिशा मिल सकती है। अगर नहीं होगी तो ऐसी चर्चा तो रोज ही चलती रहेंगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक सूची 22-8-95 को जारी की गई थी तथा बाद में दूसरी सूची 23-8-95 को जारी की गई तथा यह 24-8-95 को सामने आई। इस प्रकार शायद दो सूचियां जारी की गईं। पहली सूची 22-8-95 की है।

श्री राम नाईक : ठीक है श्रीमन्। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं

तो जो कार्यसूची मेरे हाथ में है, उसके बारे में कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद आपको गलत जानकारी दी गई है। कार्यालय अपना काम कर चुका है।

श्री राम नाईक : इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसे रिकार्ड के लिए सही किया जा सकता है।

[हिंदी]

सवाल यह है कि 109 एन. टी. सी. की मिलें और 15 राष्ट्रीयकृत मिलें मिलाकर कुल 124 मिलें मुंबई, अहमदाबाद और देश के कोने-कोने में फैली हुई हैं। आज स्थिति यह है कि हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। टैक्सटाइल मिलों के कारण ही मुंबई और अहमदाबाद औद्योगिक नक्शे पर आए हैं।

दिघे जी, रावले जी यहां हैं। यदि आप मुंबई के गिरनी एरिया में जाएंगे तो आपको वहां एक मरघट की शांतिदाह दिखाई देगी। पहले टैक्सटाइल मिल की शिफ्ट चेंज होते ही मजदूर बाहर आ जाते थे लेकिन आज वहां मजदूर नहीं हैं, गेट मीटिंग भी नहीं कर सकते। जहां सारे देश की औद्योगिक यूनियन का ढांचा बन गया था, आज उन टैक्सटाइल मिलों के गेट भी खाली हैं। मिलें बंद हो गई हैं लेकिन मजदूरों को उनका प्रोविडेंट फंड, ग्रैच्युटी भी नहीं मिली है। इस भूमिका में एक तो गिरनी मालिक हैं और दूसरे एन. टी. सी. के हाथ में व्यवस्थापन आने के बाद से उन्होंने एक तरह से मजदूरों को लूट लिया है। लूटने के काम को कैसे रोक सकते हैं, यह करोड़ों डालर की बात है। क्या ये मिलें पुनर्जीवित हो सकती हैं, क्या मजदूरों को फिर से काम मिल सकता है .और जिन्होंने वौलंट्री रिटायरमैंट स्कीम स्वीकार की है, क्या उनका बकाया रुपया मिल सकता है ? मुझे लगता है कि ये अहम प्रश्न हैं। शायद मंत्री जी ने इसका एक रामवाण इलाज यह निकाला है कि मिल की जमीन बेच दो। यदि जमीन बेचते हैं तो पैसा मिल सकता है, यह हकीकत है। आपको थोड़ा मालूम होगा लेकिन शायद बाकी लोगों को मालूम नहीं होगा कि मुंबई शहर के मध्य भाग में मकान की कीमत 50 हजार से 60 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फुट बढ़ गई है।इसलिए यदि वहां की जमीन बेच डालें तो सोने से भी ज्यादा रुपया मिल सकता है। मुंबई की ऐसी जमीन है, अहमदाबाद की भी ऐसी ही होगी, इंदौर की भी होगी, कानपुर की भी होगी। सब मिलाकर लूटने का एक काम हो जाए, ऐसी शंका कामगारों के मन में आ रही है।

3.12 म.प.

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्या पीठासीन हुईं।]

महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने एक और गति दी थी। हम जमीन को मराठी में भूखंड कहते हैं। आपने महाराष्ट्र का श्रीखंड भी खाया होगा। महाराष्ट्र की सबसे बढ़िया मिठाई श्रीखंड है। हम मजाक में कहते, कि भूखंड का श्रीखंड कैसे खाना है, यदि यह सीखना है तो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए। पहले मिलों की जमीन बेचो, फिर डिफैंस की बेचो, फिर पोर्ट ट्रस्ट की बेचो, वहां आने के बाद इस प्रकार का काम उन्होंने शुरू किया। अब चुनाव आ रहे हैं, इसलिए रुक गया है। मेरा यह कहना है कि जमीन बेचे बिना पैसा नहीं आ सकता, इस बात में तथ्य है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिना जमीन बेचे काम चल जाएगा और सामान्यतया गिरनी मजदूरों ने भी यह मान लिया है कि जमीन बेचकर यदि पुनर्वसन होता है तो वह होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने बात मान ली है। लेकिन इस जमीन को बेचने में एक पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और यह ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए कि खुले टैंडर मंगाने चाहिए। कितनी जमीन सरप्लस है या नहीं है, वह वहां की राज्य सरकार से, कहीं महापालिका होगी, कहीं नगरपालिका होगी, उनसे बात करके राज्य सरकार का प्रतिनिधि, महापालिका का प्रतिनिधि, कामगारों का प्रतिनिधि, ऐसे मिलकर एक कमेटी हर जगह पर बनाई जाए, जिसके आधार पर कितनी जमीन सरप्लस है और कितनी नहीं है, वह तय हो सकता है। इस भूमिका में यदि आप पारदर्शक व्यवहार करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ अच्छा हो सकता है।

इसी भूमिका में मैंने दो एमेंडमेंट दिए हैं। मैं अभी एमेंडमेंट्स के बारे में कहता हूं, ताकि दोबारा उस समय पर मुझे भाषण करने की आवश्यकता नहीं पड़े। मैंने जो एमेंडमेंट्स दिए हैं, उनमें भी यह कहा है कि जमीन बेचने के बाद जो पैसा आएगा, उसका उपयोग आप उस मिल की पुनर्रचना करने में, उसके कामगारों का जो बकाया है, वह देने में, जो नई मशीनरी लानी है, वह लाने में करें, यह सारा करने के लिए उस पैसे का उपयोग करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद भी आपके पास करोड़ों रुपए बचने वाले हैं। उसके बाद जो पैसा होगा, वह सारे हिंदुस्तान में टैक्सटाइल इंडस्ट्री की पुनर्रचना करने के उपयोग में लाना चाहिए, उससे दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो पैसे का मोह होगा। दूसरा कोई काम न करते हुए, यह सब माडर्नाइजेशन होने के बाद, कामगारों का पैसा देने के बाद और भी पैसे बचें तो आपको पार्लियामेंट में आना चाहिए। आपको पार्लियामेंट के पास आकर कहना चाहिए कि हमारे पास अभी यह पैसे हैं, पार्लियामेंट की सम्मति के सिवा आपको किसी भी दूसरे काम के लिए इस पैसे का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का एमेंडमेंट मैंने दिया है। मुझे लगता है कि इस एमेंडमेंट को आप स्वीकार करेंगे। आपका व्यवहार आगे चलकर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा आपको भी लगता होगा, सरकार को लगता होगा तो ऐसा करना चाहिए।

मेरे दो-तीन छोटे सुझाव हैं, वह बताकर मैं अपना भाषण पूरा करूंगा। एक तो यह जो मिल्स आगे चलेंगी, उन मिलों पर भी कामगारों के प्रतिनिधि व्यवस्थापन में होने चाहिए और यह कामगारों के जो प्रतिनिधि हैं, वह मिल में काम करने वाले लोगों को चुनने चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है कि मुंबई में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ (आर. एम. एम. एस.) प्रातिनिधिक यूनियन मानी जाती है, लेकिन आज मुंबई के कामगारों पर उनका प्रभुत्व विशेष नहीं है, इसलिए जिस गिरनी में, जिस मिल में जो मजदूर काम करते हैं, वह तय करें कि हमारे व्यवस्थापन में उनका प्रतिनिधि कौन होगा। इस प्रकार की व्यवस्था यदि आप बनाते हैं तो इसमें मजदूरों की भी भागीदारी रहेगी। इस भूमिका में आपको काम करना चाहिए। हो सकता है कि कहीं पर राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ प्रभावी हो, हो सकता है कहीं हमारे शिव सेना के साथियों की यूनियन प्रभावी हो, हो सकता है कहीं एटक की, सी. पी. एम. की यूनियन प्रभावी हो, हर गिरनी की अलग-अलग विशेषता होती है. इस बात को ख्याल में रखते हुए मजदूरों के प्रतिनिधि वहां जो काम करने वाले मजदूर हैं, जिनके रिटायरमेंट के लिए पैसे नहीं दिए गए, उनके आधार पर चुनना चाहिए, ऐसी मेरी इस संबंध में एक मांग है। आप एक ऐसी समिति बनाइए, जो उस मिल का व्यवस्थापन चलाए। व्यवस्थापन चलाने की दृष्टि से आप मजदूरों को, वहां की महापालिका, नगरपालिका और वहां की सरकार, इन सबकी एक व्यवस्थापन समिति बनाइए, ऐसा मेरा आग्रह है, कुछ जगह पर ऐसा करना चाहिए।

मुझे मालूम है कि मुंबई की कुछ मिलों ने सरकार को आफर दी है कि हम अपनी गिरनी, अपनी मिल सहकारिता के तत्व के आधार पर चलाना चाहते हैं तो जो प्रामाणिक यूनियंस होंगी, जो प्रपोजल उन्होंने दी है तो ऐसे

प्रपोजल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर यह मेरी पार्टी की यूनियन नहीं है, इसलिए मैं मंजूर नहीं करूंगा, ऐसी बात न करते हुए जो सहकारिता के आधार पर यह मिलें चलाना चाहते हैं, ऐसे मजदूरों को इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है।

अंतिम बात इस दृष्टि से मुझे बताना आवश्यक लगता है, क्योंकि आपने 12 साल के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया है। आपकी सरकार को आए भी अब चार साल हो गए हैं, चुनाव के लिए अब कोई कहेगा कि चार महीने रह गए, कोई कहेगा, पांच महीने रह गए। कोई कहेगा छः महीने रह गए, कोई कहेगा जैसे ही सत्र समाप्त होगा, तभी हो जाएंगे, यह तो भविष्य का सवाल है। इतने साल सरकार क्या कर रही थी, इतनी जागरूकता अब कैसे आई है, आगामी चुनाव को देखते हुए एक लुभावना चुनावी नारा उन्हें दिखाई दे रहा है और उसके साथ पैसा कमाने की बात भी है। इस प्रकार की धारणा मजदूरों के मन में बन रही है। आपने अध्यादेश निकालने के बाद कौन-सी मिल के बारे में कौन-सा फैसला किया है, यह हमें अपने जवाब में बताएं जिससे हमें भी पता चले कि आपने यह काम किया है। नहीं तो यह मात्र लुभावना चुनावी नारा ही रह जाएगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यह बूमरैंग होकर आपके पास आएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सफाया हो गया है। मुंबई में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसके बारे में आपको चिंता है। आप इसका चुनावी उपयोग कर रहे हैं, ऐसी भावना बनी है। आपने ठोस काम अध्यादेश निकालने के बाद क्या किया है, इसका भी जवाब देने की आपकी ही जिम्मेदारी है।

इस भूमिका में मैंने इस अध्यादेश का विरोध किया है और मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो मैंने अध्यादेश को नामंजूर करने का प्रस्ताव रखा है उसको सदन मान्यता दे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मद संख्या 19 और 21 पर एक साथ चर्चा की जा सकती है। मंत्री महोदय अब विधेयक पेश करें।

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र और सूत के उत्पादन और वितरण में वृद्धि करने की दृष्टि से, जिससे कि जनसाधारण का हित साधन हो सके, पहली अनुसूचि में विनिर्दिष्ट कपड़ा उपक्रमों का और ऐसे कपड़ा उपक्रमों के संबंध में स्वामियों के अधिकार और हित का अर्जन और अंतरण करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

एल्फिन स्टोन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, बंबई तथा बंबई की 12 अन्य कपड़ा मिलों का प्रबंध, उनका राष्ट्रीयकरण होने तक केंद्र सरकार ने जनहित में कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1983 के अंतर्गत अपने हाथ में ले लिया। इसी प्रकार कानपुर की दो अन्य मिलों का प्रबंध भी लक्ष्मीरतन और एथरटन वेस्ट काटन मिल्स (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1976 के तहत केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था।

15 उपक्रमों का प्रबंध हाथ में लेने के बाद इन्हें सक्षम बनाने के लिए बड़ी धनराशि लगाई गई। पर उनका आधुनिकीकरण करने पर रुपया नहीं लगाया गया क्योंकि इन उपक्रमों की मालिक केंद्र सरकार नहीं थी। ये उपक्रम कई कारणों से रुग्ण थे, जैसे—पुरानी मशीनें, आवश्यकता से अधिक कर्मचारी, कार्यपूंजी की कमी आदि।

सरकार ने इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक संशोधित योजना स्वीकृत की है। इस योजना को श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने भी मंजूर कर दिया है। इन उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करने से इन मिलों का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास आ जाएगा। इससे सरकार को यदि आवश्यक हुआ तो हस्तांतरण, गिरवी, बिक्री अथवा इन कपड़ा मिलों की भूमि, संयंत्र, मशीन अथवा अन्य आस्तियों को बेचकर इनका आधुनिकीकरण अथवा पुनर्गठन करने में सुविधा होगी।

वाणिज्य और कपड़ा मंत्रालय से संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने 21 अगस्त, 1995 को पेश की गई अपनी 15वीं रिपोर्ट में राष्ट्रीय कपड़ा निगम का आधुनिकीकरण और पुनर्गठन करने की सिफारिश की है ताकि इसकी कार्यकुशलता को सुधारा जा सके और लगातार होने वाली हानि को समाप्त किया जा सके। समिति ने यह भी कहा है कि पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की समस्त प्रक्रिया की निकट से निगरानी की जानी चाहिए। सरकार राष्ट्रीय कपड़ा निगम को पुनर्जीवित करने के लिए वचनबद्ध है। यह राष्ट्र और जनहित में होगा। इस प्रक्रिया पर सरकार द्वारा पूरी निगरानी रखी जाएगी।

महोदय, मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोक सभा द्वारा विचार किया जाए और पास किया जाए।

योजना के अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी मिलों का हाल ही में राष्ट्रीयकृत मिलों समेत, पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उपबंधों को उदार बनाने के लिए इन दोनों अधिनियमों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1995 और रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1995 पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1995 को प्रख्यापित रुग्ण उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1995 को प्रख्यापित कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

"कि रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र और सूत के उत्पादन और वितरण

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

में वृद्धि करने की दृष्टि से, जिससे कि जनसाधारण का हितसाधन हो सके, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कपड़ा उपक्रमों का और ऐसे कपड़ा उपक्रमों के संबंध में स्वामियों के अधिकार और हित अर्जन और अंतरण करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[हिंदी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। अभी मेरे मान्यवर साथी राम बाबू जी ने यहां देश के कपड़ा उद्योग के बारे में चिंता व्यक्त की है। मैं भी मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने जो दो बिल सदन में रखे हैं इन दो बिलों के पास हो जाने के बाद और इनके पास होने की प्रक्रिया के दरम्यान देश के कपड़ा उद्योग पर एक दृष्टि अवश्य डालनी पड़ेगी। सारा हिंदुस्तान और सारी दुनिया जानती है हमारे देश की पहचान सदियों पहले और 15 साल पहले भी यह रही थी कि हिंदुस्तान कपड़ा उद्योग का दुनिया में सिरमौर है।

महोदय, मैं तो उस शहर से आ रहा हूं जो हिंदुस्तान का कपड़ा उद्योग का केंद्र रहा है।हमारे वहां के स्कूलों की किताबों में, परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता था रिक्त स्थान की पूर्ति करिए और उसमें वे लिखते थे कि अहमदाबाद को हिंदुस्तान का रिक्त स्थान माना जाता है, उस स्थान पर लिखते थे—मानचेस्टर। देश भर में सबसे ज्यादा टैक्सटाइल मिलें अहमदाबाद में हैं और उस पर दुनिया की नजर लगी हुई है लेकिन अब रिक्त स्थान हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान उन मिलों की जो स्थिति हुई, कपड़ा उद्योग की जो स्थिति पिछले 12 साल में हुई उस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। 1982-83 में अहमदाबाद में 85 मिलें थीं। मंत्री जी, आप जानते हैं कि आज क्या स्थिति है।

आज यह स्थिति है कि 30 मिलें लिक्विडिशन में हैं, 9 मिलें एनटीसी ने ले ली हैं। 11 मिलें गुजरात टेक्साटाइल कार्पोरेशन के पास हैं, बाकी सारी मिलें बंद हैं। गुजरात भर में टेक्सटाइल उद्योग नष्ट हो चुका है। डेढ़ लाख से ज्यादा कामदार पिछले 5 साल में बेरोजगार हुए हैं और सरकार को इसकी चिंता नहीं है। इस बिल के अंतर्गत देश में जो 124 मिलें एनटीसी के अंतर्गत हैं, उसकी जमीन, मशीनरी, प्लांट को बेचकर मिलों का पुनर्गठन किया जाएगा, कामदारों का पुनर्वसन किया जाएगा। मैं दुःख के साथ मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने गुजरात के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आज भी गुजरात हिंदुस्तान का मेनचेस्टर है, लेकिन 85 में से सिर्फ 9 मिलें आपने एनटीसी के अंतर्गत कवर की हैं। महाराष्ट्र में अभी 2 महीने पहले जो 13 मिलें महाराष्ट्र टेक्सटाइल कार्पोरेशन के अंतर्गत थीं, उनको आपने एनटीसी के अंतर्गत ले लिया है।...(व्यवधान) गुजरात की एक भी मिल लेने का सुझाव आपने नहीं दिया। हमारी 9 मिलों में से एक चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कपड़ा उद्योग को आपको सचमुच में बचाना है, हमारी जो एक अलग साख देश में कपड़ा उद्योग में बनी है, उसको सिर्फ 1-2 मिलों से नहीं बचाया जा सकता। सैकड़ों टेक्सटाइल मिलों के बारे में आप क्या करना चाहते हैं, यह मैं जानना चाहूंगा।

1984 में एक आविद हुसैन कमेटी बनाई गई थी, जिसने इस विषय का पूरा अध्ययन किया और 1991 में एक रिपोर्ट दी। उन सिफारिशों को यदि सरकार ने लागू कर दिया होता तो गुजरात के कपड़ा उद्योग की आज यह स्थिति न होती। बिल पास होते हैं, समितियां बनाई जाती हैं, उनकी सिफारिशें आती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाता। चाहे वोहरा कमेटी हो, जेपीसी हो, बोफोर्स हो, चाहे कोई कमेटी हो, उनकी सिफारिशें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। मेरी मांग है कि आविद हुसैन कमेटी कि सिफारिशों को लागू करके बंद मिलों को बचाने की कोशिश करिए। यदि आविद हुसैन कमेटी की सिफारिशें मान ली जातीं, तो अहमदाबाद की आज यह स्थिति नहीं होती। आपको मालूम होगा कि 2-3 मिलें दीवाली के समय में भी बंद कर दी गईं, वेतन नहीं दिया गया। एनटीसी की जो 9 मिलें हैं, उनमें कामदारों को वेतन नहीं दिया गया। जो मिलें लिक्विडिशन में हैं, उनके कामदारों का कोई भविष्य नहीं है। 7-8 मिलें बीआईएफआर में हैं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : दीवाली पर बोनस दे दिया है।

श्री हरिन पाठक : एक ही मिल में दिया है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : एनटीसी की सारी मिलों में दिया है।

श्री हरिन पाठक : बोनस दिया है, वेतन नहीं मिला है, 3-4 महीने से नहीं मिला है, एनटीसी के कामदारों को वेतन नहीं मिल रहा है। मुंबई में दिया है, अहमदाबाद में नहीं दिया है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : सब जगह दिया है।

श्री हरिन पाठक : आविद हुसैन कमेटी की सिफारिश थी कि टेक्सटाइल री-कांस्ट्रक्शन एरिया ट्रस्ट बनाया जाए और उसके अंतर्गत जो फंड होगा, उस फंड से बंद मिलों को बचाया जा सकेगा। यहां पर बार-बार घोषणा की गई कि नेशनल रैन्यूअल फंड है। सारा सदन जानता है कि पिछले पांच साल से मेरे चुनाव क्षेत्र का अहम मुद्दा होने के कारण मैं हमेशा सदन में उठाता रहा हूं कि इन मिलों को बचाया जाए। मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन दोनों बिलों में अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिलें जो बंद पड़ी हैं, उनको नेशनलाइज्ड करने का कोई प्रावधान नहीं है। मेरी मांग है कि जो मिलें अहमदाबाद और गुजरात में बंद पड़ी हैं, उनको भी एन.टी.सी. अपने हस्तगत ले। राज जी ने ठीक कहा है और बिल में उन्होंने बताया है—

मैं उद्धृत करता हूं :

> ''यदि राष्ट्रीय वस्त्र निगम रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के बेहतर प्रबंधन, आधुनिकीकरण, पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए ऐसा करना आवश्यक और उचित समझे तो वह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से रुग्ण कपड़ा उपक्रमों की कोई भी भूमि, संयंत्र मशीनरी या अन्य परिसंपत्तियों का अंतरण कर गिरवी रखकर बिक्री या अन्य प्रकार से बेचकर ऐसा कर सकता है।''

आप ले सकते हैं और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इतनी सारी जमीन है और जैसे राम बाबू जी ने बताया कि कीमती जमीन है। आप उसको ले लीजिए। उस जमीन को बेचकर, उनके प्लांट और मशीनरी को बेचकर उन मिलों को पुनर्स्थापित करिए, उनके मॉडर्नाइजेशन में पैसा लगाइए। मेरी आपके माध्यम से यह भी मांग होगी कि जो मिलें हैं जिनकी जमीनें आप बेचने जा रहे हैं, जिनके प्लांट और मशीनरी से आप पैसा कमाने जा रहे हैं, उसका पैसा सबसे पहले उन कामगारों को दिया जाए जिनका बकाया बाकी है। जिन्हें पी. एफ. नहीं मिला, जिन्हें तनख्वाह नहीं मिली। सबसे पहले इन जमीनों को बेचने से इन प्लांट और मशीनरी को बेचने से जो भी पैसा मिलेगा, वह उन मिलों के कामगारों को उनके बकाया पैसों के हिसाब से देना चाहिए। उन्हीं मिलों का अगर मॉडर्नाइजेशन होता है और कुछ यूनिट चलते हैं तो जो

यूनिट आप चालू करेंगे, उन छोटे-छोटे यूनिट्स और मिलों में भी उन्हीं कामगारों को प्रायोरिटी दी जाए जो मिलों के कामगार हैं। मेरी यह भी मांग होगी कि बी. आई. एफ. आर. में जो केस विचाराधीन हैं, उसमें महीनों लग जाते हैं। महीनों लग जाने के कारण कामगार न इधर और न उधर का रहता हैं। लिक्विडेशन में भी यही स्थिति है। 30 मिलें लिक्विडेशन में हैं, 7 मिलें बी. आई. एफ. आर. में पड़ी हैं। उस पर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं या नहीं ? अभी-अभी कैलिको मिल्स की समस्या थी। हमारे सब मंत्री आपसे मिले थे। वहां वह मिल को लेने के लिए तैयार बैठे हैं। यहां पर वे आए। यहां कुछ इनक्वायरी हो गई। आज तीन महीने से कैलिको मिल की तनख्वाह नहीं हुई, एन. टी. सी. मिल्स के लोगों की तनख्वाह नहीं हो रही है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : आप जो कह रहे हैं कि तनख्वाहें नहीं मिली वह गलत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सब जगह तनख्वाहें दे रहे हैं। अगर नहीं मिली हैं तो आप फैक्ट्स दीजिए। मैं आज शाम तक आपको रिपोर्ट मंगा दूंगा।

श्री हरिन पाठक : मैं आपको उन मिलों का नाम दूंगा जो एन. टी. सी. के अंतर्गत हैं और जहां पिछले डेढ़ महीने से अहमदाबाद में तनख्वाह नहीं मिली।

श्री जी. वेंटक स्वामी : आप कह रहे थे कि नहीं मिलीं। अब डेढ़ महीने पर आ गए हैं। सभापति जी, आइडियल वेज है। आइडियल वेज को थोड़ा फाइनेंस से आने में देर होगी मगर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं यह कहना गलत है।

श्री हरिन पाठक : नहीं मिल रही हैं का मतलब यह हुआ कि कामगारों को नियत समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है। अब ये छोटे-छोटे कामगार हैं। इनके पास एफ. डी. नहीं होती है। उनके पास पैसा नहीं है। अगर 7 तारीख के बदले आप डेढ़ महीने बाद तनख्वाह देंगे तो उनका गुजारा कैसे चलेगा ? उने घर में दाल-रोटी कैसे चलेगी ?

श्री जी. वेंकट स्वामी : माननीय सदस्यों को मैं ट्रेड यूनियन लीडर के तौरपर जानकारी दे रहा हूं कि इसको तो हम कम-से-कम दे रहे हैं। जो 100 मिलें बंद हैं उनको आप क्या दे रहे हैं ? मैं सवाल करना चाहता हूं। आप एन. टी. सी. मिल्स के बारे में बोल रहे हैं जहां पेमेंट हो रही है। जहां 100 मिल्स बंद पड़ी हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री हरिन पाठक : वही तो मैं कहने जा रहा हूं।

सभापति महोदय : आपके पास कुछ दस्तावेज हैं तो आप इनको दे दीजिए।

श्री हरिन पाठक : माननीय मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मेरे सारे वक्तव्य और प्रवचन का मुख्य मुद्दा यही है कि एन. टी. सी. के बारे में आप सोचें। जी. एस. टी. सी. के बारे में राज्य सरकार सोचेगी, मगर जो मिलें बंद पड़ी हैं, सैकड़ों मिलें बंद हैं, सिर्फ गुजरात में ही 30-35 मिलें बंद पड़ी हैं। उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं ? मेरी मांग है कि जो मिलें गुजरात में बंद पड़ी हैं उनको एन. टी. सी. के अंतर्गत लेना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी कहा है। ये मिलें बंद तो रहेंगी नहीं, उनके कामगारों का भविष्य अंधकारमय है। मेरी यही तो मांग है कि जो मिलें बंद पड़ी हैं, एन. टी. सी. के अंतर्गत नहीं हैं, जैसे आपने बंबई में लीं, 2 मिलें कानपुर में लीं, द्रोण साहब यहां बैठे हैं, समय के अभाव में वे बोल नहीं सकते, उनकी दो मिलों के कामगारों की भी व्यथा है, वे उसके बारे में बोलना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बारे में विशेषकर बोलूं। मेरी स्पष्ट मांग है और राय है कि जो मिलें बंद पड़ी हैं उन मिलों को आप हस्तगत कर लीजिए। नेशनल रेन्युअल फंड से गुजरात के कामगार जो पैसा मांग रहे हैं, 264 करोड़ रुपया है, वह उनको दे दीजिए। जो टेक्सटाइल बुनकर रिहैबिलिटेशन स्कीम 1994 में बनी थी उसके अंतर्गत भी उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, वह पैसा भी उनको देना चाहिए।

अंत में मेरी यही प्रार्थना है कि गुजरात के लाखों कामगारों के साथ अन्याय हुआ है। पूरे गुजरात का कपड़ा उद्योग मृतप्राय है, उसको केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए, चाहे वह एन. टी. सी. के अंतर्गत हो, चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत हो, चाहे वह प्राइवेट लोगों के हाथ में हो।

आखिर में मैं एक बात कहूंगा। मैं माननीय कपड़ा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो मिलें बंद होती हैं उसकी प्रमुख जिम्मेदारी उनके मालिकों की होती है। वे क्या करते हैं कि उनको जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वह नहीं भरते और उसकी वजह से लोकल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी उनको कनेक्शन काट देती है और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट गया तो एक ही रात में बिना नोटिस दिए वे दो-ढाई हजार कामगारों वाली मिलें बंद कर देते हैं। इसमें आप क्या कदम उठाना चाहते हैं ? इस देश में कोई भी उद्योगपति 50-50 सालों तक कामगारों का शोषण करके पैसा कमाकर, बड़ा उद्योगपति बनकर एक ही रात में मिल बंद कर देगा और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, न राज्य सरकार और न केंद्र सरकार। लाखों कामगार बेरोजगार बन जाते हैं। इसलिए सिर्फ एक बिल लाने से काम नहीं होगी। ऐसी जितनी भी टेक्सटाइल मिलें हैं ···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : आप किस उपचार का सुझाव देते हैं?

श्री हरिन पाठक : मैं उपचार सुझा रहा हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : राष्ट्रीयकरण के अलावा और कोई सुझाव आपके पास है ?

श्री हरिन पाठक : क्यों ? राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र हल है।

[हिंदी]

मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे मिल मालिकों पर आप एक्शन लें।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : किस कानून के तहत ?

श्री हरिन पाठक : यह सभा कानून बना सकती है। हमने अनेक कानून बनाए हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिंदी]

श्री हरिन पाठक : हमने यहां पर बहुत कानून बनाए हैं। प्राइवेट रूप से एन. टी. सी. की जमीन को बेचने का, उसके वर्कर्स को दुबारा नौकरी देने व मालिकों को पैसा देने का प्रावधान इसमें है। मैं यह चाहूंगा कि पूरे

गुजरात और देश के कपड़ा उद्योग की जो स्थिति है वह सिर्फ इन दो बिलों से संभलने वाली नहीं है। इसके साथ संलग्न जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनको अमल में लाकर बाकी मिलों को बचाया जाए।

मैं दो-तीन मुद्दे कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप पहले ही 20 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री हरिन पाठक : कृपया मुझे आधा मिनट और दीजिए। मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं पढ़कर सुनाता हूं। छंटनी अथवा मिल के गैर-कानूनी ढंग से बंद होने से जो कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं उनको भुगतान के बारे में यहां कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मिलों के खुले प्रबंध के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों की उसमें प्रभावी भागीदारी हो, ऐसा केवल कागज पर नहीं, वास्तव में होना चाहिए।

[हिंदी]

राम बाबूजी ने कहा है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप लैंड बेचेंगे और मशीनरी बेचेंगे तो राज्य सरकार से कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, केंद्र सरकार का तो है ही लेकिन वर्कर्स का भी कोई प्रतिनिधि होना चाहिए और एक संकलन समिति बनाकर वर्कर्स का रियल पार्टिसिपेशन इसमें रखें तब हम इस उद्योग को बचा पाएंगे। आपने मुझे समय दिया, कुछ बात करने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री शरद दिघे (मुंबई, उत्तर मध्य) : मैं इन दोनों विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1995 का संबंध मेरे निर्वाचन क्षेत्र से है और इसलिए मैं अपना कथन उसी तक सीमित रखूंगा।

महोदय, ये दोनों विधेयक बड़े विलंब से लाए गए हैं। मैं यह मांग करता रहा हूं कि 15 मिलों, जिनमें 13 बंबई में हैं, का राष्ट्रीयकरण किए जाने संबंधी विधेयक सभा में तुरंत पुरःस्थापित किया जाए और पारित किया जाए। प्रश्नों के माध्यम से चर्चा के दौरान और नियम 377 के अंतर्गत तथा शून्य-काल में भी मैं एक वर्ष से यह मांग करता आ रहा हूं कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी विधेयक तुरंत पुरःस्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अंततः यह विधेयक इस सभा में पास किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

इसलिए, मैं अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता। जहां तक राष्ट्रीयकरण का संबंध है विश्व भर में इसके लिए तुरंत कार्यवाही की जाती है और ऐसा अध्यादेश के द्वारा ही किया जाता है। इस मामले में मंत्री महोदय लंबे समय से राष्ट्रीयकरण की घोषणा करते आ रहे थे परंतु काफी समय तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ऐसा एक अध्यादेश के द्वारा किया गया है।

यह विधेयक पिछले सत्र के अंतिम दिन पेश होना था और हम आग्रह कर रहे थे कि इसे सभी नियमों को स्थगित करके चर्चा के लिए लिया जाए। परंतु श्री राम नाईक ने उस दिन इस पर आपत्ति की और कहा कि इसके लिए कोई जल्दी नहीं है तथा मुझे संशोधन पेश करने हैं। इसलिए नियम स्थगित न किए जाएं। इस कारण इसमें विलंब हुआ। यदि अध्यादेश जारी न किया जाता तथा और विलंब किया जाता तो उद्देश्य की पूर्ति को धक्का लगता। जैसाकि हम जानते हैं कपड़ा अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार और श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति द्वारा स्वीकृत आधुनिकीकरण की योजना को शीघ्र लागू करना आवश्यक था, इसलिए इस निर्णय को लागू करना आवश्यक था और जब तक इसे लागू नहीं किया जाता तब तक आधुनिकीकरण नहीं हो सकता है।

मिल बंद हो गए थे या बन्द होने वाले थे जबकि बिना काम के मजदूरी दी जा रही थी। सरकार ऐसा कब तक कर सकती थी ? राष्ट्रीय कपड़ा निगम का घाटा बढ़कर 3790.94 लाख रुपये हो गया था और इन परिस्थितियों में किसी भी सरकार के लिए इन मिलों को चलाना तब तक संभव नहीं था जब तक इनका आधुनिकीकरण ना किया जाए तथा आधुनिकीकरण तब तक संभव नहीं था जब तक इनका राष्ट्रीयकरण न किया जाए। केवल मिल. का प्रबंध हाथ में लेने से उनका आधुनिकीकरण नहीं हो सकता। उनकी फालतू भूमि को बेचा नहीं जा सकता था, उन्हें आपस में एक-दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता था और ना ही उन्हें सक्षम इकाई बनाया जा सकता था।

इसलिए विधेयक के स्थायी समिति के सामने विचाराधीन होने के बावजूद यह कदम उठाना आवश्यक था। श्री राम नाईक का कहना है कि स्थायी समिति और प्रवर समिति का स्तर एक बराबर है परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि दोनों समितियां अलग-अलग नियमों के अंतर्गत कार्य करती हैं। इसलिए अध्यादेश को जारी कर मिलों का तुरंत राष्ट्रीयकरण करना गलत नहीं है। देरी करने से आधुनिकीकरण की लागत और बढ़ जाती। श्रमिक असंतोष भी बढ़ जाता है तथा ये मिल और अधिक रुग्ण हो जाती हैं तथा बी. आई. एफ. आर. द्वारा कुछ कार्यवाही शुरू करने से पहले इन्हें बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है तथा इससे राष्ट्रीय कपड़ा निगम का घाटा भी बढ़ जाता है।

महोदया, जहां तक इन विधेयकों के प्रावधानों का संबंध है वे त्रिपक्षीय समिति के निर्णयों पर आधारित हैं। इस समिति में श्रमिक संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा यह उन्हीं का निर्णय है।

स्थायी समिति के सम्मुख कपड़ा मंत्रालय की ओर से वायदे किए गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उन वायदों की पुष्टि करें ताकि वे वायदे इस सभा में किए जा सकें।

स्थायी समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 25 पर कपड़ा मंत्रालय ने पूरी योजना का जिक्र किया है। मैं उसे उद्धृत करता हूं : "टी. आर. ए. द्वारा बनाई गई आधुनिकीकरण की योजनाओं के अनुसार किसी भी मिल को बंद नहीं किया जाएगा।"

मंत्री महोदय ने यह वायदा अनेक बार किया है परंतु मैं चाहता हूं कि वे आज इसकी फिर पुष्टि करें। केवल रुग्ण मिलों को ही मिलाने की योजना है ताकि अर्थक्षम इकाइयां वजूद में आ सकें। इस प्रकार 36 रुग्ण मिलें आपस में मिलाकर 16 अर्थक्षम मिलें बनाई जाएंगी। इन नई मिलों में कुछ पुरानी मशीनों और कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा। यदि इन मिलों का पुनर्गठन नहीं होता है तो सभी 36 मिलों के बंद होने का खतरा होगा।

स्थायी समिति के सामने यह वायदा भी किया गया था कि केवल फालतू कर्मचारियों से ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश की जाएगी तथा किसी प्रकार की छंटनी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इन वादों को सभा में दोहराया जाए। जहां तक बदली कर्मचारियों का संबंध है वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी समिति के समक्ष किए गए कतिपय वायदों का मैं यहां उल्लेख करता हूं। कपड़ा मंत्रालय में पृष्ठ 26 पर अपने उत्तर में कहा है, मैं उद्धृत

करता हूं : "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की सुविधा अतिरिक्त कर्मचारियों को ही दी जाएगी। बदली कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की सुविधा दी जाएगी। किसी भी मिल को बंद नहीं किया जाएगा।" कपड़ा मंत्रालय की ओर से किए गए ये बड़े ही महत्वपूर्ण वायदे हैं।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए इन सभी वायदों को सभा में दोहराया जाए।

जहां तक प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी का संबंध है, पूर्व लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया जाए और यह आवश्यक बनाया जाए कि प्रबंध बोर्ड में हर स्तर पर कर्मचारियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सहयोजित किया जाएगा।

मंत्रालय ने स्थायी समिति के सामने कहा जो पृष्ठ 12 में पैरा 17(ख) में उल्लिखित है, मैं उसे उद्धृत करता हूं : "बोर्ड के स्तर पर प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में विशेष प्रावधान करना आवश्यक नहीं, क्योंकि यह भागीदारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लागू सरकारी उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित की जाती है।"

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह वायदा भी करें कि ये निर्देश दिए जाएंगे ताकि कर्मचारियों की भागीदारी हर स्तर पर कारगर ढंग से हो सके।

प्रबंध ग्रहण अवधि के संबंध में कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान का मामला कर्मचारियों की दृष्टि में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बंबई की कपड़ा मिलों में 14-1-1982 को हड़ताल हुई थी। प्रबंध ग्रहण अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 28 अक्तूबर 1983 को जारी किया था तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने प्रबंध ग्रहण 20 फरवरी 1984 को किया था। हड़ताल की इस अवधि में अनेक मजदूरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उन्हें कहीं भी खपाया नहीं गया और न ही उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान किया गया। कपड़ा निगम ने कहा कि वह इस भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि इसका भुगतान प्रबंधकों द्वारा किया जाना था। सौभाग्यवश कोहिनूर मिल के संबंध में लेबर कोर्ट से लेकर उच्चतम न्यायालय तक न्यायपालिका ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं समझता हूं 1992-93 की हड़ताल अवधि का भुगतान किया गया था।

श्री शरद दिघे : प्रबंध ग्रहण से पहले की अवधि की मजदूरी का भुगतान उन्हें करना शेष है।

कोहीनूर मिल के मामले में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। कर्मचारी 14-1-1982 को हड़ताल पर गए थे। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने मजदूरी के भुगतान के लिए अपील दायर की थी। उन्हें श्रमिक न्यायालय और बंबई उच्चन्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सफलता मिली। परंतु कपड़ा निगम विशेष अनुमति याचिका के द्वारा इसे उच्चतम न्यायालय में ले गया। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> "इस मामले में प्रबंधन के अंतरण की परिणिति कामगारों के नियोजन के संविदा की समाप्ति में नहीं हुई है'''वस्तुतः हमें आश्चर्य है कि अपीलकर्ताओं को यह रुख अपनाना चाहिए था कि कामगार अपने रोजगार में नहीं थे। जैसा कि आरंभ में उल्लेख किया गया है, 10,002 कामगारों ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया था और अपीकर्ताओं ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था और उन्हें उपदान का भुगतान भी किया गया था। यदि कामगार रोजगार में नहीं थे तो उनके त्यागपत्र स्वीकार करने और उन्हें उपदान का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं था'''चूंकि यह मामला श्रम न्यायालय के समक्ष लंबित है, अतः हम श्रम न्यायालय को इसे निपटाने का आदेश देते हैं।"

अतः न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। परंतु इस विधेयक में कर्मचारियों को देय भुगतान, भविष्यनिधि संबंधी बकाया राशि, वेतन और मजदूरी तथा अन्य भुगतान जो प्रबंध ग्रहण से पूर्व कर्मचारियों को किए जाने थे, श्रेणी (3) के भाग (ख) में रखे गए हैं। मैं चाहता हूं कि इन्हें श्रेणी (1) के भाग (क) में रखा जाए। इसे अन्य राजस्व करों तथा भुगतान आदि के मुकाबले वरीयता प्रदान की जाए। कर्मचारियों की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री द्वारा यह किया जाना चाहिए।

अगला मुद्दा भूमि के निपटान के बारे में है। श्री राम नाईक ने भूमि के निपटान के बारे में अनेक बातें कही हैं। जहां तक फालतू भूमि को बेचने आदि का संबंध है, यह काम अधिकारियों पर ही न छोड़ दिया जाए। इस मामले में खुलापन बरता जाए। इसलिए मेरा सुझाव है कि फालतू भूमि के बारे में निर्णय लेने में उन क्षेत्रों के संसद सदस्यों को भी शामिल किया जाए। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि बंबई में जमीन की कीमत अत्यधिक है और यह संभव है कि अधिकारी अवास्तविक मूल्य पर जमीन बेच दें।

फालतू जमीन के बेचने से प्राप्त धन का उपयोग किसी अन्य कार्य में ना किया जाए। स्थायी समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 25 में कपड़ा मंत्रालय ने भी कहा है "इस बात पर बल दिया है कि इस प्रकार प्राप्त धन का उपयोग कपड़ा निगम द्वारा मिलों के आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण में ही किया जाएगा।"

इसलिए मैं चाहता हूं कि स्थायी समिति के सम्मुख बताए गए इस निर्णय को मंत्री महोदय यहां भी दोहराएं।

4.00 म.प.

जहां तक स्थायी समिति का संबंध है विधेयक संख्या 41 के लिए उसने 6 संशोधनों का सुझाव दिया है, जिन्हें पृष्ठ 34 और 35 पर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करें।

सबसे पहले, विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि :

> "विधेयक में कपड़ा उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण की और विनिर्दिष्ट कपड़ा उपक्रमों के संबंध में स्वामियों के अधिकार, नाम और हित में, प्रथम अनुसूचि में विभिन्न प्रकार के वस्त्र और धागे के उत्पादन को बढ़ाने और वितरण का प्रावधान है ताकि आप जनता के हित में उपयोगी हो सकें।"

इस संबंध में बंबई के राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री गोविंद राम आदिक—जो राज्य सभा के सदस्य भी हैं—की मांग पर समिति ने सुझाव दिया है कि "कर्मचारियों समेत" शब्द जोड़े जाएं। इस प्रकार इसमें "मजदूरों सहित आम जनता के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।" मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

प्रबंधन में भागीदारी के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। समिति ने भी सिफारिशें की हैं और मंत्रालय ने कुछ वायदे भी किए हैं।

जहां तक खंड 16 का संबंध है, समिति ने सुझाव दिया है कि एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारियों की सेवा में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। मैं संबद्ध उपबंध को पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है : "जब किसी कपड़ा उपक्रम या उसके किसी भाग का इस अधिनियम के अंतर्गत किसी सहायक वस्त्र निगम में अंतरण किया जाता है तो धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में उल्लिखित कोई व्यक्ति, ऐसे अंतरण के दिन और तारीख से सहायक वस्त्र निगम का कर्मचारी बन जाएगा।" कि यह स्पष्ट किया जाए कि निरंतरता बनी रहेगी। कर्मचारी को दूसरी इकाई में स्थानांतरित ही नहीं किया जाएगा वरन् जो सेवा उसने दूसरी इकाई में की है उसे भी वर्तमान सेवा में जोड़ा जाएगा। स्थायी समिति का भी यही सुझाव है और मैं पूर्णतः इसका समर्थन करता हूं।

जहां तक खंड 20 का संबंध है यह सुझाव दिया गया है कि भुगतान का दावा आयुक्त के सामने एक निश्चित तिथि के बाद 30 दिन के अंदर किया जाए। मैं समझता हूं कि 30 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है तथा इसे बढ़ाकर स्थायी समिति के सुझाव के अनुसार 180 दिन किया जाए।

अंत में अधिग्रहण अवधि से संबंधित खंड 27(1) और (2) के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि इसे भाग क, श्रेणी I में रखा जाए।

इसलिए यदि इन सुझावों पर विचार किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह एक त्रुटिहीन विधेयक होगा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा। इससे उस उद्देश्यों की भी पूर्ति होगी जिसके लिए हम इन कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं।

मैं एक बार फिर इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय को इसके लिए बधाई देता हूं तथा चाहता हूं कि यह विधेयक आज यथाशीघ्र पास किया जाए।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह विधेयक संसद के सामने एक साल पहले लाया जाना चाहिए था। यह विलंब सरकार के इसे पेश नहीं करने की इच्छा के कारण हुआ है। ऐसा सरकार की जन-विरोधी नीतियों के कारण हुआ है जो सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध है तथा जिसके परिणामस्वरूप देश के महत्वपूर्ण क्षेत्र की दशा बिगड़ती जा रही है। सरकार की इसी नीति के कारण इस विधेयक के पेश किए जाने में रुकावट आई है जबकि इसे एक वर्ष पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। तथापि, विधेयक काफी इंतजार के बाद आज सभा के समक्ष विचारार्थ रखा गया है। इस संदर्भ में, मैं सामान्य नीति के दूसरे पहलू का उल्लेख करता हूं। विगत वर्षों के दौरान मिलों से राष्ट्रीयकरण हटाना और विनिवेश सरकार की नीतियां रही थी। सरकार की नीति अपविक्रय की थी। अब कुछ इसी प्रकार की स्थिति इस क्षेत्र में पैदा हो गई है।

मैं कपड़ा मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस षड़यंत्र को पहचाना, जिसमें हम फंसे हुए हैं और उन्होंने यह ठीक ही समझा कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम का आधुनिकीकरण किया जाए, भले ही वह यूरोप या अमेरिका के स्तर का न हो परंतु देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इसी उद्देश्य से एक समिति स्थापित की गई। समिति ने समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार किया और अंत में श्रम विभाग के अंतर्गत गठित एक विशेष त्रिपक्षीय समिति ने उपसमिति की उन सिफारिशों को माना जिनमें आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है। कपड़ा निगम 16 मिलों का प्रबंध ग्रहण कर उनका काम-काज देख रहा था। 15 मिलें अब भी कपड़ा निगम के पास हैं तथा दुर्भाग्यवश पश्चिमी बंगाल की मोहिनी मिल का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। संभवतः यह सरकार की उपक्रमों को बेचने, अनधिसूचित करने और अपनिवेश करने संबंधी प्रयोग की शुरुआत थी, जिसका पहला शिकार मोहिनी मिल हुई। इस संबंध में अनेक प्रतिनिधिमंडलों ने मंत्री महोदय, सचिवों तथा संबंधित व्यक्तियों से मुलाकात की। कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी एक मामला चल रहा है। ऐसा कहा गया कि इस मामले को वापस ले लिया जाएगा और विवाद को सुलझा लिया जाएगा। जब एक समझौते की बात हो रही थी उस समय भी ऐसा ही कहा गया। परंतु यह कारगर नहीं हुई। इस प्रकार मोहिनी मिल कर्मचारियों तथा आम लोगों के साथ भेद-भाव बरता गया। इस प्रकार का राजनैतिक, क्षेत्रीय तथा अन्य रूप में भेद-भाव किए जाने के बावजूद मैं शेष 15 मिलों के राष्ट्रीयकरण के आड़े नहीं आऊंगा। अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा कि 13 मिलें अमुक-अमुक अधिनियमों, 2 मिलें अमुक-अमुक अधिनियमों तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत हाथ में ली गईं। यह बड़ी ही लचर दलीलें हैं। तथापि शेष 15 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की अधिग्रहण शर्तों के अनुसार यह उसके अंतर्गत राष्ट्रीयकृत कंपनी रहेगी। अब वे कपड़ा निगम का अंग बन जाएगी। विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है, इसलिए कपड़ा निगम का आधुनिकीकरण का कार्यक्रम अन्य मिलों के समान इन 25 मिलों पर भी लागू होगा।

वाणिज्य और कपड़ा संबंधी स्थायी समिति में चर्चा के दौरान हमने कुछ अति महत्वपूर्ण सुझाव दिए जो श्री शरद दिघे ने पहले भी दिए हैं। मैं दोहराता हूं कि प्रस्तावना में 'कर्मचारी' शब्द जोड़ा जाए। हम उसमें विधेयक के खंड 16 से सहमत थे। खंड 16 में कहा गया है :

> "जहां किसी कपड़ा उपक्रम या उसके किसी भाग का इस अधिनियम के अंतर्गत किसी सहायक निगम में अंतरण होता है तो धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में उल्लिखित कोई व्यक्ति ऐसे अंतरण के दिन और तारीख से सहायक वस्त्र निगम का कर्मचारी बन जाएगा।"

मुद्दा यह है कि इसमें सेवा की निरंतरता का उल्लेख नहीं किया गया है। पूर्व के अधिनियमों में उपबंध थे जहां औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के 18(कक) के अंतर्गत, जो उस समय प्रदत्त था, सेवा की निरंतरता की गारंटी दी गई थी। जब धारा 18 (घ क) के अधीन इसका अधिग्रहण किया गया, निरंतरता की गारंटी नहीं दी गई थी। सेवा में निरंतरता नहीं रही। इस तरह का कोई जिक्र इसमें नहीं है। उसे मालूम नहीं कि क्या यह निरंतरता स्वतः ही बनी रहेगी। इसलिए एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारियों की सेवाओं की निरंतरता बने रहने की बात स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए।

विधेयक का खंड 20 आयुक्त के समक्ष दावे पेश करने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि :

> "हर व्यक्ति जिसका वस्त्र उपक्रम के मालिक के पास कोई दावा है, वह ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तिथि से तीन दिन के अंदर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बशर्ते की यदि आयुक्त को यह समाधान हो जाता है कि दावाकर्ता को उक्त तीस दिनों के अंदर दावा करने के पर्याप्त कारणों से रोका गया था, तो वह तीस दिनों के अंदर अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है लेकिन उसके बाद नहीं।"

लेकिन इसके बाद नहीं शब्द अनावश्यक हैं। इसके बाद भी भुगतान आयुक्त यदि इसे ठीक समझता है तो ऐसा कर सकता है। मैं दावे के लिए कोई समय-सीमा रखे जाने से सहमत नहीं हूं। श्री शरद दिघे ने एक सौ

अस्सी दिन का सुझाव दिया है। मेरा कहना है कि कर्मचारियों को यह भुगतान प्रबंध ग्रहण के पहले के समय का है। यह अधिग्रहण करने के बाद की देयता नहीं है। अधिग्रहण की अवधि की बाद की जिम्मेदारी राष्ट्रीय वस्त्र निगम की है, यह अवधि जब इसका प्रबंधन राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पास था। मैं समझता हूं कि इसका उपबंध में स्पष्ट उल्लेख है। क्या इसे और स्पष्ट करने का कोई सुझाव आया है तो मैं उससे सहमत हूं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व अधिग्रहण के बाद की अवधि की जिम्मेदारी राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा ली जाएगी। जिसको जो देय है, उन्हें इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। अधिग्रहण से पूर्व की देयता की जिम्मेदारी भुगतान आयुक्त की है जो राष्ट्रीयकृत संपत्ति के बदले में क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करेगा। अतः, इस मामले में साठ दिन की अवधि बहुत ही कम है। तब तक, कई लोग मर चुके होंगे और उनका पता लगाना होगा और कई अन्य बातें हैं जिन्हें मालूम करने के लिए काम करना होगा यदि उचित व्यक्तियों को ही भुगतान करना है तो, इन उपबंधों के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जोड़ी गई हैं।

कतिपय और संशोधन हैं—इसका तकनीकी भाग—जिसका ध्यान रखना होगा जैसे 'में' को 'सैल' द्वारा या 'बिल' को 'सैल' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, श्री राम नाईक ने कुछ अन्य संशोधन प्रस्तुत किए हैं। क्या हम इन पर चर्चा बाद में करें ? क्या मैं संशोधन भाग पर अभी बोलूं या जब आप संशोधनों पर चर्चा करेंगे ?

सभापति महोदय : आपको संशोधनों पर चर्चा के समय बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री तरित बरण तोपदार : तब मैं इस पर बोलूंगा। मैंने कहा था कि सरकार बड़ी आनाकानी के बाद इस विधेयक को लाई है। मैं जानता हूं कि इसमें अनेक बाधाएं थीं। यह विधेयक पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए विचाराधीन था। तब भी इसे पंद्रह मिलों के राष्ट्रीयकरण संबंधी विधेयक के रूप में लाया गया। मैं इस विधेयक का व्यवहारिक आधार पर और राजनैतिक आधार पर समर्थन करता हूं, क्योंकि यह ऐसे समय में लाया गया है जबकि राष्ट्रीयकरण समाप्त करने की हवा चल रही है।

[हिंदी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने सदन के सामने रुग्ण कपड़ा मिल उपकरण राष्ट्रीयकरण विधेयक तथा कपड़ा मिल उपकरण राष्ट्रीयकरण विधेयक प्रस्तुत किए हैं। जिस सोच से मंत्री महोदय ने ये बिल प्रस्तुत किए हैं, निश्चित रूप से इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है।

मैं सबसे पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि सदन के अधिकार और अहमियत को भी समझा जाना चाहिए। इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पहले अध्यादेश लाकर सदन की महत्ता को कम करने का काम किया गया है, इस पर मैं चिंता जाहिर करता हूं। इस महत्वपूर्ण और कांस्ट्रक्टिव विधेयक को सीधे सदन में प्रस्तुत किया जाता और मुझे विश्वास है कि सब माननीय सदस्य इसका समर्थन करते। मेरा निवेदन है कि भविष्य में आर्डिनेंस के माध्यम से विधेयकों को लाकर सदन की महत्ता को कम करने का काम न किया जाए। इस तरह से सदन के सदस्यों की भी अवमानना होती है।

दूसरी बात यह है कि स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पिछले दिनों सदन में प्रस्तुत की है, जिसके पैरा 13 में दिखाया गया है कि उच्चतम न्यायालय में मिलों की जमीन और उपकरण बेचकर माडर्नाइजेशन करने का एक मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिलहाल रोक लगाई हुई है। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को देखते हुए मंत्री महोदय ने कैसे इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जवाब देते समय इस बात को स्पष्ट करने का काम करेंगे।

एक बहुत बड़ी बात यह है कि 1994 से मिलों का राष्ट्रीयकरण होना शुरू हो गया था और अब तक लगभग 123-124 मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया गया है।

4.25 म.प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

21-22 सालों में एन. टी. सी. के अंतर्गत जो मिलें कार्यरत हैं, उसमें घाटा ही घाटा है। जो घाटा आंका गया है, वह घाटा 3652.64 करोड़ रुपए का है। मैं नहीं समझता की 21 साल पहले की स्टेज में मिलों को चलाने में एन. टी. सी. को दिक्कत हुई होगी। मगर 21 वर्ष के अनुभव के बाद भी एन. टी. सी. में इतना घाटा हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इस पर सरकार ने कुछ स्टेप लिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस घाटे को पूरा करने तथा मिलों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए क्या कारगर उपाय हैं, यह मंत्री जी को बताने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इस विधेयक के माध्यम से मिलों की जमीनों को बेचने का प्रस्ताव है। आप मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, मगर जमीन बेचकर कैसे सुव्यवस्थित ढंग से कौन-कौन सी मशीनरी लगाएंगे, कैसे इसकी व्यवस्था करेंगे जिससे कारगर ढंग से मिल फिर काम कर सकें, इसपर आपने कोई ठोस विचार नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि आपके मन में जो विचार है, जो इच्छा है, आप चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन करके मिलों को पुनः चलाएं और इतने सालों से जो मिलें बेकार पड़ी हैं, जो सैकड़ों-हजारों की संख्या में मजदूरों के हाथ बेकार हो गए हैं, उनको आप काम देना चाहते हैं, मिलों को पुनः सुव्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते हैं, घाटे को कम करना चाहते हैं तो इसका भी ठोस उपाय आपको बताना चाहिए था जो आपने इसमें बताने का काम नहीं किया है।

सभापति महोदय, सरकार को चाहिए था कि मजदूरों की यूनियनों से वार्ता करें। आपने जरूर कुछ मजदूर यूनियनों से वार्ता करने काम किया है, मगर इसका पिक एंड चूज क्या है ? सभी मिलों में जो यूनियनें हैं, उनसे आपने वार्ता नहीं की है और जब तक आप उनको विश्वास में नहीं लेंगे, उनसे चर्चा करके आप कोई ठोस उपाय निकालने का काम नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जो त्रिपक्षीय समिति थी। इसके माध्यम से बात करके इस पर कोई ठोस उपाय करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि कई यूनियनों ने प्रोटेस्ट किया है कि सरकार ने हमारे पास वार्ता करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि आप अपने उद्देश्य की पूर्ति इस विधेयक के माध्यम से नहीं करा पाएंगे। इसलिए जिन मजदूर यूनियनों को आपने विश्वास में लेने का काम किया है, उन मजदूर यूनियनों के साथ फिर वार्ता करके, उनको विश्वास में लेकर ठोस कारगर कदम उठा सकें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे देश के पैमाने पर बहुत सारी जमीन है जहां विभिन्न प्रकार की मिलें बंद पड़ी हुई हैं। उनकी जमीन आप बेचना चाहते हैं। निश्चित तौर पर बिहार में

गया कोल मिल है, बंबई में है, गुजरात में है। और कई अन्य प्रदेशों में जो जमीन बेचकर मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं उनकी जमीन बेचने का अपना-अपना रेट होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि किस तरह से जमीन बेचेंगे और उसमें कैसे कंट्रोल रहेगा। विभिन्न राज्यों व हिस्सों में जो जमीनें हैं उनकी अलग-अलग रेट है और इस रेट को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे वह जमीन बिकेगी, यह आपने इसमें नहीं दिया है। आप एक ऐसी कमेटी बनाएं जो ठीक ढंग से देखकर जमीन का मूल्य निर्धारित करे और यह देखे कि बेचने वाली जो संस्था है या बेचने वाले जो लोग हैं वे कोई भ्रष्टाचार न कर पाएं। इसलिए उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक समिति का निर्माण करना चाहिए जिससे आपका उद्देश्य पूरा हो सके।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप जमीन बेचकर जो मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं उसके बजाय जो बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की राशि बकाया है वह राशि भुगतान करें। जो एन. टी. सी. के अधिकारी व प्राधिकारी हैं वे मजदूरों का बकाया पैसा नहीं देते। अगर उनको सही ढंग से नियंत्रित रखने का काम नहीं किया, मजदूर लंबे अर्से से बीमार पड़ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनके बाल-बच्चे भूखे मर रहे हैं और ऐसी स्थिति में अधिकारियों द्वारा उनकी भविष्य निधि, वेतन का बकाया भुगतान का समय में कारगर नियंत्रण न रहा तो मजदूर परेशान और बदहाली में रहेगा। मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी मजदूरों को परेशान करने का काम करते हैं उन पर नियंत्रण हो और भ्रष्टाचार कम हो, इसके लिए आप प्रयास करने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो और सुझाव देना चाहता हूं। यह अच्छी बात है कि आप मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं लेकिन कौन-सी ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं, कौन-सा आप उसका पुनरुद्धार करना चाहते हैं, कौन-सी मिलों का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं उस पर प्रकाश नहीं डाला है जो इस बिल के माध्यम से सामने नजर आएंगे।

मेरा एक और निवेदन है। सहकारिता के माध्यम से आप इन मिलों को चलाएं ताकि सभी पक्षों के लोग इसमें ठीक ढंग से अपना सहयोग करके उस मिल को ढंग से चलाएं और वे घाटे में न आएं। मजदूरों की भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, सरकार की भी भागीदारी हो। इस तरह से कापरेटिव बनाकर उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह एक कारगर कदम होगा, क्योंकि जब तक मजदूरों की भागीदारी नहीं होगी तो उनका कलेक्शन नहीं बढ़ेगा। उनको लगेगा कि यह प्रोपर्टी मेरी भी है, उसके लाभ और घाटे से उनको भी लाभ और घाटा होगा। इसलिए यह कदम मंत्री जी उठाएं तो निश्चित रूप से इस विधेयक के माध्यम से जो आपका व्यू है उसमें आप कारगर कदम उठा सकेंगे। इन स्टेप्स को उठाने से कारगर स्थिति आपकी बन सकती है। आज बहुत-सी एन. टी. सी. मिलों में दुर्दशा हमें देखने को मिलती है, कहीं बिल्डिंग खत्म हो चुकी है, कहीं सब मशीनरी बेकार पड़ी हुई है। जो मशीनें जर्जर स्थिति में हैं, वहां रुपया इन्वेस्ट करके, राशि खर्च करके उन्हें सही ढंग से चलाने का काम होना चाहिए। जहां आप जमीन बेचेंगे, उससे जो राशि आपको मिले, वह निश्चित तौर पर मिलों के मॉडर्नाइजेशन के काम पर खर्च हो, उनके संचालन पर खर्च हो, इस संबंध में आपने कोई कारगर प्रस्ताव या सुझाव इसमें नहीं रखा है। मेरा सुझाव है कि इस राशि का उपयोग मिलों को सही रूप से चलाने के लिए हो और जो मिलें बंद पड़ी हुई हैं, उनमें वह पैसा खर्च हो। जब मंत्री जी चर्चा का उत्तर दें तो मेरा निवेदन है कि इस बिंदु पर प्रकाश डालें और हमें आश्वस्त करें कि किसी भी रूप में पैसे का डाइवर्जन नहीं होगा।

श्री जी. वेंकट स्वामी : बिहार में दो मिलें बंद पड़ी हुई हैं, उनके बारे में कैसे करेंगे।

श्री राम कृपाल यादव : मेरा कहने का मतलब है कि जब आप मॉडर्नाइजेशन करेंगे, तो इस पैसे का उपयोग बंद मिलों को चालू करने के लिए होगी, बाहर के किसी दूसरे काम पर इस पैसे को खर्च नहीं किया जाएगा, इससे जो आमदनी होगी, उसका उपयोग मिलों को पुनः चालू करने के लिए और जो कामगार बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन्हें काम देने के लिए खर्च किया जाएगा। किसी तरह पैसे का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

अभी मंत्री जी कह रहे थे कि एन. टी. सी. में जितने कामगार हैं, हम उनका भुगतान कर रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं मगर मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बिहार में एन. टी. सी. के जितने मार्केटिंग के एम्पलाइज हैं, उन्हें एक साल से वेतन नहीं दिया जा रहा है। कलकत्ता जोन जहां-जहां कंट्रोल करता है, वहां सब जगह वेतन दिया जा रहा है मगर बिहार के प्रति उसका पता नहीं क्या दुराग्रह है या पूर्वाग्रह है कि वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। वहां के कर्मचारी आपसे मिले थे और आपको एक ज्ञापन भी दिया था।

श्री जी. वेंकट स्वामी : आपके पास 17 नेशनल टेक्सटाइल शौप्स हैं और सभी नुकसान में जा रही हैं। मुझे आपकी शौप्स को देखने का मौका मिला है और उन्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम उन पर नेशनल वैल्थ खराब कर रहे हैं। हमारे देश में बिलो पावर्टी लाइन रहने वाले लोगों का पैसा जुटाकर वहां दे रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं, यह कहां का तरीका है। आप उसके कारणों को जांचने की कोशिश करिए। हम वेतन नहीं दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि किसी शौप में कर्मचारियों को तनख्वाह न मिली हो तो हमें बताइए, मैं आपको रिपोर्ट लेकर देता हूं कि मिली है या नहीं मिली है।

श्री राम कृपाल यादव : मैं डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट लेकर आपको दूंगा। मैंने आपको पत्र लिखा है कि सभी शौप्स में आपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया है। उनकी यूनियन के लोग आपसे मिले थे और आपको ज्ञापन भी दिया था। मैंने भी पत्र लिखा था कि बिहार की 17 शौप्स के गरीब कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। आप कर्मचारियों के हित में काम करते हैं, आप उनके रहनुमा हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि बिहार की 17 शौप्स के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कराएं। आज वहां की शौप्स को एन. टी. सी. मिल की तरफ से कपड़ा भी नहीं दिया जा रहा है जिससे कि प्रोफिट कमाकर वे अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर सकें। आज 17 में से किसी दुकान को कपड़ा नहीं दिया जा रहा है। मंत्री जी, आप कृपा करके बिहार के प्रति दुराग्रह को छोड़िए और ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि बिहार की जनता को एन. टी. सी. मिलों से कपड़ा मिल सके। मैं जानता हूं कि आपके दिल में गरीबों के प्रति दर्द है। मैंने आपकी नॉलेज में सारी जानकारी लाने का काम किया है और इसके आधार पर आप कुछ उत्तम स्टैप्स उठाइए।

श्री जी. वेंकट स्वामी : आपका जो रिप्रेजेंटेशन आया है, वह गलत है। वहां सब पेमेंट हो चुका है। आप कैसे बोल रहे हैं ?

श्री राम कृपाल यादव : हमारे यहां पटना में कई शौप्स पर पेमेंट नहीं हुआ है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं कह रहा हूं। मेरे पास रिपोर्ट है। यदि मैंने

कुछ गलतबयानी की है तो आप मुझे सजा दीजिए लेकिन अगर आप गलत कह रहे हैं तो बताइए।

श्री राम कृपाल यादव : मंत्री जी, मैं आपसे मिल लूंगा। इन सुझावों के साथ मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि मेरे सुझावों के आधार पर आप रुग्ण मिलों को पुनः चालू करने का काम करें।

जिस उद्देश्य से आप इस विधेयक को लाए हैं, यह स्वागतयोग्य कदम है।मगर आइंदा ये ठीक ढंग से काम कर सकें, मैं यही निवेदन करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि हम लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उन पर आप विचार करेंगे और जो बातें हमने रखी हैं, उनका भी जवाब देने का काम करेंगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, अगर हम कपड़ा उद्योग को देखें और प्रपत्रों पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये विधेयक एक विडंबना है। कपड़ा उद्योग प्रगति कर रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, निर्यात में वृद्धि हो रही है, हम और अधिक कोटे की मांग कर रहे हैं परंतु कपड़ा मिलें बंद हो रही हैं तथा कुछ वर्ष पहले राजनैतिक दबाव के अंतर्गत यह उपचार सुझाया गया था कि जब भी कोई मिल रुग्ण हो उसका अधिग्रहण कर लिया जाए और यदि फिर भी वह रुग्ण रहे तो उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। परंतु यह सुझाव कारगर सिद्ध नहीं हुआ। इसके बावजूद हमने फिर उसी उपचार का सुझाव दिया है। उदारीकरण के इस युग में जिसे निजीकरण का युग भी कहा जा रहा है, मंत्री महोदय स्वयं यह कहते हैं कि वे और अधिक मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। इससे लगता है कि उनका ध्यान न तो उद्योग की ओर है और न ही समस्या के समाधान की क्षमता की ओर है वरन् उनका ध्यान कहीं और ही है। उनका ध्यान कुछ संसाधन जुटाने की ओर है। सरकार और विपक्ष के बीच इस समय जो संघर्ष चल रहा है वह यह है कि इन संसाधनों से प्राप्त धन का उपयोग किस प्रकार किया जाए। सभापति महोदय यह धन भारत की समूची जनता का धन है। यह किसी एक राज्य मिल, सरकार, राजनैतिक दल अथवा किसी एक मजदूर संघ का रुपया नहीं है। अतिरिक्त भूमि के बेचे जाने से मिलने वाली राशि का उपयोग समूचे भारत में उद्योग स्थापित करने पर किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अतिरिक्त भूमि।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अतिरिक्त भूमि से मिलने वाली राशि। पैसे की समस्या कभी पैदा नहीं हुई।

[हिंदी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अगर आप नहीं चाहते तो नहीं करेंगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं यह नहीं चाहता हूं कि नहीं करें, लेकिन मुझे यह डाइलेमा समझ में नहीं आता है।

[अनुवाद]

पैसा अतिरिक्त भूमि से आएगा। हम सभी इस समस्या को बड़े संकीर्ण दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सरकार ने अभी तक कपड़ा नीति के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। वे यह नहीं जानते कि कपड़ा उद्योग को सरकारी नियंत्रण में रहना चाहिए अथवा इसका निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। सभापति महोदय, लगभग 10 साल पहले मैंने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार बिना सोचे-समझे किया जा रहा है। वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत अधिग्रहण को केवल मुख्य उद्योगों तक सीमित रखने की अपेक्षा अब तक यही होता आ रहा है कि किसी भी उद्योग का अधिग्रहण करके उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली गई है। उसी का परिणाम हम इस समय भुगत रहे हैं।

सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा किसी कपड़ा मिल को अपने हाथ में लेने और उसको चलाने के पीछे मैं कोई उद्देश्यपूर्ण कारण नहीं देखता। इस देश में कपड़ा मिलों को चलाने के लिए पर्याप्त टेक्नालॉजी, प्रबंध कुशलता अनुभव और क्षमता है। इस देश के लोग विश्व भर की मिलों को चला सकते हैं। इन्हें चलाने के लिए हमें किसी मंत्री की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के छोटे-छोटे उपायों से समस्या हल नहीं होगी। मंत्री महोदय जो विधेयक आपने पेश किया है वह भी आधा-अधूरा है। आपने इसमें अहमदाबाद की अनेक मिलों को छोड़ दिया है। इसका क्या कारण है ? आप सभी मिलों के संबंध में एक-सा मापदंड क्यों नहीं अपनाते ? आपको चाहिए कि सभी मिलों का प्रबंध अपने हाथ में ले लें, उस कुछ मिलों तक ही क्यों सीमित रखें ? क्या ये राजनैतिक दृष्टि से अन्य के मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण है ?-मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जूट मिलों का क्या हुआ ? वहां आपने श्रीमती गांधी द्वारा शिलान्यास किए जाने के बाद दस वर्ष से एक पैसा नहीं खर्च किया है। बिहार की जूट और कपड़ा मिलों का क्या हुआ ? उनकी किसी ने कोई चिंता नहीं की है।

इसलिए अब आप एक फैसला करें कि राष्ट्रीयकरण करना है या निजीकरण करना है। यदि आप संसाधन जुटाना चाहते हैं तो रुग्ण मिलों को सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दीजिए। आप एक कानून पास कर निजी कंपनियों को अतिरिक्त भूमि को बेचने की अनुमति देकर उन्हें संसाधन जुटाने दें। यदि आप इस कानून के द्वारा भूमि को बेचने का अधिकार पाना चाहते हैं तब उसी कानून के द्वारा निजी मिलों को भी अतिरिक्त भूमि बेचने की अनुमति प्रदान करें और तब उन्हें उससे होने वाली आमदनी को मिल की स्थिति सुधारने में लगाने को बाध्य करें। परंतु आपने गलत रास्ता चुना है। आप पहले उनका राष्ट्रीयकरण करते हैं फिर भूमि को बेचकर पैसा प्राप्त करते हैं और फिर आपको बाध्य किया जाता है कि यह राशि और कहीं नहीं लगाई जा सकती। इसका उपयोग इसी प्रयोजनार्थ होना चाहिए।

मैं श्री नायक और अन्य मित्रों की इस बात से सहमत हूं कि जिन लोगों को भुगतान नहीं किया गया है उन्हें उसे किसी भी सरकार, प्रशासन अथवा प्रबंधन से इसे पाने का पहला हक है। यदि किसी ने आपके लिए काम किया है और वह आपके यहां नौकरी पर रहा है तो उसे पहले भुगतान किया जाना चाहिए। आप सभा के सामने यह स्पष्ट करें कि आप करना क्या चाहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस युग में, जिसमें आप कहते हैं कि हमने नये द्वार खोले हैं और जो स्वर्णयुग कहा जाता है, आप कपड़ा उद्योग का कैसा भविष्य देखते हैं। क्या यह उद्योग सरकारी क्षेत्र में होगा या निजी क्षेत्र में ? इन कपड़ा मिलों का आप क्या करेंगे ? क्या आप इन्हें एक-एक करके बेच देंगे या जैसे-जैसे मिलें रुग्ण होती जाएंगी वैसे-वैसे उनका प्रबंध अपने हाथ में लेते जाएंगे तथा उन्हें व्यवस्थित करके फिर निजी क्षेत्र को बेच देंगे ?

चर्चा के दौरान मैं यह देख रहा था कि हम समस्या के मूल कारण की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मिलें 100 साल पुरानी हैं। हम कपड़ा उद्योग में विश्व भर में सबसे चोटी पर थे और संभवतः आज भी हम चोटी पर हैं।पर क्या आपने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि अब नई प्रौद्योगिकी आ गई है। शक्तिचालित करघों का एक नया क्षेत्र मैदान में आ गया है, जो प्रगति पर है। स्थिति यह है कि उत्पादन इन करघों पर हो रहा है और बिक्री मिल कर रहे हैं। मिल बंद पड़े हैं, पर फिर भी निर्यात कर रहे हैं।

ये करघे मिलों के आर्डर पूरे कर रहे हैं। इन सब बातों की ओर से आप आंख मूंदे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप फिर वही पुराने और घिसे-पिटे उपाय कर रहे हैं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : इसे रोकने के लिए कृपया आप अपने सुझाव दें।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : सरकार अपने आप में पक्का होकर हमें अपनी नई नीति के बारे में बताएं और यह समझाएं कि वह क्या करना चाहती है। मेरा कहना है कि सरकार तदर्थ निर्णय न ले, उसे हर मिल के बारे में अलग-अलग निर्णय नहीं लेने चाहिए। आपके पास अनेक विकल्प हैं। यदि आप केवल भूमि बेचना चाहते हैं तो ठीक है, परंतु कुछ ऐसी इकाइयां हो सकती हैं जिन्हें श्रमिक संघ की अनुमति से ही बेचना होगा। इसीलिए हम यह कह रहे हैं कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। छंटनी के बारे में आपकी अनेक नीतियां हैं। इस समय आप दुविधा की स्थिति में हैं। आप उद्योग का निजीकरण करना चाहते हैं, परंतु आप में ऐसा करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उससे आपको भय है कि चार लाख लोग सड़क पर आ जाएंगे और आपका घेराव करेंगे। आपकी सरकार ऐसी सरकार है जिसकी कोई नीति नहीं है, जिसमें कोई नैतिक शक्ति नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि पहले आप अपने आप में स्पष्ट बनिए। जब तक आपके कारखाने सक्षम नहीं होंगे इन्हें बेचना होगा, यदि मिलों का आधुनिकीकरण किया जा सके तो उनकी कुछ परिसंपत्तियों को बेचकर उनमें नई टेक्टनालॉजी का उपयोग करें। मिलों को सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेचें। ऐसा तब करें जब उनकी हालत अच्छी हो जाए, ताकि उनकी अच्छी कीमत मिल सके। अनेक देशों में ऐसा किया गया है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : बिकने के बाद भूमि किसके पास जाएगी ?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आप जो भूमि बेचेंगे वह निजी लोगों के पास भी जा सकती है। अनेक राजनैतिक दलों के नेता भूमि बेच रहे हैं और उनके बेटे और भतीजे 4 से 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के भाव उसे खरीद रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता···(**व्यवधान**) मेरा उनसे कहना है कि आप समस्या के समाधान को खोजें। यदि आप मौजूदा कार्य-प्रणाली को अपनाते हैं तो मेरा कहना इतना ही है कि जो भी संसाधन आप पैदा करें भारत के समूचे उद्योगों के सुधार में लगे या कम-से-कम समूचे कपड़ा उद्योग के सुधार में लगे, किसी एक कारखाने पर यह व्यय न किया जाए। मेरे मित्र श्री रामनायक ने लगता है एक कारखाने का सुझाव दिया था परंतु यह उचित नहीं होगा। आप इस बात का पक्का निर्णय लें कि कपड़ा उद्योग को सरकारी क्षेत्र में रखना चाहते हैं या नहीं। मैं यही दो सुझाव देना चाहता हूं।

मेरा अंतिम सुझाव है कि मिलों को बेचते समय कृपया विदेशी हितों और विदेशी कंपनियों को कम-से-कम उस क्षेत्र में आने की अनुमति न दें जहां हमारी सौ वर्षों की प्रौद्योगिकी का अनुभव है और जिसके उत्पादन पूरे विश्व-भर में बेचे जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे ये उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बिक रहे हैं जैसा आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। कम-से-कम यह ऐसा अंग है जहां हमें विदेशी प्रौद्योगिकी या विदेशी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आप स्वयं ही विधेयक में स्वीकार कर रहे हैं, कदाचित् पर्याप्त संसाधन देश के भीतर ही पैदा किए जा सकते हैं।

इस प्रकार मेरे ये तीन सुझाव हैं। सर्वप्रथम हमारी स्पष्ट नीति होनी चाहिए क्योंकि इससे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक कदम आगे और दो कदम पीछे जा रहे हैं। यह भ्रामक है। हमें यह मालूम नहीं है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा उस लाइन पर चल रहे हैं जो आपने विधेयक में अपनाई है जिसमें आपने केवल 15 मिलों का उल्लेख किया है, कृपया यह ध्यान रखें कि जो भी संसाधन आप पैदा करते हैं उसे कम-से-कम संपूर्ण वस्त्र उद्योग को उपलब्ध कराया जाए और उद्योग के सर्वोत्तम हित में उसका उपयोग किया जाए। वस्तुतः एक नया कोष सृजित किया जाना चाहिए, वस्त्र पुनर्वास कोष, जिसमें श्रमिक वर्ग से संबंधित सभी देयताओं के भुगतान के बाद क्योंकि यही वैधानिक, उचित और नैतिक प्रभार और सबसे पहला प्रभार है, इसके बाद जो धनराशि शेष रह जाती है उसे उक्त कोष में जमा कर दिया जाए। तीसरा इस क्षेत्र में आप जैसे चाहें निजीकरण करें लेकिन इसे विदेशी कंपनियों के सुरक्षित मत बनाएं।

[हिंदी]

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, आप चेयर पर बैठे हैं, मेरे क्षेत्र में तो 8 मिलें बंद होने वाली हैं और आपके क्षेत्र में भी पांच मिलें बंद होने वाली हैं, 8 + 5 = 13 नेशनलाइज्ड मिलों का यह जो मॉडर्नाइजेशन करने जा रहे हैं, उनमें से 8 मिल्स मेरे क्षेत्र में है और पांच मिल्स आपके क्षेत्र में हैं, इसलिए आप मुझे जरा ज्यादा बोलने का मौका दीजिए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

हमारे वस्त्र मंत्री, जो मजदूर थे, उन्होंने इन मिलों को पब्लिक सेक्टर में रखने के लिए कोशिश की है, राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की है, मैं विपक्ष में होने के बावजूद भी वेंकटस्वामी जी और नरसिंह राव जी का इसके लिए खुले आम अभिनंदन करता हूं।

लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए कि यह मिलें क्यों बंद हुईं। आज मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि टेकन ओवर मिल्स के साथ जो एन. टी. सी. की 124 मिल्स हैं, उनके लिए सरकार ने सिर्फ एक करोड़ रुपया मिल चलाने के लिए दिया है, लेकिन 300 करोड़ रुपया आपने मजदूरों को मिल के बाहर करने के लिए, वालेंटरी रिटायरमेंट स्कीम (वी. आर. एस.) में जाने के लिए दिया है। यानि मिल के बाहर लोगो को फेंकने के लिए, मजदूरों को फेंकने के लिए इस सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन 124 मिलों को चलाने के लिए इस सरकार ने पैसा नहीं दिया, यह आपने ही कहा।

पिछले साल मैंने इसी सदन में अनशन किया था तो मंत्री महोदय ने कहा था कि एन. टी. सी. के 1,75,000 वर्कर्स में से 36,000 वी. आर. एस. में गए। वह वी. आर. एस. नहीं है, वह फोरसीबली रिटायरमेंट स्कीम है। कोई आदमी खुद नहीं जाता है, वह मजदूर होता है, उसको लगता है कि अब मिल बंद हो जाएगी, इसलिए यहां से लोग काम छोड़कर जा रहे हैं। मुंबई शहर की एन. टी. सी. मिलों की हालत ऐसी थी कि आपने उनको वर्किंग कैपिटल नहीं दिया, रॉ मेटीरियल नहीं मिला, इस वजह से वह मिलें बंद हो गई।

सदन में आपने ही कहा है कि ऑफिसर भ्रष्टाचार कैसे करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने 750 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल मॉडर्नाइजेशन फंड निकाला था, आपने 877 करोड़ रुपये बांटे, लेकिन मुंबई शहर की एन. टी. सी. की मिलों के लिए, अभी भी वर्कर्स वर्किंग कैपिटल मांगते हैं कि वर्किंग कैपिटल दे दो, रॉ मेटीरियल दे दो, कपास दे दो तो हम मिल चलाने के लिए राजी हैं, ऐसा कह रहे थे। इसी सरकार ने रिलायंस को 300 करोड़ रुपए दिए, जो अमीर रिलायंस कंपनी है, उसको 300 करोड़

रुपए दिए, लेकिन हमारी जो पब्लिक सेक्टर की एन. टी. सी. की मुंबई शहर की मिलों के लोगों के लिए पैसा चाहिए था, मुंबई शहर की मिलों के लिए एक नया पैसा भी नहीं दिया है, जिसकी वजह से वह मिलें बंद हुईं।

पिछले 18 अगस्त को इसी सदन में हमारे मंत्री महोदय ने कहा था कि जो कॉटन खरीदते हैं, जो कपड़ा खरीदते हैं और जो कपड़ा बेचते हैं, उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें एन. टी. सी. के ऑफिसर भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने इसी सदन में यह भी कहा था कि मैंने एन. टी. सी. के सभी ऑफिसर्स को बुलाया था, उनको कहा था कि आप सब भ्रष्टाचार करते हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं और सजेशन भी देना चाहता हूं कि अगर यही ऑफिसर रहेंगे तो यह मिलें मॉडर्नाइजेशन के बाद भी घाटे में जा सकती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एन. टी. सी. के अलावा दूसरा कोई कार्पोरेशन बनाइए, दूसरी कोई अलग संस्था बनाइए, जिसके हाथों में आप यह कारोबार देने जा रहे हो। सभापति महोदय, जैसा आपने सजेशन दिया कि जिसके क्षेत्र में मिल हो, वह तो उसमें होना ही चाहिए, लेकिन हर पार्टी का एक-एक मेंबर उनके ऊपर वाच डॉग करके रखना चाहिए, यह मैं आपसे विनती करता हूं।

यह मिलें क्यों घाटे में जाती हैं, उसके एक-दो मिल्स के एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में फिनले मिल घाटे में जा रही थी, वहां एक अच्छे जनरल मैनेजर मि. रे को अगस्त, 1992 में लाया गया, उस वक्त मिल 1.24 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही थी, उन्होंने उस मिल को इतनी अच्छी तरह से चलाया कि 10 महीने में उन्होंने वह घाटा पूरा किया,

5.00 म.प.

लेकिन अगस्त 93 में उसे ट्रांसफर कर दिया, जबकि उन्होंने 10 महीने में घाटा तो पूरा किया बल्कि 24 लाख का मुनाफा करके दिया था तो भी उन्हें वहां से निकाला गया, क्योंकि वे ऊपर के ऑफिसर को पैसा नहीं दे रहे थे।

महोदय, अभी भी हड़ताल जारी है। वे अभी भी हड़ताल वापस लेने को तैयार हैं। आज ये लोग कहते हैं कि 22 हजार मजदूर बाहर हैं लेकिन आज 70 हजार मजदूर बाहर हैं। आज वे मजदूर डर-डरकर काम पर जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि इनको भी वी. आर. एस. स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। हमारे मंत्री महोदय की वर्कर्स के लिए बहुत हमदर्दी है, हमारे जो बदली कामगार हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। अब आप इनको मॉडर्नाइजेशन में लेने वाले हैं, आपने अपने प्रपोजल में कहा है। इन्होंने जो मिलें 1983 में ली हैं वे इन्होंने लायबिल्टी के साथ ली हैं इसलिए 83 के पहले का बैंक ड्यूस भी इनको मिलना चाहिए। मैंने इस सदन में बार-बार यह मामला उठाया था और स्टैंडिंग कमेटी में भी इसको उठाया था तो उन्होंने कहा कि हम पैसा दे देंगे लेकिन वे कब देंगे। कोहिनूर मिल के जो वर्कर्स हैं उसका सुप्रीम कोर्ट ने वरडिक्ट दिया हुआ है। इन्होंने बार-बार कहा कि हम पैसा देंगे लेकिन अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है।

महोदय, यह जो मॉडर्नाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं, यह आप करने के लिए जाएं। मुझे जब ट्राइपारटाइट कमेटी में बुलाया गया था तो उस समय मैंने एक ही कारण से साइन नहीं किए थे। वहां बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। आप विविंग का बंद करने जा रहे हैं। मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि हम कहां जाएंगे अगर वर्कर्स चाहिए होंगे तो हम ढूंढने के लिए कहां जाएंगे इसलिए हम वी. आर. एस. देने के लिए मना कर रहे हैं लेकिन उस उन्होंने कहा था कि हम स्पीनिंग और विविंग के वर्कर्स ढूंढने के लिए कहां जाएंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से बिनती करता हूं कि अगर आप मॉडर्नाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं तो आप विविंग डिपार्टमेंट में रख दीजिए। आज लोगों के दिल में एक भावना है कि हमारी जमीनें बेची जा रही हैं। स्व. इंदिरा जी ने मिल मजदूरों को मिल चलाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया था, मिल बंद करने के लिए नहीं किया था। आज मिल बेचने जा रहे हैं। आज लोगों के दिलों में भावना है कि आप मिलें देचने जा रहे हैं। इसी सदन में मंत्री जी ने कहा था,

[अनुवाद]

निजीकरण नहीं होगा, छंटनी नहीं होगी, और उपक्रम में तालाबंदी नहीं होगी।

[हिंदी]

लेकिन दुर्भाग्य से पूरी की पूरी मिलें सरप्लस लैंड के नाम पर निकलने के लिए जा रही हैं।...**(व्यवधान)** हमारा कहना यह है कि मुंबई शहर का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। आज सरप्लस लैंड के नाम पर वे मिलें भी घाटे में जा रही हैं। अभी हमारे भाइयों ने कहा कि बहुत-सी मिलें घाटे में जा रही हैं। हमारे एक मित्र कांग्रेस में हैं उनका एक सजेशन है कि उन मिलों को बेचना नहीं है, एक्चुअल मिलों को वहां रख करके आप उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप नये-नये एक्सपोर्ट सेंटर खोल सकते हैं। मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं एक सजेशन दे रहा हूं।

मेरा यह सुझाव मान लीजिए कि लोगों के दिल में यह भावना नहीं आनी चाहिए कि सरकार मिल को बेचने जा रही है। इन स्थानों पर एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले जा सकते हैं, जिससे लाखों रुपया प्राप्त हो सकता है, जिसको मॉडर्नाइजेशन के काम में लगाया जा सकता है। इस काम में सबसे पहले मजदूरों के ड्यूज का भुगतान किया जाना चाहिए।

एक चीज और कहना चाहता हूं कि सिटरा, बिटरा आदि जो रिसर्च ईस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने क्या रिसर्च की है। कोई कमेटी बाहर भी गई थी, ट्रिपार्टाइट कमेटी थी पता नहीं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : आप भी तो गए थे उसमें ?

श्री मोहन रावले : मुझे नहीं बुलाया था। हमारे यहां जुपीटर मिल है, फिनले मिल है, जहां से आज भी लाखों रुपए का कपड़ा बाहर जा सकता है। मेरे पिताजी टाटा मिल में मजदूर थे, रशिया के प्रधानमंत्री वहां आए थे और उन्होंने उस मिल की तारीफ की थी। मेरे पिता जी 1946 में टाटा मिल में आए थे, मैं मजदूर का बेटा हूं, कोई कामगार नेता नहीं हूं। मैं जानता हूं कि अच्छी मिलें हमारे यहां हैं, उनको सरप्लस लैंड के नाम पर मत निकालिए। कोहीनूर मिल में आज भी अच्छी ब्लीचिंग, डाइंग हो सकता है, लाखों का कपड़ा वहां से बाहर भेजा जा सकता है, करोड़ों रुपए की मशीनरी वहां पड़ी हुई है, उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी मिलों को सरप्लस लैंड के नाम से मत निकालिए।

आज आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्नालॉजी तो रोज बदलती जा रही है। पांच साल के बाद हमारी मशीनरी फिर आउट डेटेड हो जाएगी, उसके बाद सरकार क्या करेगी, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। वर्कर्स के प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ट्रिपार्टाइट कमेटी ने कहा था कि—

[अनुवाद]

पुरानी मशीनों का रखरखाव अच्छी तरह नहीं हुआ। भारत भर में राष्ट्रीयकरण कपड़ा विभाग की मिलों में यह बुनियादी सुविधा नहीं है।

[हिंदी]

यदि ओल्ड मशीनरी को अच्छे स्पेयर पार्ट्स नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे, तो वह ज्यादा दिन नहीं चल सकेगी। मंत्री महोदय को पता होगा कि बीमार मिलों की मशीनों में सेकेंड हैंड पार्ट्स लगा दिए जाते थे, जो 3-4 वर्ष के बजाए 3-4 महीने में ही खराब हो जाते थे। इसलिए मशीनों के मेंटीनेंस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि मुंबई में मराठियों की बहुलता है और उन्होंने खून-पसीने से इन मिलों को खड़ा किया है, करोड़ों रुपया मालिकों ने कमाया है, इसलिए इस तरह की कोई स्कीम लागू न की जाए, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़े और उनके मन में कोई दुर्भावना पैदा हो।

आखिरी बात कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से वर्कर्स रीहेब्लीटेशन फंड बनाया गया था, जिसमें सरकार सहायता करती थी। इसके अंतरर्गत बंद मिल मजदूर को पहले वर्ष 75 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 50 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 25 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान था और यह उन मिलों पर लागू होना था जो 1986 के बाद बंद हुई थीं, लेकिन मुंबई की मिलें तो 1982 में बंद हुईं, इसलिए वे मजदूर इस लाभ से वंचित हैं। मिल बंद होने में मजदूर का कोई दोष नहीं होता। इसलिए मेरा कहना है कि इन मजदूरों को भी वर्कर्स रीहेब्लीटेशन फंड का लाभ दिया जाना चाहिए।

अंत में मैं इन मिलों को पब्लिक अंडरटेकिंग्स में लेने के लिए मंत्री महोदय को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। साथ-साथ मिल मजदूरों का आप ख्याल रखिए। उनका रिट्रेंचमेंट नहीं होना चाहिए, उनकी जमीनें नहीं जानी चाहिए। इनका आपको ख्याल रखना चाहिए। मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, यह विधेयक जो हमारे सामने पहले अध्यादेश के रूप में आया, मैं भी इसका विरोध करने वालों में था। सरकार ने एक आदत बना ली है कि जब सत्र प्रारंभ होने वाला हो, तब अध्यादेश जारी कर दिए जाते हैं और सदन के लिए इंतजार नहीं किया जाता है।

जहां तक कुछ मित्रों की बातें मैंने सुनी हैं, यह बीमारी भारत में कभी नहीं आई कि किसी तरह अकारण राष्ट्रीयकरण कर लो। देश का एक भी उद्योगपति तैयार नहीं था जो रांची के भारी उद्योग की तरह का उद्योग करने का सपना देख सके। वही हालत भिलाई, राऊरकेला और दुर्गापुर की भी थी। ऐसी स्थिति इसलिए हुई कि देश के उद्योगपति तुरंत मुनाफा चाहते थे।दूरदर्शिता के साथ वह इंतजार करने को तैयार नहीं थे। वह होटल, सिनेमाघर में चटपट मुनाफे का काम करते थे।इसी परिस्थिति में राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्योगों की बड़े पैमाने पर शुरुआत की गई। जिनको विलायत और अमेरिका का सपना आता है उनको मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कैसे किया। अमेरिका में पुरानी आबादी को 100 फीसदी कत्ल करके यूरोप के गोरों ने उसको साफ किया था और सारा विलायत हड़प लिया था। आबादी को साफ कर दिया। उससमय की किताब पढ़ने पर रोमांच हो जाता है। विलायत में जैसे कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि हमारे यहां की लूट मे विलायत के उद्योग कायम हुए थे। इसलिए ब्रिटिश राज के संस्थापक लार्ड क्लाइव को लूट और भ्रष्टाचार के लिए इंपीच किया गया था। ऐसा लुभावना सपना गलत तथ्यों के आधार पर हमारे देश को कलंकित करने के लिए हमारे मित्र यहां दें, यह बहुत गलत बात है।

यहां दूसरा पहलू भी है कपड़ा उद्योग के लिए। 1974 में मैं भी इस सदन में था। मिलों के लिए इंदौर, बंबई, कानपुर और कई जगह मैं गया था और देश के करोड़पतियों ने मिलों को लौस में रख दिया था। इन 102 कपड़ा मिलों में एक भी मिल चालू नहीं थी, बीमार नहीं थी। लौस में थीं और फिर राष्ट्रीय कपड़ा निगम स्थापित हुआ। यह तारीफ की बात है कि कैसे उसको हमने चलाया है, यह नहीं कि घाटे में क्यों चलाया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो वस्त्र पैदा हुआ, देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए या विदेश भेजने के लिए, जो श्रमिक उसमें कार्यरत रहे, उसमें मुआवजे की बात उठाई। सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्णय बदला तो ऐसी बात थी कि एक रुपया मुआवजा देकर राष्ट्रीयकरण कर लो। इसलिए 102 मिलों का राष्ट्रीयकरण भी किसी पूंजीपति की चालू मिल से नहीं किया गया, लौस से किया गया। जैसे 15 का किया गया, वह राष्ट्रीयकरण नहीं, ग्रहण किया गया इस उम्मीद में कि ये लोग फिर ले लेंगे, पुराने मालिक फिर चला लेंगे। वह स्थिति अभी तक नहीं आई। इसलिए जहां तक राष्ट्रीयकरण का मामला है, वह हमारी अनिवार्यता भी है और आवश्यकता भी है कि इसका राष्ट्रीयकरण हम करें। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं।

सभापति जी, कपड़ा उद्योग मूल उद्योग नहीं है पर हमारे देश के उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कपड़ा मिल के मजदूरों ने लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन किया था जब उनको सात वर्ष की सजा पर मंडाले भेजा गया था और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। अंग्रेजी सरकार ने सात वर्ष की सजा उनको राजद्रोह के लिए दी। उस समय बंबई में कपड़ा मिलों के मजदूरों ने लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल की थी। तब लेनिन ने कहा था कि भारत के मजदूर सिर्फ अपने रोटी के लिए नहीं देश की आजादी के लिए भी कदम बढ़ाने लगे हैं। वैसे भी जब हमारी कपड़ा मिलें देश में थीं और स्वदेशी मिल के नाम पर उभर रही थीं, चरखा आंदोलन चला, गांधीजी ने शुरुआत की तो चरखा ने कपड़ा मिलों के लिए एक धार का काम किया। विदेशी कपड़े के खिलाफ एक वातावरण तैयार करने में एक धार का काम किया और चरखे पर चढ़कर देश की सूती मिलों की तरक्की हुई। यही कारण है कि वे मिल मालिक कांग्रेस को भी मदद करते थे, गांधीजी को भी मदद करते थे और चरखा को भी मदद करते थे। इसलिए इन कपड़ा मिलों का लंबा इतिहास है, अतः यह कहना कि कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण छोड़ दें, यह देश के हित के खिलाफ बात है। मैं राष्ट्रीयकरण का पूरा समर्थन करता हूं। इसमें जो मुआवजा की बात है उसके लिए दूसरे शैड्यूल में दिया हुआ है। क्या सरकार ने या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने पूरा लेखा-जोखा कर लिया है ? जिन कपड़ा मिलों का हम राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं उनका क्या ध्येय है और उसको साधने के बाद तब क्या स्थिति रहेगी ? चूंकि यह बहुत दिनों से ग्रहण में था, इसका ग्रहण कर लिया था। पुरानी मिलों के द्वारा इसका संचालन नहीं हो रहा था। ऐसा लगता है कि 1983 के बाद से जो मिलों की हालत रही है उसमें क्या घाटा है, क्यों है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। यह तो नहीं है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधिकारियों ने उसको घाटे में चलाया है ? क्या वही बेचकर हमको दिवालिया तो नहीं कर देंगे ? किसी को तो कीमत चुकानी है। इसलिए इन 15 मिलों के बारे में मेरा आग्रह होगा कि कोई समिति हो और 1983 के बाद इस घाटे की जिम्मेदारी कहां जाती है, जाती है या नहीं जाती है, इसको भी देखना होगा। नहीं तो यह खतरा होगा कि वे हमारी जमीन को बेचकर, मशीनरी को बेचकर लूट करेंगे। इसलिए मैं बेचने के नाम से ही कांप

रहा हूं। मंत्रीजी हिम्मत करें कि यह बेचने वाला पहलू न रखें। मजदूरों के सहयोग व माकूल तकनीक के जरिए प्रबंधन में सुधार करें। भारत में जहां ज्यादा हाथ है, ज्यादा मस्तक हैं, उसमें खुद में एक शक्ति है उसमें आधुनिकतम तकनीक लेकर हम इसको लाभप्रद बना सकते हैं। किसी भी मिल ने अतिरिक्त भूमि नहीं रखी थी। उसने वह भूमि विस्तार के लिए रखी थी और आप उस विस्तार का रास्ता बंद कर रहे हैं? आज हम बेच देंगे तो उस विस्तार की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो कीमत क्या रहेगी ? इसलिए जहां तक बेचने का सवाल है उसमें लूट का भी खतरा है और एक राष्ट्रीय संपत्ति के हाथ से निकल जाने का खतरा है और उसको हासिल करने में क्या दिक्कत हो सकती है इसका जिनको अनुभव है वे समझ सकते हैं। इसलिए जो बेचने वाला पहलू है उसका समर्थन करने की हिम्मत मुझमें नहीं है।

आज हमारी कपड़ा मिलें गुणवत्ता में दुनिया में मुकाबला करने की हालत में हैं। भारत सरकार की आर्थिक नीति के तहत दुनिया के मगरमच्छों को आप देश में ला रहे हैं तो उनसे भी मुकाबला करने की स्थिति में ये राष्ट्रीय मिलें हैं। उसमें मजदूरों का पूर्ण सहयोग चाहिए। मैं बार-बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं समझता कि मजदूर भिकमंगे हैं जो पहले पैसा उनको दे दें और कारखाने जहन्नुम में जाएं। मिल पर मजदूरों की भी जिम्मेदारी है इसलिए सरकार की नई नीति मजदूरों के लिए एक चुनौती भी है तथा एक सुअवसर भी है। पहले हम प्रबंधन की मांग करते थे, आज मैं आशा करता हूं कि वे किसी भी यूनियन के हों, सब यूनियनों के मजदूर मिलकर कहें कि आपने घाटे में चलाई हैं हम इनको मुनाफे में चलाएंगे, कल तक का घाटा हमारे माथे, आज से हम इसको स्वावलंबी बनाकर चलाएंगे ताकि एक नई हालत में, राष्ट्रीय स्वाभिमान की हालत में देश का मजदूर उत्पादन को नेतृत्व दें, एक राजनैतिक नेतृत्व दें और सरकार की जो घर बेचकर घर चलाने की नीति है उसका भी मुकाबला कर सके।

5.19 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : कहीं भी, किसी भी सिक मिल में अगर वर्कर्स कोआपरेटिव मिल को लेने के तैयार हो तो सरकार को उसे फर्स्ट प्रियोरिटी देनी चाहिए। उन्हें मालिक बना देना चाहिए।

श्री जी. वेंकट स्वामी : शहाबुद्दीन साहब, बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन टेक्सटाइल मिनिस्टर बनते ही, ओथ लेते ही, मैंने अनाउंस किया और 6 महीने तक वेट किया, सारे ट्रेड यूनियन के लीडर्स से रिक्वैस्ट की, क्योंकि ट्रेड यूनियन की हैसियत से हम नारा लगाते थे कि मजदूर राज हो, इसलिए मिलों को ले लो, मालिक बनकर चला लो। छः महीने तक मैंने इंतजार किया। अभी भी अगर कोई सामने आता है तो उसे देने के लिए गवनमेंट तैयार है।

श्री मोहन रावले : एक नहीं, आपको सारी की सारी मिलों को लेना पड़ेगा।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं मंत्री जी की बात को काटने की हालत में अपने आपको नहीं पाता हूं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें नौकर बनना ज्यादा अच्छा लगता है, मालिक बनना हम नहीं चाहते। यह हमारे यहां राष्ट्रीय रोग हो गया है।...(व्यवधान)

श्री जी. वेंकट स्वामी : मुझे उम्मीद है कि नारा फिर से लगे कि मजदूर राज हो।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं कह रहा हूं...(व्यवधान) आपका विरोध मैं सुन रहा हूं। आपका विरोध बिना समझे हुए विरोध है।

मैंने कहा कि यदि संभव हो तो मिलों को वहां के मजदूर स्वावलंबी बनाएं। जैसे बैंकों से हमारे पूंजीपति ऋण लेते हैं, राष्ट्रीय कपड़ा निगम को भी लेना पड़ता है, मिलों के संचालन के लिए भी आगे ऋण मिले, यही हम चाहते हैं। मिलों में जो पिछला घाटा है, वह उसके अधिकारियों के जिम्मे लगे। अगर मिल नाजायज तरीके से घाटे में चल रही है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी होना चाहिए।

जैसा मैं कह चुका हूं, मजदूर आंदोलन के लिए एक सुंदर अवसर आया है, चुनौती आई है। इसमें स्वाभिमान का सवाल भी है। देशी और विदेशी मगरमच्छों से देश को बचाने का, देशभक्ति का राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। जैसा अभी मंत्री जी ने हल्के से कह दिया, मैं समझता हूं कि उसके लिए एक नीति का एलान होना चाहिए। सारे भारत का भार कौन लेगा, किसी भी एक मिल को लेकर, स्वावलंबी बनाकर चलाने की बात होना चाहिए। इस दिशा में एक-एक करके कदम उठाने चाहिए। इसमें पुराना घाटा उनके जिम्मे नहीं पड़ेगा। आधुनिकीकरण के जरिए, उनके श्रम का बड़ा हिस्सा कैसे उनके लिए, उनके परिवार के लिए, मिल के लिए और देश के लिए लाभप्रद होगा। इसलिए अगर उन्होंने एक वाक्य कह दिया, उससे काम नहीं चलेगा बल्कि एक नीति के रूप में एलान करने की जरूरत है।

एक बात और है। जैसा अभी मंत्री जी ने चुनौती के रूप में कहा, बिहार में राष्ट्रीय कपड़ा मिल की 17 दुकानें घाटे में चल रही हैं, आप बिहार के सांसदों को लेकर एक दिन बैठक कर लीजिए और उसमें कोई रास्ता निकलाइए कि वे क्यों घाटे में चल रही हैं। आप उन्हें कृपा करके श्मशान मत बनाइए बल्कि उनके लिए अस्पताल बनाइए जिससे उनका इलाज हो सके।

श्री जी. वेंकट स्वामी : आप उनकी जिम्मेदारी ले लीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : आपका मंत्रालय श्मशान न बने, बल्कि उनके सुधार के लिए काम करे। इसके लिए, आप किसी दिन बैठक रख लीजिए और उसमें कोई रास्ता निकालिए। एक दिन में न हो, 6 महीने या एक साल में, कभी तो रास्ता निकलेगा।

श्री राम कृपाल यादव : मंत्री जी, आप हमें बुला लीजिए और बात करिए। आप हमसे लोकल स्तर पर जो कोआपरेशन चाहते हैं, वह हम देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि वहां एक-एक दुकान प्रोफिट में चले, जिससे कर्मचारियों का लाभ हो, सरकार को भी लाभ हो। इसके लिए हर स्तर पर हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप सबको बुलाकर बात कर लीजिए, हमारे अलावा कर्मचारी संघ और उनके अधिकारियों को भी बुलाइए।

श्री भोगेन्द्र झा : यदि सीधे हम मिलों को बंद कर देंगे तो वह कोई इलाज नहीं है। आप तथ्य इकट्ठा कीजिए, इतिहास देखिए कि कितने दिनों से अवनति हो रही है। हम उसके कारणों को हम लोग बैठकर देखें और कोई इलाज निकालें। यदि थोड़ा समय लगाकर उन मिलों को लाभप्रद बनाया जा सकता है तो वह प्रयास होना चाहिए।

जहां तक बिक्री का मामला है, क्या उसे छोड़ दें या नहीं, या कैसे इंतजाम करें ताकि अनिवार्य पर ही भूमि की बिक्री हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह चल संपत्ति नहीं है, अचल संपत्ति है, इस संपत्ति को आज कोई ले लेगा, कोई ज्यादा पैसे वाला ले लेगा, कोई पूंजीपति ले लेगा और फिर इसका राष्ट्रीय संपत्ति होना मुश्किल हो जाएगा इसलिए कोई ऐसा इलाज निकाला जाए कि कोई सर्वदलीय समिति बने वह इस पर अच्छी तरह से विचार करे और बिलकुल अनिवार्य होने पर ही इसे किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, नयी तकनीक के जरिए वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाएं। माकूल तकनीक के जरिए पुनः वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग करघा उद्योग के लिए लड़ते रहे हैं क्योंकि मैं एक बहुत बड़े हथकरघा उद्योग क्षेत्र मधुबनी और दरभंगा से आता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि इस उद्योग में मेहनत करने वाले लोगों की बहबूदी के लिए कुछ आधुनिकीकरण किया जाए। पावरलूम इत्यादि की कोई ऐसी तकनीक हथकरघा में अपनाई जाए जिससे उसकी आमदनी बढ़ सके और वह आधुनिक तरीके से रह सके। इतना कहकर मैं राष्ट्रीयकरण करने के हिस्से का समर्थन और जमीन बेचने के हिस्से का असमर्थन करके बैठता हूं।

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या है ?

श्री केशरी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा जोकि बिहार से हैं कि माननीय मंत्री महोदय बिहार के लोगों को बुलाकर उनसे बात करें। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि केवल बिहार के ही सांसदों को नहीं बल्कि जहां-जहां ये मिलें स्थापित हैं, वहां के सांसदों को अलग-अलग तारीखों में बुलाकर उनसे चर्चा करें और मिल चलाने के लिए जैसा हमारे सदस्य ने कहा, अधिक से अधिक उनको अधिकार दें और मिलों को ज्यादा चलाने का काम करें और कृपा करके मजदूरों को बेकार करने का काम न करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री केशरी लाल, आपने अच्छा सुझाव दिया है।

[हिंदी]

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो प्रस्ताव खासकर हमारे कपड़ा मंत्री श्री वेंकटस्वामी जी लाए हैं और इसके जरिए नई स्कीम शुरू करना चाहते हैं, इनके इस कदम का हम सब लोग स्वागत करते हैं। इस समय हमारे देश में 10 लाख वर्कर्स काम करते हैं और 1227 मिले हैं जिनमें 962 स्पीनिंग मिल हैं और 265 कम्पोजिट मिल हैं। इनें अभी तक 3652 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है और बहुत से ऐसे इम्पलाइज हैं जिनको घर बैठे ही हम तनख्वाह दे रहे हैं। ऐसे हालात में पूरी मिलों का मॉडर्नाइजेशन करके मिलों को चलाने का जो प्रोग्राम बनाया है उससे वर्कर्स का फायदा होगा और जहां-जहां पर माडर्नाइजेशन होगा वहां पर जो मिलें घाटे में चल रही हैं उनको फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर से महाराष्ट्र की मिलों के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर ऐसी 52 मिलें हैं जो इस मॉडर्नाइजेशन में आती हैं। मैं नागपुर, विदर्भ क्षेत्र से आता हूं। मेरे क्षेत्र में काटन बहुत पैदा होता है। वहां रा-मटीरियल ज्यादा होने के कारण नई-नई स्पीनिंग मिलों को कोआपरेटिव क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में अभी भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी मिले हैं उनको इस माडर्नाइजेशन से फायदा होने वाला है। मंत्री महोदय ने यह घोषणा भी की कि जो भी कोआपरेटिव क्षेत्र में मिल को चलाने की स्कीम बनाकर आगे आता है, यह मिल ले और चलाए। मेरा निवेदन है कि ऐसे वर्कर्स जो इंटक इत्यादि यूनियनों में हैं और बहुत अच्छे हैं, उन लोगों को मिल चलाने के लिए दें, तो वे मिल को चला सकते हैं और मिल को प्राफिट में ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कई ऐसी मिलें हैं, जैसे मॉडल मिल, कलमेश्वर, पुलगांव, अमरावती इत्यादि जो घाटे में चल रही हैं, तो इनका मॉडर्नाइजेशन होने के बाद फायदा होगा। आज स्थिति यह है कि मिलों में वर्कर्स हैं, लेकिन उनको काम नहीं दे सकते हैं। किसी मिल में मान लिया कि 500 वर्कर्स हैं, लेकिन काम 500 को देने के लिए नहीं है और उनमें से केवल डेढ़-दो सौ को काम दे रहे हैं, बाकी को घर बैठकर पगार दे रहे हैं। जहां सरप्लस लैंड है, यदि वह बिककर उसका पैसा उसी राज्य में लगे, जैसे मुंबई का पैसा महाराष्ट्र में ही लगाने की कोई स्कीम आती है, तो हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। इनको तो रिमोट कंट्रोल वाला साहब ठाकरे के हाथ में है, वे पीछे से जो रिमोट से कंट्रोल करते हैं ये वही कहते हैं। वे कहते हैं कि हम मुंबई में मकान बनाएंगे। हम कहते हैं, अच्छी बात है, बनाएं। मॉडर्नाइजेशन का जो पैसा आएगा, जैसा आप मुंबई में लगा रहे हैं, वहां का सरप्लस पैसा थोड़ा-सा नागपुर कोंकण में जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में यह जो वर्कर्स हैं, उनको काम देना चाहिए और जो काम नहीं मिल रहा है, जो भी तकलीफें हैं, वे बंद हो सकती हैं। मैं कह रहा था कि नागपुर में मॉडर्न मिल है। वहां पर हमारे मंत्री महोदय भी आए थे। मैंने उनका बहुत स्वागत किया। जो मॉडर्न मिल है, उसके जो इम्पलाइज मकान हैं, वे कभी भी गिर सकते हैं। वहां पर बहुत सारी जमीन है। हमने मंत्री महोदय से कहा था कि वहां जो लोग 30-40 साल से रहते हैं, आप उनको रहने के लिए जगह दे दो तथा बाकी जो जमीन बचेगी, उसे आप बेशक बेच सकते हैं। उन्होंने उस जगह को देखा। वह जगह किसी भी दूसरे काम में आने वाली नहीं है। वहां जो लोग 30-40 साल से रह रहे हैं, अगर उनको छोटी-बड़ी प्राब्लम्स हैं, वे दूर करें। यह जो नागपुर का सवाल है, उनको हम छोड़ देंगे तथा मॉडर्नाइजेशन में जो भी मदद है, वह हम सब करने के लिए तैयार हैं। आज हमारे देश के सामने यह जो नयी स्कीम आ रही है। उसके लिए हमने प्लान बनाया है। इसके अलावा हमारे पास 2006 स्कीम्स हैं। इसमें प्लांट और मशीनरी के लिए 176 करोड़ लगने वाले हैं, वर्किंग कैपीटल के लिए 521 करोड़ और एक्सपेंडीचर के लिए 432 करोड़ लगने वाले हैं। उसका एक टाइम बांड बनाकर जो मिल प्राफिट में पहले आती है, उनको काम देने का काम करना चाहिए। जहां पर इम्पलाइज को काम नहीं मिल रहा है, उनको पहले काम देना चाहिए। हमने देखा है यू.पी. और खासकर बंगाल में बहुत से लोग घर में बैठकर पगार ले रहे हैं। अगर उनको पगार देनी है तो काम देकर देनी चाहिए। उनको काम देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो कि उनको काम नहीं दे रही। वह घर बैठकर पगार लेते हैं। लाखों-करोड़ों रुपए पगार में जा रहे हैं। जो वर्कर्स हैं, उनको काम देने की जिम्मेदारी आपको देनी चाहिए। आज हमने महाराष्ट्र के अंदर हम नये मिल खोल रहे हैं, कापरेटिव में भी खोल रहे हैं। जो पुरानी मिल्स काम करेंगी तो उन लोगों को बहुत बड़ी मदद होने वाली है और खासकर मंत्री जी को कहूंगा कि वह भी लेबर लीडर्स थे। उनको यहां की पूरी जानकारी है कि उनको क्या दिक्कत है। आज उन्हीं के हाथ से कुछ भला होगा। आप दो साल से काम कर रहे हैं और तीन-चार महीने के अंदर 5-10 मिल और बंद हो रही हैं और दूसरी हो रही हैं। जहां बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, वहां आप काम शुरू करें और

खासकर नागपुर में मॉर्डन मिल, कमलेश्वर मिल आदि जो मिलें हैं, उनमें जल्दी से काम चालू करें। हमारा यहां जो छोटे-छोटे गांव हैं, उनमें यही एक इंडस्ट्री थी और कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं है। जो और इंडस्ट्रीज हैं, उसे आप जल्दी से शुरू कर सकते हैं। महाराष्ट्र से आपको बहुत प्रेम है। वहां आपने सब देखा है। आपको मालूम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यह मॉडर्नाइजेशन स्कीम जल्दी से पास करें तथा जहां पर खर्चा ज्यादा नहीं होता वहां मॉडर्नाइजेशन स्कीम शुरू करें क्योंकि हमारे मूर्ति साहब व मनमोहन साहब इस अच्छे काम के लिए मदद करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे महाराष्ट्र व पूरे देश के अंदर जल्दी से इसे लागू करें।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग और मिल कर्मचारियों, जिन्होंने निजी कंपनियों के कुप्रबंध के कारण अपना रोजगार खो दिया है, की सुरक्षा के हित में इस विधेयक का समर्थन करता हूं। पैसा पैदा करने वाला यह कपड़ा उद्योग अब पैसा खाने वाला बन गया है। जैसा कि विधेयक में कहा गया है :

> "इसके अधिक से अधिक उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि इस उद्योग में बड़ी मात्रा में धन लगाया जाए।"

यही कारण है कि 70 और 80 के दशकों तथा आज भी इस उद्योग में कालाधन बड़ी मात्रा में लगा है जबकि पहले, विशेषकर विश्वयुद्ध के दौरान, यह उद्योग पैसा कमाने वाला उद्योग था। उस समय आज की मुंबई एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था। जैसा श्री शहाबुद्दीन ने कहा कि ये मिल जिनका प्रबंध ग्रहण किया जा रहा है हमारी संपत्ति नहीं हैं, ये देश की संपत्ति हैं किसी व्यक्ति की नहीं। माननीय सदस्यों ने इसे बचाने के लिए कानूनी मुद्दों को उठाया परंतु मैं केवल उद्योग के बारे में बोलूंगा।

यह बड़ी अच्छी बात है कि आप इस उद्योग का आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। परंतु विधेयक में कहा गया है कि आप इसका आधुनिकीकरण और पुनर्गठन कर रहे हैं। पुनर्गठन करना बड़ा महंगा होगा। आधुनिकीकरण का अर्थ आधुनिक मशीनों से है। आप यह आधुनिकीकरण किस प्रकार करने जा रहे हैं ? सरकार की 1988 की कपड़ा नीति से उद्योग और श्रमिकों की सुरक्षा नहीं होती। इसलिए श्रमिक नयी नीति चाहते हैं। हमें यह बताया जाए कि इस संबंध में त्रिपक्षीय बैठक में क्या चर्चा हुई।

मैं इस मंत्रालय से संबंधित सलाहकार समिति का सदस्य हूं और मैंने अनेक बार मंत्री महोदय से कहा है कि मात्र आधुनिकीकरण करने और धन लगाने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे प्रबंधकों की नियुक्ति की जाए जो उत्पादन की गारंटी दे सकें तथा यह गारंटी भी दे सकें कि कम से कम आधुनिकीकरण के स्तर पर धन हानि नहीं होगी। अनेक चरणबद्ध आधुनिकीकरण के पश्चात् उद्योग को धन की हानि नहीं होनी चाहिए। निजी मिलें और कपड़ा उद्योग भारी लाभ कमा रहे हैं। आप उस भूमि को बेचने जा रहे हैं जो हमारी और आपकी नहीं है। 1930 अथवा 1940 में कभी विकसित की गई थी लेकिन अब आप उस भूमि को बेचकर धन कमाने जा रहे हैं। एक तरह से यह चुराई गई या सार्वजनिक संपत्ति है और अब आप उससे पैसे बनाने जा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय इस विधेयक के बारे में बहुत उत्सुक हैं। 'पुनर्गठन' एक बड़ा ही खतरनाक शब्द है। पुनर्गठन और आधुनिकीकरण पर आपको धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। फालूत भूमि के बेचने से जो पैसा आपके पास आए उसका उपयोग केवल मशीनों के आधुनिकीकरण पर किया जाए, किसी अन्य कार्य पर नहीं। प्रबंध निदेशक के कमरे को एयरकंडीशन बनाना, कारें खरीदना आदि पुनर्गठन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मैं पुनर्गठन शब्द को हटाना चाहता हूं।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि भूमि की बिक्री का एक और घोटाला न हो। बिक्री का सारा काम खुले रूप से होना चाहिए और जैसाकि श्री शहाबुद्दीन ने कहा, भूमि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेची जानी चाहिए। आज की मुंबई में 1940 के दशक की तुलना में भूमि की कीमत कई हजार गुना बढ़ गई है। भूमि सरकार की नहीं है पर वह उसे बेचने जा रही है। इसलिए बिक्री की एक-एक पाई का हिसाब रखा जाना चाहिए तथा इसके संबंध में एक और घोटाला नहीं होना चाहिए।

'नाबार्ड, सिडनी आफरिंग बी. आर. एस. रिफाइनांस फार एन. टी. सी. स्टार्फ्स' शीर्षक से एक और लेख था। जिसमें उन्होंने कुछ स्कीमें दी थीं कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम आदि से कैसे बुनाई मशीनें प्राप्त करें। जब आप यह भूमि बेच रहे हैं तब आपको संसद में उस योजना की घोषणा भी करनी चाहिए, जिसके अनुसार आप इस पैसे को खर्च करेंगे तथा इन उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे और श्रमिकों को सुरक्षा देंगे। हमें कपड़ा उद्योग को रुग्ण उद्योग बताते हुए शर्म आनी चाहिए, विश्व में सब हमारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि यदि इसका प्रबंध उचित रूप से किया जाता तो यह कभी रुग्ण नहीं होता। कुप्रबंध के कारण ही इन उद्योगों को सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ा। 1950 में कुछ निजी पार्टियों ने इन्हें अपने हाथ में लिया था और कुप्रबंध के कारण ही यह आपके हाथों में आई है, अतः इनमें अब और कुप्रबंध नहीं होना चाहिए तथा यह उद्योग अब और रुग्ण नहीं होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, उद्योग के हित में तथा मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करता हूं हमारे राज्य में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कारखाने सफेद हाथी बन गए हैं तथा वे होल्डिंग कंपनी बनना चाहते हैं। इन्हें कपड़ा क्षेत्र से हटा दिया जाना चाहिए।

[हिंदी]

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़े कंस्ट्रीक्टिव सजेशंस देने हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : ठीक है, आपके आदेश का पालन करूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। सदन में दो विधेयक पेश किए गए हैं, संभवतः पास भी हो जाएंगे, लेकिन यह जो विधेयक पेश करने के बीच में जो अध्यादेश लाया गया, उसका मैं बहुत समर्थन नहीं कर सकती। 2 जून, 1995 को लोक सभा में यह विधेयक पेश किया गया था परंतु समयाभाव के कारण पास नहीं हो सका और 31 जुलाई को दूसरा सत्र प्रारंभ हो गया था, फिर एक महीने के बीच में इनको ऐसी क्या जल्दी थी कि यह अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश लाकर इस थोड़े से समय के बीच में सदन की गरिमा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सरकार की आदत बन चुकी है कि विधेयक न लाकर यह हमेशा अध्यादेश जारी करने की कोशिश करती है।

जब एन. टी. सी. अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और बदइंतजामी और अफसरशाही का वह पूरा पर्याय बन चुका है तो ऐसे समय में माननीय कपड़ा मंत्री जी ने मॉडर्नाइजेशन के लिए जो कदम उठाया है, उसकी सराहना की जा

सकती है, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से केंद्र के अधिकार में इन मिलों को लाकर उस पर अपना आधिपत्य जमाकर उसकी जमीन और परिसंपत्ति बेचो का अधिकार प्राप्त करने का जो संशोधन ला रहे हैं, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। क्योंकि, मिलों की जो जमीनें हैं, वह मिल की संपत्ति है और वह मिल के विस्तार के लिए उनको दी गई थी। आज भी मजदूर के पास काम हो या न हो, मजूदर अपनी मिल को सही-सलामत देखकर ही जिंदा रहना चाहता है। ऐसे समय में मिलों की जमीन को अगर बेचा जाता है, उसकी परिसंपत्ति को बेचने की अगर छूट जी जाती है तो इसमें निजी व विदेशी कंपनियां अपना अधिकार जमा लेंगी, आधिपत्य जमा लेंगी और कुछ दिनों के आद केवल जमीन और परिसंपत्तियों के बिकने के साथ-साथ पूरी की पूरी मिल ही बिक जाएगी और हमारे मजदूर, कर्मचारी भारी संख्या में बेकार हो जाएंगे।

कंपनी बीमार थी तो सरकार को चाहिए था कि उसे आर्थिक सहायता देती, उसके प्रबंध में सुधार करती, लेकिन यह तो उल्टा ही कर दिया गया। यह बिल्कुल उसी प्रकार से हो गया, जैसे किसी गंभीर रोग से पीड़ित मरीज को दवा न देकर उसके बदले में उसकी चारपाई, उसका बिस्तर, उसका दूध और उसकी दवा भी छीन ली जाए, तो इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हो सकता है कि आपकी नीयत बहुत ठीक हो लेकिन जिस प्रकार एन. टी. सी. का भ्रष्टाचार और जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, जिसके चलते एन. टी. सी. बिल्कुल रुग्ण हो गई है और रुग्ण होकर आज बिल्कुल बंद होने के कगार पर है, भविष्य में भी इसकी पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में 11 मिलें एन. टी. सी. के तहत काम करती हैं और इनके पास काफी जमीन फालतू है, लेकिन यहां की मिलें भी करीब-करीब बंद होने के कगार पर हैं। हम माननीय मंत्री जी को सचेत करना चाहते हैं कि आप जमीन बेचते हैं और अगर उसकी मिल की जमीन ब परिसंपत्ति बेचते हैं, पूरे देश की मिलों की अतिरिक्त जमीन आप बेचना चाहेंगे, लेकिन किस प्रकार से आप उसका हिसाब करेंगे और किस प्रकार से देश और प्रदेश में उसके द्वारा जो अर्जित आय होगी, उसका आप किस प्रकार से बंटवारा करेंगे ? क्या आप सही ढंग से इसको कर पाएंगे, क्या आप इसको सही ढंग से प्रयोग कर सकेंगे ? जो भी कंपनी है, उसमें कोई कम घाटे में चल रही है, कोई ज्यादा घाटे में चल रही है तो आप किस प्रकार से उसकी व्यवस्था करेंगे, इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट इनकी नीति होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की 11 मिलों में इलाहाबाद की नैनी की स्वदेशी कॉटन मिल भी आती है। वहां की यह मिल लगभग दो साल से बंद चल रही है। मजदूर हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, मजदूर काम करने लिए रोज आता था, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। केवल उत्तर प्रदेश में एन. टी. सी. द्वारा संचालित मिलों में दो तरह के वेतनमान चल रहे हैं। कानपुर के मजदूरों को आइडल वेजेस दिया जा रहा है। इलाहाबाद नैनी और स्वदेशी कॉटन मिल के लोगों को बिल्कुल वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जिस समय भारत सरकार ने इन मिलों का जयपुरिया ग्रुप की 6 मिलों का अधिग्रहण कर प्रबंध अपने हाथ में लेने के बाद इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था तो राष्ट्रीयकरण के बाद वाला वेतनमान लागू किया जाना चाहिए था लेकिन आज स्वदेशी कॉटन मिल कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। केवल अधिकारी और सुपरवाइजर राष्ट्रीयकरण के बाद वाला एन. टी. सी. ग्रेड का बड़ा वेतनमान ले रहे हैं लेकिन वहां के जो कर्मचारी हैं, लिपिक और मजूदर हैं उनको वही पुराना राष्ट्रीयकरण से पूर्व वाला वेतनमान दिया जा रहा है उनके साथ भारी अन्याय किया जा रहा है। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि यह जो दो तरह के वेतनमान लागू हो रहे हैं उसको दूर किया जाए और जब राष्ट्रीयकरण के तहत स्वदेशी कॉटन मिल है तो अधिकारी, सुपरवाइजर, लिपिक, ड्राइवर सबके एक ही वेतनमान एन. टी. सी. ग्रेड का दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में जो एन. टी. सी. के शो रूम हैं उनमें से ज्यादातर शो रूम बंद हैं और उनके भवनों का किराया व्यर्थ में दिया जा रहा है। परंतु कर्मचारियों को वेतन देने की किसी को चिंता नहीं है। उनके कर्मचारियों को नया वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा है। उनका उत्पीड़न किया जा रहा है तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। एन. टी. सी. शो रूम के सारे कपड़े ब्लैक मार्केट में बिक जाते हैं और छंटे-छंटाए कपड़े आपके एन. टी. सी. के शो रूम में रहते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि वहां कोई ग्राहक जाता नहीं है इस वजह से एन. टी. सी. के शो रूम बंद हो रहे हैं वह घाटे में जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है क्योंकि एक तरफ तो आप इसके आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको यह भी देखना चाहिए कि वहां के मजदूरों और कर्मचारियों के साथ भी उनके वेतनमान में कोई असमानता तो नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी कि अगर कानपुर और बंबई, सब जगह आप आइडल वेजेस दे रहे हैं तो क्यों नहीं इलाहाबाद के स्वदेशी काटन मिल के मजदूरों को आइडियल वेजेस क्यों नहीं देते हैं क्योंकि मजदूर तो काम करने के लिए जाता है लेकिन अगर मजदूर को काम न दिया जाए तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है।

आज मजदूर बिल्कुल निराश, उदास होकर बैठ चुका है क्योंकि अब उसको कोई उम्मीद नहीं रही है। अधिकारियों के द्वारा उनका उत्पीड़न जारी है, एक तरफ तो काम नहीं है और दूसरा, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, तीसरा, उनके खिलाफ तरह-तरह के चार्ज लगाकर सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर किसी भी तरह से कर्मचारी या मजदूर की चोरी पर या किसी और तरह से चार्ज लगाकर उनके ऊपर अंगुली उठाता है तो उसको सस्पेंड कर देना, उसके खिलाफ कार्यवाही करा देना, यह बहुत आसान काम हो गया है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगी कि आप इस बारे में भी ध्यान दें कि स्वदेशी कॉटन मिल नैनी के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतनमान में कोई फर्क न किया जाए और उनके साथ अन्याय न हो। इसके साथ ही जो आपकी वी. आर. एस. लागू करने की योजना है, वी. आर. एस. कोई अपने शौक से नहीं लेता है। जो व्यक्ति मजदूर, कर्मचारी नौकरी में लगा हुआ है वह वी. आर. एस. लेना पसन्द नहीं करता है लेकिन जब उसको उत्पीड़ित किया जाता है या उसको निकालने की, किसी तरह से तंग करने की धमकी दी जाती है तो वह मजबूरी में वी. आर. एस. ले लेता है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप यूनियन से जुड़े हुए हैं, आप मजदूरों का दर्द समझते हैं। कंपनियों के अंदर किस तरह का भ्रष्टाचार है, किस तरह से अफसरशाही और बदइंतजामी मजदूरों को शोषण कर रही है ये सब आपको देखना है। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। जैसाकि अभी शहाबुद्दीन जी ने पूछा है कि आप किस प्रकार से जमीन बेचने तथा उसकी आय को नियंत्रित करेंगे ? हम सब ये जानना चाहते हैं कि इसको आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि आप सब कुछ कैसे नियंत्रित करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आप मिलों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं यह कदम आपका बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप मिल की जमीन बेचने की जो बात कर रहे हैं और जो परिसंपत्ति बेचने की बात कर रहे हैं इस पर कृपा करके पुनर्विचार करने का प्रयास करें, क्योंकि इन मिलों से मजदूरों की रोजी-रोटी चलती है। अगर उस कंपनी की जमीनें बिकने लगेंगी तो जमीन के साथ-साथ धीरे-धीरे मिल भी बिक जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इस देश का लाखों मजदूर सड़क पर आ जाएगा और बेरोजगार

हो जाएगा। इसलिए आपके ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन मिलों का आधुनिकीकरण तो करें, मगर किसी अन्य तरीके से आय का स्रोत जुटाएं। आधुनिकीकरण करें और इसके प्रबंध में सुधार करें क्योंकि आप चाहे जितना पैसा इनको दे दें। मगर यदि आप इसके प्रबंध में सुधार नहीं करेंगे तो आपका नया प्रबंध भी अफसरशाहियों का घर भरेगी और फिर से आपकी ये कंपनियां रुग्ण हो जाएंगी और फिर से आपके सामने यही समस्या और भयंकर रूप से खड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ नयी टेक्नालॉजी लाकर कपड़े की क्वालिटी में, धागों की क्वालिटी में सुधार करें और लोगों में काम करने की आदत डालें। मजदूरों को प्रबंध में निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक भागीदारी करें तभी यह आपका काम सुचारू रूप से चलेगा और एक बार ये सब करने से पहले तमाम मजदूर यूनियनों को और जहां-जहां ये मिलें चलती हैं उनके सांसदों को और वहां के प्रतिनिधि को बुलाकर अगर आप बात कर सकेंगे तो आप बहुत अच्छा कदम उठा पाएंगे। हर जगह की समस्या अलग-अलग है, हर जगह की बातों को उसी तरह से समझना होगा। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले वहां के लोगों से बात करना जरूरी है, मजदूरों, कर्मचारियों, शोरूम कर्मचारियों से बात करना जरूरी है, ताकि समस्याओं को समझकर उन पर विस्तारपूर्वक विचार किया जा सके और उठाए गए कदम सफल हो सकें। हम सब चाहते हैं कि एन. टी. सी. द्वारा संचालित मिलें अच्छा काम करने लगें, हम कपड़ा जगत् में खोई हुई गरिमा फिर से प्राप्त कर सकें, जिससे मायूस मजदूर के चेहरे पर मुस्कराहट आ सके।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीयकरण का तो समर्थन करती हूं, पर परिसंपत्तियों को बेचने के निर्णय के बारे में पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए आपके पास केवल सात मिनट हैं और सचेतकों ने अपनी पार्टी के वक्ताओं के नाम भेज दिए हैं। उसी के अनुसार बोलने का अवसर दिया जाएगा। प्रत्येक राजनैतिक दल को आवंटित समय के अनुसार ही समय दिया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि आप समय का पालन कर रहे हैं।

मेरी कठिनाई यह है कि अनेक विषय चर्चा के लिए हैं इसलिए हमें इसे जल्दी समाप्त करना है।

श्री जटिया जी आपके पास केवल तीन मिनट हैं कृपा कर इसी समय में अपना कथन समाप्त करें। ...(व्यवधान) प्रत्येक राजनैतिक दल को समय आवंटित कर दिया गया है इसलिए अध्यक्षपीठ ने सचेतकों से वक्ताओं के नाम देने का आग्रह किया था कि सचेतक यह निर्णय बेहतर ढंग से कर सकते हैं कि कौन वक्ता किस विषय पर बोले और कितने समय बोले। हमें उनके निर्णय का पालन करना चाहिए।

अब डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी अपना भाषण शुरू करें।

[हिंदी]

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, हम समय को तो बांध सकते हैं, किंतु मजदूर की मुश्किलों को बांधकर उनको सुलझाया जा सके तो ज्यादा अच्छा होगा। देश का वह सबसे बड़ा उद्योग, जिसमें लाखों लोग रोजगार पाते थे, जब से नई कपड़ा नीति बनी है, ये मिलें बंद होती जा रही हैं। सरकार राष्ट्रीयकरण करने जा रही है, यह अच्छी बात है, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, परंतु राष्ट्रीयकरण के परिणाम क्या होंगे, यह देखना चाहिए। अच्छे परिणामों के लिए किस तरह से काम किया जाए, यह देखा जाना चाहिए। आज टेक्सटाइल मिलों के हजारों मजदूर बेकार होते जा रहे हैं। आपने कहा है कि एन. टी. सी. मिलों के बारे में चिंता करेंगे, एन. टी. सी. के मजदूर की चिंता करेंगे, यह चिंता करनी चाहिए, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन एस. टी. सी. और निजी क्षेत्र की मिलें जो एक के बाद एक बंद हो रही हैं, उनके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। उज्जैन में विनोद मिल में लगभग 5000 मजदूर बेकार हो गए हैं, मजदूरों को उनका बकाया नहीं मिला, मिल का क्लोजर नहीं हुआ, मिल बंद नहीं हुई, इसलिए ड्यूज नहीं मिले। भविष्य निधि का मजदूरों का जमा किया हुआ आधा पैसा बड़ी मुश्किल से मिल पाया है, मिल की तरफ से जमा नहीं किया गया, इसलिए वह भी नहीं मिला। उस पैसे को भी मिल ने अन्य कामों में उपयोग कर लिया। जो बकाया मजदूरों को मिलने चाहिए थे, वे नहीं मिले, इस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं। इसके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए मॉडर्नाइजेशन परिसंपत्तियां बेचकर करने की बात तो ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से इन मिलों का पुनर्गठन करने के लिए क्या पुरुषार्थ करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, जिससे मजदूर को मिल में फिर से काम मिल सके। यह करने के पश्चात् ही कुछ परिणाम सामने आ सकते हैं, सिर्फ परिसंपत्तियां बेचने से काम नहीं होगा। यदि कुछ कारगर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा। इसलिए मेरा कहना है कि जो बातें जिस तरह से करनी चाहिए एक बार में ही नहीं करनी चाहिए। हम एक बार एक मन बनाएंगे और दूसरी बार दूसरा मन बनाएंगे। मगर मिलों को बेहतर करने के जो उपाय हैं उनको फिर से ठीक से मिलों को चलाकर लोगों को रोजगार देने का काम करना चाहिए यह सरकार का दायित्व है। मैनेजमेंट में वर्कर्स पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इससे मैनेजमेंट को लगता है कि हमें उनके लिए ठीक से काम करना चाहिए और मजदूर को भी लगता है कि मिल बंद हो जाएगी तो हमारा क्या होने वाला है। इसलिए परस्पर एक-दूसरे पर दायित्व आ जाए तो उसके कारण जो परिणाम आएगा वह अच्छा होगा। कर्मचारियों का प्रतिनिधि भी उसमें होना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि मिल को ठीक तरह से चलाया जा रहा है। इसलिए सारी की सारी बात हम करते हैं तो लगता है कि ठीक से बातें करने के लिए एक बार काम करना चाहिए। हम इस विचार के हैं कि राष्ट्र का औद्योगीकरण होना चाहिए, उद्योगों का आधुनिकीकरण होना चाहिए और श्रमिकों को राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होना चाहिए। मिनिस्टर उसके लिए क्या कर सकता है? वह नीति बना सकता है लेकिन नीति के कार्यान्वित करने के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो मैकेनिज्म चाहिए उसको यदि ठीक से नहीं देखेंगे तो आपने जो भी इनपुट किया है, उसका जो आउटपुट होने वाला है वह ठीक से आने वाला है या नहीं। हम वर्षों से देख रहे हैं कि सरकार की मंशा चाहे अच्छी रही हो पर उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। नीतियां अच्छी बनाने से कोई बात नहीं होती है। इसलिए नीतियों को कार्यान्वित करने की जो मशीनरी है, उसको ठीक से इनपुट करके करना चाहिए तब उससे अधिक परिणाम आ सकेंगे ऐसा मेरा मानना है। इसलिए चाहे आप संपत्ति बेचकर करें चाहे कोई और विपत्ति मोल लेकर करें, चाहे आप राष्ट्रीयकरण करके करें, मजदूर को तो काम मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए और मिल चलनी चाहिए। यह उसके पीछे बात होती है और इसलिए राष्ट्र की नीति का निर्माण करने वाले जो हैं, कपड़ा नीति का जो निर्माण करने वाले हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि इस तरह से जो लोग बेकार हो रहे हैं उनको बचाने के लिए बिल में सार्थक उपाय करने चाहिए। मेरे यहां हीरा मिल है। उसका एक-एक करके सारा सामान बिक गया है। राजस्थान की मिलों के बारे में ब्यावर और विजयनगर की बात चली आ रही है। जब एन. टी. सी. की मिलों को कोई

देखने वाला नहीं है तो फिर जो सौ से अधिक मिलें काम कर रही हैं उसके बारे में क्या होगा। मजदूरों की ओर से और उद्योग की ओर से भी मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि ठीक प्रकार से उद्योगों को चलाने के लिए कपड़ा क्षेत्र को ठीक से मजबूत करने के लिए, मजदूरों को पार्टिसिपेशन देने के लिए और परिसंपत्तियों को बेचकर आप कुछ करने वाले हैं तो उसका क्या परिणाम होगा ? एक बार बेचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ? इसलिए मेरा कहना है कि ये सारी की सारी बातें आनी चाहिए। आप जो समय दे रहे हैं, निश्चित रूप से हजारों मजदूरों का हित इसमें निहित है और मैं चाहता हूं कि सारी की सारी मिलें बंद हुई हैं। मेरे अपने क्षेत्र के बारे में मैंने इंदौर टेक्सटाइल मिल के बारे में बताया और सज्जन मिल के बारे में सारी की सारी निजी क्षेत्र की मिलें, प्रदेश सरकार के अंदर एस. टी. सी. की मिलें और केंद्र सरकार की मिलों के लिए ठीक प्रकार से उपाय करें और जो वायेबल यूनिट्स हैं, उनको चलाने के लिए ठीक से प्रबंध करना चाहिए। विनोद मिल्स तो बहुत अच्छी मिल है लेकिन उसमें भी हालत ठीक नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ठीक से एक नीति बनाकर ठीक प्रकार से इकोनॉमिज्म डेवलप करके अच्छा उत्पादन हो और कारखाने ठीक से चलते रहें।

श्री रामचंद्र मारोतराव घंगारे (वर्धा) : महोदय, पुलगांव कॉटन मिल्स बंद होने को आई है और वहां पर कुछ मजदूरों का आंदोलन भी चल रहा है। यह 105 साल पुरानी मिल है। यह महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन के अंतर्गत है। अभी पहले तय हुआ था और एम.एस.टी.सी. के साथ करार हुआ था कि इस मिल का मॉडनाइजेशन किया जाए और कंपोजिट मिल करके इसको चलाया जाए। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पैसा दिया गया था, उसमें से एक हफ्ता रिलीज किया। ऐसा उस वक्त की पुरानी शरद पवार सरकार ने बताया था। लेकिन वह हफ्ता पहुंचा नहीं और उसका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ।इसके बावजूद भी उसमें कुछ साल घाटा हुआ और आज ऐसी हालत है कि इसको दो खाते बंद कर दिए गए, 180 लोगों को बेकार कर दिया गया है और उस मिल को बंद करके केवल स्पिनिंग में 500 लोगों को काम मिलेगा और 1300 लोग बेकार हो जाएंगे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि यह मिल मॉडर्नाइजेशन के लायक है और एन. टी. सी. उसको अपने में मिलाए। यह महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन के हाथ में न रखें ऐसी मेरी प्रार्थना है और दूसरी प्रार्थना है कि नागपुर की मॉडल मिल के कामगारों के रहने की जो चालें हैं, वह इतनी पुरानी हो गई हैं कि उसमें क्रैक्स आ गए हैं।

6.00 म.प.

वहां लोगों के मरने की संभावना है इसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि पुलगांव मिल बहुत अच्छी मानी जाती थी उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। मेहरबानी करके उसका मॉडर्नाइजेशन कर दीजिए ताकि वह अच्छी तरह से चल सके। उसका कपड़ा काफी अच्छा था इसका भी ख्याल करना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : छः बज चुके हैं। यदि सभा सहमत हो तो समय बढ़ाया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : कपड़ा उपक्रम विधेयक के बाद हमें अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करनी है। समय बहुत कम है इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : आपको कितना समय चाहिए ?

श्री मुकुल वासनिक : उतना ही समय जितना कि आप चर्चा में लगाएं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1995 में सरकार द्वारा सुझाए गए संशोधनों का समर्थन करता हूं।

विधेयक के अनुसार रुग्ण उपक्रमों की उपयोग में न लायी गई भूमि की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग उनका आधुनिकीकरण करने में किया जाएगा। श्रीमन् इससे बंबई, कलकत्ता तथा अन्य महानगरों को लाभ होगा, जहां इन मिलों की बिना उपयोग में लायी बहुत-सी भूमि है तथा जहां आवास की बड़ी समस्या है। इससे जहां रुग्ण उपक्रमों का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी, वहां इन महानगरों में आवासीय इकाइयां बनाने में भी मदद मिलेगी।

लेकिन महोदय, जैसाकि विधेयक में दिया गया है इस धन का उपयोग आधुनिकीकरण किए जाने पर ही किया जाना चाहिए। इससे पहले सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम को बड़ी मात्रा में धन दिया था पर यह दुर्भाग्य ही है कि वह अभी भी घाटे में चल रहा है। मैं अनुभव करता हूं कि विभिन्न इकाइयों के प्रबंध की जांच किया जाना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रबंध कुशलता में सुधार करने के आवश्यक उपाय किए जा सके, अन्यथा आपके भूमि बेचकर धन देने पर भी इनकी कोई मदद संभव नहीं हो सकेगी।

यद्यपि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने कारखानों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी सिद्धांत रूप में मानी है पर मैं नहीं जानता कि विभिन्न कारखानों में यह किस सीमा तक लागू किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसे लागू कराए···(व्यवधान) मेरा कहना यह है कि जब कर्मचारी प्रबंध का एक हिस्सा बन जाएंगे तो मिल के अच्छी ढंग से चलने और उत्तम किस्म का उत्पादन करने की उनकी जिम्मेदारी भी हो जाएगी।

अंत में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस बात का गहराई से अध्ययन करे कि कौन-से उत्पाद या प्रिंट या कपड़े अधिक मांग में हैं। तथा उन्हीं उत्पादों का निगम में निर्माण किया जाए।

यह आशा करते हुए कि इससे रुग्ण उपक्रमों के आधुनिकीकरण में सुधार होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : उपाध्यक्ष महोदयक, एन. टी. सी. मिलों के बारे में, राम नाईक जी ने सदन में जो मोशन मूव किया है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये मिलें ठीक प्रकार से नहीं चल रही हैं और सरकार उनके नेशनेलाईजेशन की तरफ क्यों गई, सरकार ने आर्डिनेंस क्यों निकाला, इन सारी बातों को उन्होंने मैंशन किया।

उपाध्यक्ष जी, 1971 से लेकर आज तक एन. टी. सी. मिलों की एक कहानी है। भारत सरकार ने करीब 4 हजार करोड़ रुपए लोन की हैसियत से इन मिलों पर खर्च किए हैं। इसके अलावा बैंकों के हजारों करोड़ रुपए इन मिलों की तरफ बाकी हैं। हमने इस स्थिति में सोचा कि किस तरह इन्हें ठीक से चलाया जाए। इन सभी मिलों में 100 साल, 125 साल या 130 साल पुरानी मशीनरी है, उनको लेकर किस तरह से कपड़ा बनाया जा सकता है और आज की स्थिति में बाहर के देशों में उस कपड़े की हमें क्या वैल्यू मिलती है, इन सारी चीजों पर, वर्तमान पोर्टफोलियो का भार ग्रहण करने के

बाद स्टडी किया गया। मजदूरों की सैलरीज के बारे में मोहन रावले साहब ने यहां कई बार हंगामा किया कि उन्हें बराबर वेजेज नहीं मिल रही हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने के बाद भी पैसा न देने की बात उन्होंने कही। इस आधार पर यहां कई बार हंगामा किया गया। हमने गवर्नमेंट की तरफ से सोचा कि इन मिलों का मॉडर्नाइजेशन किया जाए। राम नाईक जी ने जो बात कही, वह बिल्कुल गलत है कि हमने इलेक्शन को देखते हुए यह बिल यहां लाया है। यदि इलेक्शनों को देखते हुए, हम यह बिल यहां लाए हैं तो आपके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं···(व्यवधान)

आपने भी कहा है। आपने भी कम नहीं कहा है। आप भी बोले हैं।

जून, 1993 में हमने टी. एस. आर. को 122 मिलों के संबंध में एक प्रोपोजल दिया। फिर सिद्रा, अटेरा, निद्रा आदि में काम बांट दिया कि इन सारी मिलों को मॉडर्नाइज करने के लिए प्लान सबमिट करें। वे हमारी राष्ट्रीय एसोसियेशंस हिंदुस्तान में ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि सारी दुनिया में बहुत अच्छा रिसर्च करके इंडस्ट्री की मदद कर रही है। इसी कारण हमने उनके सुपुर्द यह काम किया। जैसा मोहन रावले जी ने कहा, भारत सरकार ने 700 करोड़ रुपया आई. डी. बी. आई. में रखा, जिसमें से 40 करोड़ रुपया एन. टी. सी. मिलों को दिया गया और बाकी प्राइवेट मिल वालों ने ले लिया।

श्री मोहन रावले : मुंबई के लिए आपने एक पैसा भी नहीं मांगा।

श्री जी. वेंकट स्वामी : उपाध्यक्ष जी, साइंटिफिक तरीके से मिलों का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए प्लान सबमिट करने का काम हमने जून, 1993 में टी. एस. आर. को सौंप दिया। उन्होंने दिसंबर, 1994 में हमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उसके बाद हम ट्राइपार्टाइट कमेटी के सामने 1994 में गए। उस ट्राइपार्टाइट कमेटी में आपके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे जो ट्रेड यूनियन लिंग के हैं। वहां 6 महीने नहीं बल्कि 9 महीने तक डिस्कशन होता रहा, मर्जर एंड क्लोजर के एक ही सब्जैक्ट को लेकर। सारे ट्रेड यूनियन के लीडर उसमें थे, मोहन रावले जी भी उसमें मैंबर थे, तोपदार साहब भी थे। ट्राइपार्टाइट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, हम लीगल डिपार्टमेंट के सामने गए। उनसे एक्जामिन कराने के बाद हम कैबिनेट के सामने गए। कैबिनेट में जाने के बाद, बी. आई. एफ. आर. ने हमें नोटिस दिया कि यह लास्ट डेट है, उसके बाद क्लोजर के लिए हम डिक्लेयर कर देंगे। ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि क्या किया जाए। हमारे सामने आर्डिनेंस के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। आर्डिनेंस निकालकर हम बी. आई. एफ. आर. के पास फिर गए। मैं आपसे कहता हूं कि आप बी. आई. एफ. आर. में रिप्रेजेंट कीजिए कि केस को खत्म करे क्योंकि हमने केस वहां कैबिनेट डिसीजन के बाद प्रस्तुत किया है और आई. डी. बी. आई. की स्कीम की रिकमेंडेशन के साथ सबमिट किया है लेकिन बी. आई. एफ. आर. ने उसे रोके रखा। ऐसी स्थिति में, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए था।

तो आप यह तस्दीक करेंगे कि मैंने उजलत में जो आर्डिनेंस निकाला है, उसके पीछे यह हिस्ट्री थी, यह बैकग्राउंड था। आपको कंविंस करने के लिए मैं यह बात कर रहा हूं, वरना मुझे क्या जरूरत थी। लास्ट डे था पार्लियामेंट का, मैंने उस वक्त इसे इंट्रोड्यूस किया ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि प्राइवेट सैक्टर में कितनी मिले हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 1300 टेक्सटाइल मिलें हैं। इनमें से 700-800 मिलें तो सेमी-सिक और सिक मिलें हैं जिनमें एक लाख के करीब मजदूर इंतजार कर रहे हैं कि जैसे एन. टी. सी. की मिलों का हुआ है, हमारा भी कुछ होगा।

गुजरात में हो रहा है कि दिन प्रतिदिन मिलें बंद होती जा रही हैं। जिस गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर समझा जाता था, वहां आज एक के बाद एक मिल बंद होती जा रही हैं। मैं शहाबुद्दीन साहब की बात को एप्रीशिएट करता हूं कि उन्होंने कहा है देश के लिए एक अच्छी टेक्सटाइल पॉलिसी डिक्लेयर करो। एन. टी. सी. के होने के बाद, जो प्राइवेट सैक्टर की मिले हैं, जो सिक हैं, जो इस प्रकार की स्कीम में शामिल होने के लिए तड़प रही हैं, वे यहां होते, तो मैं उनको बताता कि हमारे दिमाग में, मिनिस्ट्री के दिमाग में यह है कि एन. टी. सी. की 122 मिलों का मॉडर्नाइजेशन करने के बाद, यानी इन मिलों की जो 125 साल पुरानी मशीनरी है निकालकर फेंकने के बाद, उनको मॉडर्न करें। हमारे उत्पादन के लिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया इंतजार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने गवर्नमेंट से एक पैसा भी लिए बगैर 122 मिलों का मॉडर्नाइजेशन करने का काम हाथ में लिया है। हमारा जार्ज साहब देख रहे हैं कि आंखें खोलकर देखो, कि कहीं डंडी तो नहीं मार रहे हैं। मैं तो आपसे अवश्य कहना कि यहां पर तोपदार साहब बैठे हैं, कंसल्टेटिव कमेटी में मैंने बोला कि आप सब लोग जिम्मेदारी लो और कहो कि हम मॉडर्नाइजेशन स्कीम को एप्रीशिएट करते हैं। लो जिम्मेदारी, बेचो जमीन को लाओ पैसा और मॉडर्नाइजेशन करो। मैं आपको दो काम देना चाहता हूं। मैं आपके सामने दो काम रखना चाहता हूं। आपके सामने रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री तरित वरण तोपदार : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। आधुनिकीकरण करने के लिए पेश किए गए इस विधेयक को पहले सरकार की एक अपनी नीति थी जिसके लिए 536 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस योजना के लिए यह स्वयं यह राशि या कुछ राशि क्यों उपलब्ध नहीं करवाई। आपको संसद को बताना चाहिए कि आपके सामने क्या कठिनाई थी। यह भी स्पष्ट करना चहिए कि संसद के सामने एक साल से भी अधिक समय के बाद यह विधेयक क्यों लाए जिसके कारण आपको अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ा···(व्यवधान)

श्री जी. वेंकट स्वामी : आप सब कुछ जानते हैं। मैं इसे और अधिक स्पष्ट नहीं करना चाहता। मैं पिछले तीन वर्ष से प्रयत्न कर रहा हूं।

[हिंदी]

साहब, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आज जो स्ट्रेटेजी कैबीनेट ने सैंक्शन की है, उसमें जो है वह वेजेज मॉडर्नाइजेशन के लिए है। जब तक मॉडर्नाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक हम मजदूर को भूखा नहीं मरने देंगे। हमने यह कैबिनेट से सैंक्शन करवाया है। मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार बजट नहीं दे रही है। हमने मिनिस्ट्री की तरफ से रिस्क लिया है। हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेंगे। हमने इनकी सरप्लस लैंड को बेचकर के जो पैसा निकालेंगे उससे इनका माडर्नाइजेशन करेंगे और उनको नए सिरे लगाएंगे। अगर यह स्कीम बुरी है, तो पार्लियामेंट के मैंबर बताएं। आपके सामने एक स्कीम रखी है। अगर एप्रीशिएट करते हैं, तो बताएं, नहीं तो मजदूरों के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएं।

श्री तरित वरण तोपदार : हम यह कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी पैसा देना चाहिए।

श्री जी. वेंकटस्वामी : मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा साहब, राम नाईक जी कह रहे थे, इलेक्शन परपस के लिए मॉडर्नाइजेशन नहीं लाया गया। यह

तो 1993 से शुरू होकर यहां तक पहुंचा है। अब 15 मिलें बच गई हैं, जो इन भाई साहब को नहीं मालूम है। नेशनलाईजेशन के लिए पहली बार नहीं है, यह पहले भी कई बार आया है। हम ही इसे चला रहे हैं। अगर इसको मॉडर्नाइजेशन करना है तो नेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। इसलिए आज 15 मिलों के लिए हम पार्लियामेंट के सामने आए हैं ताकि उनका भी नेशनलाइजेशन हो और हम पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर आगे बढ़ें। यह हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य को लेकर हम जा रहे हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने मॉडर्नाइजेशन को विदाउट बजटरी स्पोर्ट लिया है। टी. आर. एस. ने रिपोर्ट दी जिसमें पुरानी मशीनरी को निकालकर नयी लगाने में 2005 करोड़ की उन्होंने स्कीम बनाकर दी है। इसके लिए हमने सी. बी. डी. टी. से रिक्वेस्ट की है। इंकम टैक्स वालों को आखिर कितनी सरप्लस लैंड मिलेगी और इससे उनको कितना पैसा आएगा। इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि इसकी कितनी वेल्यू हो सकती है, कितना पैसा हो सकता है, वह रिपोर्ट भी हमने कैबिनेट के सामने रखी। एक सिसटमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर जाने के लिए हम यह स्कीम लाए हैं और बजट स्पोर्ट के इसको करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : क्या केबिनेट ने विश्वास नहीं किया, जो एक साल बाद आए ?

श्री जी. वेंकट स्वामी : यह भी गलत है। मैं निर्देश देता हूं कि जिस तरीके को ट्राइपार्टाइट कमेटी ने पास किया है, जिसमें आप भी मौजूद हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से एग्जामिन करने के बाद हम लोगों ने इसे केबिनेट के सामने रखा।

उपाध्यक्ष जी, मैं सारी बातें इसलिए सामने रख रहा हूं क्योंकि दुनिया हमारी 122 टेक्सटाइल मिलों की तरफ देख रही है। आप देखेंगे जिस रोज मैंने इसे अपने हाथ में लिया, उस समय केवल 12 हजार एक्सपोर्ट था। हम एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत आगे बढ़े हैं कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मिले, इसके लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है। 12 लाख से बढ़कर 1994-95 में 38 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने किया है। हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। आज सारी दुनिया में चाइना के बाद हमारा दूसरा नंबर आया है और वर्ल्ड परसेंटेज में चाइना 13 परसेंट तक चला गया है जबकि हम अभी दो परसेंट में ही लटक रहे हैं। अगर इन 122 मिलों में मॉडर्नाइजेशन हो जाए तो हम 6-7 परसेंट तक पहुंच सकते हैं।

अभी हमारे शहाबुद्दीन साहब व अन्य माननीय सदस्यों ने दूसरी स्कीम के लिए कहा कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी आप देखें। उसके लिए भी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सोच रही है। अभी हम नयी स्कीम लेकर आपके सामने आए हैं और जल्द ही मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर जाने के लिए एक दूसरी स्कीम भी सारे हिंदुस्तान के सामने रखेंगे।

उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि हमारा दिल अंदर से साफ था इसलिए हम सोचते थे कि किस तरह से इसका मॉडर्नाइजेशन किया जाए। हम ग्लोबल टेंडर करेंगे, सेल ऑफ लैंड और परचेस ऑफ मशीनरी—उसकी दो कमेटियां बनेगी। उसके लिए मैं ईमानदारी से बैठकर फैसला करने वाले लोगों को ढूंढ़ रहा हूं। कई माननीय सदस्य उसके बारे में जानते हैं। कई लोगों से मैंने कहा भी कि आप कुछ नाम बताइए। संसद सदस्यों से भी कहा कि आप कुछ नाम दीजिए ताकि इसमें कोई घपला न हो। ये सब तो पार्लियामेंट में झांककर देखते हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है। यह तो होता ही है और डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए। मैं पार्लियामेंट मैंबरों की कमेटी बनाना चाहता हूं। आप लोग इसकी रिसपौनसीबिलिटी लो, आप लोग हिम्मत करो फिर मैं देखता हूं।

उपाध्यक्ष जी, मैं नहीं चाहता कि कोई हम पर अंगुली उठाए। मैं इस फ्लोर में आज कहता हूं कि मेरे आने के इन तीन सालों में कोई अंगुली उठाकर कह दे कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में करप्शन है, वेंकट स्वामी के साथ करप्शन है या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ करप्शन है।...(व्यवधान)

डॉ. एस. पी. यादव (सम्भल) : इस मंत्रालय को छोड़कर बाकी मंत्रालयों में तो है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के लिए कह रहा हूं। अगर इसमें है तो मुझे बताइए। मैं आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 37 प्रतिशत तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ही कर रही है। मैं समझता हूं कि सारी मिलों को मॉडर्नाइजेशन के बाद देश को टोटल एक्सपोर्ट की परसैन्टेज बढ़ सकती है बशर्ते आप सबकी मदद मिले, कोपरेशन मिले। मैं यह बात कभी नहीं भूल सकता कि हमने सारी यूनियन के लीडर्स के साथ स्पेशन ट्राइपार्टाइट मीटिंग में छः महीने तक डिस्कशन की और उनकी मंजूरी के बाद ही हम आगे बढ़े हैं।...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उन्होंने तो कंप्लेंट की है कि आपने उनसे बात नहीं की।

श्री जी. वेंकट स्वामी : सब यूनियंस के साथ छः महीने तक बैठकर बात की है। आप अभी-अभी आए हैं, आपको मालूम नहीं है।

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण मध्य) : क्या आपने बंबई की रिकगनाइज्ड यूनियन के साथ बातचीत की है ?

श्री जी. वेंकट स्वामी : लेबर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाई गई थी। वाजपेयी जी जानते हैं, मैं 1972 में भी डीप्टी लेबर मिनिस्टर था। मैं जानता हूं कि कौन-सी यूनियन रिकगनाइज्ड है। उसके नीचे के सैंट्रल ट्रेड यूनियन के मेम्बर भी ऐसी ही आ जाते थे। उन मीटिंग में सक्सेसफुल डिसीजन हुए। आप झांक-झांककर देखते थे फिर भी कहते हैं कि नहीं बुलाया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अपनी बात पूरी नहीं की है। जब वे ऐसा करें तब आप प्रश्न करें।

[हिंदी]

श्री मोहन रावले : मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, देश के बारे में कह रहा हूं।

श्री राम कृपाल यादव : महाराष्ट्र की एक कामगार यूनियन का नाम गिरनी है। उनके साथ आपने बात नहीं की।

श्री जी. वेंकट स्वामी : सैंट्रल यूनियन में जो लोग आए थे मैं उनके नाम पढ़ सकता हूं सर्वश्री भोपेश्वर—इंटक, एन. एस. राव—इंटक, जी. प्रभाकर—आई. एम. एस., आर. के. भक्त—बी. एम. एस., यू. पुरोहित—एच. एम. एस., एम. एस. कृष्णन एटक, बी. डी. जोशी—एटक, ऐनम—बारोट, पी. के. गांगुली, कनई बैनर्जी, प्रीतिश चक्र—यूटक, बी. त्यागी—एच. एम. एस.। इसमें एस. एन. राव महाराष्ट्र से आए थे लेकिन हरि बाबू नायक ने पर्टीसिपेट किया था। ये सारी यूनियंस रिकगनाइज्ड हैं।

इन्हीं के साथ बातचीत हुई है। यदि इनडिविजुअल यूनियन को लेकर बैठते तो आपका दिवाला निकल जाता। इसमें दत्ता सामंत भी नहीं हैं, उन्होंने पूरी बंबई में स्ट्राइक करवाई थी।...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : देश के दूसरे कामगारों के साथ बातचीत करने में आपको क्या दिक्कत है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : स्पेशल ट्राइपार्टाइट मीटिंग लेबर मिनिस्ट्री ने बुलाई थी, आप उनसे पूछिए, मुझसे नहीं। यह मेरी रिसपौनसीबिलिटी नहीं है।

मैं 1946-47 से बंबई जाता हूं। उस वक्त बंबई रात और दिन जागता था और मैं आज जाता हूं तो बंबई रात में सोता है और दिन में जागता है। केवल टेक्सटाइल वर्किंग क्लास बंबई को रात और दिन जगाता था। आपने सही कहा कि इंडस्ट्रीज की 1982 की स्ट्राइक के बाद जो हालात हुए हैं, उन सारे हालात में ट्रेड यूनियन लीडर की हैसियत से मैं जाता था, आप भी जानते हैं, अम्बेडकर जी हमारे बहुत बड़े लीडर थे, उनके साथ हम लोग आए, 1958 में उनके साथ मैंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट की ट्रेनिंग ली, वासोवा खांडोभाई के साथ मैंने 1946-47 में ट्रेनिंग ली। अब इन सारी चीजों की, अपने ट्रेड यूनियन एक्सपीरिएंस को इसमें निचोड़कर इन मिलों का मॉडर्नाइजेशन करके इन्हें अपने कदमों पर ठहराकर कराने के लिए मैंने स्कीम आपके सामने रखी है।

ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि हाथी तो निकल गया, यह 15 मिलों की दुम रह गई, सारी की सारी मिलें तो पहले ही नेशनलाइज हो गई हैं। यहां लोग समझ रहे हैं, मिसेज दूबे कह रही थीं कि क्या गोलमाल हो जाने वाला है, यह तो पहले ही हो गया है, टेक ओवर मिलें आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में हैं। इस लिहाज से इन 15 मिलों को जब तक आप नेशनलाइज नहीं करेंगे, आप मॉडर्नाइजेशन की स्कीम शुरू नहीं कर सकते, बी. आई. एफ. आर. के सामने नहीं जा सकते।

राम नाईक जी की मालूमात के लिए मैं आपको बताता हूं, आर्डिनेंस जारी करते ही हमने इम्मीडिएटली बी. आई. एफ. आर. को एप्रोच किया और कैबिनेट डिसीजन सबमिट किया। अगर यह बिल पूरी तरह से आप आज मंजूर करेंगे तो कल हम बी. आई. एफ. आर. को कहेंगे कि इम्मीडिएटली आप इजाजत दीजिए ताकि मॉडर्नाइजेशन का काम हम शुरू करें।

मैं झा साहब को विश्वास दिलाता हूं कि इसमें हमारी इंडीपेंडेंट अलग परचेज कमेटी होगी और वह परचेज कमेटी ग्लोबल टैंडर के साथ टैंडर काल फार करके परचेज करेगी। इसी तरह से सेल्स ऑफ लैंड के बारे में मोहन रावले जी का कहना है, नई तरकीब, नई स्कीम, नया प्लान उन्होंने सबमिट किया है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उससे बढ़कर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, अगर जमीन बेचे बगैर पैसा हमारे पास आता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। मैं एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करने के बाद ही उस राय को आगे लेकर जाऊंगा, अभी मेरा यहां कोई प्रोमिस करने का कोई सवाल नहीं है।

जब आप बिल मंजूर करके हमारे हाथ में दे रहे हैं तो हम चारों तरफ से देखेंगे कि कौन-सी स्कीम अच्छी है, कौन-सी स्कीम मजदूरों के लिए अच्छी है। हमारी एन. टी. सी. मिलों में 1,76,000 मजदूर थे, जो सरप्लस थे, उनमें से कुछ वी. आर. एस. में चले गए हैं और कुछ और जाना चाहते हैं। ट्रीपार्टाइट कमेटी ने जैसी इजाजत दी कि 'नो रिट्रेंचमेंट, नो प्राइवेटाइजेशन और नो क्लोजर', इस तरह से पांच चीजों का डिसीजन हुआ है, उस डिसीजन पर गवर्नमेंट डिटरमिन है और डिटरमिनेशन के साथ इन सब मिलों का मॉडर्नाइजेशन करना चाहती है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : मोहिनी मिल का क्या हुआ ?

श्री चित्त बसु (बारासाट) : मजदूरों की भागीदारी का क्या रहा ?

[हिंदी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : वह भी एक है। पार्टीसिपेशन में क्या है, सब नखरे हैं, पार्टीसिपेशन कहते हैं और पार्टीसिपेशन फ्लोर लेविल पर हम दे देते हैं, पार्टीसिपेशन फ्लोर लेविल पर मिलता है। चित्त बसु जी, मैं तो चाहता हूं कि अगर वर्किंग क्लास का पार्टीसिपेशन हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक होना चाहिए। जिससे फाइनेंशियल, प्रॉफिट एंड लॉस उसको मालूम हो जाए, मैं ऐसा पार्टीसिपेशन चाहता हूं और उसको लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करके नहीं, बल्कि इम्प्लीमेंट करके मैं आपके सामने आने की कोशिश करूंगा। मैं जिंदगी भर पार्टीसिपेशन के लिए लड़ा हूं, मालिक रैजोल्यूशन को लेते थे और फ्लोर लेविल तक पार्टीसेपिशन देते थे इसलिए फिर उठकर हमको आना पड़ता था। यहां एक नया स्वरूप एन. टी. सी. मिलों के साथ हम शुरू करेंगे।...(व्यवधान) हम बिल्कुल देने वाले हैं।

राम नाईक जी ने एक शंका जाहिर की है कि यह लेने के बाद इसका स्वरूप क्या होगा। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइंट है, हम जमीन बेचकर पैसे लेंगे, मशीनरी लाएंगे, सब लाएंगे, फिर तैयार भी कर देंगे, चलाने के बारे में क्या होगा, इसकी मशीनरी कैसी होगी, इस मामले में भी बड़े गौर के साथ हम सोच रहे हैं, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बोबिन से लेकर ब्लो रूम तक जानता हूं, हम वैलेंस सीट लेकर कोर्ट में झगड़े लड़े, जज के सामने आर्गू किए, मैनेजमेंट के साथ कभी पीछे नहीं हटे। आपके स्टेट टेक्सटाइल में क्या हो रहा है ? क्यों बीमार हो रहे हैं ? कॉटन परचेज में धंधा, यार्न सेल में धंधा। इंडस्ट्री कैसे ऊपर आएगी ? यह है टेक्सटाइल मिलों का सिक्रेट। टेक्सटाइल मिल वालों ने सब रस चूस लिया और छोड़ दिया एन. टी. सी. के हाथ में। यह तो अच्छे रहे। अब मेरे पास आ रहे हैं कि हम भी लेने को तैयार हैं। क्यों लेना चाहते हैं ? अब वैल्यू ऑफ लैंड बढ़ गया है। वे मजदूरों को बेकार कर देंगे और सारा रस चूसकर थोड़े से मिलों को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मनमोहन सिंह जी ने कहा कि कितने साल अब इतने हजार करोड़ रुपए देते रहेंगे, ले जाओ। मैं उनसे लड़ा। लिबरलाइजेशन एक तरफ, दूसरी तरफ नेशनलाइजेशन क्या है ? मैं उनसे लड़ा कि हम आधुनिकीकरण करके आपको बताएंगे। आपको पैसे की जरूरत नहीं है। तब उन्होंने एग्री किया है, कैबिनेट ने भी एग्री किया, प्रधानमंत्री ने एग्री किया कि करो आधुनिकीकरण और चलाओ मिलों को। इसलिए यहां तक इस रास्ते को हम लाए हैं। इस पर जल्दी से जल्दी अमल करने की बात है। परसों सत्र खत्म हो रहा है। आप संसद में इस बिल की मंजूरी दे देंगे तो हम बी. आई. एफ. आर. के सामने सब्मिट करेंगे। काम शुरू करने की हमारी स्कीम है। जैसा दादा साहब ने कहा कि आधुनिकीकरण में क्या पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट है ? कई सौ करोड़ रुपया देना पड़ेगा आधुनिकीकरण के लिए। एक दिन में तो नहीं होगा, एक साल में तो नहीं होगा। हम टार्गेट रख रहे हैं कि डेढ़ साल के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। डेढ़ साल टाइम-बाउंड प्रोग्राम देकर हम इसे करेंगे। डेढ़ साल में जितना देना पड़ेगा सरकार को वही पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट होगा। हम मशीनरी पर पैसा नहीं दे रहे हैं हम खुद पैदा कर रहे हैं। यह है स्वरूप आधुनिकीकरण का जो आपके सामने मैंने रखा है। उनकी पॉलिसी है लिबरलाइजेशन की। उन्होंने कहा कि लिबरलाइजेशन के अनुसार नेशनलाइजेशन क्या है ? बेचकर

खत्म करो। हमने सोचा कि यह पुराने मालिक हैं ले लेंगे। जो रस चूसकर छोड़ दिए हैं फिर करोड़ों रुपए कमाएंगे। इसलिए हमने इनको नेशनलाइज रखते हुए इनका आधुनिकीकरण करने की चेष्टा की और उसको फाइनेंस मिनिस्टरी और खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री ने हमको मदद किया है। इसको ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों के सहयोग से मैं सफलतापूर्वक आधुनिकीकरण करना चाहता हूं।

जो भी मैंबर सेल-सप्लाई की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं आगे आइए वरना हम कमेटी बनाकर इसको करेंगे। ऐसी कमेटी जिस पर कोई उंगली उठाकर न बताए। हम उसमें इन्वाल्व नहीं होंगे। वही कमेटी डिसाइड करेगी सेल ऑफ लैंड की।

श्री राम कृपाल यादव : लैंड ऑफ सेल के लिए जो कमेटी बनेगी उसका क्या स्वरूप होगा ?

श्री जी. वेंकट स्वामी : अभी ऐसा नहीं है तो कैसा स्वरूप होगा ?

श्री राम कृपाल यादव : नहीं आप तो कह रहे हैं कि आप बनाएंगे।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैंने कहा कि जो सेल के लिए कमेटी होगी वही कमेटी सेल करेगी। उस कमेटी में कौन-कौन रहेगा उसके लिए आप कुछ ईमानदार आदमियों के नाम दीजिए, मैं उन्हें उसमें रखता हूं।

[अनुवाद]

श्री अखिल वसु (आरामबाग) : तब, आप संशोधन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : संशोधन क्या है ?

श्री अखिल वसु : यह है कि भूमि की बिक्री से जो भी धन आए, उसका उपयोग···।

श्री जी. वेंकट स्वामी : आपने उसे समझा नहीं है।

[हिंदी]

पहले जहां बेचते हैं मिल को उसकी आधुनिकीकरण करके दूसरी तरफ ले जाओ। मैं विश्वास दिलाता हूं कि काम वहां से शुरू होगा। बेचा तो दूसरी तरफ जाएगा। नाईक साहब का प्रपोजल मैंने मान लिया है। उसको बेचकर पैसे लेकर भागना तो नहीं है। देश की 122 मिलों को ठीक करने की जिम्मेदारी इस संसद पर है। एक जगह का पैसा दूसरी जगह भी जाता है तो ले जाएंगे और बनाएंगे। रावले जी कहते हैं कि यह मत बोलो। फिर कैसे चलेगा ? देश आपका है। नाईक जी ने ठीक कहा। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं कि जिस मिल का पैसा है पहले उसके लिए करेंगे फिर दूसरी मिलों को करेंगे। नाईक साहब, इसके बाद मैं नहीं समझता की आपका संशोधन रहेगा।

श्रीमती सरोज दुबे : इस मिल की जमीन बेचने से पैसा आएगा।···(व्यवधान)

श्री जी. वेंकट स्वामी : आपने मेरी पूरी स्पीच नहीं सुनी है।···(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, उसने जो रोक लगायी थी, उस बारे में आपने बात नहीं की है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : आप मालिकों की तरफ से बात कर रहे हैं तो मैं आपको भी जवाब देता हूं।

श्री राम कृपाल यादव : इसके लीगल आस्पैक्ट में बात करेंगे या नहीं ?

श्री जी. वेंकट स्वामी : लीगल आस्पैक्ट वगैरह कुछ नहीं है। साफ-साफ बात करेंगे। यह मालिक वगैरह आपसे मिले हैं क्या ? अभी सब मालिक लोग यहां पर हैं, प्रैशर डाल रहे हैं। आप पर भी प्रैशर आया है तो मैं उसका जवाब देता हूं। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज जो भी बिल पर चर्चा की है, जो सलाह दी है मैं उन पर विचार करूंगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप मोहिनी मिल के बारे में फिर से विचार क्यों नहीं करते ?

श्री तरित बरण तोपदार : 16 मिलों का प्रबंध हाथ में लिया गया है। आप भेद-भाव क्यों बरत रहे हैं···(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : सोमनाथ चटर्जी मोहिनी मिल्स के प्रेजीडेंट थे और उन्होंने टेकओवर होने के बाद नहीं मालूम सोमनाथ चटर्जी ने आप लोगों से मिलकर विदड्रॉ किया या क्या किया। उसके बाद वे हाई कोर्ट तक गए। अब मामला कहां रुका है मुझे नहीं मालूम। मेरे पास नहीं है।

श्री तरित बरण तोपदार : जब डीनोटिफिकेशन हुआ तब सरकार के पास बार-बार बोलने के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ, पूरा खत्म हो गया, लोग बिना खाने के मर रहे हैं, तब जाकर हाई कोर्ट में केस किया डीनोटिफिकेशन के खिलाफ।

श्री जी. वेंकट स्वामी : वहां पर हार गए। हारने के बाद क्या कर सकते हैं।

श्री तरित बरण तोपदार : हारने की बात छोड़िए। इसलिए कि आज जो टेकन ओवर के खिलाफ मालिकों ने मुकदमा किया है सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रीयकरण बिल पेश होने के साथ वह मामला खत्म हो जाएगा। आप समझे कि उस मामले में हार गए इससे आप अगर कहें कि मोहिनी मिल का कोई मामला आपके सामने नहीं है, तो मुश्किल है। आपने तो कहा था कि आप इसे देखेंगे।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैंने कहा है कि एक रास्ता निकला है मॉडर्नाइजेशन का। इसको आप लोग कामयाब करने के लिए सहयोग दें। साथ ही साथ हमारे माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया कि प्राइवेट सैक्टर में जितनी सिक मिल्स हैं, उन पर भी एक टेक्सटाइल पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं उसको सोच-समझकर माननीय सदस्यों के सामने आऊंगा। वह अगर हाथ में लेंगे तो 15 हजार से 20 हजार रुपए के एक्सपेंडीचर हैं। यह सिर्फ 2000 का है। पूरा रिवॉल्यूशन आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उस चीज को सोच-समझकर आगे बढ़ने की कोशिश हम करते हैं।

श्री रतिलाल वर्मा (धंधुका) : जो अहमदाबाद में कैलिको मिल्स है, उसके लिए भी कुछ आश्वासन दे दीजिए। लोग बहुत परेशान हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया है। अब हम आगे बढ़ें।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यदि आप मोहिनी मिल के बारे में फिर से विचार करने की बात कहते हैं, तो हम संतुष्ट हैं।

श्री चित्त बसु : उसे सूची में नहीं रखा गया है। परंतु उसे फिर शामिल करने पर इससे रोक नहीं लगती।

[हिंदी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं निर्मल बाबू को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मेरी नई स्कीम बड़े पैमाने पर आ रही है, इतने साल तो हो ही गए जरा सब्र और करो। सारे प्राइवेट सैक्टर के लिए मैं स्कीम ला रहा हूं उस स्कीम तक मौका दीजिए, एक मिल के लिए नहीं। देश के अंदर जितने मिल मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं उन सबके लिए मैं एक रास्ता निकाल रहा हूं।

श्री तरित बरण तोपदार : यह एक मिल का सवाल नहीं है, 16 मिल का सवाल है।

[अनुवाद]

पंद्रह नहीं, सोलह में एक कम···(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप एक बात पर दृढ़ हैं, जिसका हम सभी समर्थन करते हैं।

[हिंदी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं बोलूं और आपसे वायदा करूं तो कल से मेरा काम शुरू होता। इसलिए मैं झूठा वायदा नहीं करना चाहता। मैं आपको झूठा विश्वास नहीं दिलाना चाहता। मैं बता रहा हूं कि सारे हिंदुस्तान की मिलों के साथ मोहिनी मिल को भी लूंगा।

श्री राम नाईक : माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया उससे कुछ जानकारी तो मिली। मैं यह मानता था कि वे इतना कहेंगे कि मैंने जो डिसअप्रूवल का मोशन दिया है वह वापस लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं अभी भी कहूंगा कि आप मेहरबानी करके उसको विदड्रा कीजिए। जवाब तो दे दिया, ठीक कर लिया मैंने। आपका जो अमेंडमेंट है उसको मैं एग्री करता हूं।

श्री राम नाईक : स्वीकार कर रहे हैं मुझे मालूम है। मंत्री महोदय ने ऑर्डिनेंस के बारे में कहा उसमें उन्होंने कहा कि बिल पास करो तो फिर हम बी. आई. एफ. आर. के पास जाएंगे, फिर काम शुरू करेंगे। इसका मतलब ऑर्डिनेंस पास करने के बाद यह कानून बन गया है तो अभी यह बिल् पास हो या नहीं हो, कल हो या परसों हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि ऑर्डिनेंस निकालने के बाद जो काम करना चाहिए था वह किया नहीं है। इसलिए ऐसा काम आप करते नहीं हैं। दूसरा, ऑर्डिनेंस निकालने की जो आदत है उसकी निंदा की है। एक बात मैं कहूंगा, अच्छा होता शरद दीघेजी यहां होते। उन्होंने यह कहा कि मैंने गलत समय में यह विधेयक लाने में रोक लगा दी थी उसकी वजह से उनको ऑर्डिनेंस निकालना पड़ा। शरद दीघेजी महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। दो तारीख को आप एक विधेयक यहां लाते हैं, दूसरा विधेयक 3 तारीख को लाने वाले थे। राज्य सभा 2.तारीख को ही समाप्त हो गई थी तो फिर आप यह विधेयक कैसे पास करा सकते थे! इसलिए मेरा जो ऑब्जेक्शन था कि विधेयक का अध्ययन अच्छा होना चाहिए, वह हुआ। मैंने बताया कि 9 मीटिंग इस कमेटी की हुई और उसके बाद यह रिपोर्ट आई। आप जल्दबाजी में यह करते तो यह नहीं होता। इसलिए ऑर्डिनेंस निकालते समय ऐसा तर्क दीजिए जो अंतर्विरोधों से भरा नहीं हो। अंतर्विरोधों की बात ऑर्डिनेंस के बारे में की है, ऐसा मुझे लगता है।

अब दो-तीन बातें मंत्री महोदय आपको स्पष्ट करनी चाहिए। मैंने आपको यह नहीं कहा कि आप चुनाव के बारे में यह कर रहे हैं। मैंने यह कहा कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने 12 साल की इसमें देरी लगाई है। अब आपकी प्लानिंग किस प्रकार की है। बी. आई. एफ. आर. में ऑर्डिनेंस निकालने के बाद इसका फैसला क्यों नहीं किया ? इसका जवाब आपने नहीं दिया। आप यह कह रहे हैं कि बिल पास करो, फिर बी. आई. एफ. आर. काम शुरू करेगा। मुझे लगा कि ऑर्डिनेंस निकालने का जो उद्देश्य होता है, उस तरह से यह ऑर्डिनेंस नहीं निकाला गया।

श्री जी. वेंकट स्वामी : राम नाईक जी, अगर आप मेरी जगह होते, तो कैबिनेट डिसीजन होने के बाद, मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या करते? ऑर्डिनेंस निकालकर हम बी. आई. एफ. आर. के पास गए और उनसे कहा कि कैबिनेट ने सैंक्शन दे दी है, आप मंजूरी दीजिए, आप साईन कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें।

श्री राम नाईक : अगर मैं आपकी जगह होता तो बता देता कि मैं क्या करता। मैं यहां 2 जून को बिल नहीं लाता क्योंकि मुझे पता था कि 3 जून को राज्य सभा चालू नहीं है। ऐसी हालत में बिल लाना संभव नहीं था। आप जब यह बिल लाए, उसके बाद ऑर्डिनेंस निकाला, इस बात पर मुझे आपत्ति है। यदि कोई बात आपको अच्छी लगती है तो उसे आपको माननी चाहिए और किसी तरह का विरोध नहीं करना चाहिए।

यह बात ठीक है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, सभी बातें अच्छी हैं लेकिन टेक्सटाइल क्षेत्र में इसलिए प्रगति हो रही है क्योंकि सब जगह पावरलूम बढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मंत्री महोदय के उत्तर के बाद भी आप बोले चले जा रहे हैं।

श्री राम नाईक : आप बहुत अच्छे संसदीय कार्य मंत्री हैं। अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला मेरा एक प्रस्ताव है।

[हिंदी]

क्या मंत्री जी, आप ऐसा पूछ रहे हैं कि मंत्री के उत्तर के बाद डिस्कशन क्यों हो रहा है, बड़े कमाल की बात है। इस तरह आप कैसे काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। आपको समझना चाहिए और कम से कम ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

मैं कह रहा था कि पावरलूम के कारण हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और सारी अच्छी बातें हो रही हैं। आपने टेक्सटाइल उद्योग का विकास करने के लिए जो कुछ किया है, वह उचित है, ऐसा मैं कह रहा हूं। इस विधेयक को लाने का काम आप कर रहे हैं, यह उचित है, ऐसा मैंने कहा है और दोबारा कहता हूं। जहां तक जमीन बेचने की जिम्मेदारी या उस पर किस तरह का कंट्रोल रखना चाहिए, उसके बारे में आपने कहा कि जो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, उसे मैं देने को तैयार हूं। हम मुंबई के तीन एम. पी. यहां हैं। शरद दिघे जी इस समय यहां नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शरद दिघे जी के नेतृत्व में काम करने को

तैयार हूं। मेरे अलावा मोहन रावले जी भी काम करेंगे। कम से कम मुंबई शहर की जमीन के बारे में कोई गलत निर्णय न हो सके, उसके लिए हम काम करने को तैयार हैं। इस बारे में आप जो उचित निर्णय करना चाहें, करें, लेकिन मुझे विश्वास है कि शरद दिघे जी मेरी बात को मानेंगे और उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे।

अंतिम बात है कि जैसा अभी मंत्री जी ने कहा हम सहकारी मिल बनाकर चलाने के लिए तैयार हैं, ऐसी ऑफर आपने दी लेकिन कोई आपके सामने आज तक नहीं आया। मैं आपके सामने एक लैटर पढ़ना चाहता हूं—

[अनुवाद]

यह पत्र श्री जी. वेंकट स्वामी ने डॉ. दत्ता सामंत को 28 अगस्त, 1993 को लिखा था। उसमें कहा गया है —

"हम मैसर्स न्यू हिन्द टेक्सटाइल मिल्स और भारत टेक्सटाइल मिल्स को सौंपने के किसी भी कारगर प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हैं, बशर्ते इसमें सभी संबंधित पक्षों की सहमति हो।"

[हिंदी]

दत्ता सामंत साहब से हमारा राजनैतिक विरोध है लेकिन वहां न्यू हिन्द टेक्सटाइल कामगर कपड़ा उद्योग सहकारी सोसायटी मर्यादित बनाकर, उन्होंने आपके पास प्रोपोजल भेजा है। मेरा कहना है कि मुंबई शहर में यह एक विवाद का विषय बन गया है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : यह सही है कि दत्ता सामंत जी ने यहां आकर कहा। मैंने उनसे कहा कि आप बनाइए, मैं पूरा सपोर्ट करता हूं। उस वक्त भी मैंने कहा और दिल्ली में आकर जब उन्होंने सबमिट किया तो भी कहा कि सोसायटी रजिस्टर कराके ले आओ। मैं आपको कहता हूं कि 6 महीने तक मैंने वर्कर्स को देने के लिए इंतजार किया। आप मोहन रावले जी से पूछिए।

श्री राम नाईक : आपने कहा है, मैं दोबारा उनसे कहता हूं। यदि उन्होंने कुछ गलत कहा होगा तो उनका पर्दाफाश होना चाहिए। उन्होंने जो सोसायटी रजिस्टर्ड कराई है, उसका प्रोपोजल भेजने के लिए मैं उनसे कहता हूं। मुंबई के कामगारों के हित में फैसला होना चाहिए। इसके लिए कोई राजनैतिक बात बीच में नहीं आनी चाहिए।

इसलिए मैंने दत्ता सामंत जी का उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि जमीन के मामले के संबंध में बहुत प्राम्पट, ऐलर्ट रहकर काम करेंगे, तो उससे भी समस्या हल हो सकती है, टेक्सटाइल उद्योग का विकास हो सकता है, लेकिन यह जो वाइटल पाइंट है, जमीन को बेचना कैसा होगा, उसके बारे में आपको बताना होगा और मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार कर रहे हैं। जब मैं अमेंडमेंट का मूव करूंगा, तब आप कृपया स्वीकार करें।

श्री जी. वेंकट स्वामी : हमने तो आपसे वापस लेने के लिए कहा है।

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो ऑर्डिनेंस निकालने की एक वाजिब बात कही है, उसके बारे में मेरा एक प्रस्ताव है कि सरकार ने ऑर्डिनेंस निकालने का काम गलत किया है, मेरी इस सदन से प्रार्थना है कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1995 को प्रख्यापित रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विचार किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2—1974 के अधिनियम 57 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 1,—

'अंतरण' **के पश्चात्** 'बंधक, विक्रम' **अंतःस्थापित किया जाए।** (3)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

श्री राम नाईक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 12—14 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—**

"परंतु ऐसे अंतरण या व्ययन के आगमों का उपयोग सर्वप्रथम उस कपड़ा मिल के प्रयोग के लिए जिसकी भूमि, संयंत्र, मशीनें आदि बेची, अंतरित, बंधक रखी जा रही हैं या अन्यथा व्ययनित की जा रही हैं, और केवल तत्पश्चात् कपड़ा उद्योग के प्रयोजनार्थ किया जाएगा तथा संसद के अनुमोदन के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।" (6)

चूंकि मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया है इसलिए इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम नाईक द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 6 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : मुझे ऐसा ही संशोधन एक अन्य खंड के लिए भी पेश करना है। पहले मंत्री महोदय ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया था। लगता है अब स्थिति बदल गई है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वे संशोधन की भावना को स्वीकार कर रहे हैं, उसके पाठ को नहीं।

श्री राम नाईक : कम से कम मैं यह समझ लूं कि मंत्री महोदय ने क्या कहा है।

[हिंदी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप अपने प्रस्ताव को विड्रा कर लीजिए, लेकिन आप नहीं बोले।

श्री राम नाईक : आपने कहां कहा, वह तो डिसएप्रूवल का चल रहा था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3—1986 के अधिनियम 30 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 11,—

'अंतरण' के पश्चात् 'बंधक, विक्रय' अंतःस्थापित किया जाए। (4)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

श्री राम नाईक : मैं प्रस्ताव करता हूं,

पृष्ठ 2

पंक्ति 12—14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"परंतु ऐसे अंतरण या व्ययन के आगमों का उपयोग सर्वप्रथम उस कपड़ा मिल के प्रयोग के लिए जिसकी भूमि, संयंत्र, मशीनें आदि बेची, अंतरित, बंधक रखी जा रही है या अन्यथा व्ययनित की जा रही है, और केवल तत्पश्चात् कपड़ा उद्योग के प्रयोजनार्थ किया जाएगा तथा संसद के अनुमोदन के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।" (7)

अब मैं संशोधन पेश करता हूं। क्या वे इसे स्वीकार करते हैं या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री राम नाईक द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 7 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

नया खंड 4—निरसन और व्यावृत्ति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"4. (1) रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश द्वारा संशोधित रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1986 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।" (5)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 4 विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1—संक्षिप्त नाम

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,

1. के पश्चात् "(1)" अंतःस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"(2) यह 27 जून, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।" (2)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1995 और सांविधिक संकल्प को चर्चा के लिए लेते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1995 को प्रख्यापित कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र और सूत के उत्पादन और वितरण में वृद्धि करने की दृष्टि से, जिससे कि जनसाधारण का हित साधन हो सके, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कपड़ा उपक्रमों का और ऐसे कपड़ा उपक्रमों के संबंध में स्वामियों के अधिकार और हित का अर्जन और अंतरण करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 4—निहित किए जाने के सामान्य प्रभाव

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5,

पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

"(7) कोई व्यक्ति जो, उस तारीख को जिसको कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 प्रख्यापित किया गया था, धारा 3 में निर्दिष्ट किसी कपड़ा उपक्रम के संपूर्ण या किसी भाग का कब्जाधारी था या वह उसकी अभिरक्षा में या उसके नियंत्रणाधीन था जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा किसी न्यायालय की किसी डिक्री, आदेश या व्यादेश के कारण या अन्यथा प्रबंध ग्रहण नहीं किया जा सका था ऐसे उपक्रम या उसके भाग का तथा ऐसे उपक्रम या उसके भाग से संबंधित सभी लेखा पुस्तकें, रजिस्टर और सभी अन्य दस्तावेज, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हो, केंद्रीय सरकार या राष्ट्रीय कपड़ा निगम या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे इस निमित्त, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तुरंत परिदत्त करेगा।" (11)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 से 8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 9—और धनराशि का पुनरीक्षण

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 7 और 8,—

1995 का अध्यादेश संख्यांक 6	"जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है" के स्थान पर, "जिसको कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 प्रख्यापित किया गया था" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, विधेयक में जोड़ दिया गया।

7.00 म.प.

खंड 11—कतिपय परिस्थितियों में कपड़ा उपक्रमों की आस्तियों के व्ययन के लिए विशेष उपबंध

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 37,—

"ऐसे अंतरण" के पश्चात्,

"बंधक, विक्रय" अंत:स्थापित किया जाए। (2)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

श्री राम नाईक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—पंक्ति 37 से 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"परंतु ऐसे अंतरण या व्यसन के आगमों का उपयोग सर्वप्रथम उस कपड़ा मिल के प्रयोग के लिए जिसकी भूमि, संयंत्र, मशीनें आदि बेची, अंतरित, बंधक रखी जा रही है या अन्यथा व्ययनित की जा रही है, और केवल तत्पश्चात् कपड़ा उद्योग के प्रयोजनार्थ किया जाएगा तथा संसद के अनुमोदन के बिना किसी अन्य प्रयोजना के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।" (10)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री राम नाईक द्वारा पेश किए गए संशोधन

संख्या 10 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 से 18, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 से 18, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 19—राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कतिपय शक्तियां

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 22,—

1995 का अध्यादेश संख्यांक 6 "जिसको यह अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है" के स्थान पर, "जिसको कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 प्रख्यापित किया गया था" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21—दावों की प्राथमिकता

(यह संशोधन हिंदी पाठ में लागू नहीं होता)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23—दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11, पंक्ति 32,—

"बैठकें करेगा" के स्थान पर "बैठकें कर सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24 से 27, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24 से 27, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 28—वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रबंध को अभिरक्षकों में निहित रखना

पृष्ठ 13, पंक्ति 23-24,—

1995 का अध्यादेश संख्यांक 6 "जिसको यह अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है" के स्थान पर "जिसको कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 प्रख्यापित किया गया था।" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 29, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30—राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अनुसमर्थन किए जाने तक डेके का प्रभावी न होना

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 41-42,—

1995 का अध्यादेश संख्यांक 6 "जिसको यह अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है" के स्थान पर, "जिसको कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 प्रख्यापित किया गया था" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 31 से 36, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 से 36, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 37—कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16, पंक्ति 4-5,—

1995 का अध्यादेश संख्यांक 6 "इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से" के स्थान पर "कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 के प्रख्यापित किए जाने की तारीख से" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

(श्री जी. वेंकटस्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खंड 38—निरसन और व्यावृति

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16, पंक्ति 8 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"38. (1) कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।" (9)

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 38, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 38, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली और दूसरी अनुसूचियां, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली और दूसरी अनुसूचियां, विधेयक में जोड़ दी गईं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम, विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

जब संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि सभा में चर्चा के लिए आवश्यक सरकारी कार्य बड़ी मात्रा में है और उसे राज्य सभा भी भेजना है। मेरा सुझाव है कि कल गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को निपटाया जाए ताकि उसे राज्य सभा भेजा जा सके। राज्य सभा में कल गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य होगा। इस व्यवस्था से कई काम निपटाए और विधेयक आदि पारित किए जा सकेंगे। आशा है इसमें सभा को कोई आपत्ति नहीं होगी।

दूसरा हल यह है कि इसके बाद हम कुछ वित्तीय कार्य निपटाएं। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे उसे पारित कर दें।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम आज की सूची का कार्य कल निपटा सकते हैं। आज के काम को कल के लिए रखा जाए"(**व्यवधान**)

[हिंदी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : हम कल लेट नाइट तक बैठ जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : अब हम सभा स्थगित करें। हम कल देर तक बैठेंगे। वे हमारा रात का भोजन तैयार रखें और हम सभी विधेयकों को पास कर देंगे ताकि शनिवार को वे वहां जा सकें।(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हम चर्चा के लिए अधिक विषय नहीं रख सकते। क्योंकि ऐसा करने से अनेक सदस्यों को, चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलने में कठिनाई होती है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम मानते हैं कि समय सीमित है। हम इस बात से सहमत हैं कि कुछ विधेयकों को राज्य सभा भेजना है। शनिवार को राज्य सभा की बैठक भी हो रही है। हम राज्य सभा जाने वाले विधेयक कल पास कर देंगे तथा राज्य सभा द्वारा पास किए गए सभी विधेयकों पर शनिवार को विचार करेंगे। इस बीच गैर-सदस्यों का कार्य शनिवार के लिए स्थगित किया जा सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो हम कल देर तक बैठ सकते हैं, परंतु शीघ्रता में कार्य निपटाना अच्छा नहीं। भारतीय संसदीय ग्रुप की बैठक चल रही है और हम सभी उसके सदस्य हैं। हम अध्यक्ष महोदय को न यहां न वहां कहीं भी नाराज नहीं करना चाहते।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसीलिए मेरा सुझाव था कि हम इसे बिना चर्चा के पास कर दें। आप उस बैठक में 7 बजे भाग लेना चाहते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं इससे सहमत नहीं। अनुपूरक मांगों और अनुदानों की अतिरिक्त मांगों दोनों के बारे में कुछ बातें कहनी हैं। आप उनसे नहीं बच सकते···(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक (मुंबई-उत्तर) : हम शुक्रवार के गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को शनिवार के लिए स्थगित किए जाने पर सहमत हैं। इसमें कोई समस्या नहीं। सभी नेता इससे सहमत हैं। जाते समय श्री बाजपेयी मुझसे यह कह गए थे। इसलिए हम इससे सहमत हैं। अनुपूरक मांगों पर हम कल विचार करेंगे और देर तक बैठेंगे। अनुदानों की अनुपूरक मांगें राज्य सभा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं। यह वित्तीय मामले हैं। इसलिए इस पर हमें अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। इस पर हम कल विचार करेंगे। आवश्यक हुआ तो हम कल देर रात तक बैठ सकते हैं। ऐसा कर हम भारतीय संसदीय ग्रुप की बैठकों में भी भाग ले सकेंगे···(**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री राम नाईक समस्या से अच्छी तरह अवगत हैं। इन विनियोग विधेयकों को पारित कर सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना है, जिसके बाद हमें उन्हें राज्य सभा को भेजना है। इसलिए इस सब में समय लगेगा। यदि हम इस पर कल विचार करते हैं तो कठिनाई होगी क्योंकि हम राष्ट्रपति से यह नहीं कह सकते कि वे विधेयकों पर हस्ताक्षर करें तब उन्हें राज्य सभा भेजें।···(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम इसे कल सवेरे पास कर सकते हैं और तब यह राष्ट्रपति के पास जा सकता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि हम इसे कल पास करते हैं और राष्ट्रपति भवन भेजकर राष्ट्रपति से इन पर हस्ताक्षर करा लेते हैं, तब तो कोई समस्या नहीं होगी। मान लीजिए वे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब क्या होगा ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मान लीजिए कल भूचाल आ जाए, तब क्या होगा ? हम उस बात की चर्चा कर रहे हैं, जो बात संभव है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कुछ अधिक समय तक क्यों नहीं बैठ जाते ? कल, आप रात 11 बजे तक बैठे थे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम कल देर तक बैठेंगे···(**व्यवधान**)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चंद्रशेखर मूर्ति) : यदि हम इसे आज पारित कर देते हैं, तो हम इस पर दूसरे सदन में कल चर्चा करा सकते हैं, अन्यथा यह बड़ा कठिन हो जाएगा। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हम इसे आज ही पास कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार की अपनी कठिनाई है। हमें उनकी कठिनाई समझकर इन विधेयकों को पारित कर देना चाहिए। हमें उनसे सहयोग करना चाहिए।

श्री राम नाईक : उन्हें पहले अनुपूरक मांगों पर चर्चा करानी चाहिए थी तथा बाद में वे इन विधेयकों को चर्चा के लिए लाते। उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया।···(**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम यह नहीं मान सकते कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने कि स्थिति में ही होंगे। इसलिए हम इसे आज पास कर राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और शनिवार को राज्य सभा को भेज सकते हैं···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हम 30 या 45 मिनट और बैठें।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री राम कृपाल यादव : हम लोग मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर थक गए हैं, इसलिए हम और बैठने में असमर्थ हैं। इसको कल ले लें। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार की अपनी कठिनाई है। यदि यह आज पास हो जाता है, तो कल इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या कल हम साढ़े ग्यारह बजे तक नहीं बैठे थे ? यह पता था कि ऐसा होने वाला है पर आज नहीं। आज, हम यह तय करें कि कल देर तक बैठना आवश्यक है।

श्री श्रीकांत जेना : हम इसे कल जल्दी से पास कर सकते हैं। उसके बाद इसे राष्ट्रपति तथा बाद में राज्य सभा को भेजा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति पर दबाव नहीं डाल सकते। सरकार की यह कठिनाई है।

श्री अनिल बसु : श्रीमान, अध्यक्ष महोदय, भारतीय संसदीय ग्रुप की बैठक में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नहीं, वे आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे। मैं समझता हूं हम इसे शीघ्र ले लें। इसे पारित करने में कोई कठिनाई नहीं है। आप मंत्री महोदय को बुला सकते हैं तथा जो इच्छुक हों वे दूसरी बैठक में जा सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम इससे सहमत नहीं। यह संभव नहीं। यदि यह आवश्यक हो तो हम कल देर तक बैठने को तैयार हैं। वे हम पर विश्वास क्यों नहीं करते ? हम उनसे सहयोग करेंगे और उन्हें कोई समस्या नहीं होगी···(**व्यवधान**)

[हिंदी]

श्री राम कृपाल यादव : श्रीमान्, हम चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए इसे कल के लिए छोड़ दिया जाए। कल हम रात भर बैठने के लिए तैयार हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय, जिद ना करें, हम इसे कल पास कर देंगे। मैं समझता हूं कि शुक्ल जी इससे सहमत होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा जो कल आपने रात 11 बजे तक बैठने की कृपा की थी। हम 30 या 45 मिनट और बैठकर कार्य निपटा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : कृपया मंत्री महोदय से विधेयक पेश करने को कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पहले ही पेश हो चुका है। केवल चर्चा बाकी है। क्या हम एक या दो सदस्यों से बहस शुरू करने को कह सकते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान्, कृपया इसे सभा के मतदान के लिए रखिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : श्रीमान्, सभा का समय इस प्रकार न बढ़ाया जाए। यह उचित नहीं है। हम सहयोगी रुख अपना रहे हैं। मतैक्य के बिना समय ना बढ़ाया जाए। वे कृपा कर उचित व्यवहार करें अन्यथा हम भी उनके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं आपसे न्यायोचित होने की अपील करता हूं। हम तो हैं···**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम कहते हैं कि सभी आठों विधेयक पास कर दिए जाएंगे···**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम आपके दबाव के आगे झुकने को तैयार हैं।

श्री श्रीकांत जेना : ठीक है, वे राजी हो गए हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन्हें राजी करने के लिए कृपया अंतिम प्रयत्न कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप कल देर तक बैठने को और काम पूरा करने को तैयार हैं। यह फैसला रहा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या निर्मल जी मध्याह्न भोजनकाल और शून्यकाल न रखने के लिए सहमत हैं ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जो आवश्यक हो हमें वह करना चाहिए। आप हम पर निर्भर कर सकते हैं।

श्री राम नाईक : हम मध्याह्न भोजन का समय छोड़ने को तैयार हैं परंतु शून्यकाल छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं आपके सुझाव से सहमत हूं। हम कल का मध्याह्न भोजनकाल नहीं रखेंगे तथा विधेयक पास करने के लिए जितना आवश्यक होगा उतनी देर बैठेंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह तभी संभव है ये कल रात्रि भोजन तैयार रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः, रात्रि भोजन की शर्त पर आप लंबे समय तक बैठने को तैयार हैं। मुकुल जी भोजन की व्यवस्था करें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवाकार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : यदि यही शर्त आज पूरी की जाए, तब क्या हम देर तक बैठ सकते हैं ?···**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान्, कल एक संविधान (संशोधन) विधेयक भी पास करना है। यह राज्य सभा द्वारा पास किया जा चुका है तथा इसे इस सभा को भी पास करना है।

श्री राम नाईक : हम रात देर तक बैठकर इसे पास कर सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम कल देर तक बैठने को तैयार हैं, क्योंकि इसकी सूचना हमें है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह अच्छी प्रगति है। आप सभी देर तक बैठने और भोजनावकाश छोड़ने को तैयार हैं। हम कल देर तक बैठ सकते हैं।

अब सभा 25 अगस्त, 1995 के 11.00 म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.20 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 अगस्त 1995/3 भाद्र, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।